चतुर्दश माला, खंड 21, अंक 6

सोमवार, 31 जुलाई, 2006
9 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 30 Oct 2003

(खण्ड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)
अंक 6, सोमवार, 31 जुलाई, 2006/9 श्रावण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101, 102, 104 और 105	5-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 103 और 106 से 120	32-71
अतारांकित प्रश्न संख्या 737 से 885	71-331
सभा पटल पर रखे गए पत्र	332
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय संसदीय भागीदारी	
प्रतिवेदन	333-334
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
चौतीसवां प्रतिवेदन	334
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) श्रम संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री चन्द्रशेखर साहू	335
(दो) बहरीन के मनामा शहर में 30-7-2006 को हुए अग्निकांड में भारतीयों की मृत्यु	
श्री ई. अहमद	374-375
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) महत्वपूर्ण भारतीय संस्थापनों पर अतंकवादी हमलों, जैसाकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा उजागर किया गया है, की आशंका के बारे में	335-339
(दो) लेबनान पर इजरायली हमलों से उत्पन्न स्थिति	339-361
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 - पुरःस्थापित	362

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के बलसाड़ जिले में डांग वनों में वृक्षों की अवैध कटाई रोकने की आवश्यकता

श्री किसनभाई वी. पटेल 362-363

(दो) दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गुरखा पर्वतीय परिषद् क्षेत्र में विकास हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला 363-364

(तीन) तमिलनाडु में प्याज उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 364-365

(चार) पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारों पर भूक्षरण रोकने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 365

(पांच) हिमाचल प्रदेश में ओट से लुटरी (सैंज) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 22 को आपस में जोड़ने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा सिंह 365-366

(छह) राजस्थान के जयपुर में उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोनल कार्यालय के भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 366

(सात) उत्तर प्रदेश में ओरई और जालौन को जोड़ने के लिए उत्तर-पूर्व जाने वाली कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 366

(आठ) उड़ीसा में पदमापुर से बड़बील तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 को चार लेन वाला बनाने संबंधी कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री अनंत नायक 367

(नौ) महाराष्ट्र में चिकनगुनिया बीमारी को फैलने से रोके जाने की आवश्यकता

श्री संजय धोत्रे 367

(दस) गोदावरी और पंचवटी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के किराये में वृद्धि की समीक्षा करने के अलावा इन दोनों रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट घोषित किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण 368

(ग्यारह) केरल के कासरगोड जिले में काजू के पौधों पर कीटनाशी इंडोसल्फन के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन 368

(बारह) केरल के अलाप्पुझा जिले के सूखा और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज 369

(तेरह) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव 369-370

(चौदह) संविधान के उपबंधों के अनुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता 370

(पंद्रह) वस्त्र उद्योग में कार्यरत कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी...... 370-371

(सोलह) उत्तर प्रदेश में सहजनवा, मेंहदावल, बासी, डुमरियागंज उतरौला और बलरामपुर तक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

मो. मुकीम...... 371

(सत्रह) महाराष्ट्र के खेड़ में निजी कंपनी द्वारा संचालित बांधों से करों की वसूली किए जाने की आवश्यकता

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव 372

(अठारह) राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए जिन लोगों से भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 372-373

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का प्रस्तावित संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुंशी राम 373

(बीस) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री बालेश्वर यादव 373-374

विषय **कॉलम**

संसद (निरहर्ता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 376-432
434-514

विचार करने लिए प्रस्ताव

श्री हंसराज भारद्वाज 377-383

श्री अनंत कुमार 383-398

श्री कपिल सिब्बल 398-415

श्री मोहन सिंह 415-417

श्री रूपचंद पाल 417-423

श्री गणेश प्रसाद सिंह 424-425

श्री राजेश वर्मा 426

श्री अनंत गंगाराम गीते 426-430

श्री प्रसन्न आचार्य 430-432
434-436

श्री गुरूदास दासगुप्त 436-440

श्रीमती एम.एस. के भवानी राजेन्तीरन 440-441

कुमारी ममता बैनर्जी 441-451

श्री किन्जरपु येरननायडु 451-453

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा 453-455

श्री जार्ज फर्नान्डीज 455-458

प्रो. एम. रामदास 458-460

श्री उदय सिंह 460-464

श्री प्रभुनाथ सिंह 464-466

श्री असादूद्दीन ओवेसी 466-470

श्री मानवेन्द्र सिंह 471-488

खंड 2 से 4 और 1 488

पारित करने के लिए प्रस्ताव 488-514

विषय **कॉलम**

इजरायल द्वारा लेबनान पर हमले के बारे में संकल्प 433-434

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 515

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 516-520

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 521

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 522

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 31 जुलाई, 2006/9 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

...(*व्यवधान*)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष मोहदय: मुझे सभा को अपने पूर्व साथी श्री एस.एम. गुरड्डी के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री एस.एम. गुरड्डी वर्ष 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और इन्होंने कर्नाटक के बीजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री गुरड्डी वर्ष 1962 से 1971 तक कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे।

उत्कृष्ट सांसद श्री गुरड्डी वर्ष 1986-87 के दौरान याचिका समिति के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक श्री गुरड्डी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री गुरड्डी तालुका विकास बोर्ड मुद्दीबिहल के अध्यक्ष; कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन के उपाध्यक्ष और बीजापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सदस्य भी रहे।

श्री गुरड्डी वर्ष 1987 में मानागुआ, निकारागुआ में हुए 77वें अंतरसंसदीय सम्मेलन में भाग लेने वाले शिष्टमंडल के सदस्य भी रहे।

श्री एस.एम. गुरड्डी का निधन 23 जुलाई, 2006 को बीजापुर, कर्नाटक में 78 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा से जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। यह सभा इस जनहानि पर दु:ख व्यक्त करती है और आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि 30 जुलाई, 2006 को मनामा, बहरीन में एक तीन मंजिला इमारत में आग लगने के कारण 16 भारतीयों की मृत्यु हो गई थी।

यह सभा इस दु:खद घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करती है।

दिवंगत सदस्यों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अब सभा के सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इजरायली सेनाओं के आक्रमण के कारण...(*व्यवधान*) मैंने प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए सूचना दी है...(*व्यवधान*) सभा को निंदा करनी चाहिए ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप एक एक कर बोल सकते हैं। यदि आप सब एक साथ बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं सुन सकूंगा।

...(*व्यवधान*)

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रु. की वृद्धि की है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, मैं इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूंगा। आप इसके लिए नोटिस दे सकते हैं। अब कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने प्रश्नकाल को निलंबित करने के लिए सूचना दी है।...(*व्यवधान*) इजरायली सेनाओं द्वारा हवाई हमले के कारण कल 34 बच्चों सहित 54 लोग मारे गए और यह क्रूर और घृणित हमला अभी भी जारी है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके द्वारा व्यक्त चिंताओं को समझता हूं - मुझे विश्वास है कि सभा के सभी वर्ग इस चिंता में शामिल हैं। मैं प्रश्नकाल के बाद आपको यह विषय उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है, जो देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है। "इंडिया टुडे" के लेटेस्ट इश्यू में एक आर्टिकल छपा है, जिसका हैडिंग "लैटर बम्ब" करके है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से प्रधान मंत्री जी से एक्सेस रखने वाला व्यक्ति अमेरिका से सीधा सम्बन्ध रखता है और सारी सूचनाएं वहां भेजता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्नकाल के पश्चात् अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: यह जानकारी सम्भवतः हमारे पूर्व विदेश मंत्री जी को भी थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह देश केवल इन और इन लोगों का ही नहीं है, यह देश हम सबका है। यह देश की सुरक्षा का मामला है और हम चाहते हैं कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो और व्यापक चर्चा हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्नकाल के पश्चात् अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सुरक्षा कौंसिल के सलाहकार...* ने...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी का नाम न लें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने पब्लिकली सी.एन.एन. टीवी चैनल पर घोषणा की है कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टालेशंस फिदायीन के निशाने पर हैं और खतरे में हैं। इससे ज्यादा सीरियस और चैलेंजिंग स्टेटमेंट सम्भव नहीं है। एटॉमिक एनर्जी का विभाग प्रधान मंत्री जी के पास है। इस समय संसद का सत्र चल रहा है, और यह विशेषाधिकार का भी मामला है। इतनी बड़ी बात सदन में न कहकर बाहर बताई जा रही है और प्रधान मंत्री जी ने उस पर कुछ नहीं कहा है। इससे पहले यह कहा गया है कि लश्कर-ए-तोएबा के लोग हमारी एयर फोर्स में शामिल हो रहे हैं और इस सम्बन्ध में बड़े-बड़े वी.आई.पीज के नाम आ रहे हैं। ये सारी बातें टीवी के चैनल्स पर और अखबारों में आ रही हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है और सरकार चुप बैठी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। मैं आपको प्रश्नकाल के पश्चात् विस्तार से बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं चाहता हूं कि सभा इन हत्याओं की निंदा करे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्नकाल के पश्चात् बोल सकते हैं। अब पहले हमें प्रश्नकाल शुरू करना चाहिए। प्र. सं. 101, श्री के.एस. राव।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री के.एस. राव को बोलने को कहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): मेरा नाम छोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम तो नम्बर वन पर है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग हेतु आपका धन्यवाद। मैं प्रश्नकाल के पश्चात् आपको अवसर दूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री के.एस. राव। प्रश्न सं. 101।

[अनुवाद]

चीनी की उपलब्धता

+

***101. श्री के.एस. राव:**

श्री ए.बी. बेल्लारमिन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चीन का उत्पादन, खपत, निर्यात और आयात कितना रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार गन्ना उत्पादकों, चीनी उद्योग तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण और खरीद प्रणाली शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के जरिए सभी उपभोक्ताओं को चीनी आपूर्ति करने की पूर्व प्रणाली को बहाल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लेवी कोटा प्रणाली को समाप्त करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण पर सीधे राजसहायता देने के लिए एक नया तंत्र बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में भी चीनी निर्यात को और अधिक उदार बनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत तीन चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का उत्पादन और खपत निम्नानुसार थी:-

(लाख टन में)

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर)	उत्पादन	खपत
2002-2003	201.32	183.76
2003-04 (अ)	139.58	175.00
2004-05 (अ)	130.00	171.44

(अ) - अनंतिम

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता के अनुसार, गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान चीनी का आयात और निर्यात निम्नानुसार था:-

(मात्रा लाख मी. टन में)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	आयात	निर्यात
2003-04	0.74	12.00
2004-05	9.33	1.09
2005-06 (अ)	5.59	3.17

(अ) - अनंतिम

(ख) और (ग) सरकार की मौजूदा नीतियां और कानून/विनियम इस समय मुख्य पणधारियों यथा गन्ना किसानों, चीनी उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) और (ज) सरकार ने दिनांक 4-7-2006 की अधिसूचना द्वारा यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को तरजीही कोटे के निर्यात को छोड़कर 31-3-2007 तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

श्री के.एस. राव: महोदय, भारतीय किसानों की मेहनत के बल पर भारत में चीनी उद्योग काफी व्यापक हो गया है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, सरकारी नीतियों के चलते कई अवसरों पर किसान पिस रहे हैं। 1999-2000 में, जब 66 लाख टन के क्लोजिंग स्टाक के साथ उत्पादन 182 लाख टन था और इस प्रकार यह

कुल 250 लाख टन था जबकि देश में खपत केवल 155 लाख टन थी। तब भी, 11.8 लाख टन का आयात किया गया तथा इस प्रकार 1112 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा की हानि हुई। 1998-99 में भी यही स्थिति थी जब उत्पादन, खपत से ज्यादा था तथा क्लोजिंग स्टाक भी था तथा उस समय भी 1110 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा की हानि हुई।

जून तथा जुलाई के महीनों में, समाचार पत्रों के अनुसार इस वर्ष भी ज्यादा उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई थी लेकिन फिर भी सरकार ने यह सोचकर चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया कि चीनी का आयात करना पड़ेगा जो देश के किसानों के हित में नहीं था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे चीनी निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाएंगे तथा आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसके अलावा, आयात करते समय वे चीनी के आयात पर लगने वाले शुल्क पर छूट देना चाहते हैं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, यह निर्णय केवल थोड़े समय के लिए लिया गया है। चीनी के निर्यात पर केवल 30 मार्च, 2007 तक प्रतिबंध लगाया गया है। देश में अस्थायी संकट पैदा किया गया था। गन्ने की कीमतें बढ़ रही थीं। इसलिए, सरकार ने सीमित समय के लिए थोड़े से आयात की अनुमति देने तथा निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने का निर्णय लिया। लेकिन, निश्चित रूप से, अक्तूबर माह में जब चीनी का मौसम शुरू होगा, हम परिस्थिति का आकलन करेंगे तथा उचित निर्णय लेंगे।

श्री के.एस. राव: महोदय, यह देश तथा किसानों के हित में नहीं है। मैं आपसे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति देने के लिए अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए एक प्रक्रिया है। सभी को वह प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

श्री के.एस. राव: महोदय, आयातित तेल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। ब्राजील तथा अन्य देशों में एथेनाल का व्यापक उपयोग करके तेल की खपत में कमी लाई जा रही है।

अतएव, देश में चीनी उद्योग का संवर्धन करके हम एथेनाल के उत्पादन का संवर्धन करके तेल के आयात में कमी ला सकते हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे एथेनाल उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु इसके लिए कोई लाभकारी मूल्य निर्धारित करेंगे।

श्री शरद पवार: यह विषय विशेष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अन्तर्गत आता है। लेकिन यह सच है कि कई देश चीनी का रस तथा शीरे का उपयोग एथेनाल के उत्पादन के लिए कर रहे हैं क्योंकि एथेनाल एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। जिस प्रकार से डीजल तथा पेट्रोल के मूल्य बढ़ रहे हैं, ब्राजील तथा अमेरिका जैसे देश मक्के के दाने या गन्ने के रस से एथेनाल के उत्पादन को शुरू करने संबंधी नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। इसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो रही है। कुछ चीनी मिलों ने एथेनाल संयंत्र स्थापित किए हैं तथा उन्होंने एथेनाल उत्पादन शुरू किया है तथा इसकी कीमत को लेकर उद्योग मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच चर्चा चल रही है। मुझे विश्वास है कि इस विशेष मुद्दे पर जो गत कई माह से लंबित है, पर आगामी दो या तीन माह में निर्णय ले लिया जायेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय तथा तेल कंपनियां कीमतों के संबंध में अपनी नीतियों की घोषणा कर देंगी तथा उद्योग एथेनाल का उत्पादन शुरू कर देगा। इस प्रकार से, ब्राजील की तरह भारत एथेनाल का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू कर देगा।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन: महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह दावा किया है कि खरीद तथा वितरण के लिए नया तंत्र विकसित करने की आवश्यकता नहीं है तथा गन्ना उत्पादकों, चीनी उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विद्यमान विनियम पर्याप्त हैं।

इस बात की सरकार किस प्रकार उपेक्षा कर सकती है जब चीनी के मूल्य में परिवर्तन, उत्पादन तथा खपत में भारी अंतर तथा असंगत निर्यात तथा आयात नीति को लेकर इतनी अफरा-तफरी मची हुई है?

श्री शरद पवार: यदि आप पिछले कुछ माह में लगातार मूल्यों का अध्ययन करेंगे तथा 26 जुलाई, 2006 की अद्यतन कीमत देखेंगे तो औसत रूप से चीनी का खुदरा मूल्य 21 रु. है। एक सप्ताह पूर्व भी मूल्य 21 रु. ही था। एक माह पूर्व यह 22 रु. था; छह माह पूर्व यह 21 रु. था; तथा एक वर्ष पूर्व यह 21 रु. था। अत: पूरे वर्ष में आप देखेंगे कि मूल्य 20 रु. से 21 रु. था। इसलिए यह बहुत ज्यादा नहीं था।

दूसरे, हमने तीन वर्ष पूर्व देखा कि किसानों को पर्याप्त मूल्य नहीं दिया गया। इसलिए, वे गन्ने की खेती छोड़कर दूसरी चीजों की खेती करने लगे तथा देश में संकट उत्पन्न हो गया। अब अंतत: हमें आयात करने के संबंध में निर्णय लेना है। अतएव, यदि हमें उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करना

है तो हमें हमें यह देखना होगा कि पर्याप्त उत्पादन हो। पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें किसानों को उचित मूल्य देना होगा। इसलिए, भारत सरकार द्वारा संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष जी, जब हम चीनी उत्पादन की चर्चा करते हैं तो माननीय पवार साहब का नाम स्वतः ही आ जाता है क्योंकि इनका योगदान चीनी उत्पादन में रहा है। महाराष्ट्र राज्य देश में 35 प्रतिशत चीनी उत्पादन करता है और इसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है। महाराष्ट्र कोओपरेटिव्ज फैडरेशन के अध्यक्ष का बयान है कि किसानों को गन्ने का दाम सही नहीं मिल रहा है जिसके कारण किसान अन्य फसल बो रहे हैं और चीनी का उत्पादन गिर रहा है। अपने उत्तर में भी आपने स्वीकार किया है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों को गन्ने का सही मूल्य देने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और इस दिशा में आपने क्या प्रयास किये हैं?

श्री शरद पवार: पिछले साल गन्ना पैदा करने वाले किसानों को जितनी अच्छी कीमत मिली वह इससे पहले इस देश के किसानों को कभी नहीं मिली थी। आज गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन इस देश में उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र दूसरे नम्बर पर है, उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर है। जिस तरह से वहां नयी चीनी मिलें लग रही हैं उससे मुझे विश्वास है कि यह सिचुएशन कान्टिन्यू रहेगी। जहां तक कीमत का सवाल है तो पिछले साल किसानों को 140 रुपये के आस-पास कीमत पहली बार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और साउदर्न-इंडिया में मिली है। इसीलिए शुगर-केन प्लांटेशन का एकड़ बढ़ रहा है। हम समझते हैं कि इस साल 227 लाख टन का उत्पादन इस देश में होगा। देश की रिक्वायरमेंट 180-190 लाख टन के आस-पास है। इस साल किसान गन्ना ज्यादा लगाकर सरप्लस चीनी इस देश में पैदा करेंगे क्योंकि जो स्टेट पॉलिसी है उसमें सेंट्रल-गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। इसका फायदा ग्राउड लेवल पर दिखेगा और वह पालिसी हम क़ान्टिन्यू रखेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, इसमें चार-पांच सवाल उठते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप एक सवाल ही उठाइये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसमें आयात है, निर्यात है, उत्पादन है, इसलिए हम मिला-जुलाकर सवाल पूछ लेते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है लेकिन पूर्व का इतिहास देखेंगे तो कभी महाराष्ट्र और बिहार भी प्रथम स्थान में थे। लेकिन विगत दिनों बिहार में चीनी उत्पादन कम हुआ है और उसमें किसकी भूमिका और दोष रहा है उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन अब की जो स्थिति है वह यह है कि बिहार में बाहर के उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वहां चीनी उद्योग के समाप्त होने से वहां के किसानों का बहुत अहित हुआ है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिन राज्यों में बाहर के उद्योगपति उद्योग लगाने के उत्सुक हैं वहां के लिए केन्द्र सरकार क्या कोई नीति बना रही है ताकि सुविधाजनक तरीके से वे लोग वहां उद्योग स्थापित कर सकें और वहां के किसानों को उसका लाभ मिल सके। हम बताना चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों में चीनी के अलग-अलग रेट हैं। उत्तर प्रदेश में जो रेट मिल रहा है वह बिहार के किसानों को नहीं मिल रहा है। तो देश के स्तर पर किसानों के लिए मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या सरकार कोई विचार करेगी?

श्री शरद पवार: महोदय, जहां तक मूल्य का सवाल है तो पूरे देश के लेवल पर एक प्राइस भारत सरकार तय करती है, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस तय करती है। लेकिन इसके साथ-साथ कई राज्यों ने इस बारे में अलग-अलग डिसीजन लिया है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट्स हैं। सभी ने अपनी अलग नीति तय की है। इसलिए भारत सरकार ने जो यूनिफार्म प्राइस तय की है, उससे ज्यादा देने का प्रयास राज्य सरकारों की ओर से होता है जिससे किसानों को दो पैसे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए हम इसमें इंटरफीरेंस करना नहीं चाहते हैं, उन्हें वह मिलना चाहिए। इस बारे में हमारा समर्थन रहेगा। बिहार के बारे में यह सच है कि शुगर इंडस्ट्री की शुरुआत बिहार में 100-125 साल पहले हुई थी। बीच में वहां की कई मिलें बंद हो गयीं। वहां की समस्याओं के बारे में मुझसे ज्यादा माननीय सदस्य जानते हैं। लेकिन भारत सरकार का रवैया आजकल यह है कि नयी शुगर मिलें लगाने की बात जब आती है तो हम उन्हें बिहार में लगाने के लिए कहते हैं क्योंकि सरप्लस शुगर सदर्न इंडिया और उत्तर प्रदेश में है। वहां सरप्लस शुगर होने के बाद हमें बिहार, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल, नार्थ-ईस्ट को उत्तर प्रदेश या सदर्न इंडिया के स्टेट्स से चीनी भेजने पर ट्रांसपोर्ट कोस्ट बहुत आती है और यह कंज्युमर के ऊपर बोझ हो जाता है। यह बोझ कम करना है तो हमें नार्दर्न-ईस्टर्न इंडिया में हमें देखना होगा कि कहां चीनी मिलें लग सकती हैं। बिहार में ज्यादा पोटेंशियल है। इसलिए इस साल हमें लगता है कि 5-6 मिलें बिहार राज्य में लगेंगी। जिस तरह का डिस्कशन चीफ मिनिस्टर के साथ मेरे विभाग के राज्य मंत्री अखिलेश सिंह के साथ मीटिंग में हुई है। इंवेस्टर्स सिलेक्ट किए हैं और जो नए लोग वहां इंवेस्टमेंट करने

के लिए तैयार हैं, उन्हें मदद करने के लिए बिहार सरकार ने एक नई नीति की हाल ही में घोषणा की है। इसका लाभ इंवेस्टर्स लेंगे और बिहार की जो पुरानी समस्या है, उससे उभरने के लिए एक नया रास्ता, एक नया प्रकाश दिखाई पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सीमापार पूर्व में भी।

श्री शरद पवार: हम ऐसा बंगाल में भी होने देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, गन्ना मूल्य के रूप में उत्तर प्रदेश में 7000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना मिलों ने उत्तर प्रदेश के किसानों को दी, जो इस वर्ष एक रिकार्ड है और निजी क्षेत्र के मिल मालिकों ने 140-145 का भाव खेत में दिया तथा सरकारी क्षेत्र के मालिकों ने भी इतिहास में गन्ना मूल्य का भुगतान समय के भीतर किया। लेकिन यदि गन्ने का इतिहास देखें तो हर तीसरे साल चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, जिसका नतीजा होता है कि चौथे साल गन्ना उत्पादन में कमी हो जाती है और गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है, लेकिन यह पीक वर्ष था। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी कोई समन्वति नीति बनाने के बारे में विचार करेगी जिससे कि चीनी और गन्ना उत्पादन, दोनों में समरस्ता स्थायी रूप से रहे? तीन साल के बाद उत्पादन कम और तीन साल के बाद उत्पादन अधिक, इस सिलसिले को बंद करने के लिए गन्ना और चीनी की एक समन्वित नीति बनाने के बारे में क्या भारत सरकार सभी चीनी उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों की कोई सम्मिलित बैठक बुला कर स्थायी नीति बनाने के ऊपर विचार करेगी?

श्री शरद पवार: महोदय, इस बारे में स्थायी नीति बननी है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि पूरे साल चीनी के दाम देखने के बाद चीनी के दाम एक-दो राज्यों को छोड़कर 20 रुपए या 21 रुपए के आस पास हैं। बाकी राज्यों में 20 रुपए या 21 रुपए से ज्यादा कभी नहीं गए। एक हफ्ते सिर्फ 22 रुपए हुए थे। तब हमने रिलीज आर्डर में ज्यादा छूट दी। पिछले साल चार-छह महीने से मीडिया में बार-बार बहस हो रही है कि कीमत बहुत ऊपर जा रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि एक्सपोर्ट बंद करके इम्पोर्ट करने का निर्णय लेना पड़ा। इससे अल्टीमेटली किसानों का नुकसान होता है, क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा हो, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिज ऊपर गए हैं, देश में चीनी का स्टाक है और यहां पर कीमत का लेवल मेंटेन करने के लिए हमें एक्सपोर्ट को बैन करने का निर्णय लेना पड़ता है। मगर अल्टीमेटली हम इस बारे में जल्दी कुछ नहीं सोचेंगे तो इसका असर किसानों के ऊपर और जो क्षेत्र हैं, उसके ऊपर हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने इस बारे में सोचा है कि जब शुगर इंडस्ट्री अक्तूबर में अपना क्रशिंग शुरू करेगी, फिर हम तुरंत बैठेंगे, राज्य सरकार से सलाह लेंगे और सलाह ले कर इस तरह का निर्णय लेंगे, जिससे प्रोडक्शन पर असर नहीं होगा। किसानों की आमदनी पर असर नहीं होगा और इंटरनेशनल मार्केट में जो भारत को एंट्री करने का मौका मिल रहा है, उसका लाभ लेने की परिस्थिति भी मिल जाएगी।

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, गन्ने के सवाल पर बहुत गंभीर प्रश्न आज सामने आया है। पूरे विश्व में ऐसा कोई उद्योग नहीं है, जिसका कच्चा माल स्वयं उसके पास चल कर जाता हो। केवल चीनी उद्योग ही ऐसा है, जहां गन्ना किसान स्वयं चल कर, अपनी बैलगाड़ी में, बुग्गी में, ट्रैक्टर में, ट्रक में अपना गन्ना चीनी मिल मालिकों के दरवाजे पर औने-पौने दामों में फेंक कर आता है। भारतौली की जाती है और उसका नकद दाम आज तक हम नहीं दिला सके हैं। छह-छह महीने बाद यदि दाम मिलता है तो माना जाता है कि समय से दाम मिल गया। हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में कई बार पुलिस को किसानों द्वारा अपना दाम मांगने पर गोली भी चलानी पड़ी।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के हित में काउंटर पर नकद भुगतान की प्रणाली यह सरकार लागू कर पाएगी?

श्री शरद पवार: महोदय, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जहां तक मेरे पास उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है, यह बात सच है कि संघर्ष हुआ। मगर यह पहला साल है। उत्तर प्रदेश में जो किसानों को गन्ने की कीमत देने की जिम्मेदारी मिलों के ऊपर है। राज्य सरकारों के ध्यान देने के बाद मिल वालों ने सौ फीसदी किसानों को कीमत पूरी दी है। पूरे देश में जो टोटल आउट-स्टैंडिंग है वह 2.39 परसेंट है। यह सच है कि इतनी कम आउट-स्टैंडिंग इससे पहले कभी नहीं हुई।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर

+

***102. श्री उदय सिंह:**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर के अनुरूप नहीं बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य उत्पादन न बढ़ने से देश में खाद्यान्न की कमी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने पैदावार बढ़ाने तथा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खाका (रोड मैप) तैयार करने हेतु सरकार से अग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। वर्ष 2000-01 से 2005-06 के दौरान देश में खाद्यान्न की औसत वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत है जबकि इस अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) की सिफारिश करते हुए समय-समय पर विभिन्न फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की सिफारिशें भी करता है।

(घ) खाद्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई स्कीमें और कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप चावल मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों में उत्पादन वृद्धि देखी गई है। यह नीचे दर्शाया गया है:-

फसल उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2000-01	2005-06 (चतुर्थ अग्रिम अनुमान)
1	2	3
चावल	84.98	91.04
मोटे अनाज	31.08	34.67
तिलहन	18.44	27.73

गेहूं जैसी खाद्य फसलों की उपज में उतार-चढ़ाव का समाधान क्षेत्र विस्तार, बीज प्रतिस्थापन दर वृद्धि तथा अधिक तापमान सहन करने वाली अधिक उपज देने वाली किस्मों के जरिए किया जा रहा है। इसी प्रकार दलहन के मामले में बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने, क्यारियों में पौध रोपण को बढ़ावा देने, कम समय में होने वाली दलहन की फसलों को अन्य फसलों के साथ बोने को बढ़ावा देने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। बृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज हेतु समेकित अनाज विकास कार्यक्रम और समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आईसोपोम) जैसी स्कीमें भी चल रही हैं।

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह: महोदय, वास्तव में यह कुछ संतुष्टि का विषय है कि खाद्यान्न की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं अधिक है। तथापि, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने खाद्य फसलों की पैदावार में उतार-चढ़ाव की बात कही है और ऐसी कई योजनाएं और कार्यक्रम हैं जिन्हें प्रायोगिक आधार पर चलाने की बात कही गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गत कई वर्षों से खाद्य उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए क्या सरकार एक स्थिर और सतत खाद्यान्न उत्पादन और प्रबंध नीति को विकसित करने तथा उसे क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है। यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, जहां तक नीति का संबंध है, उसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु उत्पादन पूर्णतः नीति पर निर्भर नहीं है। यह प्रकृति पर भी निर्भर है। कई बार वर्षा नहीं होती है और कई बार कुछ अन्य कारण भी होते हैं। दरअसल यदि हम देश के समस्त कृषि उत्पादन का अध्ययन करें तो असली समस्या दो क्षेत्रों में है। एक क्षेत्र तिलहन और दूसरा दलहन है।

आज, हम गेहूं की समस्या का सामना कर रहे हैं किंतु यह एक अपवाद है। उत्पादन की कोई कमी नहीं है, समस्या यह है कि उदारीकृत ए.पी.एम.सी. अधिनियम और कुछ अन्य बातों से उस स्थिति का लाभ उठाया गया है। उन्होंने किसानों को कुछ अधिक पैसा दिया है और वे भारतीय खाद्य निगम से

अधिक माल खरीदने में सफल रहे। इसलिए गेहूं की समस्या बनी हुई है।

किंतु यह सत्य है कि देश में दालों की गंभीर समस्या है। एक कारण यह है कि दाल की फसलें अनिवार्यतः वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। किसान सिंचित क्षेत्रों में दालों की फसल उगाने के लिए तैयार नहीं है इसलिए उत्पादन सीमित है। कई वर्षों से अनुसंधान चल रहा है किंतु दरअसल हम कमी को कम नहीं कर पाए हैं और हम नई किस्में विकसित कर सकते है जिसमें व्यावहारिक तौर पर छह महीने की बजाय तीन या चार महीने लग सकते हैं किंतु पैदावार के हिसाब से हम किसी संतोषजनक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और हैदराबाद स्थित आई.सी.आर.आई. नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वैज्ञानिक तिलहनों और दलहनों की नई किस्में विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हमें आशा है कि कुछ सफलता प्राप्त होगी।

श्री उदय सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में जैव-प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?

श्री शरद पवार: महोदय, आज इस विषय पर एक और प्रश्न है। देश में इस बात पर काफी गर्मागर्म चर्चा चल रही है कि क्या हमें नई किस्मों में ट्रांसजेनिक जीन को प्रोत्साहित किया।

इसके कुछ सकारात्मक बिंदु हैं और काफी बड़ा वर्ग इसके समर्थन में है और एक वर्ग इसके विरोध में भी है। इस देश में एक फसल अर्थात् कपास में बी.टी. को शुरू किया गया है। कुछ अन्य फसलों जैसे चावल आदि को भारत से बाहर विकसित किया गया है। कुछ देशों ने भारत से बाहर 'गोल्डन राइस' नामक एक नई किस्म विकसित की है। कुछ कंपनियां इसके लिए अनुमति मांग रही हैं किंतु हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमें यह अध्ययन करना है कि क्या वे पर्यावरणानुकूल हैं अथवा यह स्थानीय जनसंख्या के लिए उपयोगी अथवा सुगम है या नहीं।

जहां तक जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किस्म विकसित करने का संबंध है, किसी को भी काफी सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हम इसके बारे में काफी सतर्क हैं।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि *[अनुवाद]* "वर्ष 2000-01 से 2005-06 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन की औसत वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत है जबकि यह अवधि के दौरान औसत जनसंख्या वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत रही।"

[हिन्दी]

यह एवरेज रेट है लेकिन कुछ स्टेटस और कुछ स्टेट्स के इलाकों में अलग-अलग क्राप्स होती हैं। जैसे मेरा एरिया विदर्भ है और वहां की मुख्य क्रॉप कॉटन है। पिछले तीन-चार सालों में जो एवरेज रेनफाल होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है, जहां कॉटन मोनोपोली स्कीम चलती है। दो साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने 2300 रुपये क्विंटल रेट तय किया था और पिछले साल 1700 से 1800 रुपये रेट तय किया था। एक तरफ प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ किसानों को रेट कम मिल रहे हैं। इसके कारण पिछले दो महीनों में 62 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और अभी पिछले 48 घंटों में 17 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: मैं सवाल पूछ रहा हूं। हम जब तक इस सवाल के रूट में नहीं जायेंगे, यानी इरिगेशन की प्रॉब्लम हल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। चूंकि वहां क्रॉप का निर्माण केवल मानसून के ऊपर होता है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जब तक हम पानी की समस्या हल नहीं करेंगे, तब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी। हालांकि हमारे यहां बहुत से डैम्स प्रस्तावित हैं, लेकिन वे डैम्स शुरू नहीं होते हैं और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है और इसीलिए किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं। बाकी प्रोडक्शन बढ़ाने के बहुत से कारण दिये हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन कारणों को देखना भी जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय: आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछिये। इस पर फुल डिस्कशन नहीं हो सकता है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

श्री शरद पवार: महोदय, जहां तक किसानों की सुसाइड की समस्या है, यह बड़ी गंभीर समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदन के सभी पक्ष इस बारे में बहुत चिंतित हैं। किसानों की सुसाइड के बारे में खास तौर से विदर्भ के कुछ जिलों के बारे में यहां बतलाया गया। यह बात सच है कि जब इसके रूट

कॉज में जाने की कोशिश की तो देखा कि इसके दो-तीन महत्वपूर्ण रीजन्स हैं, जिसमें नॉन-अवेलेबिलिटी ऑफ एश्योर्ड वाटर सबसे महत्वपूर्ण रीजन है। इसलिए उस एरिया की समस्या हल करने के लिए प्रधान मंत्री जी के स्तर पर एक डिस्कशन हुआ और प्रधान मंत्री जी ने खुद नागपुर में वहां के छः डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक पैकेज अनाउंस किया। माननीय सदस्य जो बुलढाणा जिले की बात कर रहे हैं, उसका भी इसमें समावेश है। इस पैकेज में अगले तीन सालों में छः डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन के जितने माइनर, मीडियम और मेजर प्रकल्प प्रोजैक्ट्स हैं, उन्हें पूरा करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता देने की नीति उन्होंने अनाउंस की है। बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट्स में अगले तीन साल में जितने प्रोजैक्ट्स हैं, जिनका एनवॉयरनमैन्टल क्लियरेन्स है, जिनमें फॉरेस्ट डिपार्टमैन्ट की समस्या नहीं है, ऐसी सभी प्रोजैक्ट्स को पूरा करने के लिए जो आवश्यक राशि है, उस आवश्यक राशि को वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के द्वारा आई.बी.पी. स्कीम के माध्यम से देने का डिसीजन हुआ है और इसकी शुरुआत वर्षा खत्म होने के बाद हो जायेगी और यह बुलढाणा से होगी।...*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष जी, क्वैश्चन के पार्ट 'सी' में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी.ए.सी.पी. जो किसानों के दाम तय कर रही है, आज के वे दाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम हैं। इस कारण आज हिंदुस्तान में 15 से 20 प्रतिशत किसान अपने खेतों को बो नहीं रहे हैं। सरकार सोच रही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से उन्हें दाम मिलें। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो नीति है, क्या सरकार इसमें कोई परिवर्तन करना जरूरी मानती है। यदि मानती है तो इस बारे में सरकार क्या सोच रही है, ताकि इस कारण से किसानों को जो नुकसान हो रहा है, वह नुकसान कम हो जाए?

श्री शरद पवार: सी.ए.सी.पी., कॉस्ट प्रोडक्शन तय करते समय बहुत से इश्यूज पर ध्यान देता है और इसमें जो फैक्टर्स हैं, उनमें *[अनुवाद]* उत्पादन लागत, आदान-मूल्यों में परिवर्तन, इनपुट-आउटपुट मूल्य समानता, बाजार मूल्य का रूख, मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर फसल मूल्य समानता, औद्योगिक मूल्य-ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति; सी.ए.सी.पी. इन सभी मुद्दों पर विचार करता है। इसके बाद सी.ए.सी.पी. सभी राज्य सरकारों से राय भी लेता है और अंततः वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर वे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर सरकार द्वारा उनके प्रस्ताव सदैव स्वीकार किए जाते हैं अथवा सरकार उनमें भी सुधार करती है। यह सच है कि आजकल कुछ अन्य स्थितियों के कारण कृषक समुदाय लगातार यह मांग करता रहा है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि मूल्य बेहतर हों; मूल्यों में कुछ सुधार हो। हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या हमें एक अवधारणा के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य को शुरू करना चाहिए।

वास्तव में, खरीद मूल्य अलग-अलग हो सकते हैं किंतु हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारा समग्र दृष्टिकोण यह है कि हमें अपने किसानों को राहत देनी है। इसलिए हम इस नए प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, क्या मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछ सकती हूं कि यदि खाद्य उत्पादन में वृद्धि ठीक-ठाक है तो फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और बंगाल में भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यदि कृषि भूमि को कुछ कारोबार करने के लिए दिया जाता है तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी। हमारे राज्य में छह लाख एकड़ भूमि व्यापारियों को दी गई है। कृषि भूमि गैर-कृषि भूमि बन गई है। यदि कृषि भूमि गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित कर दी जाती है तो उत्पादन कहां से होगा? यह आसमान से तो आएगा नहीं। सरकार की क्या नीति है? मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार किसानों के कृषि अधिकारों को न दबाने वाली नीति लाएगी?

श्री शरद पवार: दो बातें हैं। पहली बात आत्महत्या के मामलों की है। यहां पर विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों का उल्लेख किया गया है। केरल में, स्थिति काफी भिन्न है। अन्य तीनों राज्यों में मुख्य समस्या पर्याप्त जल उपलब्ध न होना है। इन सभी क्षेत्रों में कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। मान लीजिए कि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो उन्हें कोई फसल नहीं मिलती है, वे बैंकों या सहकारी संस्थाओं से लिए गए धन का पुनर्भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते हैं; वे चूककर्ता बन जाते हैं; वे साहूकार के पास जाते हैं और उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने के संबंध में मैं यह कहूंगा कि कुछ राज्य इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। कल मैंने केरल के मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की थी और केरल सरकार कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने को रोकने हेतु कई प्रभावी कदम उठा रही है। किंतु असली बात यह है कि राज्य के विकास हेतु कई परियोजनाएं हैं। आप भूमि अर्जित किए बगैर इन परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकते। किसी सिंचाई बांध का मामला लीजिए। ऐसे बांध

के निर्माण हेतु आपको भूमि अर्जित करनी होगी। मान लीजिए कोई अन्य विकास परियोजनाएं हैं। आपको इनके लिए भूमि अर्जित करनी होगी।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: यह सिंचाई के लिए नहीं है। यह व्यवसाय संवर्धन हेतु है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: यह उद्योग के लिए भी है। उद्योग भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आज हमें कृषि क्षेत्र से दबाव पर्याप्त रूप से कम करके उसे गैर-कृषि क्षेत्र पर डालना है। इस प्रकार हमें उद्योग को भी विकसित करना है। जब तक हम इस प्रकार का संतुलन नहीं बनाते, हम कृषि संबंधी समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं होंगे।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: सरकार परेशान हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मात्र एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत है।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: हम उद्योग के विरोधी नहीं हैं। हमें कृषकों की सुरक्षा भी करनी है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: एक समय, पश्चिम बंगाल देश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्य हुआ करता था, तथा वे सम्पूर्ण उद्योग कृषि भूमि पर स्थापित किए गए थे। आपको भूमि अर्जित करने की आवश्यकता है। विकास की यह भी एक प्रक्रिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया चर्चा में मत जाइए।

अब, श्रीमती मिनाती सेन।

श्रीमती मिनाती सेन: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वामीनाथन आयोग ने द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया है, और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है।

श्री शरद पवार: सरकार को स्वामीनाथन आयोग की तीन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और उन पर अंतिम निर्णय लेने हेतु सक्रिय रूप से विचार-विमर्श चल रहा है। हम बहुत जल्द अंतिम निर्णय ले लेंगे।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, कल किसानों के उत्पादों के विपणन के संबंध में माननीय वित्त मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा गया था। यह देखा जाता है कि आत्महत्या करने वाले किसान धनी किसान नहीं होते।

ये किसान यहां तक कि मध्यवर्गीय किसान भी नहीं होते हैं बल्कि ये लघु किसान विशेषकर मूंगफली उत्पादक किसान हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं। दूसरे दिन माननीय वित्त मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा है कि इस मामले का संबंध कृषि मंत्रालय से है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह इन लघु किसानों विशेषकर मूंगफली उत्पादकों को बचाने हेतु क्या विशेष कदम उठा रहे हैं ताकि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं प्राप्त कर सकें बल्कि वे अपने उत्पाद का मूल्य समय पर और जरूरत के वक्त प्राप्त कर सकें।

श्री शरद पवार: मूल्य एक मुद्दा है। हमने किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के मुख्य कारणों का पता लगाने हेतु विशेषकर उन चार राज्यों में अध्ययन किया है जहां आत्महत्याओं के मामले काफी अधिक हैं। इसके अलावा, अनेक अन्य गैर सरकारी संगठनों ने भी इन आत्महत्याओं के बीछे मूल कारण का पता लगाने का प्रयास किया है और अनेक सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों में से एक है कि हमें जल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन राज्यों हेतु जो पूर्णरूपेण अनिश्चित मॉनसून पर निर्भर हैं, लघु, मध्यम और वृहत सिंकाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए जब तक पर्याप्त धनराशि मुहैय्या न करायी जाती व वहां की सिंचाई प्रतिशतता नहीं बढ़ायी जाती तब तक किसानों द्वारा फसल उगाना अत्यंत कठिन है। यह एक मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा ॠण की उपलब्धता है और वह भी उचित दर पर। ॠण की उपलब्धता के संबंध में, भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्णय लिए गए हैं। दो वर्षों में, नकदी फसल हेतु हमारी ॠण राशि 86,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,50,000 करोड़ रुपये हो गयी है और वह चार प्रतिशत के ब्याज दर पर उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा लिया गया यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

तीसरा मुद्दा उचित मूल्य से संबंधित है। वस्तुतः, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवहारिक रूप से घोषणा कर दी गयी है। वस्तुतः, हमने एक सुविचारित निर्णय लिया कि किसान अपना उत्पाद कहीं भी किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं ताकि उनको उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इस वर्ष से, हम यह अनुभव कर रहे हैं कि किसान विशेषकर गेहूं और गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा हमें अनेक अन्य कानूनों को भी सुधारना है।

हमें कुछ सामूहिक निर्णय लेने हैं ताकि इससे अंततः किसान अपना उत्पाद बाजार में बेचने और उचित कीमत प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। हम अपने भारतीय उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर उसकी उचित कीमत प्राप्त करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार, हमें इन सभी दृष्टिकोणों से,

साथ मिलकर काम करना है और थोड़ा उदार रवैया अपनाना है।

मेरी सिर्फ समस्या यह है कि मान लीजिए कि प्याज और टमाटर का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है, उस समय प्याज उत्पादकों और टमाटर उत्पादकों की बात कोई नहीं पूछता। परन्तु प्याज अथवा टमाटर की जब कमी हो जाती है तब शीघ्र ही मीडिया और समाज के सभी वर्गों द्वारा यह मांग की जाती है कि हमें प्याज और टमाटर का निर्यात बंद करना चाहिए। परन्तु यह तरीका नहीं है। अंततः, यदि हमें उत्पादकों, किसानों के हितों की रक्षा करनी है तो हमें उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री मित्रसेन यादव।

यह इस प्रश्न पर अंतिम अनुपूरक प्रश्न होगा। हम अभी मात्र दूसरे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इतना उदार नहीं हो सकता। मुझे खेद है, प्रश्न काल के दौरान सभी समाधान प्राप्त नहीं हो सकते। आपको अन्य तरीकों का सहारा भी लेना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मित्रसेन यादव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी कृषि विशेषज्ञ है और उनके उत्तर देने में किसी प्रकार की कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप छोटा-छोटा प्रश्न कीजिए तो ज्यादा प्रश्न ले सकते हैं।

श्री मित्रसेन यादव: माननीय मंत्री जी के उत्तर से अगर देश के किसान संतुष्ट होते और उनकी समस्याएं दूर हो गई होतीं तो वे आत्महत्याएं नहीं करते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

श्री मित्रसेन यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वर्षा के कारण या पानी के अभाव के कारण जिन राज्यों में किसानों की फसलें बरबाद होती हैं, उसके कारण किसानों में असंतोष होता है जिससे वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसानों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए क्या सरकार ने किसी प्रकार की सब्सिडी या किसी प्रकार का मुआवजा देने की नीति बनाई है?

दूसरी बात यह है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई दूसरी बात नहीं। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

क्या किसानों को कोई कंपनसेशन देते हैं?

श्री शरद पवार: महोदय, माननीय सदस्य ने पानी की समस्या के बारे में प्रश्न पूछा है। यह बात सच है कि पिछले कई सालों से इर्रीगेशन के लिए बजटरी प्रोविजन में सुधार करने की आवश्यकता है और इस पर इस सदन की एक राय बने तो किसानों की मदद हो जाएगी। पिछले कई सालों से जो हमारा कुल बजट है, इसमें 0.35 प्रतिशत धनराशि सिंचाई हेतु मुहैय्या करायी गयी है।

[अनुवाद]

यह एक प्रतिशत भी नहीं है। जब तक हम इन मुद्दों पर उपचारात्मक कार्रवाई नहीं करते तब तक इन मुद्दों को सुलझाया नहीं जा सकता है।

मैं बहुत प्रसन्न हूंगा यदि पूरी सभा इस प्रकार की सोच का समर्थन करे, मेरे विचार से, हम कुछ उपचारात्मक कार्रवाई करने में समर्थ होंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 103, श्री रामदास आठवले - उपस्थित नहीं हैं।

यूरिया का आयात

***104. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया गया है; और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आयातित यूरिया का मूल्य देश में उत्पादित यूरिया के मूल्य से बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यूरिया आयात करने के बजाय देश में सस्ते मूल्य पर पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आयातित यूरिया की मात्रा और उस पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन में)	मूल्य (लाख अमेरिकी डॉलर में)
1	2	3
2003-04	शून्य	शून्य
2004-05	6.41	1524.83
2005-06	7.31	1891.01
2006-07 (जून 06 तक)	2.75	723.24

उपर्युक्त आयात के अलावा, सरकार ने वर्ष 2005-06 में 155.23 अमेरिकी डॉलर सी एण्ड एफ प्रति मी. टन के औसत भारित मूल्य पर 13.25 लाख मी. टन दानेदार यूरिया तथा वर्ष 2006-07 (30-06-2006 तक) में 169.05 अमेरिकी डॉलर सी एण्ड एफ प्रति मी. टन के औसत भारित मूल्य पर 4.58 लाख मी. टन दानेदार यूरिया भी ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी से दीर्घावधिक यूरिया उठान समझौता (यू.ओ.टी.ए.), जिसके तहत भारत सरकार पूर्वनिर्धारित वार्षिक मूल्य पर संयंत्र की निर्धारित क्षमता तक यूरिया का समस्त उत्पादन उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, के अंतर्गत आयात किया है।

(ख) और (ग) आयातित यूरिया की लागत वास्तविक आयात के समय विद्यमान यूरिया के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष की पहली तिमाही में आयातित यूरिया का औसत मूल्य निम्नलिखित है:

वर्ष	आयातित यूरिया			स्वदेशी यूरिया उत्पादन की औसत लागत (रुपए प्रति मी. टन)
	औसत भारित सी. एण्ड एफ. मूल्य (प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर)	औसत विनिमय दर	औसत भारित सी. एण्ड एफ. मूल्य (प्रति मी. टन रुपए)	
2003-04	सरकार द्वारा कोई आयात नहीं किया गया			8626
2004-05	237.88	44.93	10688	9638
2005-06	258.56	44.27	11446	9353
2006-07 (जून 06) तक	263.09	45.47	11962	9353*

*अनंतिम

देश में यूरिया के उत्पादन की लागत इसके पुरानेपन, दक्षता और इस्तेमाल किए जा रहे फीडस्टॉक के आधार पर इकाई-दर-इकाई अलग-अलग होती है। स्वदेशी उत्पादित यूरिया के उत्पादन की लागत फिलहाल 4949 रुपए प्रति मी. टन से 20573 रुपए प्रति मी. टन के बीच भिन्न.भिन्न है। इस प्रकार, जबकि कुछ इकाइयां आयातित यूरिया के मूल्य से कम कीमत पर यूरिया का उत्पादन करती है, तो दूसरी इकाइयां अपेक्षाकृत काफी ऊंची कीमत पर उत्पादन करती हैं। दूसरी ओर, आयातित यूरिया की लागत आयात के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(घ) स्वदेशी स्रोतों से यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नीति की घोषणा की है,

जिसके अंतर्गत आयात सममूल्य से कम कीमत पर यूरिया का उत्पादन करने वाली सभी इकाइयों को 100% की निर्धारित क्षमता के बाद भी यूरिया का अधिकतम उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित यूरिया की मात्रा कितनी है? महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सन् 2004 में यूरिया का प्रोडक्शन 192 लाख टन हुआ था, सन् 2005 में 202 लाख टन, 2005-06 में 200 लाख टन हुआ है और यूरिया का कंजम्प्शन सन् 2004 में 197 लाख टन, 2002 में 206 लाख टन और सन् 2005-06 में 221 लाख टन का हुआ है।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: क्या सरकार इससे अवगत है कि तमिलनाडु में, किसान यूरिया और कीटनाशकों की जगह कृषि अवशिष्ट, गाय के गोबर और गौमूत्र से बने 'पंचकाव्य' का उपयोग कर रहे हैं? इससे बहुत अच्छा उत्पादन होता है। मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस प्रकार की जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहन देने हेतु किसानों को समर्थन देने के लिए आगे आएगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, हमने एस.एस.पी. के संबंध में जो पहले प्राइस था, उसे हमने बढ़ाने का काम किया है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर हम गौर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में, विशेषकर हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में कितने उर्वरक उत्पादनकारी इकाइयां बंद पड़ी हैं। हल्दिया में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन है। यह एक बड़ा कारखाना है परन्तु बंद पड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे फिर से आरंभ करने, पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, एच.एफ.सी. के अंतर्गत और एफ.सी.आई. के अंदर जो कारखाने बंद हैं, रामागुंडम है, ये 5-9-2002 को बंद कर दिया गया, गोरखपुर में भी 5-9-2002 को बंद कर दिया गया और ताल्चर में भी 5-9-2002 को बंद कर दिया गया। उसके बाद कोरबा में जो छत्तीसगढ़ में था, वह चालू ही नहीं हुआ। बरौनी का कारखाना भी सन् 2002 में बंद हो गया और हल्दिया भी सन् 2002 में बंद हो गया, सिंधरी और आमजोर भी बंद हो गया। इसके रिवाइवल के लिए अलग-अलग जगह से हम उसे चालू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए हम एक विस्तृत प्रस्ताव सी.सी.ए. में लेकर जा रहे हैं और उसे इंटर मिनिस्ट्रियल कंसलटेशन के लिए भेज दिया गया है।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: बरौनी का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैंने बरौनी के बारे में बताया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विषयान्तर न करे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: ये जितने भी कारखाने हैं और जो सारे के सारे बंद प्लांट है, उनमें पहले की सरकार ने निर्णय लिया था कि जमीन एवं प्रोपर्टी को बेच दिया जाए, लेकिन जब हम मंत्री बने तो हमने कहा कि प्रोपर्टी को बेचा नहीं जाएगा, इसलिए प्रोपर्टी को नहीं बेचा गया है। अब उसके लिए गैस की व्यवस्था करनी है, चूंकि आप जानते हैं कि नेफ्था का प्राइस गैस से कई गुना अधिक है, इसलिए गैस आधारित प्लांट जारी हो, इसके लिए पैट्रोलियम मिनिस्टर से हमारी बात हो रही है। ज्यों ही गैस की उपलब्धता हो जाएगी, हम इस प्लांट को चालू करेंगे, इसे बंद होने के लिए नहीं दिया जाएगा। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा है कि जो भी कारखाने बंद हैं, उन्हें हम चालू करेंगे और इसके लिए हम केबिनेट के पास जा रहे हैं।

[अनुवाद]

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:** महोदय उर्वरक, विशेषकर यूरिया कृषि का महत्वपूर्ण घटक है और न केवल पंजाब के किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए अनिवार्य है। तथापि, किसानों को उर्वरकों की खरीद करने हेतु लंबी

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और अत्यधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। इससे किसानों में अवसाद व्याप्त होता है और कृषि के प्रति उनका मोह भंग होता है। यह उन कारणों में से एक है जो किसानों को आत्महत्या के लिए बाध्य करता है। मैं माननीय मंत्री से उर्वरकों विशेषकर यूरिया को किसानों को आसानी से उपलब्ध कराने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहती हूं। यूरिया और अन्य उर्वरकों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, जहां तक यूरिया, डी.ए.पी. या एम.ओ.पी. का सवाल है, इनके लिए जो सब्सिडी हम देते हैं, वह बढ़े हुए दामों पर कंपनी को देते हैं। किसान को चार साल पहले यूरिया रु. 4,830 प्रति क्विंटल की दर पर मिल रहा था, तो आज भी उसी रेट पर मिल रहा है।

महोदय, जहां तक सप्लाई का सवाल है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और राज्य सरकारें बैठकर तय करती हैं कि कितना यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. किस-किस स्टेट में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस पाइंट पर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, रेल से जाना चाहिए या रोड से जाना चाहिए और उसके अनुसार हमारे पास हर राज्य की लिस्टें भेज दी जाती हैं। हमारे पास हर स्टेट की सूची है। इसमें ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिसको खाद कम भेजी गई हो। जिस स्टेट ने जितनी खाद की डिमांड की उससे ज्यादा खाद भेजी गई है।

महोदय, सप्लाई में दिक्कत इसलिए होती है कि किसी स्टेट में हैडक्वार्टर पर खाद चली जाती है, लेकिन बगल के गांव में, जिले में या कस्बे में वह नहीं पहुंच पाती है क्योंकि वहां का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं होता है। मैंने राज्य सरकारों को बार-बार लिखा है कि उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं होता है। मैंने राज्य सरकारों को बार-बार लिखा है कि उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करना चाहिए। यदि राज्य सरकारों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो जाए, तो यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खादों की खपत और बढ़ जाएगी।

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र की ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि वहां आज भी दुकानों पर किसानों की लम्बी-चौड़ी कतारें खाद खरीदने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। इसलिए अनेक किसानों ने मांग की है कि जनप्रतिनिधि इस मामले को उठाएं। जब हमने इस बारे में मीटिंग ली, तो हमें पता चला कि महाराष्ट्र के लिए रेलवे रैक्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण खाद की कमी है। इस बात की ओर मैंने मंत्री जी का ध्यान मीटिंग में भी दिलाया था और पत्र भी लिखा था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे रेल मंत्री जी से बात कर के महाराष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा रैक्स उपलब्ध कराएंगे? दूसरी बात यह है कि रोड से जो खाद ढोई जाती है, उसमें एक ट्रक 9 टन से ऊपर खाद नहीं ले जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए मैं आपके माध्यम उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वे इसके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे या इस आधार पर रेल मंत्रालय से महाराष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा रेलवे रैक्स उपलब्ध कराएंगे?

महोदय, मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कितने यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की डिमांड की थी, कितना भेजा गया है और ज्यादा से ज्यादा कितना और दिया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय: ब्रीफ क्वैश्चन है, ब्रीफ आंसर ही आना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने 7.42.500 टन की मांग की थी। इसमें से 7,28,800 टन भेज दिया गया है, लेकिन इसमें से 15 जुलाई, 2006 तक केवल 5,73,000 टन बिका है और 1,52,000 टन बचा हुआ है। ज्यों ही हमें श्री शरद पवार जी ने कहा कि महाराष्ट्र में खाद की कमी है त्यों ही हमने 50,000 टन खाद और भेजने के आदेश दे दिए हैं और वह भेजी जा रही है, लेकिन वहां आलरेडी 1,50,000 टन का स्टाक बचा हुआ है।

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, देश में कृषि उत्पादन में एक अहम स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या वहां रासायनिक खाद का कोई कारखाना लगाने के बारे में विचार किया है, यदि हां, तो वह कब तक लग जाएगा और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

श्री राम विलास पासवान: सर, वहां एक डंकल का कारखाना है जो बीच में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में बन्द कर दिया गया है। वहां दूसरा गोरखपुर में है। उसे हम पाइप लाइन से जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि वह पाइप लाइन से जुड़ जाता है, तो हल्दिया होते हुए, दुर्गापुर होते हुए, सिन्दरी होते हुए और बरौनी होते हुए वहां तक गैस पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए गैस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।

श्री जी. वेंकटस्वामी: अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मैंने सुना

है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित रामगुंडम लेजर को नागार्जुन फर्टीलाइजर को दिया जा रहा है। क्या यह सही है? यदि यह सही है तो इसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। दस साल से ज्यादा इस फैक्ट्री को बंद हुए हो चुके हैं और आपका कोई प्लान आज तक नजर नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें जवाब देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: महोदय, यह सही है कि नागार्जुन फर्टीलाइजर से प्रस्ताव आया है सरकार उसे देख रही है।

[अनुवाद]

मीडिया के संबंध में नया विधान

+

***105. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:**

श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मीडिया को विनियमित करने हेतु एक नया विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विधान के संबंध में मीडिया के सभी वर्गों के विचार ले लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मीडिया और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रसारण मीडिया को विनियमित करने हेतु एक व्यापक विधान लाने पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव पर अभी परामर्श किया जा रहा है और ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: महोदय, लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तम्भ और एक गैर मान्यताप्राप्त विपक्ष है। मीडिया को चरित्रवत प्रतिस्पर्धात्मक होना होता है, परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ संगठनों द्वारा इस पर एकाधिपत्य स्थापित किया जा रहा है। मीडिया क्षेत्र में बढ़ते एकाधिपत्य की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जैसा कि उल्लेख किया गया है यह विधेयक प्रारूपण और मंत्रियों तथा स्टेक धारकों के साथ मंत्रणाधीन चरण में प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं कि भारतीय परिदृश्य में इस चरण में एफ.एम. स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्र पर एकाधिकार बहुत ही बढ़ गया है। अतएव, मैं 14 अगस्त को मंत्रिमंडल में जाने से पहले स्टेक धारकों के साथ बैठक कर रहा हूं।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: महोदय, क्या मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न तमिल में पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जी हां। आप ऐसा कर सकते हैं।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:** तमिलनाडु में, दूरदर्शन का पोधीगई चैनल देश और दुनिया भर के दर्शकों के लिए तमिल कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। पोधीगई चैनल, जिसमें आधे घंटे का संपूर्ण समाचार प्रसारण होता है, इसे बंद किया जा रहा है। इसको समाप्त किए जाने का प्रयास किया गया है और समाचार प्रसारण की अवधि को कम करने की मांग की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या 30 मिनट के समाचार प्रसारण को पहले की तरह आरंभ किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1975 में भी इसी तरह का काम किया गया था तो फिर से इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।...*(व्यवधान)*

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना प्रश्न रखा है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 1997 में श्री देवेगौड़ा जी और 2001 में श्री वाजपेयी जी की सरकार ने सोचा था कि केबल नेटवर्क कन्टेन्ट रेगुलेशन समुदाय की समस्या को लेकर एक बिल लाना चाहिए, जिससे किसी पर हिट न हो।

महोदय, मैं अपने बयान में स्पष्ट कर चुका हूं और उसे फिर से दोहराना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैंने वक्तव्य दिया:

"संप्रग सरकार द्वारा किसी भी समय ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिसका आशय प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करना है, जैसाकि प्रेस के एक वर्ग में सूचना दी गई है, जोकि स्पष्ट रूप से संदर्भ से इतर गैर-जरूरी आशंका है।"

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1995 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट आया था कि हमारी जी.आर.ओ.बी. एक पब्लिक प्रोपर्टी है और यदि उसमें कोई भी दखल दे तो उस पर सरकार को नियन्त्रण करना चाहिए। इसी के आधार पर ही वर्ष 1997 में बिल आया था। अभी क्रिकेट मैच के समय में इतना हल्ला मचता है कि हम देख नहीं पाते हैं। हमने गाइडलाइन्स बनायी कि दिखाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइन बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून बनाइए। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमने सोचा कि इस ढंग से कानून बनाया जाए जिससे सभी का आचरण ठीक रहे और किसी का दखल भी न रहे।

मध्याह्न 12.00 बजे

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पहले मंत्री जयपाल रेड्डी जी ने इस सदन में बार-बार कहा था, इस सदन में शरद पवार जी भी बैठे हुए हैं, जब ब्राडकास्टिंग बिल लाया गया था, वे उसकी सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे, मेरा सवाल यह है कि रैग्युलेट और डिसिप्लिन करने के बजाए जो टोटल कांप्रेहैंसिव बिल लाने की बात थी और इसके पहले जो ब्राडकास्टिंग बिल लाया जा रहा था, उसके बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, पहले जो बिल लाने का प्रयास, था, उसको देखकर, कन्वर्जन बिल और केबल रैग्यूलेश एक्ट, इन तीनों को देखकर, वर्तमान में जो स्थिति देश में पैदा हुयी है, उसको मद्देनजर रखते हुए, पत्रकारों की आजादी को बरकरार रखते हुए, न्यूज एंड करेंट अफेयर्स की आजादी को बरकरार रखते हुए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। रात के बारह बजे के बाद, कुछ प्राइवेट चैनल्स के अन्दर इस ढंग की आब्सिनिटी चल रही है, उसकी रोकथाम करने के लिए कोई उपाय नहीं होगा, जब तक हम सब मिलकर कोई कानून न लाएं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

***103. श्री रामदास आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की देश में बाढ़ प्रबन्धन में कोई भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नहरों से गाद निकालने, तटबंधों की मरम्मत करने, तालाबों के तटबंध की ऊंचाई बढ़ाने इत्यादि जैसे उपाय करने हेतु राज्य सरकारों को धन आबंटित किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रदत्त धन के उपयोग के संबंध में सरकार का आकलन क्या है और बाढ़ प्रबन्धन में सुधार लाने हेतु और क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जल निकास और तटबंध दो ऐसे उपाय हैं जिनका सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 17 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अत: बाढ़ प्रबंधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका केवल तकनीकी, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की है।

(ग) और (घ) तथापि, राज्य सरकारों को बाढ़ के प्रकोप का मुकाबला करने और नदी तटों के कटाव को नियंत्रण करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार गंभीर स्वरूप के कुछेक मामलों में केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में भारत सरकार कटावरोधी कार्यों और नये बाढ़ तटबंधों को ऊंचा उठाने, उन्हें सुदृढ़ करने तथा उनके निर्माण संबंधी केन्द्र प्रायोजित/राज्य क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती रही है। दसवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय सहायता के लिए 428.25 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया है और पिछले तीन वर्षों में राज्यों को कुल 218.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी की गई निधि का स्कीमवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधि की केन्द्रीय अभिकरणों, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मानीटरी की जा रही है और समय-समय पर राज्यों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

जहां तक देश में बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का संबंध है, भारत सरकार ने, असम, बिहार और देश के अन्य भागों में वर्ष 2004 की अप्रत्याशित बाढ़ के पश्चात्, असम और अन्य पड़ोसी राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव की समस्या के कारणओं की जांच करने; बाढ़ और कटाव का मुकाबला करने के लिए अब तक प्रारंभ किए गए उपायों की समीक्षा करने; बाढ़ के प्रबंधन और कटाव नियंत्रण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाने और संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय आयामों की जांच करने और भावी योजना का सुझाव देने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की *अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया। इस कार्य बल ने दिसम्बर, 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।*

विवरण

बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी कार्यों के लिए केन्द्र प्रायोजित और राज्य क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष के दौरान जारी की गई निधि का स्कीमवार और राज्यवार विवरण

(सभी आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	पिछले 3 वर्षों (2003-06) के दौरान जारी की गई निधि
1	2	3	4
1.	गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर काटवरोधी कार्य	बिहार	41.13
		उत्तर प्रदेश	25.63
		उत्तरांचल	2.77
		पश्चिम बंगाल	35.02
		हिमाचल प्रदेश	2.32
		झारखंड	1.50
			108.37
2.	ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण स्कीम	असम	39.54
		नागालैंड	1.20

1	2	3	4
		सिक्किम	2.16
		मणिपुर	2.12
		पश्चिम बंगाल	2.03
		अरुणाचल प्रदेश	4.00
		मेघालय	0.68
		मिजोरम	2.76
		त्रिपुरा	5.94
			60.43
3.	देश में जल निकास की गंभीर समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में जल निकास में सुधार	आंध्र प्रदेश	4.50
		बिहार	12.00
		उड़ीसा	4.75
		उत्तर प्रदेश	1.50
			22.75
4.	नेपाल क्षेत्र (कोसी-बिहार, गंडक-उत्तर प्रदेश) में कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव	बिहार	9.12
		उत्तर प्रदेश	3.47
			12.59
5.	लालबकिया, बागमती, कमला-बलान और खांडो नदियों पर तटबंधों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा उनका विस्तार	बिहार	13.53
6.	उत्तर बिहार में बाढ़रोधी कार्यक्रम	बिहार	1.25
	कुल योग		218.92

[अनुवाद]

कुक्कुट उत्पादकों को राहत

***106. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में 'बर्ड फ्लू' के फैलने से कुक्कुट उत्पादकों के हित पर विपरीत प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कुक्कुट उत्पादकों ने इसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा ऐसे कुक्कुट उत्पादकों को कोई राहत प्रदान की गई है/किए जाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) देश के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की इक्का-दुक्का घटना के कारण देश में कुक्कुट उत्पादों की खपत एवं मूल्य बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप कुक्कुट उत्पादकों को वित्तीय घाटा हुआ।

(ग) और (घ) बर्ड फ्लू के कारण आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या के कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ङ) और (च) सरकार ने कुक्कुट उत्पादकों के लिए वित्तीय राहत पैकेज क्रियान्वित किया है। पैकेज में प्रदान किए गए राहत उपायों में ये शामिल हैं:-

(i) सभी अधिसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों तथा आर.आर.बी. को आवधिक ऋणों तथा कार्यकारी पूंजी पर देय मौजूदा मूलधन और ब्याज के भुगतान पर एक वर्ष का विलम्बन।

(ii) कार्यकारी पूंजी को आवधिक ऋण में बदलना। प्रथम वर्ष का पुनः भुगतान विलंबन अवधि की समाप्ति के बाद होगा।

(iii) कुक्कुट यूनिटों द्वारा लिया गया आवधिक ऋण का आवधिक ऋण की स्वीकृत अवधि से दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि में पुनः निर्धारण।

(iv) कार्यकारी पूंजी का आवधिक ऋण में बदलाव के पश्चात्, कुक्कुट यूनिटों को प्रत्येक यूनिट की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर अतिरिक्त कार्यकारी पूंजी लेने की अनुमति दी जा सकती है।

(v) जानबूझकर चूक करने वालों को छोड़कर, भारतीय रिजर्व बैंक चूककर्ता लेखों को एन.पी.ए. की तरह नहीं मानेगा।

(vi) 31-3-2006 की तारीख को शेष मूलधन पर एक वर्ष की अवधि के लिए एकमुश्त 4% ब्याज सहायता (इसमें ओवर ड्यू हो चुके मूलधन का कोई हिस्सा शामिल नहीं है)।

इसके अलावा, प्रारंभ में कुक्कुट उत्पादकों को कुक्कुट आहार में प्रयोग के लिए सरकारी स्टॉक से 550 रुपए प्रति क्विंटल के अनन्तिम मूल्य पर एक लाख मीट्रिक टन मक्का जारी करने का भी निर्णय लिया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

ई-प्रदूषण पर नियंत्रण

***107. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले 'इलैक्ट्रो-मैगनेटिक रेडिएशन' के कारण फैलने वाले - प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) इलेक्ट्रोमैगनेटिक विकिरणें प्राकृतिक व मानव निर्मित साधनों, जिनमें इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स मोबाइल फोन टॉवर्स तथा एन्टीना शामिल हैं, से निकलती हैं। सरकार ने मोबाइल फोन टावर्स आदि से होने वाले इलैक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन के संबंध में अभी तक कोई मानदंड अधिसूचित नहीं किए गए हैं।

"मोबाइल फोन टावर्स के कारण स्वास्थ्य को खतरे" पर प्रारंभिक अध्ययन के लिए महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.), नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस विषय पर हुई चर्चा और विचार-विमर्शों के बाद यह मत प्रकट किया है कि कुल मिलाकर इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है, जिससे यह लगे कि मोबाइल आधारित केन्द्रों से उत्पन्न रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर्स से कोई प्रत्यक्ष खतरा होता है। तथापि, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की है कि इस संबंध में आगे और रिसर्च डाटा उपलब्ध होने तक सावधानी बरती जानी चाहिए।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीकॉम अवसंरचना से होने वाले इलैक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन के क्षेत्र में अध्ययन करने और विशेषज्ञता विकसित करने तथा इस संबंध में एहतियाती दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता

***108. श्री अजीत जोगी:**

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मानसून के कारण कतिपय राज्यों में बाढ़ की संभावना बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक बाढ़ से प्रभावित हुए राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गयी है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) बाढ़ निस्सरण की मात्रा और हानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। देश में बाढ़ की स्थिति की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा की जाती है। चालू मानसून के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ से प्रभावित होने की सूचना मिली है।

(ग) बाढ़ प्रबंधन के राज्यों के कार्यक्षेत्र में होने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका तकनीकी, उत्प्रेरक और संवर्धनात्मक स्वरूप की होती है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय कटावरोधी कार्यों, देश के जलनिकास की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में जल निकास में सुधार, तटबंधों को ऊंचा उठाना और उन्हें सुदृढ़ करना, इत्यादि संबंधी केन्द्र प्रायोजित/राज्य क्षेत्र स्कीमों के तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करा रहा है।

(घ) स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को सहायता उनसे प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात जारी की जाती है। इस वर्ष निधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव हाल ही में बिहार सरकार से प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

***109. डा. के.एस. मनोज:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किसानों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गयी तथा इसमें राज्य और केन्द्र की हिस्सेदारी कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या सरकार को बीमा धनराशि स्वीकृत करने में असामान्य विलम्ब होने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या सरकार ने वर्तमान योजना में अपेक्षित सुधार के अध्ययन हेतु गठित संयुक्त ग्रुप की सिफारिशों पर तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत और अधिक फसलें शामिल करने हेतु अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2003-04 से 2005-06 तक) के दौरान लाभान्वित किसानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अधीन दावों सहित वित्तीय दायित्वों को 50:50 आधार पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शेयर किया जाता है। इस स्कीम के अधीन निधि का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। निधियां स्कीम की कार्यान्वयक एजेंसी भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (ए.आई.सी.) को निर्मुक्त की जाती है जो बाद में किसानों के स्वीकार्य दावों का निपटान करती है। पिछले तीन

वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एन.ए.आई.एस. के अधीन ए.आई.सी. के निर्मुक्त को गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ए.आई.सी. को निर्मुक्त निधियां
2003-04	637.93
2004-05	350.00
2005-06	749.55 (एन.ई.आर. हेतु 0.50 करोड़ रु. सहित)
2006-07	275.00 (4-7-2006 को)

निपटाए गए/भुगतान किए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान उनमें राज्य, केन्द्रीय और ए.आई.सी. के शेयर सहित संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) संबंधित राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए उपज आंकड़ों के आधार पर ए.आई.सी. द्वारा एन.आई.ए.एस. के अधीन स्वीकार्य दावों का हिसाब लगाया जाता है और उनका निपटान किया जाता है। आम तौर पर ए.आई.सी. संबंधित राज्य सरकार से प्रस्तुत उपज आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकार्य दावों का भुगतान दो माह.के भीतर निपटाती है बशर्ते कि ए.आई.सी. को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की निधियों का हिस्सा प्राप्त हो गया हो। किन्तु कभी-कभी उपज आंकड़ों में विसंगतियों और कानूनी मामलों आदि के कारण दावों के निपटान में विलम्ब हो जाता है। अतः कुछ राज्यों/किसानों के समय-समय पर इस बारे में शिकायत की है। विद्यमान स्कीम में अपेक्षित सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित संयुक्त दल ने इस मुद्दे की जांच की है और दावों को शीघ्र निपटाने के संबंध में सिफारिश की है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

(च) और (छ) संयुक्त दल की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा अन्य संबंधितों को उनकी टिप्पणियों/विचारों के लिए परिचालित किया गया था। संयुक्त दल ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य फसलों हेतु बीमा के यूनिट क्षेत्र को कम करके ग्राम पंचायत तक लाना, थ्रैसहोल्ड उपज की गणना के आधार में सुधार करना, अपेक्षाकृत उच्च क्षतिपूर्ति स्तर, पूर्व-बुआई जोखिम फसल कटाई पश्चात् हानियों की कवरेज, तथा बारहमासी फसलों की कवरेज शामिल हैं। अधिकतर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश संयुक्त दल द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत हैं। संयुक्त दल की सिफारिशों के आधार पर, एन.ए.आई.एस. की समीक्षा का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

एन.ए.आई.एस. 20-07-06 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान लाभान्वित किसान और भुगतान किए गए दावे

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	कवर किए गए किसान	प्रीमियम (लाख में)	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित किसान	दावों की शेयरिंग		
						ए.आई.सी.	राज्य शेयर	भारत सरकार का शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1737070	6083.96	21491.66	318708	5911.04	7790.31	7790.31
2.	असम	12358	21.37	34.55	4088	20.17	7.19	7.19
3.	बिहार	150340	286.52	2638.3	61769	283.69	1177.31	1177.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	छत्तीसगढ़	502927	736.17	5.17	393	5.17	0	0
5.	गोवा	793	0.55	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	1038430	9937.44	585.49	30079	585.49	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	3871	5.11	0.16	370	0.16	0	0
8.	झारखण्ड	26127	43.38	267.7	11869	43.36	112.17	112.17
9.	कर्नाटक	1864476	4405.65	50780.64	1531038	4634.34	23073.15	23073.15
10.	केरल	40213	105.03	624.8	16493	72.45	276.17	276.18
11.	मध्य प्रदेश	1521371	3481.73	876.74	49748	851.97	12.38	12.38
12.	महाराष्ट्र	2761657	4602.46	29558.46	1439088	3618.6	12969.93	12969.93
13.	मेघालय	1381	4.7	0	0	0	0	0
14.	उड़ीसा	841002	1718.4	1830.79	39529	1379.25	225.77	225.77
15.	राजस्थान	61200	121.02	14.19	997	14.19	0	0
16.	सिक्किम	316	0.36	0	0	0	0	0
17.	तमिलनाडु	65964	212.35	894.48	16572	205.5	344.49	344.49
18.	त्रिपुरा	1005	1.74	3.66	215	1.44	1.11	1.11
19.	उत्तर प्रदेश	999699	1686.93	3695.92	144821	1584	1055.96	1055.96
20.	उत्तरांचल	10731	15.5	32.63	4854	15.49	8.57	8.57
21.	पश्चिम बंगाल	748173	1257.52	681.17	106516	681.17	0	0
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	86	0.24	0	0	0	0	0
23.	पाण्डिचेरी	2927	10.94	15.39	592	8.45	3.47	3.47
	कुल	12392117	34739.07	114031.90	3777739	19915.93	47057.98	47057.98

एन.ए.आई.एस. 20-07-06 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान लाभान्वित किसान और भुगतान किए गए दावे

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	कवर किए गए किसान	प्रीमियम (लाख में)	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित किसान	दावों की शेयरिंग		
						ए.आई.सी.	राज्य शेयर	भारत सरकार का शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2592621	10598.31	9296.85	313435	8770.11	263.37	263.37
2.	असम	21241	37.62	59.37	2376	13.22	23.08	23.07
3.	बिहार	411576	1094.71	23987.21	323145	1099.77	11443.72	11443.72
4.	छत्तीसगढ़	738704	1226.1	504.64	38123	356.92	73.86	73.86
5.	गोवा	643	0.2524	0	1	0	0	0
6.	गुजरात	1068284	10842.94	28906.21	346963	5606.46	11649.88	11649.89
7.	हरियाणा	168583	502.83	133.35	16799	108.44	12.46	12.46
8.	हिमाचल प्रदेश	25529	33.57	2.55	897	2.55	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	4486	4.71	0	0	0	0	0
10.	झारखण्ड	123313	136.56	1060.55	59313	136.56	461.99	461.99
11.	कर्नाटक	963418	3989.43	2648.17	150926	2648.17	0	0
12.	केरल	32549	91.18	38.68	2144	38.68	0	0
13.	मध्य प्रदेश	2132923	6039	5969.4	259301	4476.49	746.46	746.46
14.	महाराष्ट्र	2210168	4803.36	13005.76	701543	2924.64	5040.56	5040.56
15.	मेघालय	1504	10.66	0	90	0	0	0
16.	उड़ीसा	1083404	3048.13	1504.79	53108	1504.79	0	0
17.	राजस्थान	1943030	5510.08	14333.79	376384	5374.49	4479.65	4479.65
18.	सिक्किम	167	0.17	0	0	0	0	0
19.	तमिलनाडु	145639	620.72	3854.23	47478	533.02	1660.6	1660.6
20.	त्रिपुरा	1772	6.61	3.85	484	3.23	0.31	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	उत्तर प्रदेश	1733371	3178.54	12200.77	619890	3228.57	4486.095	4486.095
22.	उत्तरांचल	2882	3.28	1.87	738	1.39	0.24	0.24
23.	पश्चिम बंगाल	808484	1685.15	1861.729	119900	1554.79	153.47	153.47
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	118	0.31	0	0	0	0	0
25.	पाण्डिचेरी	3682	14.68	34.75	647	14.67	10.04	10.04
	कुल	16218091	53478.90	119408.52	3433685	38396.96	40505.79	40505.79

एन.ए.आई.एस. 20-07-06 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान लाभान्वित किसान और भुगतान किए गए दावे

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	कवर किए गए किसान	प्रीमियम (लाख में)	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित किसान	दावों की शेयरिंग		
						ए.आई.सी.	राज्य शेयर	भारत सरकार का शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2247535	10726.84	29102.32	660886	6892.97	11104.68	11104.67
2.	असम	22535	58.3	0	219			
3.	बिहार	409946	1295.96	0	125637			
4.	छत्तीसगढ़	665750	1120.95	0	524			
5.	गोवा	565	0.21	0	0			
6.	गुजरात	891075	8532.61	0	7472			
7.	हरियाणा	121400	246.71	0	7315			
8.	हिमाचल प्रदेश	9499	13.58	40.07	2555	7.48	16.3	16.3
9.	जम्मू-कश्मीर	4501	5.63	0	0			
10.	झारखण्ड	825122	722.59	0	595185			
11.	कर्नाटक	882203	4525.07	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	केरल	31931	95.35	129.6	5999	33.07	48.27	48.26
13.	मध्य प्रदेश	2176304	7188.05	235.29	19818	235.29	0	0
14.	महाराष्ट्र	2553929	4970.03	2878.39	233485	2878.39	0	0
15.	मेघालय	1969	11.05	0	0			
16.	उड़ीसा	1130061	3011.82	373.83	19352	373.83	0	0
17.	राजस्थान	2336996	6764.79	1179.68	662280	1179.68	0	0
18.	सिक्किम	79	0.0927	0	0			
19.	तमिलनाडु	119750	547.12	58.98	44439	58.98	0	0
20.	त्रिपुरा	2633	8.69	0	237			
21.	उत्तर प्रदेश	1276586	3327.79	0	0			
22.	उत्तरांचल	15550	27.12	0.29	885	0.29	0	0
23.	पश्चिम बंगाल	837973	1800.67	0	140332			
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	208	0.72	0	0			
25.	पाण्डिचेरी	4831	20.79	2.51	460	2.51	0	0
	कुल	16568931	55022.53	34000.96	2527080	11662.49	11169.25	11169.23

फूड क्रेडिट कार्ड योजना

***110. श्री मोहन रावले:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फूड क्रेडिट कार्ड संबंधी एक पायलट परियोजना तैयार की गई थी और कुछ राज्यों में यह क्रियान्वित कि जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पायलट परियोजना की अब तक की उपलब्धियां क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को देश भर में क्रियान्वित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) योजना आयोग ने तीन राज्यों नामतः केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के रूप में स्मार्ट कार्ड का क्रियान्वयन करने के लिए पायलट परियोजना हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 13.20 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान 1.12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। 2005-06 के दौरान कोई राशि वितरित नहीं की गई।

(ग) से (च) तीन राज्यों की परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी और इसे संतोषजनक नहीं पाया गया था। उपभोक्ताओं और उचित दर दुकानों के डीलरों में जागरूकता और शिक्षा का अभाव, दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली

का न होना, इसमें लगने वाली अधिक लागत आदि जैसी प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण यह स्कीम सफलतापूर्वक शुरू नहीं हो सकी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इस स्कीम को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की जरूरत नहीं है। तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के स्मार्ट कार्ड स्कीम के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने की स्कीम शुरू की जाए। इस स्कीम के प्रथम चरण के अधीन राशन कार्डों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मौड्यूल, उचित दर दुकानों के विवरण और उचित दर दुकान के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है जिसके लिए वर्तमान वर्ष के बजट में 5 करोड़ रुपये की सांकेतिक राशि रखी गई है।

जल निकायों का नवीकरण

***111. श्रीमती अर्चना नायक:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय राज्यों में कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े पारम्परिक जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी राष्ट्रीय परियोजना की कोई पायलट योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उक्त योजना को पूर्ण रूप से कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त पायलट योजना का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ङ) "कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की राष्ट्रीय परियोजना" नामक स्कीम 14 राज्यों के 24 जिलों में संस्वीकृत की गई है। यह कार्य प्रगति पर है तथा 67 जल निकायों के संबंध में कार्य पूरा कर लिया गया है। जनवरी, 2005 में अनुमोदित की गई यह स्कीम, दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वित की जानी है। तथापि, इसे 31 मार्च, 2007 से आगे तक ले जाये जाने की संभावना है। स्कीम के क्षेत्र का विस्तार किए जाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण

***112. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण (वाटर क्वालिटी असैसमेंट अथोरिटी) का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण की अभी तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां। सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 22-6-2001 के असाधारण राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 29 मई, 2001 से जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण (डब्ल्यू.क्यू.ए.ए.) का गठन किया है।

(ख) इस प्राधिकरण की अभी तक की मुख्य उपलब्धियां नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

दिए गए कार्यों के आधार पर, डब्ल्यू.क्यू.ए.ए. ने जल गुणवत्ता में सुधार के लिए इससे संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा की। निगरानी तंत्र में एकरूपता के लिए निगरानी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए सुझावों/सिफारिशों के वास्ते डब्ल्यू.क्यू.ए.ए. ने जल गुणवत्ता निगरानी संबंधी एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। इसके अतिरिक्त इष्टतम जल गुणवत्ता प्रेक्षण नेटवर्क और समन्वित आंकड़ा संग्रह और प्रचार प्रसार प्रणाली के लिए उपाय सुझाने के वास्ते एक कार्यबल का भी गठन किया गया। विशेषज्ञ दल और कार्यबल की सिफारिश के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने जल गुणवत्ता निगरानी पर समान प्रोटोकाल तैयार किया है और एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जून, 2005 में समान निगरानी प्रोटोकाल पर एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसे कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और संबंधित केन्द्रीय अभिकरणों को परिचालित किया गया।

34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल गुणवत्ता के संबंध में उन्हें सौंपे गए जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क, समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान जैसे कार्यों के समन्वय के लिए राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता समीक्षा समितियों का गठन किया गया है। डब्ल्यू.क्यू.ए.ए. ने यह भी निर्णय लिया है कि जल गुणवत्ता संबंधी परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय वित्तपोषण के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन पहलू के संबंध में समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाए जाने और उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस

प्राधिकरण के माध्यम से सभी राज्यों और संबंधित केन्द्रीय अभिकरणों के बीच वार्ता आयोजित की गई तथा जल गुणवत्ता प्रबंधन, समस्याग्रस्त क्षेत्रों और हॉट स्पॉट्स की पहचान, विद्यमान निगरानी प्रणाली नेटवर्क का मूल्यांकन और जागरूकता तथा चरणबद्ध प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में जल गुणवत्ता समितियों की भूमिका पर जोर दिया गया। पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के मूल अध्ययनों पर डब्ल्यू.क्यू.ए.ए. ने एक कार्यदल के माध्यम से नदियों के न्यूनतम प्रवाह पर एक अध्ययन किया है।

यह प्राधिकरण अपने लिए निर्धारित किए गए उद्देश्य के अनुसार जल गुणवत्ता संबंधी मामलों की निरन्तर आधार पर समीक्षा करता है।

समष्टि प्रबंधन योजना हेतु आबंटन

***113. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि की समष्टि प्रबंधन योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों को कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष हेतु कोई धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के प्रभाव का आकलन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कृषि के बृहत प्रबन्धन (एम.एम.ए.) स्कीम के अन्तर्गत राज्यवार निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) तीन संस्थानों अर्थात् भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आई.आई.एम.), कोलकाता, नाबार्ड परामर्शी सेवाएं (नाबकोन्स) और कृषि वित्त निगम लिमिटेड (ए.एफ.सी.एल.) को प्रत्येक के लिए विनिर्दिष्ट राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एम.एम.ए. स्कीम का प्रभाव आकलन करने का काम सौंपा गया है। अध्ययन रिपोर्टों के प्रारूप मुख्यतया यह दर्शाते हैं कि यह स्कीम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में काफी सफल रही है, हालांकि राज्य एजेन्सियों द्वारा कवरेज और कार्यान्वयन की दृष्टि से इसकी कार्यक्षमता में सुधार की और गुंजाइश है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - कृषि का बृहत प्रबन्धन वर्ष 2006-07 के दौरान निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्मुक्ति (पहली किश्त)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.80
3.	असम	8.00
4.	बिहार	10.85
5.	छत्तीसगढ़	6.92
6.	गोवा	2.38
7.	गुजरात	4.54
8.	हरियाणा	13.50
9.	हिमाचल प्रदेश	13.50
10.	जम्मू-कश्मीर	20.00
11.	झारखण्ड	8.30
12.	कर्नाटक	29.95
13.	मध्य प्रदेश	24.90
14.	महाराष्ट्र	43.65
15.	मणिपुर	8.80
16.	मिजोरम	10.00
17.	मेघालय	7.20
18.	नागालैण्ड	10.00
19.	उड़ीसा	12.75
20.	राजस्थान	43.68
21.	सिक्किम	7.60
22.	तमिलनाडु	30.38
23.	त्रिपुरा	8.00

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	37.00
25.	उत्तरांचल	14.36
26.	पश्चिम बंगाल	15.95
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.13
28.	दादर एवं नागर हवेली	0.05
29.	लक्षद्वीप	0.13
	कुल	413.34

टिप्पणी: (i) पहली किश्त के रूप में आन्ध्र प्रदेश के संबंध में 21.05 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के संबंध में 8.30 करोड़ रुपए, गुजरात के लिए 14.05 करोड़ रुपए और केरल के संबंध में 15.30 करोड़ रुपए की राशि का गत वर्ष के अव्ययित शेष के प्रति समायोजित कर लिया गया है। ये इन राज्यों के संबंध में उपरोक्त संबंधित निर्मुक्तियों के अतिरिक्त है।

(ii) पंजाब, दिल्ली और पाण्डिचेरी के पास उपलब्ध अव्ययित शेष की भारी राशि के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक इन्हें कोई निर्मुक्ति नहीं की गई है।

(iii) चण्डीगढ़ और दमन तथा दीव ने अपनी कोई आवश्यकता नहीं बताई है, अतः कोई आवंटन नहीं किया गया।

बी.टी. प्रौद्योगिकी हेतु फसलें

***114. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय किन-किन फसलों के लिए बी.टी. प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन उत्पादों में इसके प्रयोग को समाप्त करने का है जिनका बड़ी मात्रा में स्वदेशी तकनीक द्वारा उत्पादन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; ,

(घ) क्या भारतीय किसानों को इसकी खेती के कारण भारी वित्तीय घाटा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उठाना पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी हां। बी.टी. कपास ही एक ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी भारत में व्यापारिक खेती के लिए अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) ट्रांसजेनिक दृष्टिकोण स्वदेशी और परम्परागत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का पूरक है न कि इसका एक विकल्प। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमिटी (जी.ई.ए.सी.) को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी आनुवंशिक दृष्टि से आशोधित फसलों को निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार जारी करने की अनुमति प्रदान कर सकती है या ऐसा करने से रोक सकती है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार गैर बी.टी. कपास की अपेक्षा बी.टी. कपास का उत्पादन 15% से 30% अधिक होता है। हालांकि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि मैसर्स महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी (महाइको) लि. द्वारा आपूर्ति किये गये बी.टी. कपास के संकर बीजों के कारण इस राज्य के कुछ जिलों में किसानों को नुकसान हुआ है। बी.टी. कपास उत्पादक अन्य राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि उनके यहां बी.टी. कपास की फसल के कारण किसानों को वित्तीय हानि हुई हो या उनके स्वास्थ्य को कोई खतरा पैदा हुआ है।

[हिन्दी]

इस्पात की उपलब्धता

***115. श्री अशोक कुमार रावत:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय देश में इस्पात की उपलब्धता का कोई मूल्यांकन किया है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात की कमी को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में इस्पात वितरक नियुक्त करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा डीलरों की नियुक्ति में कोटा मानदण्ड क्या है;

(ङ) क्या इस्पात का लक्ष्य से कम उत्पादन होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) सरकार द्वारा मॉनीटर्ड उत्पादन, निर्यात और आयात से संबंधित आंकड़ों के आधार पर देश में वर्ष 2005-06 में परिसज्जित इस्पात की समग्र उपलब्धता 38.35 मिलियन टन थी जो वर्ष 2004-05 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। राज्य-वार उपलब्धता के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) देश में इस्पात की कोई कमी नहीं है। सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी प्रमुख उत्पादकों के अपने वितरण नेटवर्क हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई. एन.एल.) के माध्यम से राज्य, जिला और उपजिला स्तरों पर डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

(घ) सेल ने देश के 97 जिलों में 200 डीलर पहले ही नियुक्त कर दिए हैं और आर.आई.एन.एल. ने देश में 40 जिलों में जिला स्तरीय डीलर नियुक्त किए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पात्रता मानदंड पूरे करने वाले आवेदकों से प्राप्त आवेदनों को उचित प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) और (च) पिछले दो वर्षों के दौरान परिसज्जित इस्पात के उत्पादन में लगभग 7.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वार्षिक बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि राष्ट्रीय इस्पात नीति में परिकल्पित लक्ष्य से अधिक है।

विवरण

देश में सेल और आर.आई.एन.एल. द्वारा नियुक्त किए गए डीलरों का राज्य-वार ब्यौरा

(1-06-2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	डीलरों की संख्या	
		सेल	आरआईएनएल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	15
2.	अंडमान-निकोबार	1	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	–
4.	असम	5	–
5.	बिहार	22	–
6.	छत्तीसगढ़	2	1
7.	गुजरात	6	1
8.	गोवा	–	1
9.	हरियाणा	12	1
10.	हिमाचल प्रदेश	2	1
11.	जम्मू-कश्मीर	3	–
12.	झारखण्ड	16	1
13.	कर्नाटक	2	1
14.	केरल	–	2
15.	मध्य प्रदेश	8	1
16.	महाराष्ट्र	3	1
17.	मणिपुर	2	–
18.	मेघालय	1	–
19.	नागालैंड	2	–
20.	मिजोरम	2	–
21.	उड़ीसा	19	3
22.	पंजाब	14	1
23.	राजस्थान	7	2
24.	तमिलनाडु	3	3
25.	त्रिपुरा	6	–
26.	उत्तरांचल	4	–
27.	उत्तर प्रदेश	23	2
28.	पश्चिम बंगाल	32	3
	कुल	200	40

आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र को (कवरेज) बढ़ाना

***116. श्री मो. ताहिर:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र को (कवरेज) बढ़ाने के लिए दसवीं योजना के दौरान निर्धारित धनराशि की तुलना में खर्च की गई धनराशि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को एफ.एम. कवरेज के विस्तार हेतु कोई विशेष पैकेज प्रदान किया गया है अथवा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार हेतु 411.00 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे और जून, 2006 तक किया गया व्यय 59.26 करोड़ रुपये है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विस्तार और सुधार हेतु दूरदर्शन की 10वीं पंचवर्षीय योजना 2563 करोड़ रु. (पूंजीगत) के परिव्यय पर अनुमोदित की गई थी तथा पूंजीगत के अन्तर्गत जून, 2006 तक किया गया व्यय 908.88 करोड़ रुपये है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) एक विशेष पैकेज केवल जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित) के लिए उपलब्ध कराया गया है। ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-III और विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

10वीं योजना के दौरान उद्दिष्ट राशि के स्थान पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा

(i) 10वीं योजना की जारी स्कीमें:

(करोड़ रु. में)

ट्रांसमीटर का प्रकार	10वीं योजना के अन्तर्गत आबंटन	03, 2006 तक व्यय की गई राशि	संस्वीकृत बजट अनुदान (2006-07)	31 जून, 2006 तक व्यय की गई राशि
मी.वे.	32.00	21.02	1.27	0.06
एफ.एम.	17.00	8.08	1.56	0.03

(ii) 10वीं योजना की नई स्कीमें:

(करोड़ रु. में)

ट्रांसमीटर का प्रकार	10वीं योजना के अन्तर्गत आबंटन	03, 2006 तक व्यय की गई राशि	संस्वीकृत बजट अनुदान (2006-07)	31 जून, 2006 तक व्यय की गई राशि
मी.वे.	16.00	1.89	0.34	0.02
एफ.एम.	346.00	27.46	23.00	0.70

विवरण-II

10वीं योजना के दौरान पूंजीगत के अन्तर्गत व्यय

वर्ष	(व्यय करोड़ रुपये में)
2002-03	369.43
2003-04	218.46
2004-05	117.08
2005-06	167.79
2006-07 (जून, 06 तक)	36.12
	908.88

विवरण-III

जम्मू एवं कश्मीर विशेष योजना

क्र.सं.	स्थान	परियोजना
1.	कठुआ	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन)
2.	श्रीनगर	300 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (200 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन)
3.	नौशेरा	20 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले)
4.	राजौरी	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
5.	कुपवाड़ा	20 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले)
6.	खलसी	1 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले)
7.	तिसुरू	1 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले)
8.	न्योमारप	2 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले)
9.	दिस्किट	1 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले)
10.	पादुम	1 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले)
11.	द्रास	1 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले)
12.	करगिल	200 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर

जिनमें से उपरोक्त योजना के अन्तर्गत एफ.एम. स्टेशनों हेतु दो स्कीमें हैं:-

1. कठुआ का 6 किवा से 10 किवा में उन्नयन
2. राजौरी स्थित नया 10 किवा एफ.एम. स्टेशन

विवरण-IV

1. पूर्वोत्तर विशेष योजना (चरण-I)

(i) ईटानगर स्थित 10 किवा एफ.एम. ट्रां. (अरूणाचल प्रदेश)

(ii) कोहिमा स्थित 10 किवा एफ.एम. ट्रां. (नागालैंड)

(iii) पोर्ट ब्लोयर स्थित 10 किवा एफ.एम. ट्रां. (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह)

2. पूर्वोत्तर विशेष योजना (चरण-II)

(i) गंगटोक में 10 किवा एफ.एम. ट्रां. प्लेबैक स्टूडियो, स्टाफ क्वार्टर - (अतिरिक्त चैनल)

(ii) सिलचर में 5 किवा एफ.एम. ट्रां. प्लेबैक स्टूडियो - (अतिरिक्त चैनल)

(iii) 19 स्थानों पर निम्नानुसार 1 किवा. एफ.एम. ट्रां. वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग/डबिंग, क्षेत्रीय निर्माण सुविधा, स्टाफ क्वार्टर:-

अरुणाचल प्रदेश

1. डापोरिजी
2. अनिनी
3. बॉमडिला
4. चांगलांग
5. खोंसा

असम

6. करीमगंज
7. लमडिंग
8. गोलपारा

मणिपुर

9. ऊखरूल

10. तामेंगलांग

मेघालय

11. डावकी

मिजोरम

12. तुइपांग

13. चेम्फई

14. कोलासिब

नागालैंड

15. वोखा

16. जुन्हेबोतो

17. फेक

त्रिपुरा

18. उदयपुर

19. नूतन बाजार

(iv) कवर न किए गए क्षेत्रों को कवर करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न स्थलों (100 स्थानों) पर 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

***117. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में कुल कितने क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील घोषित किए गए हैं;

(ख) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनों और प्राकृतिक पर्यावासों का परिरक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी समितियां गठित कर दी गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में दहानु तालुका, महाबलेश्वर पंचगनी और माथेरन नामक तीन क्षेत्रों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारि-संवेदी जोन घोषित किया है।

(ख) इन जोनों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए पारि-संवेदी जोन में विकासात्मक कार्यों को विनियमित किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) महाबलेश्वर पंचगनी क्षेत्र के लिए श्री जे.जी. कांगा की अध्यक्षता में 29 अक्तूबर, 2001 को एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई थी। इस समिति का कार्यकाल 28-1-2005 तक था। माथेरन के लिए श्री यू.के. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में 1 जनवरी, 2004 को एक निगरानी समिति गठित की गई थी। इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का था। दहानु तालुका से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री सी.एस. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में 19-12-1996 को दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि का उपयोग

***118. श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत संगृहीत धनराशि के उपयोग में अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न श्रमिक संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि के दुरुपयोग के कुछ मामले ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित राशियों का निवेश कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 52 में समाविष्ट उपबंधों और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकार को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (ई.पी.एफ.) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संकलित निधियों के दुरुपयोग और गलत प्रयोग के बारे में विभिन्न श्रमिक संघों के अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन

***119. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी अभिकरणों के माध्यम से एफ.एम. रेडियो प्रसारण का प्रथम चरण पूरा होने के बाद इस समय उपलब्ध स्टेशनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) द्वितीय चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) राज्य-वार कितनी और फ्रिक्वेन्सियां जोड़े जाने की संभावना है;

(घ) क्या किसी एक एफ.एम. चैनल में देश के सभी भागों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) चरण-I प्रणाली के तहत इस समय 21 निजी एफ.एम. रेडियो चैनल - महाराष्ट्र-5, दिल्ली-3, पश्चिम बंगाल-4, तमिलनाडु-4, कर्नाटक-1, गुजरात-1, उत्तर प्रदेश-1, मध्य प्रदेश-1 और आंध्र प्रदेश-1 परिचालन में हैं।

(ख) सरकार ने देश भर में 91 शहरों में 337 चैनलों हेतु बोलियां आमंत्रित की थी। जिनमें से 245 चैनलों का अंतिम रूप से आबंटन करा दिया गया है जिसके लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए थे। निबंधन एवं शर्तों के पूरा न हो पाने के कारण दो आशय पत्रों को बाद में रद्द कर दिया गया था। 10 चैनलों के संबंध में अनुमति मंजूरी करारों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं जिनमें से 6 अंतरिम संस्थापन में ही चालू कर दिए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एफ.एम. चरण-II में शामिल किए गए चैनलों के अलावा चैनलों की संख्या में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निजी एजेंसियों (चरण-II) के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार संबंधी नीति में केवल शहर-वार विशिष्ट चैनलों हेतु ही उपबंध है। किसी राष्ट्रीय एफ.एम. निजी चैनल को अनुमति दी गई है। इस नीति में किसी एकल कंपनी को इसके नियंत्रण वाली कंपनी, सहायक कम्पनी अंतर संबंधित कंपनियों और पूर्वोक्त प्रबंधन वाली कंपनियों सहित-देश में कुल आबंटित चैनलों के 15% से अधिक का आबंटन करने पर विशिष्ट रूप से प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त किन्हीं दो कंपनियों द्वारा चैनलों की नेटवर्किंग पर भी विशेष रूप से प्रतिबंध है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहरों की संख्या	बोली पर लगाए गए चैनलों की संख्या	उन चैनलों की संख्या जिनको आशय पत्र जारी किए गए	रद्द किए गए आशय पत्रों की संख्या	हस्ताक्षरित अनुमति मंजूरी करारों की संख्या	चालू स्टेशनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6	22	15		2	2
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	4	0			

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	4	1			
4.	असम	1	4	4			
5.	बिहार	2	8	2			
6.	चंडीगढ़	1	2	2			
7.	छत्तीसगढ़	2	8	6			
8.	दमन और दीव	1	2	1			
9.	दिल्ली	1	6	5		1	
10.	गोवा	1	3	3			
11.	गुजरात	4	16	15			
12.	हरियाणा	2	6	6			
13.	हिमाचल प्रदेश	1	4	3			
14.	जम्मू-कश्मीर	2	7	2			
15.	झारखंड	2	8	7			
16.	कर्नाटक	4	19	14		2	1
17.	केरल	5	17	17			
18.	मध्य प्रदेश	5	19	15			
19.	महाराष्ट्र	13	42	31			
20.	मणिपुर	1	4	0			
21.	मेघालय	1	4	2			
22.	मिजोरम	1	4	1			
23.	नागालैंड	1	4	0			
24.	उड़ीसा	2	8	5			
25.	पांडिचेरी	1	3	3			
26.	पंजाब	3	12	12			
27.	राजस्थान	6	25	19		4	2
28.	सिक्किम	1	4	3	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	तमिलनाडु	6	23	19		1	1
30.	त्रिपुरा	1	4	1			
31.	उत्तर प्रदेश	9	30	20			
32.	पश्चिम बंगाल	3	11	11	1		
	कुल	91	337	245	2	10	6

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन

*120. **श्री रघुनाथ झा:** क्या उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिसूचना जारी किए जाने के अनेक वर्षों बाद भी सरकार द्वारा संस्तुत उपभोक्ता अदालतों और अतिरिक्त खंडपीठों की स्थापना नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या किसी विशेष योजना के अभाव में उपभोक्ता कल्याण कोष का बड़ा भाग अप्रयुक्त रह गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों का कार्यान्वयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर कार्य कर रहे तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्य निष्पादन की प्रभावकारिता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि जून, 2006 तक इन मंचों में दायर किए गए करीब 26 लाख मामलों में से लगभग 87% मामले पहले ही निपटा दिए गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यह आयोग इस समय तीन पीठों के साथ कार्य कर रहा है। आयोग के कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए जाते हैं।

जिला और राज्य स्तरों पर उपभोक्ता मंचों की स्थापना की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस समय प्रत्येक जिले में एक जिला मंच और प्रत्येक राज्य में एक राज्य आयोग है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने कतिपय राज्यों से अनुरोध किया है कि वे जिन जिलों में मामलों की संख्या बहुत अधिक है वहां अतिरिक्त जिला मंच और राज्य आयोग की अतिरिक्त पीठें स्थापित करें ताकि राज्य आयोग के समक्ष अनिर्णीत पड़ी उपभोक्ता शिकायतों का तेजी से निपटान किया जा सके। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को बजट संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए निर्णय लेना है।

(घ) से (च) उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। इसका प्रचालन उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण तथा देश में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के समग्र उद्देश्य से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाता है। यह एक गैर व्यपगमनीय कोष है जिसका उपयोग उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित दिशानिर्देशों और नियमों के अनुरूप उपभोक्ता कल्याण के लिए किसी सुयोग्य कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। इस कोष से पहले ही बहुत सी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है जिसमें राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता शामिल है जिसके लिए एकबारगी अनुदान के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50:50 (केंद्र : राज्य) के अनुपात में बीज राशि प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 (केंद्र : राज्य) है। स्कूलों और कॉलेजों में उपभोक्ता क्लब स्थापित करने की स्कीम को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिलों की संख्या के अनुपात में आवंटन किए जाते हैं। उपभोक्ता मामले

विभाग ने देश में एक जिम्मेदार और जवाबदेह उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो विकिसत देशों की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप हैं। इनमें उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता (कोर) परियोजना, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन परियोजना, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान परामर्शी परियोजना और उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण की परियोजना स्थापित करना शामिल हैं।

अनुसंधान संस्थान

737. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून और जबलपुर में अनुसंधान संस्थानों ने जैव कीटनाशी उत्पादक वृक्ष प्रजातियों की पहचान की है तथा बबूल निष्पत्रक के विरुद्ध जैव नियंत्रण विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् देहरादून के उष्णकटिबंधी वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर ने जैव-नाशीजीवनाशकों को प्राप्त करने के लिए 32 पौध प्रजातियों की जांच की है।

इन प्रजातियों में से, एलोए वेरा की पत्ती का अर्क *एनोना स्कवामोसा* के पत्ती और बीज का अर्क और *पोंगामिया पिन्नाटा* के बीज का अर्क बहुत प्रभावकारी पाया गया है। इन जैव-जीवनाशकों के छिड़काव से 24 घंटों के अंदर 90 प्रतिशत तक पर्णसमूह को खाने वाले कीट लार्वा का नियंत्रण होता है। एलोए वेरा में ग्लुकोसाइड्स होता है जिसे एलोइन कहते हैं इसमें एंटीफीडेंट गुण होते हैं। इसका 0.5 प्रतिशत मेथानोलिक अर्क बहुत अधिक प्रभावकारी एंटीफीडेंट साबित हुआ है, जो पहले से स्थापित नीम की निबोली के अर्क की तुलना में ज्यादा अच्छा है। *एनोना स्कवामोसा* पत्ती और बीज में एलकालाइड एनोनाइन होता है। इसका 0.5 प्रतिशत पेट्रोलियम ईथर अर्क इसके एंटीफीडेंट विशेषता में एलोए वेरा के समकक्ष साबित हुआ है, और दक्षता में नीम की निबोली के अर्क की तुलना में बेहतर है।

पोंगामिया पिन्नाटा में करनजिन होता है जिसमें कीटनाशी क्रिया होती है। इसके बीजों से प्राप्त अर्क के 0.4 से 0.5 प्रतिशत पेट्रोलियम ईथर अर्क डिफोलिएटिंग लार्वा को मारने में बहुत अधिक प्रभावशाली पाया गया है।

उपर्युक्त नीम आधारित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उत्पादों बायो पेस्टीसाइड की तुलना में ज्यादा कारगर पाए गए है। 0.5 प्रतिशत नीम की निबोली का अर्क केवल 60 प्रतिशत पत्ती क्षेत्र को खाने से रोक पाता है। कीट-व्याधियों के विरुद्ध नीम की तुलना में ज्यादा प्रभावकारी होने के कारण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक जीवनाशकों और नीम आधारित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध जैव-जीवनाशकों की बजाय इनका उपयोग किया जा सकता है।

भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् देहरादून के शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने एक परजीवी (*कारसेल्लिया बुइटेंजोजिसिस*) का पता लगाया है जो बबूल डिफोलिएटर को नियंत्रित करता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के कुक्कुट पालकों को मक्का जारी करना

738. **श्री संजय धोत्रे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण हुए भारी नुकसान से उबरने के राहत उपाय के रूप में महाराष्ट्र के कुक्कुट पालकों को सरकारी भण्डार से रियायती दरों पर मक्का उपलब्ध कराने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) कुक्कुट किसानों को वितरित करने के लिए 550.00 रुपए प्रति क्विंटल के अनंतिम मूल्य पर महाराष्ट्र को सरकार के भंडार से 25000 मीट्रिक टन मक्का जारी करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त उत्पादकता वाली कृषि

739. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अतिरिक्त उत्पादकता वाली क्रांतिकारी कृषि, के उद्देश्यों को प्राप्त करने, समवितरण सुनिश्चित करने तथा कमजोर वर्ग को सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने के लिए कोई पहल की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार ने इस बारे में कई कदम उठाये हैं। इनमें शामिल हैं - किसानों को संस्थाओं से मिलने वाले ऋण में वृद्धि करना और सहकारी ऋण संरचनाओं को मजबूत बनाना; गुणवत्ताप्रद आदानों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करना; कृषक अनुकूल, मांग आधारित कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देना; बागवानी क्रियाकलापों समेत उच्च मूल्य वाली फसलों का त्वरित विविधीकरण; बुनियादी संरचनाओं और आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाना; माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना और बारानी खेती/वर्षा निर्भर कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देना; कृषि बाजारों में सुधार लाना और फसलोपरांत प्रौद्योगिकी का व्यापक पैमाने पर प्रयोग करना, किसानों के लिये जोखिम प्रबंधन उपकरण का एक स्पेक्ट्रम प्रस्तुत करना। कृषि ऋण नीति के अन्तर्गत मुख्य ध्यान प्रगतिशील संस्थानीकरण पर दिया गया है जिससे कि किसानों को समय से और पर्याप्त ऋण दिया जा सके और इस दिशा में छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया जा सके ताकि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत कृषि विधियों को अपना सकें।

सरकार ने 18 जून, 2004 को एक व्यापक ऋण नीति की घोषणा की है जिसमें अगले तीन वर्षों में कृषि ऋण को दोगुना करने तथा किसानों को ऋण से राहत देने की बात कही गई है। वर्ष 2004-05 में 105000 करोड़ रुपये तक का कृषि ऋण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था और इस दिशा में उपलब्धि 125309.37 करोड़ रुपये की रही है और वर्ष 2005-06 में 141000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण दिये जाने का लक्ष्य था जिसके एवज में 157479.57 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के लिये सरकार ने केन्द्रीय बजट (2006-07) में इस तरह से निर्णय लिया है जिससे कि किसान 7% की ब्याज दर पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अल्पावधिक ऋण प्राप्त कर सकें। सहकारी ऋण संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिये उपाय किये जा रहे हैं। इस बारे में संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रबी 1999-2000 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) चलाई जा रही है और आशोधित एन.ए.आई.एस. के माध्यम से सुधार लाया जा रहा है। सरकार ने एक विशेष पुनर्वास पैकेज जारी करने का निर्णय लिया है जिससे कि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के अभिज्ञात 31 जिलों के संकटग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के छः जिलों में इस पैकेज की पहले ही घोषणा कर दी गई है।

कृषि उत्पादों के भण्डारण से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए और देश की भण्डारण क्षमता और भण्डारण प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिये वर्ष 2001 में एक पूंजी निवेश योजना "ग्रामीण भण्डारण योजना" की शुरुआत की गई है। भारत निर्माण कार्यक्रम, जो इस समय चल रहा है, के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो 2005-06 से चल रहा है, का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का ऐसा समग्र विकास सुनिश्चित करना है जिससे कि इण्ड-टू-इण्ड एप्रोच का पालन करते हुए बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज स्थापित किया जा सके जिसमें अनुसंधान, उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर किया जाए और इसमें स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी हो। वर्ष 2005-06 के दौरान 'माइक्रो इरिगेशन' योजना शुरू की गई है ताकि जल उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सके और लागत उत्पादन को कम किया जा सके तथा उत्पादन में स्थायित्व लाया जा सके। एक 'राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण' की स्थापना के लिये कार्यवाही की जा रही है। 'विस्तार सुधार के लिये राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन' नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (ए.टी.एम.ए.) माडल के आधार पर राज्यों में कृषि विस्तार कार्य में सुधार लाना है।

[हिन्दी]

पंजाब में डेयरी उद्योग

740. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में डेयरी उद्योग चलाने वाले अपने दुग्ध का लाभकारी मूल्य नहीं पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विकास और संचार संस्थान, चंडीगढ़ की इस रिपोर्ट से भी सहमत है कि पंजाब में डेयरी उद्योग अलाभकर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा डेयरी उद्योग चलाने वालों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक

परिसंघ लिमिटेड वर्ष भर जिला दुग्ध संघों तथा ग्राम स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके दूध के लिए लाभकारी मूल्यों का भुगतान कर रहा है। पिछले पांच वर्ष के दौरान दुग्ध उत्पादक सदस्यों को भुगतान किए गए औसत दुग्ध खरीद मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	दुग्ध खरीद मूल्य प्रति किलोग्राम वसा
2002-03	150/- से 175/- रुपए
2003-04	160/- से 180/- रुपए
2004-05	160/- से 200/- रुपए
2005-06	165/- से 185/- रुपए
2006-07 (जून, 2006 तक)	175/- से 200/- रुपए

(ग) पंजाब सरकार ने विकास और संचार संस्थान, चंडीगढ़ की रिपोर्ट पर सहमति नहीं दी है जिसमें यह कहा गया है कि पंजाब में डेयरी फार्मिंग लाप्रद नहीं है।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण

741. श्री अनवर हुसैन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य एकमत हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम और उनके विरोध के कारण क्या हैं; और

(घ) इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाने में कितना समय लगने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण के गठन संबंधी प्रस्ताव का उद्देश्य प्रभावी बाढ़ नियंत्रण प्रदान करने, विद्युत उत्पादन करने, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने तथा अवसंरचना विकसित करने के लिए एक संसक्तिशील स्वायत्त स्वतः पूर्ण संगठन की स्थापना करना है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस प्रस्ताव से सहमत हैं। अरुणाचल प्रदेश का यह मानना है कि इससे मुख्य सिंचाई क्षमता के विकास की अधिक संभावना नहीं है क्योंकि मध्यम और बड़ी सिंचाई स्कीमों का औचित्य सिद्ध करने के लिए इस राज्य में उपयुक्त नदी बेसिन नहीं है, साथ ही यह राज्य पहाड़ी होने के कारण यहां पर बाढ़ की समस्या अधिक नहीं है और दूसरे प्राधिकरण के गठन से वस्तुतः कार्य प्रक्रिया में और वृद्धि होगी। अतः यह राज्य इसके गठन का समर्थन नहीं करता है। इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए कितना समय लगेगा वह प्रमुखतः सभी राज्यों की सहमति पर निर्भर करता है।

दवाओं की अनुपलब्धता

742. श्री प्रहलाद जोशी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्ताल्पता (अनीमिया) की चिकित्सा के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दवा 'फेरस फ्यूमरेट' बाजार में उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और उक्त दवा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) पोषाहार लौह अल्पता अनीमिया के लिए फेरस फ्यूमरेट गोलियां दी जाती हैं। लौह के स्त्रोत के रूप में फेरस फ्यूमरेट को एकल अवयव तथा विटामिन बी-12, फोलिक एसिड और अन्य विटामिनों के संयोजन से प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.), सामान्यतः राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त फील्ड रिपोर्टों के आधार पर दवाओं की उपलब्धता और कमियों को मानीटर करता है। हाल के समय में एकल अवयव या अन्य औषधों के साथ इसके संयोजन वाली फेरस फ्यूमरेट गोलियों की कमी की कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

'सेल' के अन्तर्गत लौह अयस्क खानें

743. श्री अनंत नायक: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अन्तर्गत लौह अयस्क खानों की संख्या कितनी है;

(ख) किरिबुर और मेघटबुर में स्थित खानों की संख्या कितनी है और इन खानों का कब तक दोहन किया जा सकेगा;

(ग) क्या सेल द्वारा सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए अन्य लौह अयस्क खानें विकसित की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में 9 लौह अयस्क खानों का प्रचालन कर रहा है।

(ख) किरीबुरू में केवल एक खान स्थित है। प्रचालनरत किरीबुरू खान के नॉर्थ ब्लॉक में लगभग 40 एम.टी. का भंडार है जो लगभग 8-9 वर्ष तक चलेगा। इससे लगे हुए साउथ ब्लॉक को नॉर्थ ब्लॉक का स्थानापन्न माना जाता है।

मेघाहातुबुरू में केवल एक खान स्थित है। प्रचालनरत मेघाहातुबुरू खान में लगभग 22 एम.टी. का भंडार है जो लगभग 4-5 वर्ष तक चलेगा। इससे लगे हुए सैंट्रल ब्लॉक को मेघाहातुबुरू खान का स्थानापन्न माना जाता है।

(ग) और (घ) सेल ने अपने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर स्थित इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए लौह अयस्क खानें विकसित की थीं। बढ़ रही आवश्यकता को भविष्य में पूरा करने के लिए सेल का नई खानें विकसित करने और कुछ खानों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

सेल द्वारा जिन खानों को विकसित किया जाना है और जिनके लिए सेल के पास खनन पट्टे हैं उन खानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. किरीबुरू का साउथ ब्लॉक
2. मेघाहातुबुरू का सैंट्रल ब्लॉक
3. तलडीह
4. मनोहरपुर (चिरिया)

सेल ने ठकुरानी और रावघाट में स्थित खानों को विकसित करने हेतु खनन पट्टे प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उद्यान अभियान (नेशनल पार्क मिशन)

744. श्री सुनिल कुमार महतो: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड में कोई राष्ट्रीय उद्यान अभियान कतिपय विकास कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं। ऐसी कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रचालन में नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषकों हेतु टी.वी. चैनल

745. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषकों की सुविधा के लिए एक अनन्य टेलीविजन चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वे ऐसे किसी चैनल को शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। तथापि, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सूचित किया है कि कृषि पर 24 घंटे के टीवी चैनल की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने एक अध्ययन शुरू किया है। इसलिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

निर्माण परियोजनाओं में औपबंधिक परिवर्तन

746. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरण को प्रभावित करने वाली विशेषतः महानगरों में निर्माण परियोजनाओं हेतु उपबंधों में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2004 को जारी अधिसूचना के अनुसार 50 करोड़ रुपए की लागत से अधिक या 1000 व्यक्तियों हेतु आवासीय या 50,000 लीटर प्रतिदिन सीवेज का निस्तारण करने वाली नई निर्माण परियोजनाओं को अधिसूचना में निर्धारित पद्धति के अनुसार मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेनी आवश्यक है। बाद में मंत्रालय ने दिनांक 15 सितम्बर, 2005 को एस.ओ. संख्या 1324 (ई) के तहत एक प्रारूप अधिसूचना जारी की है जिसमें मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि महानगरों में 20,000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र से अधिक की निर्माण परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेनी अपेक्षित होगी।

कुक्कुट पालन

747. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुक्कुट पालन को अब तक कृषि का दर्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने तथा देश में किसानों को कुक्कुट पालन की आधुनिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) कुक्कुट पालन का विषय है जबकि कुछ राज्य कुक्कुट को कृषि के रूप में मानते है, अन्य राज्य ऐसा नहीं मानते।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कुक्कुट को कृषि के रूप में माने।

सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठनों की गतिविधियों के माध्यम से तथा "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" तथा "डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष" की अपनी योजनाओं के माध्यम से भी आधुनिक तर्ज पर कुक्कुट पालन को बढ़ावा दे रही है।

[अनुवाद]

नामरूप उर्वरक संयंत्र

748. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नामरूप उर्वरक संयंत्र (नामरूप-IV) की अन्य इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित की जाएगी, इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी तथा इसके क्रियान्वयन की समय सारणी क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) सरकार ने नामरूप फर्टिलाइजर काम्पलेक्स में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के आधार पर आधुनिक प्रौद्योगिकी पर धारित एक अन्य इकाई स्थापित करने की संभावना तलाश करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस परियोजना का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

निजी/सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय नीति

749. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में एक "राष्ट्रीय नीति" तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण और कृषि क्षेत्र में दुर्घटना दर अत्यधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त नीति के अंतर्गत इन क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) और (ख) सरकार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं वातावरण पर एक राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया है। इस राष्ट्रीय नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्य से संबंधित चोटों, घातक दुर्घटनाओं, बीमारियों आदि की घटना में कमी लाना शामिल है।

(ग) देश में असंगठित निर्माण क्षेत्र में दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत शामिल किए गए इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान 14 दुर्घटनाएं हुई थी। जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, हाल के विगत वर्षों में विद्युत चालित थ्रैशरों के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) जब राष्ट्रीय नीति घोषित की जाएगी तब उसमें आर्थिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्र शामिल किए जाएंगे।

[अनुवाद]

लीची का उत्पादन

750. श्री रनेन बर्मन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने हेक्टेयर भूमि और किन-किन क्षेत्रों में लीची का उत्पादन किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में लीची का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों के मद्देनजर लीची के उत्पादन और उसके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में लीची की खेती के अन्तर्गत लगभग 60,000 हैक्टेयर क्षेत्र है। लीची का उत्पादन बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखण्ड, पंजाब, त्रिपुरा, उड़ीसा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मिजोरम और उत्तर प्रदेश में किया जाता है।

(ख) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान देश में लीची के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005-06 से देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है ताकि बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास किया जा सके जिसमें सभी पणधारियों की सक्रिय सहभागिता से अनुसंधान, उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबन्धन और विपणन को कवर करते हुए अग्र तथा पश्च सम्पर्कों वाले शुरू से अन्त तक के दृष्टिकोण को यथावत सुनिश्चित किया जा सके। इस मिशन में तुलनात्मक रूप से लाभप्रद बागवानी फसलों के विकास हेतु क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से भिन्न समूह दृष्टिकोण पर बल दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान लीची का राज्यवार उत्पादन

क्रम सं.	राज्य	उत्पादन (000 एम.टी.)		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	बिहार	336.9	339.0	204.9
2.	पश्चिम बंगाल	63.9	64.7	69.9
3.	असम	18.8	19.8	22.5

1	2	3	4	5
4.	उत्तरांचल	13.5	5.8	8.9
5.	पंजाब	11.8	12.2	12.6
6.	उड़ीसा	10.8	11.9	11.9
7.	त्रिपुरा	9.0	12.5	12.4
8.	झारखण्ड	7.5	7.5	16.5
9.	हिमाचल प्रदेश	1.7	2.4	3.6
10.	हरियाणा	1.2	1.7	1.0
11.	मिजोरम	0.7	0.3	0.3
12.	उत्तर प्रदेश	0.3	0.3	0.3
13.	नागालैण्ड	0.2	–	–
14.	छत्तीसगढ़	–	–	3.4
15.	अन्य	0.1	0.4	0.3
	कुल	476.4	478.5	368.6

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

वनरोपण हेतु एन.जी.ओ. को धनराशि

751. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**

श्री अधीर चौधरी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वनरोपण योजना के अंतर्गत पेड़ लगाने के लिए राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इन संगठनों ने योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है और सरकार ने उनके काम का निरीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने संगठनों का काम संतोषजनक पाया गया, कितने संगठनों ने धनराशि का दुरुपयोग किया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक अभिकरणों के लिए सहायता अनुदान स्कीम के तहत गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार गैर-सरकारी संगठनों को पौधारोपण के लिए प्रत्येक वर्ष में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) परियोजना कार्यान्वित कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को उत्तरवर्ती किस्तें केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र और राज्य वन विभाग की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जारी की जाती हैं।

(ग) पांच गैर-सरकारी संगठनों का कार्य असंतोषजनक पाया गया है। इनमें से चार संगठनों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य को क्रियान्वित न करने के कारण ब्लैक लिस्टिड कर दिया गया है, और एक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		एन.जी.ओ. की कुल संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	जारी धनराशि (लाख रु.)	एन.जी.ओ. की कुल संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	जारी धनराशि (लाख रु.)	एन.जी.ओ. की कुल संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	जारी धनराशि (लाख रु.)	एन.जी.ओ. की कुल संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	जारी धनराशि (लाख रु.)	एन.जी.ओ. की कुल संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	जारी धनराशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	32	94.36	22	61.16	23	63.86	15	52.36	11	37.30
2.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00	2	7.97	1	3.98	0	0
3.	गुजरात	0	0.00	0	0.00	4	12.65	13	41.86	9	33.07
4.	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
5.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	6	22.82	3	5.24	1	3.14
6.	जम्मू-कश्मीर	4	15.47	0	0.00	2	7.16	0	0.00	6	17.60
7.	कर्नाटक	10	34.28	14	41.53	3	8.64	0	0.00	3	9.66
8.	मध्य प्रदेश	1	4.00	2	4.06	8	32.05	6	23.31	9	29.00
9.	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	5	16.05	9	24.12	1	2.54
10.	उड़ीसा	4	13.90	8	22.18	17	62.84	24	87.12	34	119.01
11.	पंजाब	0	0.00	0	0.00	4	14.35	0	0.00	1	2.54
12.	राजस्थान	2	7.00	1	1.77	4	15.95	11	36.77	13	61.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	तमिलनाडु	4	12.00	4	3.68	8	18.42	15	41.37	1	0.32
14.	उत्तर प्रदेश	6	12.70	7	13.97	19	60.18	18	61.50	30	99.97
15.	उत्तरांचल	3	11.25	10	39.32	8	28.90	20	69.68	16	54.20
16.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	00.00	0	0
17.	झारखंड	0	0.00	2	1.50	4	11.15	4	12.64	0	0
18.	बिहार	6	21.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
19.	केरल	5	20.30	3	9.79	1	3.99	5	13.53	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	3	5.84	1	1.00	5	13.02	7	23.43	5	19.68
21.	अरुणाचल प्रदेश	16	40.17	21	63.57	29	101.16	11	40.53	19	67.29
22.	असम	0	0.00	1	2.88	5	19.93	8	27.40	6	23.67
23.	मणिपुर	12	35.85	14	43.67	39	135.87	34	110.80	15	58.17
24.	नागालैंड	48	126.26	28	82.48	47	159.37	34	116.88	20	79.90
25.	सिक्किम	1	3.00	0	0.00	1	3.99	0	0.00	2	5.14
26.	त्रिपुरा	1	3.00	1	3.98	0	0.00	1	1.15	2	2.34
27.	मिजोरम	1	1.72	2	4.76	7	25.50	16	62.08	0	0
28.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	41.13	7	33.78
	कुल योग	159	463.00	141	401.30	251	845.82	266	896.88	211	760.19

कपास के उत्पादन में विश्वव्यापी वृद्धि

752. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास उत्पादन में विश्वव्यापी वृद्धि के कारण घरेलू बाजार में कपास के मूल्य में गिरावट आई है और देश में कपास का भंडार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण भारतीय कपास उत्पादक काफी संकट में हैं;

(ख) क्या वर्तमान स्थिति से कपास का मूल्य उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से भी कम हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू कपास उत्पादकों के समग्र हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) गुजरात में बड़ौच मण्डी में एस-6 किस्म को छोड़कर चुनिंदा राज्यों/केन्द्रों में कपास की महत्वपूर्ण किस्मों के औसतन थोक मण्डी मूल्य (डब्ल्यू.पी.) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान उनके न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) से अधिक रहे हैं।

कपास का एम.एस.पी. और डब्ल्यू.पी. (रुपए प्रति क्विंटल)

राज्य/केन्द्र/किस्म	2004-05		2005-06	
	एम.एस.पी.	डब्ल्यू.पी.	एम.एस.पी.	डब्ल्यू.पी.
आन्ध्र प्रदेश/वारंगल/एम.ई.सी.एच.	1885	1858	1885	1947
तमिलनाडु/तिरूपुर एल.आर.ए.	1835	1877	1835	2031
पंजाब/भटिंडा/अमेरिकन	1815	1830	1835	1989
गुजरात/बड़ौच/एस-6	1960	1839	1985	1875

2005-06 में कपास के उत्पादन में 19% बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू कपास मूल्यों के रूझान में बढ़ोतरी दर्शाई गई है जबकि 2005-06 के दौरान विश्व के कपास उत्पादन में 6% गिरावट दर्ज की गई है।

कपास उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने के लिए और मण्डी में संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) ग्रेड और एफ.ए.क्यू. से भी नीचे वाली कपास की खरीद कर रहा है। इसके अलावा यह भी कि कपास के अधिप्रापण कार्यों को गहन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) को 2004-05 से द्वितीय एजेन्सी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

महिला कामगार

753. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्रमशः संगठित और गैर-संगठित क्षेत्रों में राज्य-वार अनुमानतः कितनी महिला कामगार हैं;

(ख) क्या सरकार ने महिला कामगारों की स्थिति को सुधारने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) संगठित और असंगठित क्षेत्रों में महिला कामगारों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) महिला कामगारों हेतु उचित कार्य दशाएं सुनिश्चित करने और उनके शोषण की रोकथाम करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन), अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन), अधिनियम, 1996 इत्यादि शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला कामगारों के लाभार्थ क्रेच सुविधाएं, कार्य के घंटों के दौरान बच्चों को खाना खिलाने के लिए समय देने, प्रसूति छुट्टी का प्रावधान, कार्य स्थल

के पास महिला और पुरुष कामगारों के लिए अलग-अलग प्रसाधन कक्ष और धुलाई सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इन कानूनों को लागू करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें समुचित एजेंसियां हैं।

विवरण

1999-2000 के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्रों में महिला कामगारों का राज्यवार विवरण (आंकड़े मिलियन में)

राज्य का नाम	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	0.64	14.41
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.11
असम	0.26	1.33
बिहार	0.12	7.28
गोवा	0.02	0.08
गुजरात	0.24	7.23
हरियाणा	0.06	1.59
हिमाचल प्रदेश	0.03	1.26
जम्मू-कश्मीर	0.03	0.96
कर्नाटक	0.27	8.05
केरल	0.76	2.77
मध्य प्रदेश	0.25	12.32
महाराष्ट्र	0.63	14.02
मणिपुर	0.02	0.19
मेघालय	0.02	0.31
मिजोरम	0.01	0.10
नागालैण्ड	0.02	0.10
उड़ीसा	0.11	4.89
पंजाब	0.15	2.36
राजस्थान	0.14	7.53
सिक्किम	0.01	0.04
तमिलनाडु	0.68	10.16
त्रिपुरा	0.02	0.08
उत्तर प्रदेश	0.30	14.41
पश्चिम बंगाल	0.34	5.48
दिल्ली	0.21	0.36
पांडिचेरी	0.01	0.09
चंडीगढ़	0.03	0.03
दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.03
दमन एवं दीव	0.00	0.01
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.02
लक्षद्वीप	0.00	0.00

*स्त्रोत: एन.एस.एस. 55वां दौर, 1999-2000, रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के इकाई स्तर आंकड़ों से की गयी गणना।

सरसों के तेल का उत्पादन

754. श्री नवीन जिन्दल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरसों के तेल का उत्पादन उसकी खपत से अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में सरसों के तेल का निर्यात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में हुए सरसों के तेल का अनुमानित उत्पादन, आयात और खपत निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

तेल वर्ष	सरसों के तेल का घरेलू उत्पादन	सरसों के तेल का आयात	सरसों के तेल का खपत*
2003-2004	19.50	0.00024	19.50
2004-2005	23.54	0.00019	23.54

*सरसों के तेल की खपत का अनुमान घरेलू उत्पादन और आयात के आधार पर लगाया गया है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए सरसों के तेल की मात्रा निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

वर्ष	सरसों के तेल का निर्यात
2003-2004	0.01027
2004-2005	0.01286

[हिन्दी]

श्रमिकों का शोषण

755. श्री सीताराम सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में कारखानों में काम कर रहे ठेका मजदूरों का फैक्ट्री मालिकों और ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे शोषण के विरुद्ध मजदूरों की रक्षा हेतु कोई नियम बनाए है जिनका ठेकेदारों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) नियोक्ता एवं ठेकेदारों द्वारा कारखानों में कार्यरत ठेका श्रमिकों के शोषण के आरोप संबंधी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। तथापि ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में संबद्ध राज्य सरकारें ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि के अंतर्गत समुचित राज्य सरकार हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने ठेका श्रमिकों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को अधिनियमित किया है। अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) ठेका श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए नियमित रूप में निरीक्षण किए जाते हैं तथा जहां कहीं इसका उल्लंघन पाया जाता है, चूककर्ता नियोक्ताओं/ठेकेदारों पर अभियोजन चलाए जाते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों एवं ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 के अंतर्गत दर्ज किए गए अभियोजनों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में किए गए निरीक्षणों एवं ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत दर्ज अभियोजनों की संख्या

क्रम संख्या	मद	2002-03	2003-04	2004-05
1.	निरीक्षणों की संख्या	5970	4991	4550
2.	अभियोजनों की संख्या	3453	3896	3356
3.	दोषसिद्धियों की संख्या	2188	2072	2018

[अनुवाद]

नकली माल की बिक्री संबंधी समिति

756. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नकली माल की बिक्री के मुद्दे की जांच हेतु वर्ष 2004 में कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जनवरी, 2004 में नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पादों के संबंध में एक कार्यदल गठित किया गया था।

(ख) कार्यदल ने मई, 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ग) कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशें उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए विधायी उपायों, सभी संबंधित संगठनों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभियान, अन्यायपूर्ण तरीके से धन कमाने के खिलाफ गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सामूहिक जनहित याचिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों के बूरे कार्यों को समाप्त करने के लिए संयुक्त वैश्विक अभियान से संबंधित हैं। कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों को संबंधित एजेंसियों के विचारार्थ भेज दिया गया है।

कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण

757. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण (के.डब्ल्यू.डी.टी.) ने कर्नाटक को अलमाटी जलाशय में 509 मीटर के जलस्तर से अधिक पानी जमा न करने का निर्देश देने की आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की मांग ठुकरा दी है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकरण के इस निर्णय पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य ने वर्ष 2005 में कृष्णा जल विवाद अधिकरण (के.डब्ल्यू.डी.टी.) के समक्ष एक वादकालीन आवेदन दायर किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अलमट्टी बांध में 509 मीटर के क्रेस्ट स्तर से अधिक जल का भंडारण न करने के लिए कर्नाटक राज्य को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र राज्य ने अलमट्टी बांध पर सभी स्पिलवे क्रेस्ट गेटों को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 15 अगस्त तक पूरी तरह खुले रखे जाने के लिए कर्नाटक राज्य को निर्देश जारी करने के वास्ते इस अधिकरण के समक्ष एक वादकालीन आवेदन दायर किया है ताकि कृष्णा नदी में बाढ़ का खुला एवं अबाधित मार्ग छोड़ा जा सके। अधिकरण ने दिनांक 9 जून, 2006 के अपने आदेश के द्वारा उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के उक्त आवेदनों को निरस्त कर दिया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने अधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश पर जल संसाधन मंत्रालय को कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी है।

बर्ड फ्लू के लिए दवा विकसित करना

758. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू के लिए एक दवा विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भोपाल स्थित भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला में बर्ड फ्लू के विरुद्ध एक वैक्सीन विकसित किया गया है।

(ख) एच5 एन1 फील्ड प्रभेद का इस्तेमाल करते हुए बर्ड फ्लू के विरुद्ध देश में एक निष्क्रिय ऊतक संवर्धन वैक्सीन विकसित किया गया है। एल्युमीनियम फास्फेट (सहायक) के साथ कोशिका संवर्धन विषाणु की 100,000 टी.सी.आई.डी.$_{50}$ (ऊतक संवर्धन की प्रारम्भिक खुराक) की एक खुराक को इंट्रा-मसक्यूलर रूप में देना संरक्षात्मक पाया गया।

विज्ञान संबंधी समाचार

759. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विज्ञान संबंधी समाचारों को हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एड्स के मरीजों हेतु दवा

760. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दवा कंपनियां एच.आई.वी. की रोकथाम हेतु एड्स के मरीजों द्वारा प्रतिदिन दवा की एक गोली लेने पर काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोली का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ग) उक्त दवा बाजार में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने सूचित किया है कि एच.आई.वी. के उपचार के लिए एक त्रिऔषधीय संयोजन के विनिर्माण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो यू.एस.एफ.डी.ए. द्वारा संयोजन के कथित अनुमोदन पर आधारित है।

(ख) और (ग) लागत और भारतीय बाजार में उक्त दवा के उपलब्ध होने के संभावित समय के बारे में ब्यौरे औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा नहीं रखे जाते।

सबरीमाला के लिए भूमि

761. श्री पी.सी. थामस: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3 जुलाई, 2006 को हुए एक सम्मेलन में सरकारी अधिकारियों और त्रावणकोर देवास्म बोर्ड के प्रतिनिधियों ने सबरीमाला के बारे में एक कार्य योजना पर कुछ निर्णय लिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सबरीमाला के लिए और भूमि आबंटित की है/मंजूर की है/देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) सबरीमाला मास्टर योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए 3-7-2006 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य सरकार (केरल) और त्रावणकोर देवसोम बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने मास्टर योजना के कार्यान्वयन के लिए नीलाकल में 110.524 हैक्टेयर वन भूमि और पेरियर बाघ रिजर्व में 12.675 हैक्टेयर वन भूमि वनेतर प्रयोग के लिए दी है। इस समय वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के वनेतर प्रयोग का कोई भी मामला मंत्रालय में लम्बित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नाइपर जैसे संस्थान की स्थापना

762. श्री हरिन पाठक:

श्री मधुसूदन मिस्त्री:

श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर) जैसा एक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) वर्तमान में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (नाइपर) नामक एक संस्थान मोहाली, पंजाब में स्थित है। नाइपर की स्थापना 26-6-1998 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है। यह औषधीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत में पहला राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। यह औषधीय विज्ञान के क्षेत्र में डाक्टोरल व स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है। भारत में नाइपर जैसे और संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस करते हुए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा नाइपर के विशेषज्ञों वाली एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2006 में पेश कर दी है और इसने भारत के कुछ अन्य स्थानों पर नाइपर जैसे संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि संबंधित राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए 70 से 100 एकड़ तक भूमि निःशुल्क प्रदान करनी चाहिए। वर्तमान में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग संबंधित राज्य सरकारों के साथ, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सहायता के बारे में विचार-विमर्श कर रहा है। नाइपर की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दर्शायी गई इच्छा पर भी निर्भर होगी। वर्तमान में हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता और हाजीपुर में ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए क्रमशः आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों से चर्चाएं चल रही हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों से फीडबैक प्राप्त होने के बाद योजना आयोग, वित्त मंत्रालय से संपर्क करने तथा नाइपर संबंधी विद्यमान अधिनियम को संशोधित करने आदि के संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दवाओं के मूल्यों में वृद्धि

763. श्री रघुनाथ झा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ भेषज कम्पनियों द्वारा असंगत रूप से दवाओं के मूल्य में 20 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा ऐसी दवाओं के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन सभी दवाओं के मूल्य कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भेषज कम्पनियों द्वारा दवाओं के मूल्य में की गयी बढ़ोतरी के पीछे कारणों का पता लगाने हेतु की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) विद्यमान औषध मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन, मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा डी.पी.सी.ओ., 95 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। इन औषधों को सितंबर, 1994 में घोषित 'औषध नीति 1986 में संशोधन' में उल्लिखित मानदंड के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया है।

गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य विभिन्न कारकों यथा: उत्पादन लागत, विपणन व्यय, आर एंड डी व्यय, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता इत्यादि के मद्देनजर विनिर्माताओं द्वारा स्वयं तय किए जाते हैं। एन.पी.पी.ए. दवाओं की कीमतों को ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की मासिक खुदरा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मॉनीटर करता है। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

एन.पी.पी.ए. ने गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के लिए मानीटरिंग के अपने कार्यकलाप के दौरान कुछ ऐसे मामलों का पता लगाया है, जहां ओ.आर.जी. - आई.एम.एस. डेटा के अनुसार 12 महीने की अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि 20% से अधिक थी। एन.पी.पी.ए. ने इन मामलों को समुचित कार्रवाई हेतु रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को संदर्भित किया है।

दवाओं के मूल्यों में वृद्धि के सामान्य कारण हैं:-

(क) बल्क औषधों के मूल्य में वृद्धि

(ख) उत्पादन/आयात की लागत में वृद्धि

(ग) परिवहन/मालभाड़ा की दरों में वृद्धि

(घ) ईंधन, विद्युत, डीजल आदि जैसी उपयोगिताओं की लागत में वृद्धि

(ङ) आयातित दवाओं के लिए सी.आई.एफ. मूल्य में वृद्धि तथा रुपए का मूल्यह्रास

(च) करों और शुल्कों में परिवर्तन

डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के संबंध में अमरीकी सरकार की चिन्ता

764. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका की सरकार ने डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के संबंध में भारत सरकार को अपनी चिन्ताओं से अनेक बार अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) दिनांक 11-11-2005 को डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी होने के बाद से अनेक विदेशी चैनलों, कंपनियों के साथ-साथ अमरीकी सरकार ने दिशानिर्देशों के संबंध में विचार-विमर्श करने हेतु उत्सुकता जाहिर की है। इसके परिणामस्वरूप, उनके द्वारा प्रकट की गयी शंकाओं के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण निर्दिष्ट किए थे जिन्हें मई, 2006 के प्रथम सप्ताह में मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर डाल दिया गया था। दिशानिर्देशों के खंड 1 के अंतर्गत मूल पात्रता मापदंड की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि कंपनी अपनी इक्विटी संरचना, विदेशी स्वामित्व अथवा प्रबंधन नियंत्रण के निरपेक्ष किसी चैनल की डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन कर सकती है और ये दिशानिर्देश भारतीय प्रसारण मीडिया में विदेशी निवेश को संकट में न डालें।

हाल ही में, मंत्रालय ने डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों, विषय-वस्तुविनियमन आदि सहित प्रसारण, विनियमन के मुद्दे पर एक विस्तृत टिप्पणी के जरिए आगे और स्पष्ट किया है कि ये दिशानिर्देश भारतीय प्रसारण में अमरीकी निवेश जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी संस्थागत निवेश में पहले से निर्धारित नीति द्वारा अभिशासित है, पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

समाचारपत्र उद्योग

765. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाचारपत्र उद्योग से संबंधित कौन-से बड़े मुद्दे समाधान हेतु सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन मुद्दों के समाधान हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) चूंकि सरकार ने नियमित रूप से समाचारपत्र उद्योग के मुख्य मुद्दों का समाधान किया है इसलिए ऐसा कोई मुद्दा समाधान हेतु लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कीटनाशक निर्माता कम्पनियां

766. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां ऐसे कीटनाशकों का विनिर्माण कर रही है जो कृषि के लिए नुकसानदेह है जैसा कि दिनांक 24 मार्च, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कीटनाशक कम्पनियों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति देश में इस्तेमाल के लिए कीटनाशियों का पंजीकरण तभी करती है जब वह स्वयं उनकी प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा के संबंध में संतुष्ट हो जाती है। प्रयोग के दौरान

प्रयोग, इस्तेमाल के तरीके, सावधानियों के साथ मात्रा (डोज) जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिए उनका उल्लेख प्रत्येक कीटनाशी के पैकेज के लेवल/पर्चे पर हिन्दी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा *में अंकित होता है। निर्धारित तरीके से किसी कीटनाशी का प्रयोग करते समय न तो फसल न ही प्रयोगकर्त्ता पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने की गुंजाइश रहती है।*

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

दलहनों के निर्यात पर प्रतिबंध

767. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दलहनों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध के कारण किन-किन राज्यों को तथा किस हद तक हानियां उठानी पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रतिबंध के कारण किसानों को हुई हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एस्बेस्टॉस का पर्यावरणीय प्रभाव

768. श्री पी. मोहन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एस्बेस्टॉस से जुड़े रोगों पर कोई महामारी संबंधी अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में एस्बेस्टॉस विनिर्माता इकाइयों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शराब फैक्ट्री के कारण प्रदूषण

769. श्री अशोक अर्गल:
श्री रशीद मसूद:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न स्थानों विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्थित शराब फैक्टरियों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) उत्तर प्रदेश से छह डिस्टिलरी नामशः मैसर्स जुबीलिएंट ऑरगनोसिस लिमिटेड, गजरौला, सिम्भाओली चीनी मिल्स, सिम्भाओली, मैसर्स फिलखानी डिस्टिलरी लिमिटेड, फिलखानी, मैसर्स दौराला शुगर्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड (डिस्टिलरी इकाई), दौराला, मैसर्स धामपुर शुगर कारखाना, धामपुर और मैसर्स रिगा शुगर्स, बिहार, सहित कुछ डिस्टिलरी से पर्यावरणीय मानदंडों के गैर-अनुपालन के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) विभिन्न डिस्टिलरियों में पर्यावरणीय अनुपालन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

- प्रदान की गई शोधन सुविधा के समान उत्पादन क्षमता में कमी लाना;
- बायो-कम्पोस्ट बनाने के लिए फिल्टर सामग्री आवश्यकता में कमी लाने के लिए रिवर्स ऑसमोसिक (आर.ओ.) संयंत्र स्थापित करना;
- कम्पोस्ट यार्ड में उच्च घनत्व वाले पॉली इथाईलिन (एच.डी.पी.ई.) लाईनिंग बिछाना;
- बायो कम्पोस्ट में स्पेन्ट वॉश को कम करने के लिए बहु प्रभावी वाष्पक को इसके उपयोग के लिए स्थापित करना;
- गैर-अनुपालनकर्ता इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी करना और अनुपालन के लिए मॉनीटरी।

एन.एल.सी. और सेल संबंधी कैग की रिपोर्ट

770. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.ए.जी. (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एन.एल.सी.) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के कार्यकरण में अनेक अनियमितताओं को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) से (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी), कंपनी के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों का प्रोपराइटरी/परफॉरमेंस/ट्रांजेक्शन लेखा-परीक्षा नियमित रूप से करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, समीक्षा में अपनी टिप्पणियां देते हैं जिन पर प्रबंधन अपनी टिप्पणियां/उत्तर प्रस्तुत करता है और आवश्यक होने पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी वर्ष 2006 की वार्षिक रिपोर्ट संख्या-8, 10 और 12 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) से संबंधित कतिपय मुद्दे उठाए हैं। ये मुद्दे विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं से संबंधित नहीं हैं और इनका संबंध कंपनी के प्रचालनों से है। अतः सेल से संबंधित इन लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के संदर्भ में किसी परियोजना को पूरा नहीं किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एन.एल.सी.) से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

'सेल' के अंतर्गत पेंशन निधि योजना

771. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) में कोई पेंशन निधि योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो सेल की अनुषंगियों सहित कितने नियोक्ताओं ने पेंशन निधि में अंशदान दिया है तथा इस निधि के लाभार्थी कौन हैं;

(ग) क्या भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ मिलीभगत से अप्रैल, 1993 के पहले और उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ मुहैया कराने में किसी भेदभाव का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है/उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, हां। सेल एम्लाइज सुपरएनुएशन बैनीफिट फंड (एस.ई.एस.बी.एफ.) के नाम से एक पेंशन योजना सेल में चल रही है। सेल के कर्मचारी दिनांक 1-1-1989 से इस निधि में अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 2 प्रतिशत की दर से अंशदान कर रहे हैं।

(ख) सेल एस.ई.एस.बी.एफ. में अपनी सभी कर्मचारियों के लिए केवल 100 रुपए वार्षिक की दर से अंशदान करता है। सेल के कर्मचारी इस निधि के लाभार्थी हैं।

(ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों का एस.ई.एस.बी.एफ. के साथ कोई संबंध नहीं है अतः भविष्य निधि प्राधिकारियों की एस.ई.एस.बी.एफ. के साथ मिलीभगत का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध (प्रावधान) अधिनियम 1952 के तत्वावधान में भारत सरकार ने दिनांक 1-3-1971 से कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 (ई.एफ.पी.एस., 1971) शुरू की थी। ई.एफ.पी.एस., 1971 में सेवाकाल के दौरान सदस्य की मृत्य हो जाने की स्थिति में जीवन साथी को पेंशन और सदस्य की सेवा निवृत्ति की स्थिति में विदड्रॉल बैनीफिट का प्रावधान है। इस योजना को दिनांक 16-11-1995 से कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस., 1995) से प्रतिस्थापित किया गया था और ई.एप.पी.एस., 1971 के सदस्यों को दिनांक 16-11-1995 से अनिवार्यतः ई.पी.एस., 1995 के दायरे में लाया गया था। ई.एफ.पी.एस., 1971 के वे सदस्य, जिन्होंने दिनांक 1-4-1993 से 15-11-1995 के बीच इस योजना की सदस्यता समाप्त कर दी है और वे जीवित हैं, ऐसे सदस्यों के पास ई.पी.एस., 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने का विकल्प था बशर्ते उन्होंने इस योजना का विकल्प चुना हो तथा विदड्रॉल बैनीफिट ब्याज सहित जमा करवा दिया हो।

ई.एफ.पी.एस., 1971/ई.पी.एस., 1995 योजनाएं श्रम

मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय द्वारा शासित होती हैं। भारत सरकार द्वारा ई.एफ.पी.एस., 1971 के उन सदस्यों को ई.पी.एस., 1995 के अंतर्गत पेंशन देने की अंतिम तारीख 1-4-1993 निर्धारित की गई है जिन्होंने अपनी सदस्यता दिनांक 1-4-1993 से समाप्त कर दी है। विसंगति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ई.एफ.पी.एस., 1971/ई.पी.एस., 1995 का एस.ई.एस. बी.एफ. से कोई संबंध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता

772. **श्री अर्जुन सेठी:**
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री बी. विनोद कुमार:
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में प्राप्त सिंचाई परियोजना प्रस्तावों और उन प्रस्तावों की परियोजनावार और राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी;

(ख) ऐसी स्वीकृति हेतु कितने परियोजना प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या उन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है जिनमें वन भूमि शामिल है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ सिंचाई परियोजनाएं ऐसी स्वीकृति प्राप्त किए बगैर कार्यान्वित की गई है अथवा कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश में तत्संबंधी परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान 16 (सोलह) सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें से अब तक 15 (पन्द्रह) परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं। केवल 10,000 हैक्टेयर से अधिक की कल्चरल कमांड क्षेत्र वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए इसमें शामिल वनभूमि को ध्यान में रखे बिना पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित है।

(घ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं (राज्यवार) की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	मंजूरी की तिथि
1	2	3	4
मंजूर परियोजनाएं:			
	आंध्र प्रदेश		
1.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा स्कीम पूर्वी गोदावरी जिले में ताडीपुडी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	16-08-2005	19-10-2005

1	2	3	4
2.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा पुष्कर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	16-08-2005	19-10-2005
3.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा पश्चिम गोदावरी जिले में इंदिरा सागर (पोलावरम) बहुदेशीय परियोजना	10-10-2005	25-10-2005
4.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा वारंगल जिले में जे.चोका राव गोदावरी लिफ्ट सिंचाई परियोजना	09-10-2005	06-12-2005
5.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा प्रकासम जिले में वेलीगोंडा परियोजना	09-01-2006	31-03-2006
6.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा श्रीकाकुलम जिले में स्टेज II का वामसधारा परियोजना चरण II	18-01-2006	21-03-2006
7.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा हन्दरी नीवा सुजाला श्रावन्ति परियोजना	15-02-2006	08-05-2006
8.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा श्रीपद सागर सिंचाई परियोजना	10-02-2006	09-05-2006
9.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी (कालवाकुर्ती) लिफ्ट सिंचाई परियोजना	17-03-2006	09-05-2006
10.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जवाहर (नेतामपादु) लिफ्ट सिंचाई परियोजना	17-03-2006	15-05-2006
11.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा कडाप्पा और चित्तुर जिले में गलीरू नागरी सुजाला श्रावन्ति परियोजना	13-04-2006	21-06-2006
12.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा खम्मान जिले में इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	15-05-2006	19-07-2006
	उड़ीसा		
13.	जल संसाधन विभाग द्वारा नयागढ़ जिला में बरूतंग सिंचाई परियोजना।	22-12-2005	02-06-2006
	पंजाब		
14.	सिंचाई विभाग, पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में आर.डी. 1800 से 510000 की साक्की नहरीकरण/किरन नाला परियोजना	28-07-2005	21-12-2005

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
15.	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा मुरादाबाद जिले एवं जे.पी. नगर में मध्य गंगा नहर परियोजना चरण II	29-12-2005	08-05-2006
लंबित परियोजनाएं			
16.	सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा खम्मान जिले में राजीव सागर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	28-05-2006	–

[हिन्दी]

वन्यजीव संरक्षण हेतु सेना

773. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी:

श्रीमती मेनका गांधी:

श्री अर्जुन सेठी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध शिकार और पशु तस्करी रोकने हेतु सेना के प्रशिक्षित जवानों की तैनाती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को भूतपूर्व सैनिकों को तैनात करने, बाघ रिजर्वों में वन्यजीवों के बचाव के लिए फील्ड स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग का विकास

774. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने भारतीय फिल्म उद्योग के विकास हेतु कतिपय मांगें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा फिल्म उद्योग के विकास को गति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठो गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए फिल्म उद्योग पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। यह ज्ञापन फिल्म क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। इसमें वीडियो चोरी को रोकने, सभी राज्यों में समरूप मनोरंजन कर की वसूली करने, वित्तीय एवं कर संबंधी लाभ, चलचित्र अधिनियम की समीक्षा करने, पॉलिटेक्निक, संस्थानों और फिल्म स्कूलों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने, फिल्म निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने आदि से संबंधित सुझाव अंतर्विष्ट हैं।

(ग) ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन गुणावगुण के आधार पर किया जाता है और उन्हें, यथावश्यकतानुसार संबंधित मंत्रालयों/संगठनों के साथ उठाया जाता है। मनोरंजन क्षेत्र की क्षमता को प्राप्त करने में मदद देने और निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह क्षेत्र देश की आय एवं रोजगार सृजन की दिशा में अपने योगदान में वृद्धि कर सके।

(घ) केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

- संस्थागत निधियन अब फिल्म उद्योग को उपलब्ध है।
- फिल्म क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- सरकार ने विदेश में फिल्म उद्योग की दृश्ता में वृद्धि

करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सहभागिता को प्रोत्साहित किया है।

- विभिन्न देशों में पारस्परिक आधार पर फिल्म सप्ताहों और समारोहों का आयोजन किया जाता है।
- इटली गणराज्य और ब्रिटिश सरकार के साथ श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए वित्त और बाजार के अवसरों का विस्तार करने के लिए अन्य देशों से सदृश प्रस्तावों को प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
- मनोरंजन क्षेत्र के विकास हेतु गठित समिति की सिफारिशों से सभी राज्य सरकारों को अवगत करा दिया गया है।
- इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एकक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्म उद्योग को वित्तीय सहायता एवं अन्य सेवाएं मुहैय्या कराता है।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों को प्रसारण अधिकार

775. **श्री काशीराम राणा:**

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत में किन-किन विदेशी कंपनियों को प्रसारण अधिकारों की अनुमति दी गई है;

(ख) इन कंपनियों पर लगाई गई निबंधन एवं शर्तें अलग-अलग क्या हैं;

(ग) इनमें से उन कंपनियों के नाम भाषा-वार क्या हैं जो भारतीय भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण कर रही हैं;

(घ) प्रतिदिन प्रसारण की अवधि चैनल-वार अलग-अलग कितनी है;

(ङ) क्या कंपनियों द्वारा सरकार को दिए जाने हेतु कोई रायल्टी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (च) दिनांक 11-11-2005 को जारी टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों और दिनांक 2-12-2005 को जारी भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि आवेदक कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत एक कंपनी होना चाहिए। इसलिए विदेशी कंपनियों को अनुमोदन देने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य तेल का आयात

776. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इनका मूल्य कितना था;

(ख) घरेलू उत्पादन पर इन आयातों का कितना प्रभाव पड़ा; और

(ग) आयात मूल्यों की तुलना में तिलहन मूल्यों संबंधी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों/खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन के अनुमान और खाद्य तेलों के आयात निम्नानुसार रहे हैं:-

(मात्रा लाख टन में)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

तेल वर्ष नवम्बर-अक्तूबर	तिलहनों का उत्पादन	सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल घरेलू उपलब्धता	खाद्य तेलों का आयात*	
			मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
2002-2003	148.39	46.64	43.65	8779.64

1	2	3	4	5
2003-2004	251.86	71.40	• 52.90	11683.24
2004-2005	243.54	72.47	45.42	10755.65

*वित्तीय वर्ष

(ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 हेतु संस्तुत तिलहनों के न्यूनतम समर्थन/वसूली मूल्य निम्नानुसार रहे हैं:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिंस	2005-06* (संस्तुत)
रेप्सीड/सरसों	1700
कुसुम	1550
सुरजमुखी के बीज	1500
मूंगफली	1520
सोयाबीन (काला)	900
सोयाबीन (पीला)	1010
तिल (सीसेमम)	1550
नाइजर सीड	1200
कोपरा (मिलिंग)	3570
कोपरा (बॉल)	3820

*विपणन मौसम

इस संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 2005-2006 हेतु की गई अन्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सरकार को खाद्य तेलों के आयात संबंधी अपनी नीति को समीक्षा करनी चाहिए और क्रूड तथा परिष्कृत ताड़ तेल/पामोलीन पर आयात शुल्क में भारी वृद्धि करनी चाहिए ताकि तिलहनों के घरेलू मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर रखा जा सके।

(ii) सरकार को मुक्त व्यापार समझौतों और द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार उदारीकरण समझौते में कृषि जिंसों पर विचार करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और उसके सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए।

[हिन्दी]

स्वर्ण परीक्षण केंद्र

777. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 तक देश के सभी जिलों में स्वर्ण की शुद्धता के परीक्षण हेतु केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इस पर कितना व्यय आने की संभावना है;

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(च) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मानक ब्यूरो की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) हॉल मार्किंग को अनिवार्य बनाए जाने से पहले खासतौर पर कवर न किए गए क्षेत्रों में एसेइंग आधार ढांचे की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए भारत में 2005-07 के दौरान प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किए जाने हेतु 35 अभिनिर्धारित जिलों में सोने की हॉल मार्किंग/एसेइंग केंद्रों की स्थापना की एक स्कीम को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के तहत चुनिंदा उद्यमियों को संयंत्र और उपकरणों की लागत के 15% का एकबारगी वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए होगी।

(च) चूंकि भारत स्वर्ण आभूषणों का एक बड़ा निर्यातक है इसलिए विभिन्न विदेशी आभूषणों के बाजारों में बेहतर छवि और पहुंच के लिए भारतीय स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के प्रत्यायन हेतु बहुमूल्य धातु वस्तुओं के नियंत्रण और विपणन संबंधी कन्वेंशन (वियेना कन्वेंशन 1972) में शामिल होने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति

778. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उचित दर की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु विभिन्न वस्तुओं की पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है जिससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है/उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक श्रेणी के परिवारों की पात्र संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाजों) की नियमित आपूर्ति करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाया जा रहा है। केन्द्र सरकार वसूली, पात्रता के अनुसार आवंटन और प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भंडारण और भारतीय खाद्य निगम के निकटतम प्रमुख वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है जबकि लक्षित लाभार्थियों की पहचान करने, भुगतान करने और भारतीय खाद्य निगम के नामित वितरण केन्द्रों से खाद्यान्नों का उठान करने और इसका प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिए राशन कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिम्मेदार है।

(ग) जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के रैकों की अपेक्षित संख्या की योजना बनाने और उनके प्रेषण का कार्य रैकों और अन्य संभार तंत्र की उपलब्धता की सीमाओं के अंदर रहते हुए इष्टतम व्यवहार्य स्तर तक प्रत्येक उपभोक्ता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रत्येक माह भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके और तीन माह की औसत आवश्यकताओं (उत्तर-पूर्व क्षेत्र के संबंध में 2 माह की आवश्यकता) के समतुल्य स्तर तक स्टॉक बनाया जा सके और उसे मेनटेन किया जा सके। खाद्यान्नों की कमी होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम को परामर्श दिया जाता है कि वह ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए और जब भी अपेक्षित हों, रैक भेजने को प्राथमिकता प्रदान करे तथा रेलवे बोर्ड से भी अनुरोध किया जाता है कि वह आपूर्ति को बढ़ाने और रैक भेजने के लिए उचित उपचारात्मक कार्रवाई करें। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की आपूर्ति को उचित मानीटरिंग सुनिश्चित करें और जहां कहीं कमियां पाई जाए सुधारात्मक कार्रवाई करें।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में कोयले का संकट

779. श्री तूफानी सरोज: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड कोयले की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड/इसकी सहायक कंपनियों में कोयले की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन प्रत्येक इकाई द्वारा अलग-अलग कितनी मात्रा में कोयले की खपत की गई;

(ङ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अन्य देशों से कोयले का आयात कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के संयंत्रों में कोककर कोयले और थर्मल कोल की खपत निम्नानुसार है:-

कोककर कोयला (मिलियन टन)

वर्ष	बोकारो इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	राउरकेला इस्पात संयंत्र	भिलाई इस्पात संयंत्र	इस्को इस्पात संयंत्र	योग
2003-04	4.01	1.90	1.88	3.60	1.15	12.54
2004-05	3.77	1.72	1.81	3.39	1.16	11.85
2005.06	4.40	1.85	1.84	3.90	1.15	13.14

थर्मल कोल (मिलियन टन)

वर्ष	बोकारो इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	राउरकेला इस्पात संयंत्र	भिलाई इस्पात संयंत्र	इस्को इस्पात संयंत्र	योग
2003-04	0.66	0.68	1.34	1.69	0.11	4.48
2004-05	0.74	0.90	1.43	1.69	0.17	4.93
2005-06	0.58	0.83	1.49	1.90	0.15	4.95

(ङ) और (च) सेल आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू.एस.ए., चीन, कनाडा और इंडोनेशिया से कठोर और मृदु कोककर कोयले का आयात कर रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान सेल द्वारा आयात किये गये कोककर कोयले की वर्ष-वार और देश-वार मात्रा निम्नानुसार है:-

कोककर कोयले के आयात का देश-वार ब्यौरा

(मात्राः मिलियन टन)

वर्ष	आस्ट्रेलिया	न्यूजीलैंड	यू.एस.ए.	चीन	कनाडा	इंडोनेशिया	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2003-04	6.89	0.29	–	–	–	–	7.18

1	2	3	4	5	6	7	8
2004-05	7.12	0.25	0.75	0.06	0.05	-	8.23
2005.06	7.48	0.5	1.01	0.25	-	0.1	9.34

[अनुवाद]

मुम्बई के न्हावा शेवा पत्तन पर खड़े तेल पोत

780. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई के न्हावा शेवा पत्तन पर 133 कंटेनरों में लगभग 2385 टन अपशिष्ट तेल जिसमें पोली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स शामिल हैं, पड़ा है और वर्ष 2000 में 209 कंटेनर वहां पहुंच गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में उच्चतम न्यायालय ने इस विशाल विषैले भंडार के भस्मीकरण के आदेश दिए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इस भंडार की केवल लगभग 40 प्रतिशत का ही निपटान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषैले कचरे की आवक को रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) वर्ष 2000 के दौरान जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में 133 कंटेनरों में लगभग 2,383 टन अपशिष्ट तेल पहुंचा था और वर्ष 1992 से 2002 के दौरान पोर्ट में अन्य 209 कंटेनर पहुंचे थे।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 657 में 5 जनवरी, 2005 को न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति के पर्यवेक्षण में भस्मीकरण के द्वारा 133 कंटेनरों से अपशिष्ट तेल को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। 209 कंटेनरों के संबंध में उच्चतम न्यायालय निगरानी समिति ने मामले में आगे निर्देश प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को कंटेनरों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार सभी 133 अपशिष्ट तेलयुक्त कंटेनरों को भस्मीकरण के लिए मैसर्स मुम्बई वेस्ट मैनेजमेंट लिमि., तलोजा को भेजने का कार्य 31-12-2005 से पहले पूरा हो चुका है। मैसर्स मुम्बई वेस्ट मैनेजमेंट लिमि., तलोजा की शोधन, भण्डारण और प्रबंधन सुविधा में अब तक 133 कंटेनरों के 65 प्रतिशत अपशिष्ट तेल को भस्म किया जा चुका है। 209 कंटेनरों के मामले में अगले निर्देशों के लिए मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण

781. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस हेतु राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण, प्रचालन और रखरखाव प्रमुखतः राज्य सरकारों का दायित्व है जोकि उनकी प्राथमिकताओं पर आधारित है। केन्द्र सरकर ने ऐसी अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं, जो निर्माण के अंतिम चरण में हैं तथा जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार अगले चार वित्तीय वर्षों में पूरा किया जा सकता है, के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) प्रारंभ किया। 1-04-2005 से प्रभावी ए.आई.बी.पी. के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार उन पात्र राज्यों को परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए सहायता मुहैया कराने के लिए प्रावधान है जो दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना है। वर्ष 2005-06 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) में शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार संबंधी कार्यक्रम प्रारंभ किया। राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	शामिल किए गए जल निकायों की सं.	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	केन्द्रीय हिस्सा (75%)	कृष्य कमान क्षेत्र (हे. में)	अतिरिक्त क्षमता (हे. में)	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)		
								2004-05	2005-06	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	224	32.84	24.63	20650	6196	2.44	2.7	5.14
		अनंतपुर	37	13.77	10.3275	6322.3	2219.5		7.6625	7.6625
2.	छत्तीसगढ़	कबीरधाम	10	2.236	1.677	1888	740.75		1.1058	1.1058
3.	गुजरात	साबरकांठा	17	6.5512	4.9134	5112	1829		2.654	2.654
		बनासकांठा	25	7.6653	5.748975	5192	2289		3.1	3.1
4.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	13	1.0401	0.780075	1165	815.4		0.312	0.312
5.	जम्मू-कश्मीर	कुपवाड़ा	22	3.0588	2.2941	1174	1019		1.275	1.275
6.	झारखंड	सरायकेला	25	3.14	2.355	1283	1239	0.33	0.649	0.979
		पलामू	52	11.06	8.295	4605.7	4605.7	1.17	0.525	1.695
7.	कर्नाटक	गुलबर्गा	117	35.537	26.65275	21989	8863	4.42	10.13	14.55
		बंगलौर ग्रामीण	182	38.068	28.551	153579.3	78072.7	1	6.95	7.95
8.	केरल	पलाक्काड	10	1.3753	1.031475	544.7	177		0.6	0.6
		पाथनमथीट्टा	13	1.404	1.053	589.89	178.32		0.526	0.526

9.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	5	3.923	2.94225	2920	712		0.70	0.7
		शिवपुरी	65	41.28	30.96	18302	8624		15.00	15
10.	महाराष्ट्र	बीड	32	36.8828	27.6621	12596	8897		13.831	13.831
11.	उड़ीसा	गंजम	68	12.82	9.615	14207	6835	1.14	6.81	7.95
		गजपति	59	6.01	4.5075	9388	4701	0.55	3.19	3.74
12.	राजस्थान	अजमेर	4	4.489	3.36675	3301	558		2.25	2.25
		पाली	1	2.45	1.8375	1461	308		1.5	1.5
13.	तमिलनाडु	शिवगंगाई	8	1.222	0.9165	702.42	153.23		0.458	0.458
		विल्लुपुरम	38	9.372	7.029	4462.9	1178.15		3.5145	3.5145
14.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	15	4.934	3.7005	1698	2028.6	0.74	0.565	1.305
		दक्षिणी-24 परगना	74	18.664	13.998	6221.5	5874	0.21	1.2	1.41
	कुल 14		1116	299.7925	224.8444	299354.7	148113.4	12	87.2078	99.2078

[हिन्दी]

सरसों का उत्पादन

782. श्री वी.के. ठुम्मर:

श्री हरिसिंह चावड़ा:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरसों का उत्पादन इस वर्ष लक्ष्य को पार कर जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर सरसों की खरीद करने हेतु कोई व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों को वैकल्पिक फसल लेने हेतु प्रोत्साहित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, कृषि और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 71.30 लाख टन की लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2005-06 में तोरिया और सरसों का उत्पादन 78.87 लाख टन आकलित किया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए 73.70 लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) रबी 2006 मौसम के दौरान सरकार द्वारा नेफेड के माध्यम से 1715 रु. प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर 20.98 लाख टन सरसों बीज की खरीद की गई।

(ङ) और (च) राज्यों को उनकी पसन्द की फसलों को संवर्धित करने में लचीलापन प्रदान करने और तिलहनी फसलों को आर्थिक रूप से ज्यादा व्यावहार्य बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के तहत प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनीकिटों का वितरण, पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवारनाशी का वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पायराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट का वितरण, स्प्रिंकलर सेटों और जलवाहक पाइपों का वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता दी जाती है ताकि किसानों को तोरिया/सरसों सहित तिलहन को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर सूचना के प्रसार के उद्देश्य से राज्य कृषि विभाग के जरिए ब्लाक प्रदर्शनों और समेकित कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.) प्रदर्शनों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) के जरिए अग्रणी प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

एच.पी.टी./एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी.
स्थापित करना

783. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में एच.पी.टी./एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी. स्थापित करने संबंधी निर्धारित लक्ष्य क्या हैं तथा स्थापित किए गए ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसे प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) दूरदर्शन और आकाशवाणी के संबंध में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित किए जाने के लिए लक्षित ट्रांसमीटरों (उ.श.ट्रां/अ.श.ट्रां/अ.अ.श.ट्रां) की राज्य-वार संख्या तथा इस योजना के दौरान स्थापित ट्रांसमीटरों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I और II दी गई हैं।

(ख) दूरदर्शन और आकाशवाणी के संबंध में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए परिकल्पित ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या तथा अभी तक स्थापित ट्रांसमीटरों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण III और IV में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित ट्रांसमीटरों की संख्या	9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित ट्रांसमीटरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	42	35
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	27
3.	असम	6	5
4.	बिहार	10	8
5.	छत्तीसगढ़	11	10
6.	गोवा	1	1
7.	गुजरात	28	22
8.	हरियाणा	12	10
9.	हिमाचल प्रदेश	22	19
10.	जम्मू-कश्मीर	106	75
11.	झारखंड	11	9
12.	कर्नाटक	30	22
13.	केरल	11	8
14.	मध्य प्रदेश	21	21
15.	महाराष्ट्र	51	40
16.	मणिपुर	4	3
17.	मेघालय	4	2
18.	मिजोरम	4	3
19.	नागालैंड	5	4
20.	उड़ीसा	34	33

1	2	3	4
21.	पांडिचेरी	2	2
22.	पंजाब	5	5
23.	राजस्थान	28	28
24.	सिक्किम	4	2
25.	तमिलनाडु	27	22
26.	त्रिपुरा	7	6
27.	उत्तर प्रदेश	34	32
28.	उत्तरांचल	24	19
29.	पश्चिम बंगाल	15	14
	योग	587	487

विवरण-II

9वीं योजना लक्ष्य और उपलब्धि (मी.वे. और एफ.एम. ट्रांसमीटर)

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	3
2.	अण्डमान एवं निकोबार	1	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	4	4
5.	बिहार	1	1
6.	छत्तीसगढ़	2	2
7.	दिल्ली	2	2
8.	गोवा	0	0
9.	गुजरात	3	3

1	2	3	4
10.	हरियाणा	2	2
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0
12.	जम्मू-कश्मीर	14	11
13.	झारखंड	1	1
14.	कर्नाटक	4	4
15.	केरल	4	4
16.	मध्य प्रदेश	5	5
17.	महाराष्ट्र	2	2
18.	मेघालय	4	4
19.	मिजोरम	3	3
20.	मणिपुर	3	3
21.	नागालैंड	3	3
22.	उड़ीसा	3	3
23.	पंजाब	0	0
24.	राजस्थान	4	4
25.	तमिलनाडु	5	5
26.	त्रिपुरा	1	1
27.	संघ शासित प्रदेश	2	2
28.	उत्तर प्रदेश	5	5
29.	उत्तरांचल	1	1
30.	पश्चिम बंगाल	3	3
31.	सिक्किम	1	1
	योग	86	83

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित ट्रांसमीटरों की संख्या	10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित ट्रांसमीटरों की संख्या
1	2	3	4
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	19	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	10	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
4.	असम	2	1
5.	बिहार	6	5
6.	छत्तीसगढ़	3	2
7.	गुजरात	7	6
8.	हरियाणा	6	4
9.	हिमाचल प्रदेश	5	4
10.	जम्मू-कश्मीर	31	31
11.	झारखंड	2	2
12.	कर्नाटक	9	9
13.	केरल	4	4
14.	लक्ष्यद्वीप	6	–
15.	मध्य प्रदेश	2	–
16.	महाराष्ट्र	13	13
17.	मणिपुर	1	1
18.	मेघालय	2	2
19.	मिजोरम	1	1
20.	नागालैंड	1	1

1	2	3	4
21.	उड़ीसा	1	1
22.	पंजाब	1	–
23.	राजस्थान	5	4
24.	सिक्किम	2	2
25.	तमिलनाडु	9	8
26.	त्रिपुरा	1	1
27.	उत्तर प्रदेश	3	3
28.	उत्तरांचल	5	5
29.	पश्चिम बंगाल	2	1
	योग	160	123

विवरण-IV

10वीं योजना लक्ष्य और उपलब्धि (मी.वे. और एफ.एम. ट्रांसमीटर)

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11	3
2.	अण्डमान एवं निकोबार	1	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	1
4.	असम	6	
5.	बिहार	7	1
6.	छत्तीसगढ़	6	1
7.	दिल्ली	4	
8.	गोवा	0	
9.	गुजरात	6	

1	2	3	4
10.	हरियाणा	3	1
11.	हिमाचल प्रदेश	2	2
12.	जम्मू-कश्मीर	5	4
13.	झारखंड	4	
14.	कर्नाटक	4	3
15.	केरल	3	
16.	मध्य प्रदेश	4	2
17.	महाराष्ट्र	10	2
18.	मेघालय	2	1
19.	मिजोरम	3	
20.	मणिपुर	2	
21.	नागालैंड	6	1
22.	उड़ीसा	7	
23.	पंजाब	3	
24.	राजस्थान	11	1
25.	तमिलनाडु	5	1
26.	त्रिपुरा	4	
27.	संघ शासित क्षेत्र	3	1
28.	उत्तर प्रदेश	9	3
29.	उत्तरांचल	8	
30.	पश्चिम बंगाल	9	1
31.	सिक्किम	1	
	योग	154	30

(i) 30 में से 15 ट्रांसमीटर या तो चालू कर दिए गए हैं या अन्तरिम ढांचे के रूप में तकनीकी रूप से तैयार है।

(ii) इसके अतिरिक्त, 150 में से येराडु (तमिलनाडु) देवगढ (उड़ीसा) और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल) स्थित 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को भी चालू कर दिया गया है।

सरसों की खरीद में अनियमितताएं

784. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-2005 के दौरान नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद करने का निर्देश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु अन्य क्या निदेश जारी किए गए थे;

(ग) क्या किसानों की बजाय व्यापारियों से सरसों की खरीद कर उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने रबी फसल मौसम 2005 के लिए सरसों बीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 1700 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए हैं। सरसों बीज के मूल्य एम.एस.पी. से नीचे गिरने की स्थिति में सरसों बीज के भण्डार की खरीद हेतु मूल्य समर्थन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नेफेड को केन्द्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ग) और (घ) नेफेड द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के अन्तर्गत सरसों की खरीद प्रत्येक उत्पादक राज्य में राज्य स्तरीय सहकारी विपणन समितियों/तिलहन उत्पादक संघों के माध्यम से की जाती है। ये एजेन्सियां यह सुनिश्चित करने के बाद की भण्डार किसानों के ही हैं, चिन्हित केन्द्रों पर किसानों से भण्डार की खरीद करती हैं और किसानों को भुगतान भी करती हैं।

(ङ) रबी 2005 के दौरान सरसों बीज की खरीद में कुछ अनियमितताओं के आरोप संबंधी कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इन शिकायतों के संदर्भ में नेफेड ने बनासकांठा जिले में गुजकोमासोल को हटा दिया और बनासकांठा संघ को कार्य आवंटित किया। इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार के अनुरोध पर नेफेड ने गुजरात राज्य सहकारी कपास संघ को राज्य में सरसों बीज की खरीद के लिए एक अतिरिक्त एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया है।

[अनुवाद]

वायदा वस्तु व्यापार (फ्यूचर कमोडिटी ट्रेडिंग)

785. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री पी. मोहन:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत में कार्यरत वस्तु (कमोडिटी) एक्सचेंजों की संख्या कितनी है और इनमें आवश्यक वस्तुओं सहित अन्य किन वस्तुओं का कारोबार किया जाता है;

(ख) ऑन लाइन/वायदा (फ्यूचर) बाजार में कार्यरत व्यापारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों/म्युचुअल फंडों को कमोडिटी फ्यूचर में निवेश करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या कृषि समुदाय पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर किसी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या फ्यूचर ट्रेडिंग और मूल्य वृद्धि के बीच संबंध का आकलन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) फ्यूचर ट्रेडिंग और इस क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवेश को समुचित ढंग से नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारत में तीन नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजों सहित 24 मान्यता प्राप्त कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज हैं। इस

समय 22 एक्सचेंज प्रचालन में हैं। आवश्यक वस्तुओं सहित एक्सचेंजों में व्यापारित वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ऑनलाइन कमोडिटी फ्यूचर्स मार्किट में व्यापार कर रहे व्यापारियों की औसत संख्या लगभग 7000 है।

(ग) वित्त मंत्रालय से सेबी म्यूचुअल फण्ड रेगुलेशन, 1995 और सेबी विदेशी संस्थागत निवेशक विनियमन, 1995 को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है ताकि म्यूचुअल फण्ड और विदेशी संस्थागत निवेशकों को कमोडिटी डेरिवेटिव मार्किट में भागीदारी करने की अनुमति मिल सके। यह उम्मीद की जाती है कि म्यूचुअल फण्ड और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी से बाजार में वैश्विक मानक, अधिक नकदी आएगी, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्किट में भागीदारी का विस्तार होगा और संस्थागत अनुशासन आएगा।

(घ) कृषक समुदाय पर कमोडिटी फ्यूचर्स मार्किट में विदेशी संस्थागत निवेशकों और म्यूचुअल फण्ड की भागीदारी के संभावित प्रभाव के बारे में अभी तक कोई आंकलन नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) फ्यूचर्स ट्रेडिंग और मूल्य वृद्धि के बीच के संबंधों का आकलन करने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ज) कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग को अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है। अधिनियम के तहत स्थापित बाजार विनियामक वायदा बाजार आयोग कमोडिटी एक्सचेंजों के कार्यकरण पर बारीकी से नजर रख रहा है। वायदा बाजार आयोग ने मार्जिन, खुली स्थिति पर नियंत्रण, दैनिक मूल्य उतार चढ़ाव पर नियंत्रण लगाने आदि जैसे विभिन्न विनियामक उपाय निर्धारित किए हैं ताकि कमोडिटी फ्यूचर्स मार्किट का व्यवस्थित कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

भावी सौदा व्यापार करने वाले मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों की सूची

क्र.सं.	एसोसिएशन का नाम और स्थान	वस्तुएं
1	2	3
1.	इंडिया पेपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कोची	1. काली मिर्च (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) 2. रबड़
2.	द स्पाइस एंड ऑयलसीड्स एक्सचेंज, लि., सांगली	हल्दी
3.	विजय व्यापार चैम्बर लि., मुज्फ्फरनगर	1. गुड़ 2. सरसों
4.	राजधानी ऑयल एंड ऑयलसीड्स एक्सचेंज लि., दिल्ली	1. गुड़ 2. सरसों, उसका तेल और खली
5.	भटिण्डा ओम एंड ऑयल एक्सचेंज लि., भटिण्डा	1. गुड़
6.	दि चैम्बर ऑफ कामर्स, हापुड़	1. गुड़ 2. सरसों
7.	द मेरठ एग्रो कमोडिटीज एक्सचेंज लि., मेरठ	1. गुड़
8.	सेंट्रल इंडिया कामर्शियल एक्सचेंज, ग्वालियर	1. गुड़ 2. सरसों
9.	द बोम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लि., मुंबई	1. एरण्ड के बीज 2. आर.बी.डी. पामोलीन

1	2	3
		3. बिनौला, उसका तेल और खली
		4. मूंगफली, उसका तेल और खली
		5. चावल की भूसी, उसका तेल और खली
		6. कुसुम, उसका तेल और खली
		7. तिल, उसका तेल और खली
10.	राजकोट सीड्स, ऑयल एंड बुलियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, राजकोट	1. एरण्ड
		2. मूंगफली, उसका तेल और खली
		3. बिनौला, उसका तेल और खली
		4. कपास
		5. (आर.बी.डी.) पामोलीन
11.	द अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज लि., अहमदाबाद	1. एरण्ड
		2. बिनौला, उसका तेल और खली
12.	दि ईस्ट इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज लि. मुंबई	1. कच्चा जूट (टी.एस.डी.)
		2. हेसियन (टी.एस.डी. और भावी सौदा)
		3. टाटा (टी.एस.डी. और भावी सौदा)
13.	दि ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन लि., मुंबई	1. कपास
14.	नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर	1. सरसों/रेपसीड, उसका तेल और खली
		2. सोयाबीन, सोया तेल, सोया आहार
		3. आर.बी.डी. पामोलीन
		4. कच्चा पामोलीन
		5. कच्चा पामोलीन तेल
		6. सी.पी.ओ. रिफाइंड
15.	फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., कोची	1. नारियल का तेल, कोपरा और उसकी खली
16.	ई-शुगर इंडिया लि., मुंबई	1. चीनी
17.	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. अहमदाबाद	1. एरण्ड, उसका तेल और खली

1	2	3
		2. रेपसीड/सरसों उसका तेल और खली तथा रेपसीड-42
		3. मूंगफली, उसका तेल और खली
		4. सूरजमुखी के बीज, उसका तेल और खली
		5. तिल, उसका तेल और खली
		6. कोपरा/नारियल, उसका तेल और खली
		7. कुसुम के बीज, उसका तेल और खली
		8. बिनौला उसका तेल और खली
		9. निकेल
		10. एलयुमिनियम
		11. सोयाबीन उसका तेल और खली
		12. वनस्पति
		13. आर.बी.डी. पामोलीन
		14. कच्चा पॉम ऑयल
		15. टाट
		16. चीनी
		17. गुड़
		18. चावल की भूसी का तेल
		19. रबड़ तथा रबड़ (टी+2)
		20. तांबा
		21. जस्ता
		22. सीसा
		23. टिन
		24. अलसी, उसका तेल और खली
		25. काली मिर्च तथा काली मिर्च (टी+2)
		26. ग्वार के बीच

1	2	3
		27. चना
		28. सोना और किलो सोना, सोना मिनी
		29. चांदी
		30. गेहूं
		31. चावल
		32. तुर
		33. उड़द
		34. मूंग
		35. मसूर
		36. इलाइची
		37. कच्चा जूट
		38. ग्वार का गोंद
		39. मेंथाल
		40. काफी (अराबिका, रोबस्ता)
18.	सुरेन्द्रनगर कॉटन ऑयल एंड ऑयलसीड्स एसोसिएशन लि., सुरेन्द्रनगर	1. कपास 2. रूई, 3. बिनौला
19.	ई-कमोडिटीज लि., नई दिल्ली	1. चीनी * (व्यापार अभी शुरू किया जाना है)
20.	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. मुंबई*	1. अरण्ड और अरण्ड-5 टी व दिशा
		2. सोना, मिनी गोल्ड और एच.एन.आई.
		3. चांदी, मिनी सिल्वर तथा एच.एन.आई.
		4. रबड़
		5. काली मिर्च
		6. कपास
		7. कपास खली
		8. स्टील (लम्बा और चपटा और जी बी.एन.)
		9. आर.बी.डी. पामोलीन

1	2	3
		10. कच्चा पाम ऑयल
		11. मूंगफली का तेल (एक्सपैलर)
		12. अरण्ड का तेल (एफ.एस.जी.)
		13. सोया के बीज
		14. सोया तेल (रिफाइंड)
		15. सोया आहार
		16. ग्वार, ग्वार बी.एन.डी.
		17. ग्वार का गोंद, ग्वार गोंद बी.एन.डी.
		18. टिन
		19. निक्कल
		20. तांबा
		21. चना
		22. उड़द
		23. मूंग छिलका
		24. तूर
		25. बर्मा की चिक मटर
		26. पीली मटर
		27. हरी मटर
		28. आस्ट्रेलियाई मटर
		29. रेपसीड/सरसों, जे.पी.आर.
		30. रेपसीड तेल/सरसों का तेल
		31. कपास (लम्बे, छोटे और मध्यम रेशे)
		32. चावल, बासमती चावल, सरबती चावल
		33. गेहूं
		34. मक्का

1	2	3
		35. मसूर
		36. लाल मिर्च
		37. गुड़
		38. सी.पी.ओ.
		39. अलसी
		40. मूंगफली की गरी/दाना
		41. चावल की भूसी का तेल
		42. चावल की भूसी का डाक
		43. सूरजमुखी के बीज
		44. सूरजमुखी का रिफाइण्ड तेल
		45. काजू गरी करनेल
		46. चीनी (छोटी और मझोली)
		47. बिनौला
		48. बिनौले का तेल
		49. बिनौले की खली
		50. इलाइची
		51. कच्चा जूट
		52. कच्ची बोरी (हेसियन)
		53. हल्दी
		54. जीरा
		55. लाख के बीज
		56. मेंथाल का तेल
		57. सुपारी
		58. कच्चा तेल और ब्रेंट कच्चा तेल
		59. तिल का तेल

1	2	3
		60. आलू
		61. कोपरा
		62. नारियल की खली
		63. जौ
		64. अल्यूमिनियम
		65. पोलिमर (प्रोपलीन और उच्च घनत्व पोलीथिलीन)
		66. चाय
		67. लौह (स्पौज)
		68. फरनेस तेल
		69. काफी (अरेबिका और रोबुस्टा)
		70. नारियल का तेल
		71. सूती धागा
		72. जूट (टाट)
		73. मिडल ईस्ट साबर आयल
21.	नैशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज लि., मुंबई"	1. शुद्ध सोना, किलो और सोना
		2. शुद्ध चांदी, मेगा और चांदी
		3. सोयाबीन
		4. रिफाइंड सोया तेल
		5. सोया आहार, पीला सोया आहार
		6. रैपसीड/सरसों और उसका तेल
		7. कच्चा पॉम ऑयल
		8. आर.बी.डी. पामोलीन
		9. रूई - ज-34 (एम.एस.) और एस-06 (एल.एस.)
		10. जूट की टाट
		11. रबड़
		12. काली मिर्च

1	2	3
		13. चना
		14. ग्वार
		15. गेहूं और मानक मिल गेहूं
		16. एरंड
		17. कच्चा जूट
		18. ग्वार का गोंद
		19. पीली मटर
		20. उड़द
		21. चीनी एम एंड एस व कोल
		22. हल्दी
		23. चावल ग्रेड-ए कच्चा चावल और सेला चावल, कामन राइस व सेला चावल
		24. मक्का (पीला और लाल)
		25. गुड़
		26. कच्चा सिल्क
		27. कच्चा रेशम
		28. जीरा
		29. मिर्च
		30. काजू
		31. स्टील (नरम)
		32. बिनौले की खली
		33. तिल (सफेद)
		34. कॉफी - अरेबिका और रोबस्टा
		35. तुर - नींबू और महाराष्ट्र लाल
		36. तांबा और तांबा कैथोड
		37. मेंथा का तेल

1	2	3
		38. फरनेस ऑयल
		39. कच्चा ब्रेंट ऑयल
		40. कपास
		41. मसूर
		42. पीली/लाल मक्का
22.	हरियाणा कमोडिटीज लि., हिसार	1. सरसों
		2. सरसों का तेल
		3. सरसों की खली
23.	बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लि., बीकानेर	1. रैपसीड/सरसों, उसका तेल और खली
		2. चना
		3. ग्वार
		4. ग्वार की गोंद
24.	बुलियन एसोसिएशन, जयपुर	1. सरसों
		2. सरसों का तेल
		3. सरसों की खली

*(2005-06 में आगे कोई व्यापार नहीं)

[हिन्दी]

जटरोफा का उत्पादन

786. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बायो-डीजल के लिए जटरोफा की खेती के लिए गहन अभियान योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या जटरोफा के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की व्यवस्था करने के लिए कोई अनुसंधान कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है एवं इसके अंतर्गत कौन से परियोजना कार्य/अनुसंधान किए जाते हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2001-2002 में योजना आयोग में बायो-ईंधन के विकास हेतु स्थापित समिति की सिफारिशों के आधार पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) को प्रस्तावित राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लगभग 1286 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रस्तावित मिशन के लिए प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की जांच योजना आयोग द्वारा की गई और दिसम्बर 2005 में 'सिद्धान्ततः' स्वीकृति दे दी गई है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय बायो डीजल मिशन दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना है अर्थात् प्रदर्शन परियोजना के रूप में चरण-I और बायो-डीजल कार्यक्रम के स्वपोषी विस्तार के रूप में चरण-2।

प्रदर्शन चरण के अन्तर्गत वन और गैर-वन क्षेत्रों (2 लाख हैक्टेयर गैर-वन भूमि और 2 लाख हैक्टेयर वन भूमि) में विशेषकर बंजरभूमि में जैट्रोफा करकस की खेती का संवर्धन 5 वर्ष की अवधि में किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, कृषि मंत्रालय 10वीं योजना के दौरान जैट्रोफा सहित वृक्षीय तिलहनों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड के माध्यम से "वृक्षीय तिलहनों के समेकित विकास" की एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग) नोवोड बोर्ड ने वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के 32 आर एण्ड डी संस्थानों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करके जैट्रोफा पर एक राष्ट्रीय नेटवर्क शुरू किया है ताकि विभिन्न अनुसंधान योग्य मुद्दों की ओर ध्यान दिया जा सके।

राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत जैट्रोफा पर आर एण्ड डी कार्यक्रम चल रहे हैं। जैट्रोफा पर आर एण्ड डी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान निष्कर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जैट्रोफा पर आर एण्ड डी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान निष्कर्षों का ब्यौरा

1. श्रेष्ठ रोपण सामग्री (बीज और कलम) का सर्वेक्षण और संग्रहण:

उत्कृष्ट विशेषताओं के आधार पर जैट्रोफा की लगभग 1758 श्रेष्ठ रोपण सामग्री/बीज स्रोतों का चिन्हीकरण किया गया है।

2. श्रेष्ठ रोपण सामग्री का संतति परीक्षण:

विभिन्न श्रेष्ठ रोपण सामग्री का संतति परीक्षण किया जा रहा है ताकि बेहतर वृद्धि और स्थिरता के लिए विशिष्ट स्थानों में इसकी अनुकूलनीयता का मूल्यांकन किया जा सके।

3. [illegible]

तेल की मात्रा के लिए लगभग 513 बीज नमूनों का विश्लेषण किया गया है और एन.बी.पी.जी.आर. में 385 नमूने संग्रहित किए गए हैं।

4. कृषि-वनवर्धन परीक्षण:

कृषि वनवर्धन परीक्षण अन्तर-फसलों विशेषकर फलियों और दलहनों के साथ आयोजित किया जा रहा है। इन परीक्षणों से अन्तर-फसलों और जैट्रोफा की वृद्धि के प्रोत्साहक परिणाम मिले हैं।

5. जैट्रोफा करकास में संकर ओज बनाया जाना:

अधिक तेल की मात्रा, अधिक उपज, अधिक सूखा सह्य विशेषता, कीट-कृमि और रोग प्रतिरोधी आदि विशेषताओं वाली जैट्रोफा की उन्नत किस्में विभिन्न राज्यों में चिन्हित की गई हैं।

6. टिश्यू कल्चर:

जैट्रोफा के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल को विकसित करने में आंशिक सफलता प्राप्त हुई है।

7. बीज व्यवहार्यता:

जैट्रोफा की बीज व्यवहार्यता एक वर्ष तक सुनिश्चित की गई है और बुआई का सर्वोत्तम समय फरवरी से मार्च है।

[अनुवाद]

अमृतसर में आकाशवाणी और दूरदर्शन टावर

787. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसारण सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए अमृतसर हेतु बहुत पहले 1000 फीट ऊंचे आकाशवाणी और दूरदर्शन टावर को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टावर के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) जी, हां। अमृतसर में 300 मी. ऊंचे टावर के निर्माण में देरी का कारण भूमि की अनुपलब्धता है। निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। अमृतसर में दूरदर्शन कॉम्प्लेक्स में एक 20 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर की योजना बनायी गयी है और ट्रांसमीटर के एंटीना को दूरदर्शन के टावर पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

सूखाप्रवण क्षेत्रों में मृदा उर्वरता

788. [illegible]: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी क्षेत्र में बार-बार पड़ने वाला सूखा मृदा की उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिससे अंततः उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में मृदा उर्वरता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में देश के सूखाप्रवण क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु के लिए कोई विशेष योजना आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सामान्यतया, सूखा पड़ने पर अल्पावधि में मृदा उर्वरता के घटने पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। तथापि, किसी क्षेत्र में बार-बार सूखा पड़ने से मृदा उर्वरता पर (i) घटे हुए बायो-मास उत्पादन, (ii) जैव पदार्थ के शीघ्र विघटन, (iii) राइजोस्फीयर में खराब बायो-कार्यकलाप और (iv) मृदा संरचना के अपकर्षण तथा जल अवधारण क्षमता आदि के जरिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) केन्द्रीय बारानी खेती, अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.डी.ए.), हैदराबाद और अखिल भारत बारानी खेती समन्वित, अनुसंधान परियोजना (ए.आई.सी.आर.पी.डी.ए.) के 25 कार्यालयों का नेटवर्क राज्य सरकारों को विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सूखे के दौरान मृदा उर्वरता प्रबन्धन करने के संबंध में प्रशिक्षण, एक्सपोजर और दौरों के माध्यम से तकनीकी समर्थन प्रदान करता है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आर.आई.एन.एल. को लघु नवरत्न का दर्जा

789. श्री बी. विनोद कुमार: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.)' को 'लघु नवरत्न का दर्जा' प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आर.आई.एन.एल. के लिए संरक्षित खानें मंजूर करने का है ताकि कच्चे माल की उपलब्धता के मामले में इसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 20-7-2006 को राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.) को "मिनी रत्न कैटेगरी I पी.एस.ई." का दर्जा प्रदान किया है, क्योंकि इसने 3 वर्ष से अधिक समय तक लगातार लाभ अर्जित करने की अपेक्षा पूरी की है। कंपनी का कर-पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए से अधिक रहा है और कंपनी का निवल मूल्य भी धनात्मक रहा है। आर.आई.एन.एल. ने तीन गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी शर्त भी पूरी की है और यह बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं है तथा इसने सरकार को ऋणों/ऋणों पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। अतः निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आर.आई.एन.एल. को बढ़ी हुई प्रदत्त वित्तीय तथा प्रचालनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) हालांकि इस समय आर.आई.एन.एल. को लौह अयस्क तथा कोयले की निजी खानें मंजूर नहीं की गई हैं, तथापि, आर.आई.एन.एल. को लौह अयस्क तथा कोयले की निजी खानें मंजूर किए जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसे कच्चे माल की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना

790. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा 75 प्रतिशत निधिपोषित 1,189.99 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के उद्देश्य और इसकी कार्य-प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि परियोजना के लाभ किसानों तक पहुंच सकें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.), कृषि उत्पाद की उत्पादकता, लाभप्रदता और गुणवत्ता बढ़ाने,

किसानों की आय बढ़ाने एवं देश में अलाभकारी क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण समुदाय की जीविका को सुधारने संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए बनायी गयी है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना का सम्पूर्ण उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आय सृजन के लिए भारतीय कृषि में स्थायी परिवर्तन और तेजी लाने में सुविधा प्रदान करना है। परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् (i) भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एन.ए.आर.एस.) में बेहतर प्रबन्धन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्प्रेरक एजेन्ट के रूप में; (ii) उत्पादन से उपभोग प्रणाली में अनुसंधान; (iii) स्थाई ग्रामीण जीविका सुरक्षा पर अनुसंधान तथा (iv) कृषि विज्ञानों के अग्रणी क्षेत्रों में मूल तथा नीतिगत अनुसंधान। परियोजना के विभिन्न घटकों को सार्वजनिक अनुसंधान संस्थाओं, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा अन्य स्टेकहोल्डर के बड़े नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

इस परियोजना को 1 जुलाई, 2006 से मंजूरी दी गई है तथा इसके पूरे होने की अवधि 6 वर्ष है। परियोजना की कुल लागत 250 मिलियन अमेरिकी डालर है जिनमें से विश्व बैंक का ऋण के रूप में अंश 200 मिलियन अमेरिकी डालर होगा तथा भारत सरकार का अंश 50 मिलियन अमेरिकी डालर होगा। परियोजना की लागत प्रचलित विनिमय दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में 1189.99 करोड़ रुपये के बराबर होगी।

इस परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी परियोजना कार्यान्वयन एकक (पी.आई.यू.) के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना का कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर सहभागिता तथा विकेन्द्रीकरण द्वारा होगा जिसमें एन.ए.आर.एस. के ग्राहक तथा स्टेकहोल्डरों तथा अन्य संबद्ध मंत्रालय/विभाग, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, किसान संगठन आदि शामिल हैं।

(ग) उठाए गए कदमों में परियोजना नीति बनाने में किसानों की भागीदारी, परियोजना गठन और मानीटरिंग निकाय तथा मैकेनिज्म, परिष्करण हेतु प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और अंत में लाभों के प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

अनुबंध आधार पर श्रमिक

791. श्री रामजीलाल सुमन:

डा. चिन्ता मोहन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिसदस्यीय निवेश पैनल की अनुशंसाओं की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह अनुशंसा की गई है कि देश में अनुबंध आधार पर श्रमिकों को नियोजित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में अनुबंध आधार पर किया गया कार्य नियमित आधार पर किए गए कार्य से कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक स्थिति क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 में उल्लिखित कतिपय मानकों के मद्देनजर, जहां कहीं संभव और व्यावहारिक हो, ठेका श्रम प्रणाली का उन्मूलन करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य जहां उन्मूलन संभव न हो वहां ठेका श्रम की सेवा शर्तों को विनियमित करना है। अतः कोई भी प्रतिष्ठान, किसी भी गतिविधि के लिए, जिसे "उपयुक्त सरकार" द्वारा प्रतिबंधित न किया हो, ठेका श्रमिकों को नियोजित करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) ठेका श्रम की मजदूरी दरों, कार्य के घंटों, अवकाश और सेवा शर्तों को ठेकेदारों को ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 के नियम 25 के अंतर्गत जारी लाइसेंस की सेवा शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(घ) नियमित कर्मकार की तुलना में ठेका श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है।

नए दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना

792. श्री गिरिधारी यादव:

श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ नए दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना करने और साथ ही कुछ विद्यमान दूरदर्शन केंद्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र की प्रगति रिपोर्ट क्या है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) जी, हां। नए दूरदर्शन केन्द्रों संबंधी परियोजनाओं और मौजूदा दूरदर्शन केन्द्रों के संवर्धन के संबंध में अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इन परियोजनाओं की प्रगति सामान्यतः संतोषजनक है।

विवरण

टीवी केन्द्र परियोजनाएं	स्थिति
नए टीवी केन्द्र	
1. स्टूडियो, राजौरी	तकनीकी रूप से तैयार।
2. स्टूडियो, कालीकट	तकनीकी रूप से तैयार
3. स्टूडियो, तिरुपति	भवन का अधिग्रहण कर लिया गया। भवन संबंधी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। लक्षित तारीख: 2006-09.
मौजूदा टीवी केन्द्रों का संवर्धन	
1. स्टूडियो, गोरखपुर, (स्थायी ढांचा)	भवन का तकनीकी क्षेत्र पूरा कर लिया गया। विभागीय कार्य प्रारंभ किया गया। लक्षित तारीख: 2006-07
2. स्टूडियो, देहरादून (स्थायी ढांचा)	भूमि का अधिगृहण कर लिया गया। भवन संबंधी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन को मंजूरी दी जा रही है। लक्षित तारीख: 2008-09
3. स्टूडियो, लेह (स्थायी ढांचा)	भवन निर्माण का कार्य सौंपा गया। लक्षित तारीख: 2008-09
4. स्टूडियो, चण्डीगढ़ (अतिरिक्त स्टूडियो)	भवन संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया गया। निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है। लक्षित तारीख: 2008-09
5. स्टूडियो, पणजी (अतिरिक्त स्टूडियो)	भवन संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया गया। निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन को मंजूरी दे दी गई। लक्षित तारीख: 2008-09
6. स्टूडियो, जम्मू (अतिरिक्त स्टूडियो)	भवन संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया गया। भवन निर्माण के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन को मंजूरी दे दी गई। लक्षित तारीख: 2008-09
7. स्टूडियो, श्रीनगर (संवर्धन)	भवन संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया गया। भवन निर्माण के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन को मंजूरी दे दी गई। लक्षित तारीख: 2008-09
8. स्टूडियो, पोर्टब्लेयर (संवर्धन)	स्कीम को हाल ही में अनुमोदित किया गया। वित्तीय संस्वीकृति जारी की गई। भवन संबंधी योजना तैयार की जा रही है। लक्षित तारीख: 2007-08

कृषि विस्तार के लिए जनसंचार माध्यम

793. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विस्तार के लिए जनसंचार माध्यम के समर्थन की योजना सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए कृषि मेलों एवं प्रदर्शनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन राज्यवार नहीं करता है। तथापि, वर्ष 2005-06 में विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा स्वयं या किसी संगठन के साथ मिलकर आयोजित किए गए कृषि मेलों और प्रदर्शनियों की एक राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम पर संक्षिप्त नोट 'कृषि विस्तार को जन संचार समर्थन'

1. केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम "कृषि विस्तार को जन संचार समर्थन" को दसवीं योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो की विद्यमान अवसंरचना का प्रयोग करते हुए देश में कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना है।

दूरदर्शन के कार्यक्रम:-

2. स्कीम के तहत दूरदर्शन के 180 उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों/कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों द्वारा सप्ताह में पांच दिन आधे घंटे का कार्यक्रम प्रसारण कर रहे हैं और पांच ट्रांसमीटर औसतन उसी कार्यक्रम को शेयर करते हैं।

3. दूरदर्शन के 18 क्षेत्रीय केन्द्रों के जरिए दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के साथ-साथ सप्ताह में पांच दिन 30 मिनट का क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगले दिन दूरदर्शन के संबंधित क्षेत्रीय उपग्रह चैनलों के जरिए इन कार्यक्रमों को दोहराया जाता है।

4. इसके अलावा, सुबह में डी.डी. राष्ट्रीय चैनल पर सप्ताह में 6 दिन 30 मिनट का राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है।

आल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम:-

5. आल इंडिया रेडियो के 96 ग्रामीण क्षेत्र के एफ.एम. स्टेशनों से रोज आधे घंटे का सप्ताह में 6 दिन, किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है और प्रत्येक स्टेशन एक पृथक् कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

6. क्षेत्रीय/नैरोकास्टिंग डीडी केन्द्रों एवं एफ.एम. किसान वाणी स्टेशनों की सूची नीचे दी गई है।

क्र. सं.	राज्य के नाम	नैरोकास्टिंग स्टेशन के नाम — कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र	नैरोकास्टिंग स्टेशन के नाम — नैरोकास्टिंग ट्रांसमीटर	एफ.एम. किसानवाणी स्टेशनों के नाम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा (एन)	विजयवाडा मछलीपटम, नैलोर ओनगोल कवाली	तिरुपति
		हैदराबाद (एन. व आर.के.)	अमलापुरम, भीमावरम काकीनाडा, तुनी, राजामुंदरी (एच.पी.टी.) भीमाडोलू	वारंगल अनंतपुर

1	2	3	4	5
				कोठागोदाम
				कुरनूल
				मरकपुरम
				निजामाबाद
2.	अरुणाचल प्रदेश			इटानगर
3.	असम	डिबरुगढ़ (एन)	तिनसुकिया, मरघेरेटिया जोरहाट, सोनारी, नजीरा डिबरुगढ़	जोरहाट
		गोहाटी (आर.के.)		दुबरी
				हाफलॉग
				नागोना
4.	बिहार	मुजफ्फरपुर (एन)	दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा मुजफ्फरपुर	पूर्निया
		पटना (आर.के.)		ससाराम
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर (एन. व आर.के.)	बिलासपुर, चम्पा, शक्ति कोबरा, डुंगरगढ़, रायपुर	बिलासपुर
		जगदलपुर (एन)	जगदलपुर (एच.पी.टी.) दंतेवाडा, नारायणपुर कोन्ता, कांकर	रायगढ़
6.	गुजरात	राजकोट (एन)	जूनागढ़, धोराजी मंगरोल, वेरावल, बंटवा, राजकोट (एच.पी.टी.)	गोधरा सूरत
		अहमदाबाद (आर.के.)		
7.	हरियाणा	हिसार (एन)	हिसार, चरखी दादरी, मंडी डबवाली, सिरसा करनाल, यमुनानगर	हिसार कुरुक्षेत्र
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला (आर.के.)		धर्मशाला
				हमीरपुर
				कुल्लू
				कसौली
9.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू (एन)	जम्मू, कठुआ, साम्बा, पुंछ, उधमपुर, राजौरी	कठुआ

1	2	3	4	5
		श्रीनगर (आर.के.)		राजौरी
				भदरवाहा
				पुंछ
				जम्मू
10.	झारखंड	डाल्टनगंज (एन)	लोहरदगा, गुमला, डाल्टनगंज, देवघर, चाइबासा, कोडरमा, हजारीबाग, रांची गोड्डा	डाल्टनगंज
		रांची (एन. एंड आर.के.)		चाइबासा
				हजारीबाग
11.	कर्नाटक	गुलबर्गा (एन)	बिदर, बासवाकल्याण, इन्दी, रायचुर (एच.पी.टी.), बिजापुर, स्टैंड - बाई बगलकोट	बंगलौर
		बंगलौर (एन. एंड आर.के.)	बेल्लारी, होस्पेट, सिंधुनुर, सुम्पुर, मुन्दारगी	मैसूर
				बिजापुर
				हासन
				होस्पेट
				चित्रादुर्गा
				रायचूर
				करवार
				मेरकरा
12.	केरल	त्रिज्जूर (एन)	पालाकड्ड, त्रिज्जूर, शोरनुर, मंजेरी, कालपट्टा, इडुकी	कोचीन
		तिरुवनंतपुरम (आर.के.)		इडुकी (देवीकुलम)
				कैन्नौर
13.	मध्य प्रदेश	इन्दौर (एन)	उज्जैन, खारगोन, रतलाम, खांडवा, बरवानी	बालाघाट
				बेतुल
				छिंदवाड़ा
		ग्वालियर (एन)	भिंड, भंडेर, दतिया, केलारस	गुना
		भोपाल (आर.के.)		खंडवा

1	2	3	4	5
				सागर
				सेहडोल
14.	महाराष्ट्र	नागपुर (एन)	अकोला, अमरावती, खामगांव, अकोट, अचलपुर/परातवाड़ा	अहमदनगर
		पुणे (एन)	पुणे, कराड, कोल्हापुर, सांगली, मनगांव	अकोला
		मुंबई (आर.के.)		चंद्रपुर
				धुले
				कोल्हापुर
				नांदेड
				नासिक
				सतारा
				यवतमाल
				बीड
				उस्मानाबाद
15.	मणिपुर	इंफाल (एन)	इंफाल, चुरचन्दपुर (एच.पी.टी.), उखरूल	
16.	मेघालय	शिलांग (एन)	शिलांग, ज्वाई, चेरापूंजी, नांग्स्टोहन	ज्वाई
17.	मिजोरम	आइजोल (एन)	आइजोल, लांगतलाल, लुंगलेई	लुंगलेई
18.	नागालैण्ड			मोकोकचुंग
19.	उड़ीसा	सम्बलपुर (एन)	सम्बलपुर, [illegible]कोट, कुचींडा, सुन्दरगढ	पुरी
		भुवनेश्वर (आर.के.)		राउरकेला
		भवानी पटना (एन)	भवानीपटना, बोलंगीर, नवरंगपुर, खेरियार, जैपोर, नौपारा	बोलंगीर
				बेहरामपुर
20.	पंजाब	जालंधर (एन. एंड आर.के.)	गुरूदासपुर, जालंधर, पठानकोट, फिरोजपुर, भटिंडा (एच.पी.टी.), फाजिल्का	पटियाला
				भटिंडा

1	2	3	4	5
21.	राजस्थान	जयपुर (आर.के.)		जैसलमेर
				अलवर
				बांसवाड़ा
				चित्तौड़गढ़
				चुरू
				झालावार
				माउंट आबू
				नागौर
				स्वाई माधोपुर
22.	सिक्किम	गंगटोक (एन)	गंगटोक	
23.	तमिलनाडु	चेन्नई (एम. एंड आर.के.)	कोयंबटूर, पोलाची, उदुमालपेट, पालानी, इरोड, येरककोड	नागरकोइल
24.	त्रिपुरा	अगरतला (एन)	अगरतला, टेलामुरा, कैलाशहर, अमरपुर, जोलाईबारी	कैलाशहर
				बेलोनिया
25.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी (एन)	ओबरा, अकबरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी	
		मऊ (एन)	मऊ, मोहम्मदाबाद, बलिया, सिकंदरपुर, देवरिया, अकबरपुर, दुधीनगर	अलीगढ़
		इलाहाबाद (एन)	बांदा, रायबरेली, फतेहपुर, गौरीगंज, लालगंज (रायबरेली)	झांसी
		लखनऊ (आर.के.)		फैजाबाद
		बरेली (एन)	बरेली, रामपुर, पीलीभीत, पुरनपुर अथडामा, नौगढ़, बस्ती, फैजाबाद, बलरामपुर	बरेली
		गोरखपुर (एन)		ओबरा
26.	उत्तरांचल	देहरादून (एन)	मसूरी, काशीपुर, नैनीताल, कोटद्वार, पौड़ी, हल्द्वानी	मसूरी
27.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी (एन)	कुर्सस्यांग, बालूरघाट, माल्दा, अलीपुरदुआर, कूचविहार	आसनसोल

1	2	3	4	5
		कोलकाता (आर.के.)		मुर्शिदाबाद
		शान्ति निकेतन (एन)	शान्ति निकेतन (एच.पी.टी.), आसनसोल (एच.पी.टी.), बेरहामपुर (एच.पी.टी.) बर्दवान, कैना, रैना	शान्ति निकेतन
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर (एन)		पोर्ट ब्लेयर
29.	दमण व दीव			दमण
30.	पांडिचेरी			कराइकल

(एन=नैरोकास्टींग स्टेशन: आर.के.=क्षेत्रीय केन्द्र)

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा स्वयं या किसी संगठन के साथ मिलकर आयोजित किए गए प्रदर्शनियों/मेलों की सूची

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेले का नाम	तारीख
1.	मोतीहारी (बिहार) में किसान मेला	11-13 अप्रैल, 2005
2.	महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय, परभानी (महाराष्ट्र) द्वारा आयोजित कृषि प्रदर्शनी	18-24 मई, 2005
3.	कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में दक्षिणी क्षेत्र का कृषि मेला	11-16 अगस्त, 2005
4.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कृषि पवेलियन, 2005, प्रगति मैदान, नई दिल्ली	14-27 नवम्बर, 2005
5.	झबुआ (म.प्र.) में किसान मेला	30 जनवरी से 1 फरवरी, 2006 तक
6.	पूर्व क्षेत्र का कृषि मेला, नादिया (प.बं.)	30 जनवरी से 2 फरवरी, 2006 तक
7.	पश्चिम क्षेत्र का कृषि मेला, रायपुर (छत्तीसगढ़)	14-17 फरवरी, 2006
8.	कृषि एक्सपो, 2006, प्रगति मैदान, नई दिल्ली	8-12 मार्च, 2006
9.	उत्तर क्षेत्र का कृषि मेला, जम्मू (ज. व क.)	11-13 मार्च, 2006
10.	पूर्वोत्तर कृषि एक्सपो, 2006 धीमापुर (नागालैंड)	27-31 मार्च, 2006

आई.सी.ए.आर. के अन्तर्गत अनुसंधान कार्य

794. श्री एम. अंजनकुमार यादव:

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अनुसंधान केन्द्रों ने गेहूं और चावल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किसान किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान सुधार परियोजनाओं (गेहूं और चावल) के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अनुसंधान संस्थान/निदेशालय गेहूं और चावल की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के अनुसंधान कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न उत्पादन स्थितियों के लिए उपयुक्त उच्च पैदावार वाली किस्मों और संकरों को विकसित करना शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों में अधिक पैदावार और गुणवत्ता वाली गेहूं और चावल की अनेक किस्में विकसित की गई हैं। इनमें से विशेष रूप से गुणवत्ता के लिए हैं : चावल (पूसा सुगंध-2, पूसा सुगंध-3, पूसा सुगंध-5, सुरूचि (संकर), पूसा-1121, सुगंधमती, वसुमति, यामिनी, पंत सुगंध धान-15, पंत सुगंध धान-17 और अन्य।

विभिन्न गेहूं उत्पादों जैसे चपाती के लिए गेहूं की उत्कृष्ट किस्मों की पहचान की गई, जिसमें : (सी-306, राज-3765, पी.बी.डब्ल्यू.-226, यू.पी.-262, एन.डब्ल्यू.-1014, लोक-1, सुजाता एच.आई.-1500, एच.डी.-2833, आदि), ब्रेड : (एच.डी.-2733, पी.बी.डब्ल्यू.-396, एन.आई.-5439 आदि), पास्ता : (पी.डी.डब्ल्यू.-233, डब्ल्यू.एच.-896, एच.आई. 8498, एम.ए.सी.एस.-2846 आदि) सम्मिलित हैं।

संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृषि लागत को कम करने के भी प्रयास किए गए हैं। कम लागत पर पारम्परिक जुताई की तुलना में शून्य जुताई से गेहूं की उतनी ही या उससे अधिक पैदावार मिलती है। क्यारी रोपाई संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी है जिससे पानी की 20-30 प्रतिशत और लगभग 25 प्रतिशत बीज की तथा नाइट्रोजनिक उर्वरकों की बचत होती है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की मांग के अनुसार प्रजनक बीज का उत्पादन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अधिदेशित है। इन मांगों को न केवल पूर्ण रूप से पूरा किया गया है, बल्कि अनेक मामलों में प्रजनक बीज का अधिक मात्रा में उत्पादन किया गया है। वर्ष 2002-2004 की अवधि के दौरान गेहूं की प्रजनक बीज का कुल 34828.78 क्विंटल उत्पादन किया गया, जबकि धान के मामले में प्रजनक बीज का 5855.79 क्विंटल उत्पादन हुआ। इन प्रजनक बीजों के उत्पादन का मतलब है किसानों द्वारा उपयोग के लिए फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों का उत्पादन।

[अनुवाद]

सबरीमाला परियोजना का दूसरा चरण

795. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरुवतमकुर देवास्वम बोर्ड द्वारा सबरीमाला मास्टर प्लान के दूसरे चरण के अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को केरल राज्य सरकार से सबरीमाला मास्टर योजना के चरण-II के लिए वन भूमि के वनेतर प्रयोग का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक की अपर तुंगा परियोजना

796. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक की अपर तुंगा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अभी तक इस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) कर्नाटक की ऊपरी तुंगा परियोजना पर जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने 7 फरवरी, 2003 को आयोजित

अपनी 80वीं बैठक में विचार-विमर्श किया और कुछ टिप्पणियों के अधीन इसे स्वीकार्य पाया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना को मई, 2005 में स्वीकृति दी। इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि क्रेस्ट गेटों को लगाने सहित बांध के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है और नहर संबंधी कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में चल रहा है। जून, 2006 तक परियोजना पर हुआ कुल व्यय 626.1309 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है।

दवा कंपनियां

797. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दवा कंपनियों को दवाओं के विनिर्माण में आंकड़ा अनन्यता की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दवाओं के एकस्वीकरण, औषधियों के मूल्य निर्धारण और अनुसंधान पर इस प्रक्रिया के चयन से क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) फार्मा कंपनियों को आंकड़ा संरक्षण प्रदान करने के मामले पर, इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा चर्चा की जा रही है। अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में मटर की फसल को क्षति

798. **प्रो. चन्द्र कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने मटर की फसल को हुई क्षति के संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता हेतु कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश सरकार से ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं मिला है जिसमें आडू की फसल को होने वाली क्षति के एवज में सहायता की मांग की गई हो। हालांकि, इस मंत्रालय के सूखा प्रबंधन प्रभाग को गृह मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकार का एक ज्ञापन मिला है जिसमें इस राज्य के 12 जिलों के 20,118 गावों को सूखा घोषित किये जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से लगभग 190 करोड़ रुपये की सहायता/राहत की मांग की गई है। इसमें गेहूं, जौ, दलहन, सब्जियों, आलू और तिलहनों को हुई क्षति को कवर किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने एक केन्द्रीय दल का गठन किया है जिसका कार्य फसलों को हुई क्षति तथा इसकी भरपाई के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता की प्रमात्रा का आकलन करना है। इस केन्द्रीय दल की रिपोर्ट शीघ्र मिल जाने की आशा है।

[हिन्दी]

प्याज की खरीद

799. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ विपणन संघ लि. (नेफैड) द्वारा प्याज की खरीद के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक खरीदे गए प्याज की वास्तविक मात्रा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा नाफेड को देय निधियों को देरी से जारी करने के कारण प्याज की खरीद में हुए देरी से किसान प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों को सहायता कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) ने प्याज की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

चालू वर्ष 2006-07 के दौरान नेफेड ने 30-06-2006 तक 229.339 लाख रुपए के 6169 मीटरी टन प्याज की खरीद की है।

(ख) से (घ) नेफेड ने प्याज की खरीद में कोई देर नहीं की है और किसानों को तत्काल भुगतान भी जारी कर दिया गया है।

मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन

800. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
डा. के. धनराजू:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि को रोकने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्य वृद्धि को रोकने में इस प्रकोष्ठ की असफलता के मद्देनजर इसका पुनर्गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका पुनर्गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता के कारण कुपोषण

801. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर उसके जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की असफलता के कारण कुपोषण से हुई मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता के कारणों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में उसके आदिवासी क्षेत्रों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी चल रही है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता के कारण कुपोषण की वजह से मौत का कोई मामला नहीं है।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि विस्तार योजनाओं के लिए धनराशि

802. **श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कृषि विस्तार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई योजना राजस्थान में शुरू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कृषि विस्तार योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। विस्तार सुधार कार्य करने के लिए जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी (ए.टी.एम.ए.) के रूप में प्रौद्योगिकी प्रसारण के लिए नई संस्थान व्यवस्थाओं के तौर पर किसान को जिम्मेदार बनाने और विस्तार पद्धति को किसान चालित बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रायोजित "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" स्कीम को 7 मई, 2005 को पूरे देश में शुरू किया गया था। 10वीं योजना के दौरान स्कीम के अन्तर्गत कुल 252 जिलों को कवर किया जाना है।

(ख) यह स्कीम राजस्थान के 11 जिलों यथा - जयपुर, सीकर, अलवर, करौली, टोंक, झालावार, श्रीगंगा नगर, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में चलाई जा रही हैं।

(ग) स्कीम के अन्तर्गत निधियां राज्यों को राज्य विस्तार कार्य योजना के आधार पर निर्मुक्त की जाती है। 2005-06 के दौरान राज्यवार की गई निर्मुक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2005-06 के दौरान विस्तार सुधार (ए.टी.एम.ए.) स्कीम के अन्तर्गत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्ति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	223.00
2.	बिहार	176.00
3.	छत्तीसगढ़	125.00
4.	गोवा	27.00
5.	गुजरात	116.00
6.	हरियाणा	123.00
7.	हिमाचल प्रदेश	122.00
8.	जम्मू-कश्मीर	104.00
9.	झारखण्ड	163.00
10.	कर्नाटक	180.00
11.	केरल	80.00
12.	महाराष्ट्र	231.00
13.	मध्य प्रदेश	297.00
14.	उड़ीसा	255.00
15.	पंजाब	159.00
16.	राजस्थान	231.00
17.	तमिलनाडु	128.00
18.	उत्तर प्रदेश	547.00
19.	उत्तरांचल	149.00
20.	पश्चिम बंगाल	92.00
21.	असम	160.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	73.00
23.	मणिपुर	59.00
24.	नागालैण्ड	61.00
25.	मेघालय	14.00
26.	मिजोरम	49.50
27.	त्रिपुरा	22.00
28.	सिक्किम	39.00
29.	दिल्ली	16.00
30.	पाण्डिचेरी	16.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.00
32.	लक्ष्यद्वीप	16.00
33.	दादरा और नगर हवेली	16.00
34.	दमन और दीव	16.00
	कुल	4120.50

उपभोक्ता कल्याण निधि

803. डा. के. धनराजू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में "उपभोक्ता कल्याण निधि" का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सभी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में इस प्रकार की "उपभोक्ता कल्याण निधि" गठित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि के उचित उपयोग के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उत्तरांचल और त्रिपुरा राज्यों में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना कर ली गई है।

(ग) तमिलनाडु के मामले में राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना कर ली गई है और राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में केंद्र के हिस्से को अंतरित किया जा रहा है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में कोष में अपने हिस्से को जमा करने के बारे में उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों को केंद्रीय उपभोक्ता कल्याण कोष की तर्ज पर अपने दिशानिर्देश तैयार करने के लिए मॉडल दिशानिर्देश भेजे गए हैं।

खाद्यान्न/सिंचाई पर राजसहायता

804. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खाद्यान्न तथा सिंचाई राजसहायता पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार के पास कृषि क्षेत्र में पी.पी.पी. निवेश आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य राजसहायता की निर्मुक्ति की गई मात्रा निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	निर्मुक्त खाद्य राजसहायता
2003-04	25160.00
2004-05	25745.45
2005-06	23071.00

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा नवीनतम तीन वर्षों के लिए सिंचाई राजसहायता के संबंध में संकलित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आकलित सिंचाई राजसहायता
2002-03	15012.00
2003-04	11142.00
2004-05	12990.00

(ख) और (ग) कृषि में प्रमुख सार्वजनिक निजी सहभागिता निवेश के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कृषि मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) मॉडल के अन्तर्गत देश में आठ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर आधुनिकतम टर्मिनल मण्डी की स्थापना के लिए पहल की है। टर्मिनल मण्डियां एक हब-एण्ड-स्पोक फार्मेट से कार्य करेंगी जिसमें टर्मिनल मण्डी (हब) को बहुत से सुविधाजनक रूप से अवस्थित संग्रहण केन्द्रों (स्पोक्स) के साथ जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद के विपणन के लिए आसान पहुंच मुहैया हो सके। इन मण्डियों द्वारा कवर किए जाने वाले जिन्सों में फल, सब्जियां, फूल, सुगन्धित पौधों, जड़ी बूटी, मांस और कुक्कुट शामिल हैं। पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत, निजी उद्यमी पूंजी और प्रबन्धन की व्यवस्था करता है, राज्य सरकार विनियमन संबंधी स्वीकृति देती है और केन्द्र सरकार परियोजना में साम्य पूंजी का कुछ हिस्सा मुहैया करती है। उद्यम कृषि-व्यापार, शीत शृंखला, संभार-तंत्र, भण्डारण, कृषि-अवसंरचना और संबंधित

पृष्ठ भूमि से उद्यमियों का एक परिसंघ हो सकता है। वर्ष 2006-07 के वार्षिक बजट में, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत देश में टर्मिनल मण्डियों की स्थापना के लिए 150.00 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

"विस्तार सुधारों" हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन नामक स्कीम के अन्तर्गत न्यूनतम 10% लाभभोगी उन्मुखी संसाधनों का उपयोग गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से किया जाना है जिसमें निजी क्षेत्र शामिल है। उक्त स्कीम का लक्ष्य जिला स्तर पर एक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन (ए.टी.एम.ए.) के रूप में प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए नए संस्थागत प्रबन्धों के माध्यम से विस्तार-प्रणाली को कृषक संचालित और कृषक उत्तरदायी बनाना है।

[हिन्दी]

गाय तथा भैंसों की संख्या में कमी

805. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मवेशियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं तथा भारतीय प्रजातियों की गायों तथा भैसों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मवेशी आनुवांशिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैटल जैनेटिक्स) ने मवेशियों के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किसानों के सहयोग से सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत मवेशियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या पहल की गई है; और

(च) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन प्रजातियों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) नस्लवार पशुधन गणना सबसे पहले 2003 में की गई थी। इसलिए गोपशु और भैंस की किसी विशेष स्वदेशी नस्ल की संख्या में परिवर्तन होने के संबंध में कोई टिप्पणी करना नहीं है। तथापि, 1997 और 2003 की पशुधन गणना से उपलब्ध स्वदेशी, वर्ण-संकर गोपशु और भैंसों की संख्या संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि स्वदेशी गोपशु की संख्या में समग्र गिरावट आई है तथा वर्ण-संकर और भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) से (च) जी, नहीं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने करनाल में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना की है जिसका दायित्व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्यों के पशुपालन विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से नेटवर्क और राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के माध्यम से पशु आनुवंशिक संसाधनों का पता लगाना और उनका संरक्षण करना है। संरक्षण के लिए शुरू की गई गोपशु की विभिन्न नस्लें नीचे दी गई हैं:-

स्व-स्थाने संरक्षण	थारपारकर, पुंगानुर
बाहरी संरक्षण	कंगायाम, नागोरी, राठी, कृष्णा, वैली, पोमवार, खेरीगढ़, पुंगानुर

[अनुवाद]

संगीत चैनलों द्वारा विदेशों में सेवा शुरू करना

806. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा विदेशों में संगीत चैनल शुरू किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारतीय ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने विदेश में कोई संगीत चैनल शुरू नहीं किया है। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, यह मंत्रालय ऐसे ब्यौरों का रखरखाव नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का प्रापण

807. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का मद-वार उत्पादन तथा प्रापण कितना रहा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन और वसूली को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क. वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन

(आंकड़े लाख टन में)

फसल वर्ष	गेहूं	चावल	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी
2002-03	657.6	718.2	70.1	47.2	111.5	13.2
2003-04	721.5	885.3	66.8	121.1	149.8	19.7
2004-05	686.4	831.3	72.4	79.3	141.8	24.3
2005-06*	694.8	910.4	79.7	76.6	150.9	23.0

*15-07-06 की स्थिति के अनुसार चौथा अनुमानित अग्रिम

ख. वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का वसूली

(आंकड़े लाख टन में)

रबी विपणन मौसम	गेहूं	खरीफ विपणन मौसम	चावल	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी
2003-04	158.01	2002-03	164.22	0.53	नगण्य.	0.06	नगण्य.
2004-05	167.95	2003-04	228.28	0.48	2.46	3.57	—
2005-06	147.87	2004-05	246.84	0.12	1.35	6.31	0.49
2006-07#	92.26	2005-06*	273.62	0.67	0.05	10.08	0.63

नगण्य: 1000 टन से नीचे

*26-07-06 के अनुसार स्थिति

#25-07-06 के अनुसार स्थिति

[हिन्दी]

गैस आधारित उर्वरक संयंत्र

808. श्री कैलाश मेघवाल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों की उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए विद्यमान उर्वरक संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) नेफ्था, ईंधन ऑयल (एफ.ओ.) और लो सल्फर हेवी स्टॉक (एल.एस.एच.एस.) की तुलना में प्राकृतिक गैस (एन.पी.) के लागत प्रभावी होने, प्रकृति के अनुकूल होने और कार्यक्षम होने के कारण, सरकार ने मौजूदा गैर-गैस आधारित इकाइयों को प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने की नीति की घोषणा पहले ही कर दी है। एच.बी.जे. पाइपलाइन के आस पास स्थित नेफ्था आधारित इकाइयों ने गैस की उपलब्धता और पाइप लाइन से जोड़ने तथा अन्य अवसंरचना के आधार पर प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए पहले ही उपाय करने शुरू कर दिये हैं।

[अनुवाद]

राज्यों के लिए खाद्यान्न राजसहायता

809. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न राजसहायता के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई है;

(ख) क्या सभी राज्यों ने प्राप्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो राजसहायता का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) राज्यों को विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के तहत राजसहायता की लागू दरों पर सीधे खाद्य राजसहायता रिलीज की जाती है। यह राजसहायता राज्य सरकारों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की मात्रा के आधार पर आधारित होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के तहत विभिन्न राज्यों को जारी की गई खाद्य राजसहायता की राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई खाद्य राजसहायता राशि

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
छत्तीसगढ़	89.94	628.87	550.40
मध्य प्रदेश	66.74	118.75	219.71
उड़ीसा	शून्य	40.96	70.79
तमिलनाडु	45.82	27.21	221.40
उत्तरांचल	80.43	92.73	78.08
उत्तर प्रदेश	975.62	1377.96	1821.27

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	27.41	179.97	191.21
कर्नाटक	शून्य	शून्य	10.07
केरल	शून्य	शून्य	32.07

पड़ोसी देशों के साथ कृषि अनुसंधान

810. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पड़ोसी देशों के साथ कृषि अनुसंधान में सहयोग प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान के संबंध में अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाए जाने का क्या कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन देशों के सहयोग से देश में कृषि संक्रियाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने श्रीलंका कृषि अनुसंधान नीति परिषद (सी.ए.आर.पी.), श्रीलंका; बंगलादेश कृषि अनुसंधान परिषद (बी.ए.आर.सी.), बंगलादेश तथा पाकिस्तान कृषि अनुसंधान परिषद (पी.ए.आर.सी.), पाकिस्तान के साथ समझौता/समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, नेपाल के साथ सहयोग के लिए एक छत्र (अम्ब्रेला) समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) और (घ) अनुसंधान सहयोग के कार्यक्रम को कार्य योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें शामिल है, जननद्रव्य का आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, वैज्ञानिकों का अल्पावधि/दीर्घावधि प्रशिक्षण और दौरों पर आना-जाना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 26 जनवरी, 2006 को वर्ष 2006-07 के लिए श्रीलंका के सी.ए.आर.पी. के साथ एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किये हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा छत्र (अम्ब्रेला) समझौता ज्ञापन के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिनांक 7-2-2006 को नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, नेपाल के साथ वर्ष 2006-07 के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) दौरों के आदान-प्रदान के माध्यम से विशेष क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों में किया जाता है और विशेष गुणों-युक्त फसलों के प्राप्त जननद्रव्य का उपयोग भारतीय फसल सुधार कार्यक्रमों में किया जाता है।

कृषि उत्पादों हेतु मूल्य संवर्धन

811. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी अधिक आय को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है/प्राप्त होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार कृषि क्षेत्र का इस प्रकार विविधीकरण किये जाने पर जोर दे रही है जिससे कि उच्च मूल्य वाली फसलें और मूल्य संवर्द्धन की क्षमता वाली फसलें, जैसे कि बागवानी फसलें, पैदा की जा सकें ताकि किसानों की आय में बढ़ोत्तरी लायी जा सके। इस दिशा में बागवानी के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005-06 से देश में 2300.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) शुरू किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य हैं:- पर्याप्त

गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति, उन्नत उच्च उत्पादक खेती के अंतर्गत फसलों के कवरेज में वृद्धि करने बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने, प्रौद्योगिकी के अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करने आदि के लिए क्षमता सृजन। वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 1000.00 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई. डी.ए.) उच्च ईकाई मूल्य प्राप्त करके और फार्म उत्पादों के निर्यात मूल्य संवर्द्धन के लिए प्रेरित करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करके किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है और आपूर्ति शृंखला में विभिन्न चरणों पर कठिनाइयों को दूर करती है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा की जा सके।

सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों के कारण 97503 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में विभिन्न बागवानी फसलों की खेती की जाने लगी है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों तथा फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के अंतर्गत 5858 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अन्य उपलब्धियां है - 304 मंडियों, 9 प्रसंस्करण ईकाइयों, 420 नर्सरियों की स्थापना तथा 3055 सामुदायिक तालाबों की स्थापना और 2121 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई अपनाना।

कृषि संबंधी कृतिक बल

812. श्री मिलिन्द देवरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कृषि तथा पशु-पालन संबंधी एक नए कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या तब से कृतिक बल की कोई बैठक भी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों के लिए पहली बार राष्ट्रीय नीति तैयार करने के बारे में विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) हाल ही में किसी नये प्रकार के "कृषि एवं पशु पालन संबंधी कार्यबल" का गठन नहीं किया गया है। तथापि सरकार ने फरवरी, 2004 में "राष्ट्रीय कृषक आयोग" स्थापित किया था जो भारतीय किसानों के समक्ष विभिन्न विषयों की जांच करेगा और किसानों की आय को दुगुना करने के लिए बागवानी, पशुधन, डेयरी और मात्स्यिकी सहित विविधीकृत कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता और सततता में सुधार करने के लिए यथोचित हस्तक्षेपों के सुझाव देगा। आयोग का पुनर्गठन नवम्बर, 2004 में प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इसे सौंपे गए विचारार्थ विषय और संघटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) से (च) आयोग ने अपने संस्थापन से ही भारतीय कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के समक्ष विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित की थी। आयोग ने अब तक सरकार को चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिसमें से अन्तिम राष्ट्रीय कृषक नीति मसौदा सन्निहित है। आयोग इस पर व्यापक विचार विमर्श कर रहा है और मसौदा नीति पर उदभूत विचारों को आयोग की पांचवीं और अन्तिम रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा।

विवरण

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2004

फा.सं.8-2/2003-नीति (ई.एस.) - भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 10 फरवरी, 2004 के संकल्प सं. 8-2/2003-नीति (ई.एस.) में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित विचारार्थ विषयों तथा संरचना के साथ आयोग को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

- देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु एक व्यापक मध्यावधिक व्यापक रणनीति तैयार करना ताकि समय के अनुसार सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके।

- कृषि-पारिस्थितिकीय और कृषि जलवायुवीय दृष्टिकोण पर आधारित देश की मुख्य कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थिरता और सततता और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों के उपयोग की पद्धतियों का प्रस्ताव देना।

– प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के बीच सहक्रिया (सहयोग) स्थापित करना तथा विविधीकरण, मण्डी, मौसम, ऋण सुविधाओं तथा ई-वाणिज्य, प्रशिक्षण और मण्डी सुधारों से संबंधित सूचना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार की संभावना बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना।

– खेती कार्य में शिक्षित युवकों को आकर्षित करने तथा उन्हें वहां बनाए रखने के सुझाव देना तथा इस उद्देश्य हेतु सिफारिश करना; मत्स्य पालन, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी (अंतर्देशीय और समुद्री), कृषि वानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण और संयुक्त विपणन अवसंरचना के प्रौद्योगिकीय उन्नयन की पद्धतियां सुझाना।

– कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने, छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की ओर कृषि ऋण का प्रवाह सतत् रूप से बढ़ाने, कृषि विकास को प्रेरित करने के लिए तैयार किए गए व्यापक नीतिगत सुधारों का सुझाव देना जिससे आर्थिक प्रगति हो ताकि ग्रामीण परिवारों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन के लिए अवसर मिल सकें।

– शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए, और साथ की पर्वतीय व तटीय क्षेत्रों के किसानों के लिए शुष्क भूमि खेती हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार करना ताकि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले कृषक समुदायों की आजीविका सुरक्षा को इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी सुरक्षा के साथ जोड़ा जा सके। इस संदर्भ में दलहन, तिलहन, मक्का, कपास, पनधारा आदि जैसे सभी चल रहे प्रौद्योगिकी मिशनों की समीक्षा करना और अर्ध्वाधर रूप से संरचित कार्यक्रमों के क्षैतिज समेकन के संवर्धन की पद्धतियों की सिफारिश करना। ऋण-संबद्ध बीमा स्कीमों का भी सुझाव देना जो संसाधन विहीन कृषि परिवारों को असहनीय जोखिमों से संरक्षण प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड को सुदृढ़ बनाने तथा सरल व कारगर बनाने की पद्धतियों का सुझाव देना।

– कृषि जिन्सों की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना ताकि उन्हें विस्तार मशीनरी को पुनः सक्रिय करने तथा औजारों से पुनः सज्जित करके किसानों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों (फ्रंटियर साइंसेज) के अनुप्रयोग और कोडेक्स एलीमेण्टेरियस स्टैण्डर्ड्स, स्वास्थ्यकर और पादप-स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। अंतरराष्ट्रीय मूल्य तेजी से गिरने की स्थिति में किसानों को आयातों से पर्याप्त संरक्षण मुहैया कराने की विधियां भी सुझाना।

– कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा प्रस्तावित भूमि स्वामित्व के अधिकार देने पर विचार करते हुए महिलाओं के लिए ऋण, जानकारी, दक्षता, प्रौद्योगिकीय और विपणन में सशक्तिकरण हेतु उपायों की सिफारिश करना।

– निर्वाचित स्थानीय निकायों के पुरुष तथा महिला सदस्यों को अधिकार प्रदान करने की विधियों का सुझाव देना ताकि वे सिंचाई जल प्राथमिकता पर ध्यान देने के साथ-साथ सतत् कृषि हेतु भूमि, जल, कृषि जैव विविधता तथा वातावरण जैसे पारिस्थितिकी आधारों को संरक्षित करने और उनमें सुधार लाने में अपनी प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकें।

– उपर्युक्त से संबंधित किसी अन्य मुद्दे या सरकार द्वारा आयोग को विशेष रूप से भेजे गये मुद्दे पर विचार करना।

संरचना

2. पुनर्गठित आयोग की संरचना इस प्रकार होगी:-

अध्यक्ष

प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन (केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री स्तर के)

पूर्णकालिक सदस्य

डा. राम बदन सिंह — भारत सरकार के सचिव स्तर के

श्री वाई.सी. नन्दा — भारत सरकार के सचिव स्तर के

अंशकालिक सदस्य

डा. आर.एल. पितले

श्री जगदीश प्रधान, नोपाडा

सुश्री चंदा निम्बकर

श्री अतुल कुमार अन्जान

(ये सदस्य अवैतनिक हैसियत से काम करेंगे तथा कोई वेतन आहरित नहीं करेंगे)

सदस्य सचिव

श्री अतुल सिन्हा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)	(भारत सरकार के सचिव स्तर के)

3. प्रो. स्वामीनाथन पूर्ण रूप से अवैतनिक हैसियत से और बिना किसी वित्तीय प्रतिपूर्ति के काम करेंगे। वे चेन्नई में ही रहेंगे लेकिन चल रहे कार्य को पूरा करने के लिए वे एक समय में एक सप्ताह से दस दिनों तक के लिए दिल्ली (एन.सी.एफ. मुख्यालय) का दौरा करेंगे तथा उन्हें उनकी यात्रा तथा आवास खर्चों की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुसार की जाएगी।

4. आयोग अगले तीन महीनों में समय के अनुसार सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु एक मध्यकालिक नीति प्रस्तुत करेगा तथा अन्य विचारार्थ विषयों पर यथा शीघ्र और हर हाल में 13-10-2006 को या इससे पहले अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आयोग यदि उचित समझे या आयोग से ऐसी अपेक्षा की गयी हो, किसी विचारार्थ विषय पर अंतरिम रिपोर्ट (रिपोर्टें) प्रस्तुत कर सकता है।

5. दिनांक 10-2-2004 के संकल्प में अधिसूचित अन्य शर्तें विचारार्थ विषय अपरिवर्तित रहेंगे।

6. भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन आयोग को अपना पूर्म सहयोग और सहायता देंगे।

के.डी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

पर्यावरण अधिनियम में संशोधन

813. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सराकर को गुजरात विधानसभा तथा अन्य राज्य सरकारों के संकल्पों के साथ गुजरात सरकार से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि धार्मिक तथा सांस्कृतिक समारोहों के दौरान समय-सीमा के किसी प्रतिबंध के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) ध्वनि प्रदूषण - लाउडस्पीकरों और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करने वाले सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु 18 जुलाई, 2005 के कानून को लागू करने के बारे में 1998 की रिट याचिका संख्या 72 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में गुजरात विधान मंडल द्वारा 14 सितम्बर, 2005 को पारित प्रस्ताव के साथ गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। मंत्रालय ने 11 अक्तूबर, 2002 को उत्तरवर्ती संशोधन के साथ 14 फरवरी, 2000 को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2000 जारी किए थे जिसमें राज्य सरकार/सरकारों को किसी सांस्कृतिक अथवा धार्मिक समारोहों पर अथवा उनके दौरान रात्रि के घंटों में (रात्रि 10.00 बजे से 12.00 बजे मध्य रात्रि तक) एक कलेण्डर वर्ष के दौरान 15 दिन से अनधिक सीमित अवधि के लिए लाउडस्पीकर अथवा पब्लिक अड्रेस सिस्टम के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने बाद के आदेश में यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा नियमों के प्रचालन से छूट देने की सीमित शक्ति को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता और छूट देने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके आगे कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा उन दिनों की संख्या और ब्यौरा पहले ही अधिसूचित किया जाए जब ऐसी छूट क्रियात्मक होंगी।

जल परियोजनाओं की समीक्षा हेतु मंत्रियों के समूह का गठन

814. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत मानकों को शिथिल बनाने के मंत्रालय के प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत मानकों को शिथिल बनाए जाने के मामले में विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों के बीच कोई मतभेद है;

(घ) यदि हां, तो क्या योजना में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इसके लिए राज्य सरकारों की राय ली गई थी;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों के क्या विचार थे; और

(छ) सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय/संशोधित निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रियों के एक समूह (जी.ओ.एम.) का गठन 14 जुलाई, 2006 को किया गया है।

(ग) विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से प्राप्त विचारों को मंत्रियों के समूह के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत लघु सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण को शामिल नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) नवम्बर, 2005 में राज्य सिंचाई मंत्रियों तथा अक्तूर, 2005 में राज्य सिंचाई विभागों के सचिवों की बैठक में ए.आई.बी.पी. मानदंड में और छूट दिए जाने को अंतिम रूप देने के लिए ए.आई.बी.पी. के छूट पर मानकों पर व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

(छ) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए राज्य को सहायता देने के लिए ए.आई.बी.पी. की संकल्पना की गई है। ए.आई.बी.पी. के मानकों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है तथा मानकों में और छूट दिए जाने पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जायेगा।

चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध

815. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चीनी का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने आगामी महीनों के दौरान चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होने की आशंका है;

(घ) मूल्यों पर नियंत्रण करने में इससे कितनी सहायता मिलेगी;

(ङ) क्या यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ तथा अमरीका के लिए वरीयता वाले कोटा चीनी निर्यात पर लागू नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) केन्द्र सरकार चीनी का कोई निर्यात नहीं करती है।

(ख) से (घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए उपायों के एक भाग के रूप में सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 2006 की अधिसूचना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक अर्थात् 31-3-2007 तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चूंकि निर्यात की जाने वाली मात्रा अंतर्राष्ट्रीय मांग, पूर्ति और मूल्य की स्थिति जैसे कई तथ्यों पर निर्भर करती है, इसलिए विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाना कठिन है।

(ङ) और (च) यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को तरजीही कोटे की आपूर्ति पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था, जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मात्रात्मक सीमा द्वारा नियंत्रित होता है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

816. प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मो. ताहिर:

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह-अयस्क के निर्यात के लिए जापान तथा कोरिया के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन देशों को कितनी अवधि में लौह अयस्क की कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा;

(ग) क्या निर्यात लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, हां। एम.एम.टी.सी. और एन.एम.डी.सी. ने लौह अयस्क के निर्यात के लिए जापानी स्टील मिल्स (जे.एस.एम.एस.) और पोस्को, दक्षिण कोरिया (पोस्को) के साथ दीर्घकालिक करार किए हैं।

(ख) जे.एस.एम.एस. और पोस्को के साथ किए गए दीर्घकालिक करार 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2011 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए किए गए हैं। दीर्घकालिक करारों के तहत जापान और कोरिया के साथ अंतिम रूप से निर्धारित की गई मात्रा निम्नानुसार है:-

मात्रा: (मिलियन टन)

क्रेता	रेंज	
	से	तक
जे.एस.एम.एस.	3.47	6.75
पोस्को	0.80	1.60
योग	4.27	8.35

(स्रोत: एम.एम.टी.सी.)

(ग) और (घ) यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लासीफिकेशन (अब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नागपुर द्वारा अपना लिया गया है) के अनुसार दिनांक 1-4-2000 की स्थिति के अनुसार मात्रा की दृष्टि से भारत का लौह अयस्क का कुल भंडार निम्नानुसार है:-

(मात्रा: मिलियन टन)

1	2
हैमेटाइट	11,426
मैग्नेटाइट	10,682
योग	22,108

(स्रोत: आई.बी.एम., नागपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयर बुक, 2004)

राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार लौह अयस्क के निर्यात और घरेलू आपूर्ति के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखा जाएगा। चूंकि भारत में सज्जीकरण, सिंटरिंग और पैलेटाइजेशन में निवेश किया जाता है अतः लौह अयस्क के निर्यात में कमी आने की संभावना है।

[अनुवाद]

तटीय विनियामक जोन में संशोधन

817. डा. के.एस. मनोज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार तटीय विनियामक जोन (सी.आर.जेड.) में संशोधन के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में मछुआरों की आशंकाओं तथा असंतोष पर ध्यान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जल निकास विकास योजनाएं

818. श्री अनवर हुसैन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार मास्टर प्लान में शामिल करने के लिए पहचान की गई पूर्वोत्तर क्षेत्र की जल निकास विकास योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) वे योजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनकी डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक उपर्युक्त योजना की क्या स्थिति है; और

(घ) इन सभी योजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियों से संबंधित मास्टर योजनाओं में 34 जल निकास संकुलता क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(क) और (ग) ग्यारह स्कीमों के नाम, जिनके संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.एस.) तैयार की गई हैं वे हैं हरंग, बोरभाग, ईस्ट ऑफ बारपेटा, जकाइचुक, जोयसागर, जेंगरई, कैलाशहर, सिंगला, आमजुर, डिमो और रूद्रसागर। इनमें से ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने नौ स्कीमों अर्थात् हरंग, बोरभाग, ईस्टर ऑफ बारपेटा, जकाइचुक, जोयसागर, जेंगरई, कैलाशहर, सिंगला और आमजुर का काम करना प्रारंभ किया है।

(घ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड तैयार की गई अनुमोदित मास्टर योजनाएं आवश्यक कार्रवाई एवं कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को भेजी जाती हैं। तथापि, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने दसवीं योजना के लिए अनुमोदित की गई नौ जल निकास विकास स्कीमें प्रारंभ की हैं, इनमें से, हरंग जल निकास विकास स्कीम को दसवीं योजना में ही मार्च, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और दसवीं योजना अवधि की समाप्ति को देखते हुए शेष आठ स्कीमों को पूरा करने के लिए समय सीमा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विवरण

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार मास्टर योजनाओं में अभिज्ञात जल निकास संकुलता ग्रस्त क्षेत्रों की सूची

क्र. सं.	अभिज्ञात जल निकास संकुलता ग्रस्त क्षेत्र
1	2
1.	हरंग
2.	बोरभाग
3.	पूर्वी बारपेटा
4.	जकाईचुक
5.	जोय सागर
6.	जेंगराई
7.	कैलाशहर
8.	सिंगला
9.	अमजुर
10.	डिमो
11.	रूद्रसागर
12.	धर्मनगर
13.	पश्चिमी बारपेटा
14.	मोराडिक्रांग
15.	बदरी
16.	सेस्सा
17.	सोनाई
18.	कोंवरपुर
19.	लारसिंग
20.	लरूआ-जामिरा-सेस्सा
21.	पुनीर
22.	भेरेकिबिल
23.	धिलाधारी
24.	गेलाबिल
25.	मोरापियालामुख
26.	पकानिया
27.	नामडंग
28.	सुखसागर

1	2
29.	सीसापत्थर
30.	टिंगराई
31.	पोला
32.	घाघरा
33.	रोंगसाई
34.	डेरोई

उत्तर प्रदेश से गेहूं की आपूर्ति का प्रस्ताव

819. श्री मोहन रावले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को बाजार मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आपूर्ति हेतु निबंधन एवं शर्तें क्या-क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसा ही प्रस्ताव मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने भारतीय खाद्य निगम को बाजार मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हालमार्क प्रमाणन

820. श्री पी. मोहन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में सभी आभूषणों के लिए हालमार्क प्रमाणन लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी प्रमाणन प्रक्रिया तथा लाइसेंस शुल्क आदि की क्या प्रक्रिया है;

(ग) उपभोक्ताओं को इससे क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या इस मूल्य संवर्धन से बाजार में सोने के मूल्य के बढ़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सोने के मूल्य को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है/की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) स्वर्णाभूषणों में घोषित शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु हॉलमार्किंग प्रमाणन को अनिवार्य आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है ताकि उपभोक्ताओं को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ भारतीय स्वर्णाभूषणों को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

हॉलमार्किंग स्कीम के जरिए स्वर्णाभूषणों का प्रमाणन आई.एस. 1417 के अनुसार किया जाता है, जो आई.एस.ओ. 9202 और संगत प्रमाणन स्कीम के अनुरूप है।

स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग का तीन साल का शुल्क दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 25000 रुपए, जिला मुख्यालयों में 20,000 रुपए और अन्य क्षेत्रों में 10,000 रुपए है।

(ग) हॉलमार्कयुक्त स्वर्णाभूषणों की शुद्धता के बारे में उपभोक्ता को तृतीय पक्ष आश्वासन मिलता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जखाऊ में मत्स्यग्रहण पत्तन

821. श्री पी.एस. गढ़वी:

श्री हरिसिंह चावड़ा:

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जखाऊ में मत्स्यग्रहण पत्तन की निर्माण लागत में वृद्धि संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तथा संशोधित अनुमानित लागत

केंद्र सरकार के पास परियोजना के विकास हेतु 2005 में भेजी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहायता कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 100 प्रतिशत अनुदान सहायता से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1143.60 लाख रुपए की लागत से मई, 1993 में जखाऊ में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी थी। परियोजना को अनुमोदित लागत के भीतर मई, 1996 से पहले पूरा किया जाना था। गुजरात सरकार इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी तथा बजाए इसके उसने फरवरी, 2005 में 1143.60 लाख रुपए से 2455 लाख रुपए तक की लागत वृद्धि से संशोधित लागत अनुमान (आई.सी.ई.) पर पुनर्विचार के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। 10वीं योजना स्कीम के प्रावधानों की रोशनी में आर.सी.ई. प्रस्ताव की जांच के बाद अप्रैल, 2005 में गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित तकनीकी आर्थिक पहलुओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। गुजरात सरकार ने मई, 2005 में लागत अनुमान भेजे थे जिसमें परियोजना लागत में 5291 लाख रुपए की और वृद्धि दिखाई गई थी। राज्य सरकार ने विस्तृत प्रस्ताव नहीं भेजा जैसा कि भारत सरकार ने अनुरोध किया था। गुजरात सरकार ने मई, 2006 में बताया है कि राज्य सरकार संशोधित प्रस्ताव तैयार कर रही है जैसा कि भारत सरकार ने अनुरोध किया है। राज्य से अनुरोध किया गया है कि वे विस्तृत प्रस्ताव को शीघ्र प्रस्तुत करें।

केरल में एफ.एम. रेडियो स्टेशन

822. श्री सी.के. चन्द्रप्पनः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में एफ.एम. रेडियो स्टेशनों के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने केरल में उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंजेरी तथा मालापुरम में एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) केरल राज्य में मौजूद एफ.एम. कवरेज क्षेत्रवार 41.57% और जनसंख्यावार 45.85% है (क्षेत्रवार 23.86% और जनसंख्यावार 35.08% की राष्ट्रीय औसत की तुलना में)। 10वीं योजना के दौरान केरल में कोन्नी (5 कि.वा. एफ.एम. ट्रां.), त्रिवेन्द्रम (10 कि.वा. एफ.एम. ट्रां.) और कोचीन (10 कि.वा. एफ.एम. ट्रां.) में तीन एफ.एम. ट्रांसमीटरों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, केरल में तिरुवनंतपुरम, कोजीकोड, कोचीन और त्रिशूर में 13 एफ.एम. रेडियो चैनल स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) मंजेरी स्थित एक 3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (एकल शिफ्ट) दिनांक 28-01-2006 से चालू कर दिया गया है। तथापि, 10वीं योजना में मालापुरम में एफ.एम. स्टेशन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसे मंजेरी एफ.एम. स्टेशन द्वारा कवर किया जाता है। मंजेरी और मालापुरम में किसी निजी एफ.एम. रेडियो चैनल को स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित हुई अनार की फसल

823. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर शोलापुर जिले में सूखे से अनार की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत फिल्मों का प्रमाणन

824. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना और प्रसारण सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत फिल्मों के प्रमाणन हेतु संशोधित नियमों का प्रारूप सौंप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं। चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गयी है। सचिव, सूचना और प्रसारण की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता व विज्ञापन संहिता तथा उनके तहत बनाए गए नियमों एवं चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित फिल्मों के प्रमाणन हेतु दिशा-निर्देशों को संशोधित करना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जंगली मुर्गियों का संरक्षण

825. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्लभ प्रजाति की लाल जंगली मुर्गियों के लुप्त होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मुर्गियों की संख्या में होने वाली कमी को रोकने के लिए कोई संरक्षण योजना तैयार करने का है अथवा कोई योजना शुरू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) लाल जंगली मुर्गियों के लुप्त होने के खतरे की कोई सूचना नहीं है। लाल जंगली मुर्गियों को शिकार आदि से पूर्ण सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में रखा गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, नई दिल्ली में एक लाल जंगली मुर्गी प्रजनन केन्द्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 19 जून, 2006 को आयोजित भारतीय वन्यजीव बोर्ड की तीसरी बैठक के दौरान श्री लाल जंगली मुर्गियों को उनके प्राकृतिक पर्यावासों में संरक्षण हेतु निर्णय लिया गया था।

न्यूनतम मजदूरी

826. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**

श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मजदूरी में और अधिक समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या हाल ही में संशोधित किए गए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सच्ची भावना के साथ क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अधिनियम, को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें अपने अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करने के लिए समुचित सरकार हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम मजदूरी में समानता लाने से संबंधित मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर स्तर न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा प्रस्तुत की है जो 01-02-2004 से 66/-रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। सभी राज्य सरकारों से राष्ट्रीय फ्लोर स्तर न्यूनतम मजदूरी से कम दरों पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित न करने का आग्रह किया गया है।

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में हाल ही में कोई संशोधन नहीं किया गया है। तथापि, अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के द्वारा इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है।

लौह-अयस्क/चूना पत्थर की उत्पादन लागत

827. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की कच्ची सामग्री प्रभार (आर.एम.डी.) के अंतर्गत विभिन्न खानों द्वारा उत्पादित लौह अयस्क और चूना पत्थर की प्रति टन उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) क्या सेल के कच्ची सामग्री प्रभाग के अंतर्गत विभिन्न खानों की उत्पादन लागत में विभिन्नता है;

(ग) यदि हां, तो उत्पादन लागत में इस विभिन्नता के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है/किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) उत्पादन की लागत वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है और इसे प्रकट करना संगठन के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा। अन्य देशों की इस्पात कंपनियां और साथ ही घरेलू कंपनियां, जिनके पास अपनी खानें हैं, सामान्यतः अपनी उत्पादन लागत प्रकट नहीं करती हैं।

(ख) जी, हां। अलग-अलग खानों की उत्पादन लागत अलग-अलग होती है।

(ग) खानों में उत्पादन की परस्पर लागत में अंतर के विभिन्न कारण हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रचालनों का स्तर

(ii) खानों में मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन का स्तर

(iii) निकाले गए उत्पाद की वांछित गुणवत्ता की तुलना में गुणवत्ता, क्योंकि कम गुणवत्ता वाले अयस्क को और प्रक्रमित तथा सज्जीकृत करने की जरूरत होती है।

(iv) अन्य संबद्ध इकाइयों जैसे कृशिंग प्लांट, सज्जीकरण इकाई और लदान इकाई आदि से उत्खनन कार्य स्थल की स्थान-स्थिति।

(घ) सेल की निगमित योजना में नई खान विकसित करने और साथ ही मौजूदा खानों की उत्पादन सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय वाली एक निवेश योजना तैयार की गई है। इससे खानों की प्रचालन दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण हानि

828. श्री श्रीचन्द कृपलानी:

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण हुई हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में विशेषकर, राजस्थान और महाराष्ट्र में राज्यवार कुल कितनी फसल बर्बाद हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) मध्य प्रदेश ने मार्च, 2006 में 44 जिलों में असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण 2.63 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र की हानि होने की रिपोर्ट दी और राजस्थान ने राज्य के 17 जिलों में फरवरी-मार्च, 2006 के दौरान हुई ओलावृष्टि और अत्यधिक वर्षा के कारण 36531.20 हैक्टेयर क्षेत्र की रबी फसल की क्षति होने की रिपोर्ट दी। महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। विगत हाल में, किसी अन्य राज्य से ओलावृष्टि के कारण हानि की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय सहायता के लिये प्रस्तुत ज्ञापन पर प्रतिक्रियास्वरूप एक अंतः मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने स्थिति का आकलन करने के लिये राज्य का दौरा किया। इस पर एक उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) द्वारा विचार किया गया और एच.एल.सी. ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया:-

(i) तात्कालिक आपदा के लिये राज्य के आपदा राहत कोष के खाते में शेष राशि के 75% हिस्से के समायोजन के अधीन राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से 87.56 करोड़ रुपये की निर्मुक्ति; और

(ii) ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में राहत रोजगार के लिये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संबंधी विशेष

घटक के अधीन 0.45 लाख मी. टन खाद्यान्न (0.25 लाख मी. टन गेहूं ओर 0.20 लाख मी. टन चावल) की निर्मुक्ति/एस.जी.आर.वाई. के तहत खाद्यान्नों (गेहूं) की अनुपलब्धता की स्थिति में एच.एल.सी. ने उक्त मात्रा में खाद्यान्नों (गेहूं) के स्थान पर नकद रूप में 10.00 करोड़ रुपये की निर्मुक्ति को अनुमोदन किया।

मध्य प्रदेश के लिये अनुमोदित सहायता में 50% से अधिक की फसल हानि होने की स्थिति में आदान सब्सिडी के रूप में सहायता शामिल है।

राजस्थान और महाराष्ट्र सहित किसी अन्य राज्य ने ओलावृष्टि की स्थिति में एन.सी.सी.एफ. से सहायता आदि की मांग करते हुए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हानि के मामले में राहत कोष से सहायता हेतु व्यय के प्रचलित प्रतिमानों के अनुसार वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के लिये 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा वार्षिक फसलों के लिये 4000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर 50% या इससे अधिक फसल हानि होने पर छोटे व सीमान्त किसानों के लिये आदान सब्सीडी के रूप में सहायता स्वीकार्य है। लगातार दूसरे वर्ष (या आगामी वर्ष) भी गम्भीर आपदाओं के घटित होने की स्थिति में इस शर्त के अधीन छोटे तथा सीमांत किसानों के अतिरिक्त अन्य किसानों के लिये उक्त दरों पर आदान सब्सीडी के लिये सहायता स्वीकार्य है कि जोतों के आमाप पर ध्यान न देते हुये केवल 2 हैक्टेयर तक के लिये प्रति हैक्टेयर की उचित दर पर सब्सीडी का भुगतान किया जायेगा।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाली हानि के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत फसलों की हानि के लिये मुआवजा स्वीकार्य है।

[अनुवाद]

दलहन की खेती

829. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में दलहन की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कोई परियोजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसे किस प्रकार खर्च किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) दलहनों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कर्नाटक राज्य सहित 14 मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम एवं मक्का स्कीम (आईसोपाम) कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अधीन, प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन व वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पादप रक्षण रसायनों के वितरण, पादप संरक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशकों, रिजोबियम कल्चर/फास्फेट, विलायक बैक्टेरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराईट/लिमिंग/डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों और जल वाहक पाईपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा जाती है ताकि किसानों को दलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहन के तहत राज्य-वार क्षेत्र, कवरेज, उत्पादन और उत्पादकता उपलब्धियां संलग्न विवरण पर दर्शायी गई हैं।

(ग) भारत सरकार ने आईसोपाम के अधीन तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का के विकास के लिए वर्ष 2006-07 के लिए 270 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। फसल विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.), राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.), भारतीय राज्य फार्म निगम (एस.एफ.सी.आई.) आदि जैसी अन्य एजेन्सियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। आवंटित निधि को राज्यों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 2003-04 से 2005-06 के दौरान राज्य-वार क्षेत्र कवरेज, उत्पादन व पैदावार उपलब्धियां

राज्य/के.शा.प्र.	क्षेत्र ('000 हेक्टेयर)			उत्पादन ('000 टन)			पैदावार (कि.ग्रा./हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06*	2003-04	2004-05	2005-06*	2003-04	2004-05	2005-06*
आन्ध्र प्रदेश	2185.0	1803.8	1782	1239.0	1019.0	1377	567	565	773
बिहार	691.3	657.9	655	562.6	466.9	482	814	710	736
छत्तीसगढ़	955.1	932.2	944	580.7	367.8	452	608	395	479
गुजरात	832.6	710.2	807	622.4	479.3	580	748	675	719
हरियाणा	199.0	184.2	206	143.1	146.0	128	719	793	621
कर्नाटक	1874.3	2106.0	1922	569.2	792.0	869	304	376	452
मध्य प्रदेश	4585.4	4519.7	4279	3488.0	3429.2	3230	761	759	755
महाराष्ट्र	3446.1	3384.0	3390	1960.0	1664.0	1802	569	492	532
उड़ीसा	714.8	642.5	724	272.7	249.6	297	382	388	410
पंजाब	47.9	39.6	35	39.4	31.7	27	823	801	771
राजस्थान	3860.9	3571.1	3409	2278.4	1337.4	844	590	375	248
तमिलनाडु	537.0	599.3	705	200.8	245.6	278	374	410	394
उत्तर प्रदेश	2698.4	2803.7	2742	2400.3	2375.0	2206	890	847	805
पश्चिम बंगाल	251.9	225.7	272	211.7	167.1	204	840	740	750
अन्य	578.4	583.9	559	336.9	358.9	336	582.4	614.6	601
अखिल भारत	3458.1	22763.0	22431	14905.2	13129.5	13112	635	577	585

*चौथा अग्रिम अनुमानर (अनंतिम)

सारसों के संरक्षण हेतु धनराशि

830. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सारसों की एक तिहाई संख्या उत्तर प्रदेश के इटावा और मैनपुरी जिलों की आर्द्र भूमि में रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सारसों के संरक्षण हेतु किसी समिति का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सीमिति द्वारा सारसों के संरक्षण हेतु आबंटित की गई धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में अनुमानित 10,000 की संख्या में से 2500 से 3000 तक की संख्या में सारस क्रेन उत्तर प्रदेश के इटावा और मैनपुरी जिलों की आर्द्र भूमियों में पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत क्रेनों की सुरक्षा के लिए सारस संरक्षण समिति (सारस प्रोटेक्शन सोसाइटी) नाम से एक समिति बनाई गई है।

(ग) सारस संरक्षण समिति की, समिति के ज्ञापन में निर्धारित किए गए उद्देश्यों के अनुसार और समिति के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन में निर्दारित किए गए नियमों के अनुसार गतिविधियों के लिए निधियां उपयोग में लाने की योजना है। इन गतिविधियों में सारस क्रेन की पारिस्थितिकी का अध्ययन, आर्द्र भूमियों से उनका संबंध, उनकी संकटापन्न स्थिति और स्थानीय समुदायों सहित स्टेकहोल्डरों की भागीदारी से कार्य योजना को तैयार करना शामिल है।

खाद्य राजसहायता में कटौती

831. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुधारों की प्रक्रिया को आगे ले जाने हेतु खाद्य राजसहायता में कटौती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का विविधीकरण

832. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनको कृषि उत्पादों के विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव आज की तिथि के अनुसार सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इन प्रस्तावों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय में कृषि-उत्पादों के विविधीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव किसी राज्य से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनाज केन्द्रित फसल प्रणालियों से उच्च मूल्य व कम जल की अपेक्षा रखने वाली फसलों, विशेष रूप से तिलहन, दलहन, औषधीय तथा सुगन्धित पौधों, बागवानी, पुष्पकृषि आदि में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये राज्यों को सलाह दे रही है। तिलहन और दलहन के संवर्द्धन के लिये तिलहन और दलहन उत्पादक प्रमुख राज्यों में समेकित तिलहम, दलहन, आयल पाम व मक्का स्कीम (आईसोपाम) प्रचालित की जा रही है। देश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिये 2005-06 से विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है।

[अनुवाद]

शुष्क भूमि हेतु आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. के साथ समझौता

833. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शुष्क भूमि संबंधी कृषि अनुसंधान हेतु इंटरनैशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट

फार दी सेमी एरिड ट्रापिक्स (आई.सी.आर. आई.एस.ए.टी.) के साथ तीन वर्षीय अनुसंधान समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. के साथ हुए समझौते से उत्पादकता में सुधार आने से शुष्क भूमि किसानों को लाभ पहुंचेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.) ने आई.सी.ए.आर.-आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. साझेदारी अनुसंधान परियोजनाओं (2006-2008) के लिए दिनांक 25-5-2006 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते की कई साझी परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के व्यापक विषयक क्षेत्र हैं: आनुवंशिक संसाधन संरक्षण, मूल्यांकन और उपयोगिता, अनुकूल और शुष्क भूमि दबाव दोनों तरह के वातावरण के तहत फसल उत्पादकता और टिकाऊपन को बढ़ाना, भुरभुरे और शुष्क वातावरण के लिए प्रणाली उत्पादकता और आजीविका में सुधार लाना जिसमें सामाजिक-आर्थिक और नीतिगत विकल्प शामिल हैं तथा अनुसंधान व विकास में सुदृढ़ सम्पर्क बनाना, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) आई.सी.ए.आर.-आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. साझेदारी परियोजनाओं के उद्देश्य हैं: ज्वार, बाजरा और अरहर में जैविक और अजैविक दबावों की प्रतिरोधिता हेतु नए और विविध पैतृक लाइन्स का विकास व मूल्यांकन। सूखा सहिष्णु, रोग/कीट प्रतिरोधी विशेषताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ चना और मूंगफली की अधिक पैदावार वाली किस्मों के विकास के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्नत फलियों की प्रजनक सामग्रियों, जननद्रव्यों का आदान-प्रदान और नाभिक/प्रजनक बीजों के उत्पादन पर भी कार्य किया जाएगा। बारानी क्षेत्रों में आजीविका को सुधारने के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु समेकित जलसंभर प्रबंधन में भागीदारी की पहल भी शुरू की जाएगी। इन साझेदारी परियोजनाओं से उत्पादित उत्पादों और प्रौद्योगिकी से शुष्क भूमि क्षेत्रों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

रक्षित लौह अयस्क खानें

834. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात संयंत्रों के पास रक्षित लौह अयस्क खानें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को रक्षित खानें आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) जी, हां। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में 9 लौह अयस्क खानों का प्रचालन कर रहा है। ये खानें सेल के भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर स्थित इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करती हैं। झारखंड और उड़ीसा में स्थित खानें सेल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करती हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित खानें भिलाई इस्पात संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करती हैं। इन खानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	खानें
1.	छत्तीसगढ़	1. राजहरा खान समूह
		2. दल्ली खान समूह
2.	झारखंड	1. किरीबुरू
		2. मेघाहाताबुरू
		3. गुआ
		4. चिरिया (मनोहरपुर)
3.	उड़ीसा	1. बरसुआ
		2. काल्टा
		3. बोलानी

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.) की अपनी कोई निजी लौह अयस्क खानें नहीं हैं।

इस्पात मंत्रालय निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की निजी लौह अयस्क खानों से संबंधित आंकड़ों को मॉनीटर नहीं करता है।

(ग) और (घ) यदि किसी इस्पात उत्पादक कंपनी को एक बार एक निजी खान एक निश्चित अवधि के लिए आबंटित कर दी जाती है तो वही खान उसी अवधि के लिए किसी अन्य कम्पनी को आबंटित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

बासमती चावल का उत्पादन

835. श्री मो. ताहिर:

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के किसानों को विदेश में बढ़ती मांग के मद्देनजर बासमती चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार देश में बासमती चावल सहित चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए वृहत कृषि प्रबंधन पद्धति के अधीन चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (आई.सी.डी.पी.-चावल) कार्यान्वित करती आ रही है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

836. श्री एन.एन. कृष्णदास:

श्री काशीराम राणा:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कुल कितने पोत उपलब्ध हैं और वर्ष 2006-07 के दौरान कितने पोत उपलब्ध करो जाने का प्रस्ताव है;

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगे मछुआरों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय समुद्र में गहराई में मछली पकड़ने हेतु किसी कंपनी को अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय समुद्र में गहराई में मछली पकड़ने के दूरगामी परिणामों के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) इस समय गहरे समुद्र में 129 मत्स्यन पोत उपलब्ध हैं। विभिन्न संसाधन विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत 596 अतिरिक्त पोतों को अनुमति दी जा सकती है।

(ख) समुद्र में हर प्रकार की सहायता के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तटरक्षक उपस्थित हैं। इसके अलावा बीच समुद्र में बंकरों को प्राप्त करने तथा कैचों को दूसरे जहाज पर लादने के लिए गहरे समुद्र के पोतों की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक वर्षों में प्रशिक्षित विदेशी क्रू के निर्दिष्ट प्रतिशत की अनुमति है।

(ग) और (घ) विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, सरकार ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन के लिए अब तक 25 भारतीय कंपनियों को मांग पत्र/अनुमति पत्र दिया है।

(ङ) और (च) सरकार एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से हमारे समुद्र की मत्स्यन संभावना का पुनर्वैधीकरण करती रहती है। ताजा आकलन के अनुसार 2.94 मिलियन टन के चालू उत्पादन (2004) की तुलना में मत्स्यन योग्य क्षमता 3.93 मिलियन टन की है। अनुमान है कि अतिरिक्त उत्पादन एक बड़ा हिस्सा गहरे समुद्र क्षेत्र से आता है।

विवरण

21-12-2005 तक भारतीय ई.ई.जेड. में मत्स्यन के लिए भारतीय कंपनियों को जारी एल.ओ.पी. की सूची

क्र. सं.	कंपनी का नाम तथा पता	एल.ओ.पी. जारी होने की तिथि	पोत का नाम	प्रकार तथा संख्या				टिप्पणी
				एम.डब्ल्यू./ पीटी	टी.एल.एल.	पी.एस.	एच. एंड एल पोत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एन.जी. मैरीन (प्रा.) लिमिटेड, फ्लैट नं. 11, पहली मंजिल, क्लासिक काम्प्लैक्स प्रकाशरावपेटा, विशाखापट्टनम-530 020	4-6-02	एचएआई एफए न. 62 (एचओएफयू एमईआई नं. 6) चंग लाई नं. 16		2 टीएलएल*			2 एलओपी 1-12-05 को सरेंडर किया गया।
2.	रिशमन सी फूड्स (पी) लिमिटेड, 6210, बी-9, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070	17-1-03	ओसियन नं. 1	1 एमडब्ल्यू/ पीटी**				1 एलओपी 27-9-04 को सरेंडर किया गया।
3.	मोनार्क मैरीन (पी) लिमिटेड, सी-111, गोल्फ व्यू अपार्टमेंट, साकेत, नई दिल्ली-110 017	17-1-03	सांतन 225 सांतन 226 सांतन 235	3 एमडब्ल्यू/ पीटी**				3 एलओपी 19-11-03 को सरेंडर किया गया।
4.	विजेता मैरीन (पी) लिमिटेड, एफ-11, क्लासिक काम्प्लैक्स, प्रकाशपेटा, विशाखापट्टनम-530020	4-6-02	एएनडीए नं. 747 एचएआईएफए नं. 21 चेन हेंग नं. 6 एचएसआईईएच चेन नं. 101		4 टीएलएल*			
5.	न्यू ओरिएंटल ट्रैवलर्स (पी) लिमिटेड, पहली मंजिल, 128, श्रीनगर कालोनी हैदराबाद-500 073	31-7-02	यू यो 101 यू यो 127 एचडब्ल्यूए टीएसएआई 101		3 टीएलएल*			
6.	रिशमन मैरीन (पी) लिमिटेड, 6210, बी-9, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070	17-1-03	आईएक्सटीएचयूएस नं. 7	1 एमटी/ पीटी**				1 एलओपी 27-09-04 को सरेंडर किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	कोस्टल फीड प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड, दरवाजा नं. 15-1-37/3, नौरोजी रोड, महारानीपेटा, बिशाखापट्टनम-530 002	4-6-02	एचएसआईएनजी हंग नं. 6 एचएसआईएनजी हंग नं. 31 टीआईए एचसीआईएनजी नं. 11 हिर्सिंग लियन नं. 71		4टीएलएल*			4 एलओपी 21-12-05 को सरेंडर किया गया।
8.	प्रेम फिन-केप (पी) लिमिटेड, जे-1941, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110 019	17-1-03	भारती-1 भारती-2 भारती-3 भारती-4	5 एमडब्ल्यू/ पीटी**				
9.	रिशमन फिशरीज (पी) लिमिटेड, 6210, बी-9, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070	17-1-03	गोल्डेन लेक 808 ओरोला 7 ब्लू बर्ड 509	3 एमडब्ल्यू/ पीटी**				
10.	प्रियंस सी फूड्स (पी) लिमिटेड, फ्लैट नं. 11, पहली मंजिल, क्लासिक काम्प्लैक्स, प्रकाशरावपेटा, विशाखापट्टनम-530 020	4-6-02	क्वेंग हारंग ताई फे चेंग		2 टीएलएल*			2 एलओपी दिसम्बर, 05 को सरेंडर किया गया।
11.	रिशमन शिपिंग कंपनी इंडिया (पी) लिमिटेड, 6210, बी-9 बसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070	4-6-02	टीम नं. 1 हर्सिंग युआन नं. 66 ताई चे चेंग 66 चुन यिंग नं. 636		4 टीएलएल*			
12.	श्री सी फूड्स (पी) लिमिटेड, 47-3-15, द्वाराकानगर, विशाखापट्टनम-530 016	31-7-03	हुंग जंग नं. 101 हुंग एचडब्ल्यू. नं. 202 चिन चुंग नं. 301 चिन चुंग नं. 307		4टीएलएल*			
13.	चंदाना फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड, 15-1/37/3, नौरोजी रोड, महारानीपेटा, विशाखापट्टनम-530 002	14-10-03	एमएफवी जंग चुन-1 लेन जाई चुन नं. 16		2 टीएलएल			2 एलओपी 14-6-04 को सरेंडर किया गया।

14. अकामा मैरीन लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, ओ़सन पार्क, अपार्टमेंट, बीच रोड, महारानीपेटा, विशाखापट्टनम-530 002	5-12-03	साकिज कृटसामुट बेंगबेकांग		5 टीएलएल*	
	10-3-04	सिनथावोकोर्न-I			
15. एफेबल फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 8016, कांतीलाल मेनसंन, वी.एम. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 058	11-12-03	इंडिया स्टार नं. 1 इंडिया स्टार नं. 2		7 टीएलएल	
	16-3-04	इंडिया स्टार नं. 3			
	27-8-04	येअन हांर्ग सन सीन (इंडिया स्टार नं. 6)			
	15-9-04	ई. पोनीको नेप्च्यून			
	24-11-04	लोटस अपोलो पर्ल		3 टीएलएल	
16. की फूड्स 7/411, माराकाडावू कोचीन-682 002	26-7-04	लु रि यू 1215 लु रि यू 1216 लु रि यू 1337 लु रि यू 1338	4 एमडब्ल्यू/ पीटी**		
17. अवियन ट्यूना फिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, पांचवां फ्लोर, सिदर्शन बिल्डिंग, 86, चेमिअर्स रोड, चैन्नई-600 018	30-7-04	डार लांग चेंग नं. 2 चिंग चुन एफए नं. 168 ली शेंग		3 टीएलएल	
18. जीवन सी साइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नौवीं मंजिल, जी जी क्रिस्टल, 91, राधाकृष्णन सलाई, मेलापुर, चैन्नई-600 004	4-8-04	चोकेडुंगकहेई-7/जीवन-I वेनचाईसमुर-2/जीवन-II			2 हुक तथा लाइन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	अटलांटा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, डी-147, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110 065	10-8-04	एमएफटी, अंसन एमएफटी, अंसन 101 एमएफटी, अंसन 601		3 टीएलएल			
20.	डव मैरीन एक्सपोर्टस (पी) लिमिटेड, प्लाट नं. 7, एसबीआई क्वार्टस, शिवाजीपेलम, पेडावाल्टेयर, विशाखापट्टनम-530 017	17-9-04	हंग ची नं. 102 हंग ची नं. 121 हंग शिंग नं. 212 हंग ते नं. 212		4 टीएलएल			
21.	लक्ष्मी प्रसुना मैरीन इंडिया (पी) लिमिटेड, 47-3-15, पांचवीं लेन द्वाराकानगर, विशाखापट्टनम-530 016	17-9-04	हंग यू नं. 202 हंग चाई नं. 202 हंग चिन नं. 212 चेन चुंग नं. 306		4 टीएलएल			
22.	शिकंदा मैरीन प्राइवेट लिमिटेड, 47/1, शिवस्वामी सेलाई, पहली गली, मेलापोर, चैन्नई-600 004	11-11-04	विन फार नं. 161 विन फार नं. 162 एचडब्ल्यूए शेन 212 डब्ल्यूए चेयांग 232		4 टीएलएल			पोत को सरेंडर करने का इच्छुक नहीं, चलाने को इच्छुक है।
23.	क्रस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, 15-1-37/2, नौरोजी रोड, महारानीपेटा, विशाखापट्टनम-530 002	24-11-04	यिंग ते हशिंग नं. यिंग ते हशिंग नं. यिंग जुई हशिंग नं. 3		3 टीएलएल			3 एलओपी 21-12-05 को सरेंडर किया गया।
24.	बालाजी सी फुड्स लिमिटेड, 15-1-37/3, नौरोजी रोड, महारानीपेटा, विशाखापट्टनम-530 002	24-11-04	चेंग हसिंग 6 हेई शेंग नं. 18 हेई शेंग नं. 63 हेई शेंग नं. 81 हेई शेंग नं. 89 फु शेंग नं. 92		10 टीएलएल			

		हेई शेंग नं. 96 कुआंग हसिंग नं. 188 कुआंग हसिंग नं. 196 हेई शेंग नं. 226						
25. तिशा नेवीगेशन इंक, दरवाजा नं. 39/2750-एआई 'लक्ष्मी' ग्राउंड फ्लोर, विष्णु विहार, वेरियम रोड, साउथ कोची-682 016	20-12-04	ग्रेसीजा लगुना जेडलांटो मोरे	3 एमडब्ल्यू./ पीटी**					
(4 सीओएस सरेंडर एलओपी)		95 पोत	20	71	2	2		18 एलओपी सरेंडर किया गया। 5 एमडब्ल्यू/पीटी +13 टीएलएल

*टीएलएल - ट्यूना लॉंगलाइनर पीएस - पर्स सिनर

**एमडब्ल्यू/पीटी - मिड वाटर/पीलेजिक ट्रालर एच एंड एल - हुक एंड लाइन पोत

[हिन्दी]

खनन हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

837. श्री हंसराज जी. अहीरः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लौह अयस्क खनन क्षेत्रों हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने और पट्टे के नवीकरण हेतु कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव सरकारी उपक्रमों और विदेशी परियोजनाओं से संबंधित हैं;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों की तुलना में विदेशी परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने में प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास कच्चे लोहे के खनन से संबंधित सत्तासी प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लम्बित हैं।

(ख) केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के चार प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लम्बित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी कृषि उपज बाजारों के प्रवेश हेतु योजना

838. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए निजी कृषि उपज बाजारों के प्रवेश को सरल बनाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र को सुचारू रूप से कार्य करने वाली मंडियों की जरूरत है। किसान के खेतों के निकट कटाई पश्चात् और शीत शृंखला अवसंरचना के विकास के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इस निवेश के एक बड़े भाग की आशा निजी क्षेत्र से की जाती है जिसके लिए उपयुक्त, विनियामक और नीतिगत वातावरण की जरूरत है। इसके साथ-साथ किसानों के खेतों से सीधे ही कृषि जिंसों की खरीद को बढ़ावा देने तथा कृषि उत्पादन और खुदरा केन्द्र तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित करने के लिए सक्षमकारी नीतियां बनाने की जरूरत है। तदनुसार राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्य कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम (ए.पी.एम.सी. एक्ट) में सुधार करके निजी और सहकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी कृषि मण्डियों, प्रत्यक्ष विपणन और संविदा कृषि कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। कृषि मंत्रालय ने दिशानिर्देश तथा राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक मॉडल कानून तैयार किया है।

तदनुसार सभी राज्य ए.पी.एम.सी. अधिनियम में परिवर्तन लाने के लिए सामान्यतया सहमत हैं। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड ने पहले ही अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियम में संशोधन कर लिया है और संस्तुत सुधारों का क्रियान्वयन किया है।

(ग) मॉडल अधिनियम की तर्ज पर ए.पी.एम.सी. अधिनियम में परिवर्तन लाने के लिए राज्यों को राजी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) दिनांक 7-1-2004 को दिल्ली में तथा दिनांक 19-11-2004 को बंगलौर में राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर की बैठकें आयोजित की गई थीं।

(ii) दिनांक 16 जुलाई, 2004 तथा पुनः फरवरी, 2005 में ए.पी.एम.सी. अधिनियम में संशोधन करने के लिए कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों तथा 25 मई, 2005 को मुख्य मंत्रियों को माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री की ओर से अनुवर्ती पत्र भेजे गए।

(iii) नवम्बर, 2004 में मण्डी अवसंरचना विकास परियोजनाओं पर निवेश राजसहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम क्रियान्वित की गई। उन राज्यों को इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सहायता दी जाएगी जो मॉडल अधिनियम की तर्ज पर

ए.पी.एम.सी. अधिनियम में संशोधन करेंगे। मार्च, 2005 में बैंकों के जरिए पात्र परियोजनाओं को निवेश राजसहायता देने के लिए नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. को 25 करोड़ रुपये की धनराशि भी निर्मुक्त की गई।

कृषि संबंधी डा. एम.एस. स्वामीनाथन रिपोर्ट/ डा. माशेलकर रिपोर्ट

839. **श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:**

डा. चिन्ता मोहन:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में गठित डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन और डॉ. माशेलकर की अध्यक्षता वाली समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों समितियों की अलग-अलग सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दोनों समितियों की सिफारिशों का विवरण तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति अलग-अलग क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान को पुनः तैयार करने और पुनः ध्यान देने पर कार्यदल

डा. स्वामीनाथन समिति

सिफारिश संक्षेप में	अनुवर्ती कार्रवाई
1	2
कृषि (एन.बी.एस.आर.ए.) में राष्ट्रीय नीतिगत अनुसंधान बोर्ड की स्थापना करना।	एन.बी.एस.आर.ए. जैसा 25 से अधिक सदस्यों वाले बोर्ड को व्यवहार्य नहीं पाया गया। फिर भी, सरकार ने "बेसिक और नीतिगत कृषि अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि" नामक एक योजना अनुमोदित की है। डॉ. सी.एन.आर. राव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति बेसिक और नीतिगत अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुमोदनार्थ गठित की गई है।
प्रमुख कृषि पारिस्थितिकीय प्रणालियों में से प्रत्येक में राष्ट्रीय प्रतिभागी अनुसंधान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना और उनको सी.एस.आई.आर. पॉली-क्लीनिक की तर्ज पर डिजाइन करना।	यह तय किया गया है कि प्रत्येक कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन (भारतीय, कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालय) अन्य सहयोगी विभागों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को काम में लाएंगे। सामान्य प्रशिक्षण राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा दिया जाएगा।
मिशन मोड; जलवायु बदलाव, तटीय बायो-शील्ड्स, जैव-ईंधन, नए टीके आदि पर राष्ट्रीय चुनौती कार्यक्रम प्रारंभ करना।	भारतीय कृषि में जलवायु बदलाव के प्रभाव पर एक नेटवर्क कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जहां तक टीकों का संबंध है, उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, भोपाल को 6-8 माह के भीतर बर्ड-फ्लू के लिए एक नया टीका विकसित करने हेतु अप्रैल, 2006 में 8.0 करोड़ रु. स्वीकृत किए थे। एच.एस.ए.डी.एल., भोपाल ने चार माह में ही टीका विकसित कर लिया है।

1	2
– प्राइवेट - सार्वजनिक प्रतिभागिता के लिए आचार संहिता विकसित करना।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उद्योग/निजी क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पहल की है। विस्तृत चर्चाएं और पारस्परिक संपर्क किए गए हैं।
– एच.आर.डी. और क्षमता निर्माण हेतु बजट का 10 प्रतिशत आरक्षित करना।	– ग्यारहवीं योजना प्रस्ताव तैयार करते समय ध्यान में रखना
– विदेश भ्रमण; कार्मिक नीतियां तैयार करने को अनुमोदन देने हेतु निदेशकों को प्राधिकार प्रदान करना।	– आंतरिक वित्तीय प्रावधान के साथ अनुमोदित परियोजनाओं के अधीन विदेश प्रतिनियुक्तियों को स्वीकृति देने के लिए निदेशकों को शक्तियां पहले ही प्रदान कर दी गई हैं। – महिला वैज्ञानिकों की सेवा-शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित होती हैं।
समेकित ब्लाक अनुदान, प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान और परियोजना निधि रणनीति	– राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना के तहत प्रतिस्पर्धात्मक निधि की व्यवस्था की गई है तथा बेसिक व नीतिगत अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि की व्यवस्था है। – परियोजना आधारित निधि प्रदान करने के लिए एक रणनीति तैयार करने हेतु योजना आयोग के परामर्श से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सदस्य (विज्ञान), योजना आयोग की अध्यक्षता में, बैठक आयोजित की गई।
राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण की स्थापना	जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है।
अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए गैर कृषि रोजगार, पंचायती-राज संस्थाओं का प्रौद्योगिकीय सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में नए केन्द्रों की स्थापना करना।	पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है।
पशु वीर्य, रोग नैदानिकी और मानीटरन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पशु जीनोमिक्स, रैफरल प्रयोगशाला के लिए केन्द्रीय गुणवत्ता नियंत्रण बोर्ड की स्थापना	नस्ल सुधार कार्यक्रमों के लिए बढ़िया जननद्रव्य, गुणवत्ता वीर्य और भ्रूणों की उपलब्धता तथा गोपशु और भैंसों में न्यून जनन-क्षमता दरों जैसे मुद्दे गोपशु और भैंस प्रजनन (एन.पी.सी.सी.बी.) के लिए राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन के जरिए पहले ही हल किए जा चुके हैं। – पशु जीनोमिक्स हेतु केन्द्रीय गुणवत्ता नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के लिए कार्रवाई पशुपालन एवं मात्स्यिकी विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। – जहां तक राज्य स्तरीय रोग निदान मानीटरिंग प्रयोगशाला की स्थापना का संबंध है, जिला/क्षेत्र/राज्य स्तर पर लगभग 250 रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं राज्यों में पहले से ही विद्यमान हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में एक राज्य

1	2
	महामारी रोग विज्ञान संबंधी केन्द्र है जो कि राज्य की रोग स्थिति पर सूचना एकत्र करता है और सूचना को मासिक आधार पर केन्द्रीय कक्ष को भेजा जाता है। राज्य नैदानिक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में "पशु रोगों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.)" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन प्रावधान है, जिसके अनुसार 75 : 25 आधार पर अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
	– रैफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की निधि से 5 क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं (आर.डी.डी.एल.एस.) पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं।
उप महानिदेशकों तथा सहायक महानिदेशकों के पदों की संख्या में संशोधन	वैज्ञानिक पुनर्गठन एक सतत् प्रक्रिया है। सहायक महानिदेशक के 7 पदों की मुख्यालय से फील्ड में पहले ही पुनः तैनाती कर दी गई हैं।
अनुसंधान, शिक्षा तथा बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए परामर्श सेवाओं तथा प्रायोजक अनुसंधान द्वारा अर्जित आय का उपयोग	यह प्रणाली पहले से ही मौजूद है।
परियोजना निदेशालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, समन्वित परियोजनाओं को वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता दी जाए जिससे वो निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग करने में समर्थ हो सकें।	पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां पहले ही प्रदत्त कर दी गई है।
– नार्म में राष्ट्रीय अंतःशक्ति (वर्चुअल) विश्वविद्यालय की स्थापना – नार्म, हैदराबाद द्वारा पाठ्यक्रम माडल का संशोधन	– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिकों की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए नार्म के दायरे और अधिदेश को और बढ़ाया जाएगा।
– प्रबंधन में क्षमता निर्माण संबंधी वरिष्ठ स्तर का पाठ्यक्रम	– संस्थान के लिए विशेष तौर पर लघु/दीर्घ अवधि के विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने वाले ए.आर.एस. वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीष्म (समर) तथा शीत (विंटर) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। – नार्म फाउंडेशन कोर्स के पाठ्यक्रम में समय-समय पर उभरने वाले अनुसंधान प्रबंधन मुद्दों को शामिल करते हुए डायनामिक अवधारणा का अनुसरण किया जा रहा है। पाठ्यक्रम उन्नयन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित अनेक राष्ट्रीय स्तर की समिति की सिफारिशों तथा

1	2
	नार्म, हैदराबाद में अनुसंधान सलाहकार समिति की टिप्पणियों के आधार पर किया गया है।
	– नार्म द्वारा समय-समय पर अपने अधिदेश से संबंधित उभरते हुए क्षेत्रों में परस्पर नीतिगत विचार-विमर्श आयोजित किए जाते है और कृषि और ग्रामीण विकास, कृषि प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण आदि के लिए प्रशिक्षण नीति, परियोजना आधारित बजटिंग, आई.सी.टी. पर नीतिगत दस्तावेज तैयार किए जाते है।
	– प्रख्यात संगठनों जैसे आई.जी.एन.ओ.यू., एम.ए.एन.ए.जी.ई. तथा इस प्रकार के अन्य संगठनों के साथ सहयोगी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।
कृषि अनुसंधान में निवेश को बढ़ाना – उभरते हुए विश्वव्यापी व्यापार परिवेश में कृषि अनुसंधान को सुग्राही बनाना – घरेलू और विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना।	(i) बीज, पराजीनी माईक्रोआर्गेनिज्म जैसे भावी क्षेत्रों में अनुसंधान प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। दिनांक 26-7-2006 से एक राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना आरंभ की गई है। कृषि के समस्त पहलुओं से जुड़े उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए मूलभूत तथा नीतिगत अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय कोष स्थापित कर दिया है।
– व्यापार गुणवत्ता तथा पेटेंट से जुड़े साहित्य संबंधी जानकारी प्रदान करना।	(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाईट पर आई.पी.आर. दिशानिर्देशों के ड्राफ्ट को टिप्पणी हेतु डाला गया है।
– भावी क्षेत्रों में व्यापार के लिए इंडियन कामन मार्किट, डिजीटल प्रवेशद्वार (गेटवे)।	
– ए.आर.एस. के मूल उद्देश्य और ढांचे का संशोधन	सी.एस.आई.आर. की 'क्विक हायरस्कीम' के अनुरूप प्रावधान कृषि अनुसंधान सेवा नियमों में पहले से मौजूदा है।
– उचित तथा वास्तविक पुरस्कार (जैनूयइन एवार्ड) 'क्विक हायर सिस्टम' की शुरुआत	
– विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रोफेसर के 50 पद और राष्ट्रीय फैलो के 100 पदों का सृजन।	– हाल ही में राष्ट्रीय प्रोफेसर स्कीम का पुनर्गठन किया गया।
उत्कृष्टता के विश्वव्यापी केन्द्र को विकसित करना - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भा.प.चि.अ. संस्थान, रा.डे.अ.सं., केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान तथा सी.एफ.टी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर. के तहत) जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को आई.आई.टी. की तरह घोषित किया जाए और इन केन्द्रों में नीतिगत पर्यवेक्षण के लिए वैश्विक नेतृत्व हेतु राष्ट्रीय परिषद स्थापित की जाए।	इन संस्थानों को मुख्यधारा से अलग करने में समन्वय तथा परस्पर विचार-विमर्श की समस्या होगी तथा कुल वैज्ञानिक संख्या में से 1247 वैज्ञानिक कम हो जाएंगे (लगभग 20 प्रतिशत) इन संस्थानों के निदेशकों को जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां पहले ही प्रदत्त कर दी गई हैं।

1	2
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जाए।	
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष ए.आर.एस. संवर्ग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पृथक संवर्ग बनाने में ए.आर.एस. की अखिल भारतीय पहचान समाप्त हो जाएगी।
कृषि विज्ञान केन्द्रों का कृषि और उद्योग विज्ञान केन्द्र के रूप में विषय-परक बनाया जाए।	कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े पहलुओं को कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिदेश में पहले से ही शामिल किया गया है। इसका नाम बदलने से कृषि से इनका ध्यान हट जाएगा।
– राज्य स्तर पर समेकित अनुसंधान और प्रसार के लिए वैकल्पिक माडल्टीज	– यह राज्य सरकारों के विकास विभागों के तहत आता है।
– नियमित फीडबैंक/मार्गदर्शन के लिए नई पहल वाले किसानों की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना	– परिषद द्वारा कार्यान्वित पुरस्कार प्रणाली में प्रवर्तक किसानों को पहले से ही सम्मिलित किया जाता है।
– भारतीय दूतावास में तकनीकी रूप से योग्य कृषि विज्ञान सलाहकार की नियुक्ति	– यह विदेश मंत्रालय से संबंधित है।
– काम के बदले अनाज और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की प्रौद्योगिकीय वैबस्टापिंग के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन स्थापित करना	ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है।
– काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 150 जिलों के लिए एस एंड टी कंसोरटियम का गठन	

विवरण-II

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट

डा. स्वामीनाथन समिति

संक्षेप में सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2
– कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रणालियों, निजी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी संगठन से वैज्ञानिकों को शासित करने के लिए शासी निकाय के गठन में संशोधन किया जाए। वास्तविक रूप में इसका स्वायत्त स्तर बनाया जाए तथा वित्त एवं मानव संसाधनों के मामलों में और अधिक अधिकार देकर शासी निकाय को सशक्त बनाया जाए।	शासी निकाय को सुदृढ़ करने के क्रम में सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा महानिदेशक, वै.औ.अं. परिषद को शासी निकाय में सदसमय के रूप में शामिल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियमों और उप-नियमों में संशोधन किए गए। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रणालियों, निजी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी संगठनों, से उपयुक्त

1	2
	वैज्ञानिकों को मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकता है।
– निजी क्षेत्र से दो प्रख्यात विशेषज्ञ तथा संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से एक प्रख्यात वैज्ञानिक अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के सदस्य होने चाहिए।	– अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के संघटन में संशोधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियमों तथा उपनियमों में उपयुक्त संशोधन किये गये हैं।
– कर्मचारी अनुसंधान परिषद का नाम बदलकर संस्थान अनुसंधान समिति (आई.आर.सी.) के रूप में पुनः नामित किया जाये।	– कर्मचारी अनुसंधान परिषद परिषद के नाम को बदलने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियमों एवं उपनियमों में उपयुक्त संशोधन किये गये हैं।
– विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित कार्यवाही का सार संबद्ध वैज्ञानिकों की वार्षिक क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल की जाये।	– संस्थानों को अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।
– संस्थानों के निदेशकों को सीधे महानिदेशक की रिपोर्ट करनी चाहिए। – उप-महानिदेशकों तथा सहायक महानिदेशकों के मौजूदा पद समाप्त कर दिये जायें। – मुख्यालय में निम्नलिखित चार फंग्शनरी कार्य करेंगे: निदेशक (विस्तार); निदेशक (शिक्षा); निदेशक (तकनीकी) तथा निदेशक (समन्वित कार्यक्रम)	– सहायक महानिदेशकों के 7 पदों की पहले ही पुनः तैनाती की जा चुकी है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशक के रूप में पद नामित किया गया है। संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को "सी.एस.आई.आर. ज्वैल्स" योजना की लाइन पर एक योजना विकसित करनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तथा प्रबंध अकादमी को अधिक स्वतंत्रता दी जाए तथा इसमें लचीलापन होना चाहिए। तथापि ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अभिन्न अंग बने रहे।	सी.एस.आर.आई. में "सी.एस.आई.आर. ज्वैल्स" स्कीम के नाम से कोई योजना नहीं चल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तथा प्रबंध अकादमी के निदेशकों को पर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थानों के निदेशकों को योजना दस्तावेज में प्रावधान की सीमा तक पूरे अधिकार दिये जाएं बशर्ते कि यह स्वीकृत वार्षिक बजट संबंधी सीमा के अनुसार हो।	अपेक्षित प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार दिये गये हैं।
सी.एस.आर.आई. के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत तथा सी.एस. आई.आर. में अपनाई गई एक योजना का अनुसरण करते हुए निदेशक/परियोजना निदेशक (सिवाय इन राष्ट्रीय अनुसंधान	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लचीली पूरक योजना के सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है। यह रिक्तियों के मामले में स्वतंत्र है तथा वैज्ञानिकों को रिक्ति का ध्यान किये बिना अगले

1	2
केन्द्र के) को वै.औ.अ. परिषद को रु. 22,400-24,500 का वेतनमान दिया जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कैरियर एडवान्समेंट योजना को छोड़ दिया जाए। कृषि अनुसंधान सेवा के अनुसार पदोन्नति नीति को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वापस लें परन्तु अन्य सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थाओं में अनुभव के आधार पर इसे संशोधित किया जाये।	ग्रेड पाने के बाद भी उसी संस्थान में अनुसंधान को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।
बाहरी स्रोतों से आय सृजित करने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहन के लिए एक योजना विकसित करनी चाहिए।	मौजूदा प्रणाली के अनुसार, संस्थानों को उनके द्वारा सृजित राजस्व का 85 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति है। शेष 15 प्रतिशत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय को वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित आकलनों के निर्णय के समय यथावश्यक वितरण/उपयोग के लिए वापस किया जाता है। तथापि संस्थान जो वर्ष के दौरान अपने लक्ष्य से ज्यादा राजस्व सृजित करते है उन्हें निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त सृजित राजस्व का 100 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति होती है। यह प्रणाली कई वर्षों से सुचारू रूप से चल रही है। – वित्त मंत्रालय से मैचिंग ग्रान्ट की योजना वर्ष 1997 से चल रही है।
संस्थानों के पूर्ण अनुसंधान प्रोटफोलियो को परियोजनाबद्ध होना चाहिए।	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।
अनुमोदित परियोजना दस्तावेज में सूचीबद्ध मदों की प्राप्ति के लिए परियोजना लीडर/प्रधान अन्वेषणकर्ता को पूर्ण वित्तीय अधिकार होने चाहिए जिसके लिए वर्ष के दौरान परियोजना बजट में निधियां उपलब्ध हैं।	क्रय संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार हैं, जो जुलाई, 2005 में लागू हुए थे।
राष्ट्रीय प्रोफेसरों और राष्ट्रीय अध्यताओं की संख्या बढायी जानी चाहिए।	राष्ट्रीय प्रोफेसर स्कीम को पहले ही युक्तिसंगत बनाया गया है।
कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल (ए.एस.आर.बी.) को संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.ए.सी.) के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसकी स्वतंत्रता की सभी संबंधित व्यक्तियों को रक्षा करनी चाहिए और सम्मान देना चाहिए।	ए.एस.आर.बी. अपनी स्थापना से ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है तथा चयन और मूल्यांकन की गुणवत्ता के हित में यह यू.पी.एस.सी. के पैटर्न पर स्वतंत्र रूप से कार्य करना जारी रखेगा। चयन समिति के संशोधित संघटन के अनुसार अध्यक्ष, ए.एस.आर.बी. को बाह्य विशेषज्ञों को मनोनीत करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

1	2
अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल द्वारा विशेषज्ञों के पनल तथा संबंधित संस्थान की अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत पैनल से बाहरी विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत किया जाना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में पदों के संबंध में विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जाना चाहिए जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।	
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच वैज्ञानिकों की दुतरफा आवाजाही को बढ़ावा देने और समर्थ बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।	मौजूदा अनुदेश पहले ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सी.एस.आर.आई. और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच वैज्ञानिकों की पर्याप्त आवाजाही प्रदान करते हैं।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में समान प्रणाली के आधार पर वैज्ञानिकों को शीघ्रत से किराय पर लेने की प्रण्पाली विकसित की जाए।	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में "क्विक हायर" जैसे प्रावधान ए.एस.आर. नियमों में पहले से ही मौजूद है।
वैज्ञानिक पदों को उन वर्तमान निर्देशों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए जिनके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष रिक्त होने वाले पदों में से केवल एक-तिहाई पदों को भरा जा सकता है।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने सभी वैज्ञानिक पदों को भरने में किसी प्रकार के प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
वाणिज्यिक आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए वैकल्पिक मॉडल।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - उद्योग इंटरफेस बैठकें आयोजित की गईं। बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर दिशानिर्देश का प्रारूप तैयार किया गया है तथा इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया है।
– बौद्धिक सम्पदा की रूपरेखा प्रस्तुत करने के प्रकारों, स्वामित्व की नीति, मूल्य और लाइसेंसिंग आई.पी. के मानदण्डों तथा विदेशी ग्राहकों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ज्ञान के उपयोग के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित करना। – वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में चल रही स्कीम के अनुरूप वैज्ञानिक उद्यमशीलता संबंधी योजना का विकास करना। – व्यवसाय के विकास के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने का प्रावधान। – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा व्यवसाय और विपणन स्थापित करने का प्रावधान। – उद्योगों के साथ अनुसंधान में भागीदारी कर रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के लिए राजस्व हिस्सेदारी संबंधी स्कीम की डिजाइन बनाना।	

1	2
– अधिदेशित क्षेत्र में बीज/पौध/रोपण सामग्री/फिंगर लिंग्स के विकास के माध्यम से वर्तमान और उभरती हुई संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए फार्म तथा प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं का विकास करना।	
– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-उद्योग अंतरापृष्ठ की क्षेत्रवार बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जानी चाहिए।	
– वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पैटर्न पर उपयुक्त निजी क्षेत्र के उद्योग स्रोतों के साथ सहभागिता में केन्द्रीयकृत भागीदारी संबंधी सुविधाएं स्थापित करना।	

बांस को अधिसूचना मुक्त करना

840. श्री जी.वी. हर्ष कुमारः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बांस को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन प्रजातियों की सूची से अधिसूचना मुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं। सरकार का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वन प्रजातियों की सूची से बांस को अधिसूचना मुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है। [वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन प्रजातियों की सूची से संबंधित नहीं है। यह केवल गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण की अनुमति देने से संबंधित है।] तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों की कटाई और पारगमन विनियमों में ढील देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश बांस पर भी लागू है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण रोकने में निजी क्षेत्र

841. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कारपोरेट क्षेत्र से वानिकी से लेकर बहिस्राव शोधन संयंत्र चलाने और प्रदूषण की निगरानी करने के सभी मामलों में "हरित अभियान" में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस निदेश पर कीटनाशकों, डाई और रसायनों, भेषज, मद्य निर्माणशालाओं, सीमेंट तथा खान और धातु जैसे उद्योग क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए निगमित उत्तरदायित्व पर एक वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सरकार के तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वार्ता में पर्यावरणीय सुरक्षा की दिशा में निगमित क्षेत्र द्वारा अधिक सक्रिय अनुक्रिया (रिस्पोंस) की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

(ख) स्वेच्छा से अनुपालन की विशेषताओं, लागत प्रभाविता तथा दीर्घावधिक नैरन्तर्य एवं स्व-विनियमन को महत्व प्रदान करते हुए सरकार ने मार्च, 2003 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए निगमित उत्तरदायित्व चार्टर (सी.आर.ई.पी.) प्रारंभ किया था। सी.आर.ई.पी. में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियां शामिल हैं, तथा इस चार्टर के क्रियान्वयन में 8 कार्यदल मार्गदर्शन करते हैं। इस अवधि के दौरान की पारस्परिक और परामर्श की सतत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उद्योग के इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि निवारक प्रदूषण नियंत्रण उपाय उपचारात्मक उपायों की तुलना में अधिक किफायती हैं। इस पर उद्योग जगत की मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। जबकि अल्युमीनियम, सीमेंट तथा थर्मल पावर संयंत्र जैसे उद्योगों ने परिष्कृत पर्यावरणीय उपाय किए हैं, कीटनाशक, रंजक तथा रंजक अंतर्वर्ती, डिस्टिलरीज तथा औषधि जैसे उद्योगों द्वारा अपेक्षित प्रतिक्रिया अभी की जानी है।

टीवी धारावाहिकों में भारतीय महिलाएं

842. श्री प्रहलाद जोशी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टीवी धारावाहिकों विशेषकर बड़े धारावाहिकों में भारतीय महिलाओं की ऐसी छवि प्रस्तुत की जाती है जो कि भारतीय संस्कृति और पारिवारिक ढांचे को प्रेरित करती रहने वाली स्वीकार्य और सम्मानजनक छवि के बिल्कुल विपरीत है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में महिला संगठन भारतीय महिलाओं को अपने पतियों के प्रति नए-नए फसाद खड़े करने और उनके प्रति बेवफा होने वाली छवि प्रस्तुत करने वाले इन धारावाहिकों का कड़ा विरोध कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे धारावाहिकों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, वह इस बात को सुनिश्चित करने हेतु ध्यान देता है कि इसके चैनलों पर प्रसारित धारावाहिकों में महिलाओं का चित्रण स्वस्थ हो और सामाजिक मानदंडों तथा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के समनुरूप हो। जहां तक निजी टीवी चैनलों पर धारावाहिकों के प्रसारण का संबंध है, जब तक वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हैं तब तक उनकी विषय-वस्तुओं का विवेचन सरकार के किसी नियंत्रण के अधीन नहीं है। कार्यक्रम संहिता, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाती है जो अश्लील हो अथवा महिलाओं का अपमान करती हो।

(ख) भारतीय महिलाओं को स्वीकार्य सामाजिक मानदंडों के विपरीत प्रस्तुत करने वाले धारावाहिकों के विरोध में किसी भी महिला संगठन से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि कार्यालय पर छापे

843. श्री राम कृपाल यादव:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान भविष्य निधि कार्यालय पर मारे गए छापों के पश्चात् दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ख) क्या इसमें विकास अधिकारी और शाखाओं के अधिकारी लिप्त पाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (घ) वर्ष 2005 के दौरान छापों में/सी.बी.आई. द्वारा/राज्य सरकार के ऐन्टी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) द्वारा पकड़े गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2005-2006 के दौरान छापों/पकड़े गये लोगों का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र	अधिकारी का नाम	पकड़े जाने की तिथि	कारण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	श्री जोगेन्द्र प्रसाद, अ.श्रे.लि.	04-05-05	15,00/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी अभी निलंबित है तथा मामला सी.बी.आई. के पास लंबित है।
2.	उत्तर प्रदेश	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक	31-05-05	5000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी अभी निलंबित है मुकदमे के आदेश दे दिये गये हैं तथा मामला सी.बी.आई. के पास लंबित है।

1 2	3	4	5	6
3. उड़ीसा	श्री संतोष नायक, सा.सु.स.	06-06-05	6000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी अभी निलंबित है मुकदमे के आदेश दे दिये गये हैं तथा मामला सी.बी.आई. के पास लंबित है।
4. गुजरात	श्री एस.एल. श्रीवास्तव, क्षे.भ.नि.आ.-I	30-06-05	आय से अधिक संपत्ति (तलाश एवं जब्त) अर्जित करने के मामले में ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा छापा मारा गया।	मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।
5. संघ क्षेत्र	श्री पी.डी. संखला, क्षे.भ.नि.आ.-I	30-06-05	आय से अधिक संपत्ति (तलाश एवं जब्त) अर्जित करने के मामले में ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा छापा मारा गया।	मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।
6. संघ क्षेत्र	श्री जी.एल. वर्मा, स.भ.नि.आ.			अधिकारी की मृत्यु हो गयी है अतः मामले को समाप्त मान लिया गया है।
7. संघ क्षेत्र	श्री एन.आर. सिंह, प्रवर्तन अधिकारी			सी.बी.आई. द्वारा आर.सी. रजिस्टर कर लिया है।
8. संघ क्षेत्र	श्री पी.एल. खंपा, एस.एस.			सी.बी.आई. ने मामले की जांच की तथा कुछ नहीं प्राप्त हुआ, मामला समाप्त माना जाये।
9. संघ क्षेत्र	श्री अविनाश कुमार, उ.श्रे.लि.			सी.बी.आई. ने मामले की जांच की तथा कुछ नहीं प्राप्त हुआ, मामला समाप्त माना जाये।
10. आंध्र प्रदेश	श्री एस.एन. कादरी, सामाजिक सुरक्षा सहायक	12-07-05	2000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी निलंबित है तथा मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।
11. तमिलनाडु	श्री आर. लोगराज, प्रवर्तन अधिकारी	06-10-05	30,000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी अभी निलंबित है मुकदमे के आदेश दे दिए गये हैं तथा मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।
12. महाराष्ट्र	श्री वी.डी. मांकर, स.भ.नि.आ.	21-10-05	10,000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी अभी निलंबित है। मुकदमे के आदेश दे दिए गये हैं तथा मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
13.	हरियाणा	श्री सुभाषचन्द्र, प्रवर्तन अधिकारी	02-01-06	राज्य पुलिस द्वारा 10,000/- की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।	अधिकारी अभी निलंबित है। मुकदमे के आदेश दे दिए गये हैं तथा मामला राज्य सतर्कता विभाग के पास लंबित है।
14.	हरियाणा	श्री कृष्ण गोपाल चुग, प्रवर्तन अधिकारी			
15.	राजस्थान	श्री पी.पी. नाइक, स.भ.नि.आ.	17-01-06	3,000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी अभी निलंबित है तथा मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।
16.	गुजरात	श्री एस.के. पिल्लै	01-02-06	20,000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी अभी निलंबित है तथा मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।
17.	हरियाणा	श्री भंवर सिंह, उ.श्रे.लि.	03-02-06	1,500/- रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी., सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए।	अधिकारी अभी निलंबित है तथा मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।
18.	उड़ीसा	श्री आर. सामल, क्षे.भ.नि.आ.-II	03-02-06	ए.सी.बी., सी.बी.आई. (कार्यालय फाइल तलाश एवं जब्त) द्वारा छापा मारा गया।	मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।
19.	उड़ीसा	श्री आर.के. सामल, प्रवर्तन अधिकारी	03-02-06		

शारदा सहायक और शारदा नहर सिंचाई प्रणाली का नवीकरण

844. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार शारदा सहायक और शारदा नहर सिंचाई प्रणाली के नवीकरण और बहाली हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सिंचाई योजनाओं हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यद हां, तो उक्त प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुए थे और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना नामक एक परियोजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना में शारदा सहायक परियोजना के जौनपुर शाखा उप बेसिन का पुनर्वास कार्य भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत हरदोई शाखा नहर की सिंचाई सघनता में सुधार लाने की दृष्टि से 105.30 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा गया है।

(ग) और (घ) पांच वृहद सिंचाई स्कीमों अर्थात, (i) मौजूदा शारदा नहर प्रणाली पर जल प्रबंधन का सुधार-ई.आर.एम. (ii) माजा बांध को ऊंचा उठाना-ई.आर.एम. (iii) बुंदेलखंड में चैनल का पक्काकरण-ई.आर.एम. (iv) भूपाली पंप नहर की क्षमता में वृद्धि करना-ई.आर.एम. और (v) उत्तर प्रदेश जल पुनर्गठन परियोजना संबंधी प्रस्ताव जो मार्च, 1992 से जुलाई, 2001 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए थे, उन्हें कुछ शर्तों के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से छः वृहद और एक मध्यम सिंचाई स्कीमों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शारदा सहायक और शारदा नहर सिंचाई प्रणाली का पुनरूद्धार

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वृहद/ मध्यम	नदी/ बेसिन	लाभान्वित जिला	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हेक्टे.)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	01-07-2006 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कन्हार सिंचाई	वृहद	सोन/ गंगा	मिर्जापुर	6/99	33.12	341.45	निर्माण तंत्र पहलू स्वीकार कर लिया गया है (7/99) वित्तीय पहलू (7/00), लागत पहलू (6/01), सिंचाई आयोजना पहलू (8.01) और अन्तर्राज्यीय मामलों एवं आर्थिक पहलू पर टिप्पणियां 08/2004 में राज्य सरकार को भेजी गई थीं।
2.	कचनोदा बांध	वृहद	जामनी/बेतवा	ललितपुर	11/2000	13.55	88.79	सी.डब्ल्यू.सी. ने अपनी जांच पूरी कर ली है।
3.	मध्य गंगा नहर परियोजना चरण-II	वृहद	गंगा	जे.पी. नगर मुरादाबाद	2/2005	225.43	1105	बैराज एवं नहर डिजाइन, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों, सिंचाई आयोजना, संयंत्र आयोजना, ई.आई.ए., लागत जल विज्ञान, सी.एस.एम. आर.एस./सी.जी.डब्ल्यू.बी. के भूजल पहलू, जल संसाधन मंत्रालय के वित्तीय एवं अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण पहलू और कृषि मंत्रालय की फसल पद्धति को स्वीकार पाया गया है। परियोजना प्राधिकारी को हस्तिनापुर अभ्यारण्य से 19.278 हे. भूमि को अनारक्षित करने के लिए आई.बी.डब्ल्यू.एल./उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	अर्जुन सहायक परियोजना	वृहद	धासन/यमुना	हमीरपुर महोबा	3/2005	61.016	264.56	संयंत्र आयोजना, बैराज एवं नहर डिजाइन, अन्तर्राज्यीय मामला और कृषि मंत्रालय के फसल पद्धति पहलू को स्वीकार्य पाया गया है। जल संसावन मंत्रालय के वित्तीय पहलू (6/05), तटबंध (7/05) सिंचाई आयोजना (8/05), लागत (9/05), और सी.एस.एम. आर.एस. (9/05) पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं।
5.	जसराना नवीन नहर परियोजना	वृहद	भागीरथी/गंगा	फिरोजाबाद	9/2005	10.20	57.76	संयंत्र आयोजना, जल विज्ञान, बैराज और नहर डिजाइन, कृषि मंत्रालय के फसल पद्धति पहलू, जल संसाधन मंत्रालय के वित्तीय पहलू को स्वीकार्य पाया गया है। सी.एस.एम.आर. एस. (12/05), अन्तर्राज्यीय मामलों (6/06), सी.जी.डब्ल्यू.बी. के भूजल पहलू (6/06) और सिंचाई आयोजना (6/06) पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं।
6.	बदायूं सिंचाई स्कीम	वृहद	राम गंगा/ गंगा	बरेली बदायूं	5/2006	32.104	252.50	अन्तर्राज्यीय मामलों (06/06) पहलू पर सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।
7.	भौंरत उत्तरी बांध	मध्यम	जामनी/बेतवा	ललितपुर	9/2001	10.40	52.10	17-05-2002 को अगली टिप्पणियां/प्रेक्षण राज्य सरकार को भेजे गए थे। परियोजना प्राधिकारियों को अन्तर्राज्यीय मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

नकली बीजों की बिक्री

845. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में व्यापारियों द्वारा नकली बीजों की बिक्री सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कुछ राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बी.टी. कपास के नकली बीजों की आपूर्ति की रिपोर्ट मिली है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें बी.टी. कपास के नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही हैं। भारत सरकार ने बी.टी. कपास का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों को बी.टी. कपास के नकली बीजों के उत्पादकों और वेंडरों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों के तहत आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सलाह दी है। बी.टी. कपास की खेती करने वाले राज्यों से बी.टी. कपास के बीजों से संबद्ध संभावित जोखिमों के बारे में जागरूकता अभियान के जरिये किसानों में जागरूकता का सृजन करने के लिए भी कहा गया है। आवश्यक बी.टी. जीन की पहचान करने वाली किट की खरीद के लिए बी.टी. कपास की खेती करने वाले सभी राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी गई है। बीज अधिनियम, 1966 के संगत प्रावधानों के तहत बी.टी. कपास के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है और इस आशय से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। इसके अलावा, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सी.आई.सी.आर.), नागपुर को बी.टी. जीन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है।

बीज प्रमाणन विभाग, तमिलनाडु ने कपास के बीजों का परीक्षण करने के लिए बीज प्रमाणन निदेशालय कोयम्बटूर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की है ताकि इस तथ्य का विश्लेषण किया जा सके कि क्या इसमें गैर-कानूनी बी.टी. जीन मौजूद है। पंजाब सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने नकली बीजों की बिक्री को नियंत्रित करने और उस पर रोक लगाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इस मामले में किसानों को शिक्षित बनाने के लिए एक व्यापक अभियान भी चलाया है।

गुजरात सरकार ने गैर-कानूनी बी.टी. कपास के बीजों के फैलाव पर रोक लगाने के लिए एक विशेष उड़न दस्ते का भी गठन किया है। अप्राधिकृत बी.टी. कपास के बीजों के उपयोग के संबंध में किसानों में जागरूकता का सृजन करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा समाचार-पत्रों में प्रेस नोट प्रकाशित किए गए हैं। राज्य सरकार ने एक विशेष दल का गठन किया था जिसने बीज उत्पादकों, प्रसंस्करण संयंत्रों और पैकिंग यूनिटों के परिसरों पर छापे मारे और बी.टी. कपास के 272.53 क्विंटल नकली बीज जब्त किए और धारा आई.पी.सी.-420 के तहत 49 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्बल अंकुरण के संबंध में राज्य में बी.टी. कपास के संकर एन.सी.एस.-145 के स्टॉक का पता लगाने के लिए बिक्री रोकने संबंधी नोटिस जारी की गई थी।

कृषि विभाग, कर्नाटक सरकार ने बी.टी. कपास के बीजों की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए बीजों के नमूने आहरित करने हेतु सभी बीज डीलरों तथा बीज उत्पादकों/एजेंसियों के परिसरों का औचक निरीक्षण करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है। विभाग ने बी.टी. कपास के नकली बीजों के 1100 पैकेज जब्त किए हैं और नकली बी.टी. कपास के बीजों की आपूर्ति करने वालों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में बी.टी. कपास के नकली बीज के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। बीज निरीक्षक बी.टी. पहचान किटों से सुसज्जित हैं और राज्य ने नकली बी.टी. कपास की गैर-कानूनी बिक्री पर रोक लगाने के लिए पहले ही उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बालू खनन

846. श्री अशोक अर्गल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में चम्बल नदी के किनारे स्थित राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जिसे घड़ियालों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, से बालू का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है;

(ख) क्या इस अवैध खनन से घड़ियालों के जीवन को खतरा है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संरक्षित क्षेत्र में हो रहे अवैध बालू खनन को रोकने के लिए कोई उपाय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बालू के अवैध खनन हेतु दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) घड़ियालों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। घड़ियाल भारत में नहीं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अभयारण्य क्षेत्र में अवैध बालू खनन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अवैध बालू खनन से घड़ियालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार अभयारण्य के भीतर अवैध बालू खनन रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अवैध बालू खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और वन कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इस गतिविधि को रोकने के लिए कर्मचारियों के साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी तैनात किया गया है।

(च) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पुलिस में 50 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं जिनमें से 25 मामले न्यायालय में हैं। जनवरी, 2004 से जुलाई, 2006 तक अवैध बालू खनन में उपयोग की गई ट्रालियों सहित 45 ट्रैक्टरों, 2 ट्रालियों, 7 ट्रकों और 2 जे.सी.बी. मशीनों को भी जब्त किया गया था।

[अनुवाद]

राजस्थान को जल की आपूर्ति

847. श्री दुष्यंत सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल संसाधन परियोजनाओं से पानी की बकाया मात्रा को राज्य को देने के लिए केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप की मांग की है:-

(i) 31-12-1981 के समझौते के तहत रावी व्यास जल के 0.6 मिलियन एकड़ फुट (एम.ए.एफ.) के शेष हिस्से की पुनर्बहाली।

(ii) सिधमुख नोहर परियोजनाओं के लिए भाखड़ा मुख्य लाइन के जरिए रावी-व्यास जल के 0.17 एम.ए.एफ. की आपूर्ति।

(iii) झुंझुनू, चुरु और भरतपुर जिलों में यमुना जल के राजस्थान के हिस्से के उपयोग के लिए दो स्कीमों के संबंध में हरियाणा क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

(ख) रावी-व्यास जल के 0.6 एम.ए.एफ. पुनर्बहाली के मामले पर 1992 और 2002 को हुई अंतर्राज्यीय बैठकों तथा 2005 में हुई उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। पंजाब और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रियों को जुलाई, 2006 में यह सुझाव देते हुए पत्र लिखे गए हैं कि पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उस पर राष्ट्रपतीय संदर्भ के होते हुए भी द्विपक्षीय स्तर पर इस दीर्घकालिक मामले का निस्तारण शीघ्रता से करना आवश्यक होगा। उनसे इस मामले पर परस्पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया गया है ताकि सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके।

राजस्थान को भाखड़ा मुख्य लाइन के माध्यम से रावी-व्यास जल के 0.17 एम.ए.एफ. की आपूर्ति का मामला 31-12-1981 के समझौते के प्रावधानों के तहत किए गए भारत सरकार के दिनांक 15 जनवरी, 1982 के पंचाट के अनुसार है तथा यह वितरण प्रणालियों के द्वारा परिकल्पित रावी-व्यास जल की आपूर्ति पर निर्भर करता है। इस मामले पर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की 11-07-06 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था परंतु इसका समाधान नहीं निकला।

राजस्थान द्वारा यमुना जल के उपयोग से संबंधित इस मामले पर ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 6-8-2004 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें हरियाणा के प्रतिनिधियों ने राजस्थान द्वारा ताजेवाला में जल के उपयोग पर असहमति जतायी। इस पर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 12-04-2006 को हुई ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था। इसमें लिए गए निर्णय के अनुसार, ताजेवाला से राजस्थान को जल मुहैया

कराये जाने के मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के सचिवों को शामिल करते हुए अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

बाट और माप मानक (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 1977

848. डा. के धनराजू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाट और माप मानक (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 1977 के अंतर्गत विनिर्माताओं/पैकेजरों को डिब्बा बंद वस्तुओं के भार, उसके घटकों और मूल्य की पैकेज के लेबल पर अंकित करना अपेक्षित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त नियमों के उल्लंघन की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई और कितनी फर्मों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए;

(घ) क्या सरकार ने नियमों के कड़ाई से अनुपालन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त नियमों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 1977 के उपबंधों में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति बिक्री, सुपुर्दगी अथवा वितरण के लिए किसी भी वस्तु को तब तक पैक नहीं कर सकता है जब तक उस पर या उसके ऊपर मजबूती से चिपकाए गए लेबल पर अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु का सामान्य अथवा आनुवंशिक नाम, भार, माप अथवा संख्या के रूप में निवल मात्रा तथा "सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य..." के रूप में खुदरा बिक्री मूल्य घोषित न किया गया हो।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन सालों के दौरान सूचित मामलों की संख्या और उन फर्मों की संख्या जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, नीचे दी गई है:-

	सूचित मामलों की संख्या	उन फर्मों की संख्या जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए
2003-04	55959	3696
2004-05	53369	2851
2005-06	51375	2496

(घ) और (ङ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान के प्रभारी सचिवों को जुलाई, 2005 में पैकेजों पर सूचना की घोषणा तथा खुदरा व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य वसूली को रोकने के संबंध में बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा प्रवर्तन प्राधिकारियों को औचक जांच/छापों के समय समुचित प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी गई थी ताकि दोषी व्यक्ति बाद में तकनीकी आधारों पर न छूटने पाएं।

(च) और (छ) सरकार ने हाल ही में सा.का.नि. 425(अ) तारीख 17-7-2006 के तहत उक्त नियमों को संशोधित किया है।

फसलों की नई किस्मों का विकास

849. श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में नकदी फसलों के बीजों की कुछ नई किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों में इन नये बीजों का प्रयोग किया गया है/किया जायेगा; और

(घ) इससे क्या-क्या परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई

दिल्ली ने कपास के एक जीनप्ररूप पूसा-2 (पूसा जी.एच.-17-52-10) का विकास किया है। यह शीघ्र पकने वाला प्रभेद है, जिसका वर्ष 2004 के दौरान पश्चिम बंगाल (कृषि विज्ञान केन्द्र, नीमपीठ, सुन्दरबन) में मूल्यांकन किया गया था तथा बिनौले की पैदावार (1.5 टन/है.) रिकार्ड की गई थी। इसने 27-28 मि.मी. लम्बे रेशे और 20 ग्लाम/टेक्स वाले मजबूत रेशे के साथ अच्छी गुणवत्ता दर्शायी।

(ग) और (घ) इस जीनप्ररूप को पश्चिम बंगाल राज्य में पहचान के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस जीनप्ररूप की भावी लोकप्रियता, प्रक्रिया के अनुसार इसको जारी करने, अधिसूचित करने पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

खाद्य तेल इकाइयों को बन्द करना

850. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका और कुछ अन्य देशों से खाद्य तेलों के शुल्क मुक्त सस्ते आयातों से असमान प्रतिस्पर्धा की वजह से कई खाद्य तेल उत्पादक इकाइयां बन्द होने को है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों के कामगारों में बेरोजगारी को रोकने और इनको बन्द होने से बचाने के उद्देश्य से इन इकाइयों को व्यवहार्य बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) खाद्य तेलों के उत्पादन की अनेक इकाइयों के बंद होने के अनेक कारण हैं जैसे इतनी उत्पादन क्षमता सृजित करना जिसके समानुपात में कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं है, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, उत्पादन का खर्चीला होना, उपभोक्ताओं द्वारा सॉफ्ट तेलों को पसंद किया जाना, श्रीलंका तथा कुछ अन्य देशों से वनस्पति, आदि के अपेक्षाकृत सस्ते शुल्क-मुक्त आयात से प्रतिस्पर्धा होना, आदि।

(ख) वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) नारियल तेल को छोड़कर अन्य तिलहनों/खाद्य तेलों की खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी गई है।

(ii) परिष्कृत तेल/वनस्पति के उत्पादन के आशयित खाद्य ग्रेड के कुछ वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क रियायती दर से लगाया जाता है।

(iii) परिष्कृत तेलों की तुलना में खाद्य ग्रेड के कुछ क्रूड वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क कम रखा गया है ताकि कच्चे माल की उपलब्धता आसान हो सके।

(iv) देश में विलायक निष्कर्षित तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और निष्कर्षणों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम कर 16% कर दिया गया है।

(v) परिष्कृत खाद्य तेलों/वनस्पति/इंट्रस्ट्रिफाइड वसा, मार्गरीन पर उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(vi) वनस्पति, बेकरी शार्टनिंग, इंट्रस्ट्रिफाइड वसा, मार्गरीन पर आयात शुल्क को 30% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है।

(vii) नेपाल से वनस्पति के शुल्क-मुक्त आयात और श्रीलंका से वनस्पति, बेकरी शार्टनिंग व मार्गरीन के शुल्क-मुक्त आयात को क्रमशः राज्य व्यापार निगम और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के जरिए मार्गीकृत किया गया है।

(viii) किसानों, संसाधकों और उपभोक्ताओं के हितों में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से खाद्य तेलों पर आयात शुल्क के ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ix) ताड़ तेल तथा इसके उत्पादों और सोयाबीन तेल के लिए प्रशुल्क मूल्य समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

851. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान देश में कपास की नई संकर किस्म ने सर्वाधिक उत्पादन दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ग) क्या कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु ने कपास की नई संकर किस्म की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो नई किस्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) देश में कपास के उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। 15 जुलाई, 2006 को जारी किये गये चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान देश में कपास का उत्पादन जिसमें नई संकर किस्मों से उत्पादन शामिल है, 165.00 लाख गांठों के लक्ष्य की तुलना में 195.72 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किग्रा. की) के एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लक्ष्य का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया जाता है और वर्ष 2006-07 के लिये यह 185.00 लाख गांठें हैं।

(ग) और (घ) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में दो नई किस्में यथा एम.सी.यू. 13 तथा केसी 3 निर्मुक्त की गई हैं।

एम.सी.यू. 13 किस्म की 1700 किग्रा. प्रति हैक्टे. की औसत बीज कपास उपज और 30.3 मीमी. के लम्बे रेशे हैं। यह कोयम्बटूर, ईरोड, डिंडिगुल, थेनी, धर्मापुरी, सलेम, नमक्कल, कुड्डालोर और विल्लुपुरम के शरद सिंचित क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है। केसी 3 किस्म की 1100 किग्रा. प्रति हैक्टे. की औसत बीज कपास क्षमता और 27 मीमी. के लम्बे रेशे हैं। यह मुदुराई, डिंडिगुल, थेनी, रामनाथपुरम, विरूधनगर, तिरूनेवेली, थोतुकुडी और सिवगनगई के वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है।

(ङ) कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये भारत सरकार ने फरवरी में कपास प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान इस स्कीम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये कुछ नये घटक जोड़े गये हैं/पुनः व्यवस्थित किये गये हैं। संशोधित स्कीम के तहत अन्य घटकों पर सब्सीडी को युक्तिसंगत बनाने के अलावा प्रमाणित बीजों तथा स्प्रेयरों के वितरण जैसे घटकों पर सब्सीडी में वृद्धि की गई है। उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिये कृषक क्षेत्र स्कूल प्रणाली के एफ.ए.ओ. मॉडल के तहत प्रशिक्षित करने के लिये किसानों की भागीदारी पर बल दिया गया है।

कृषि संबंधी नीतियां

852. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक वृद्धि के वित्त-पोषण के लिए कृषि क्षेत्र को अधिशेष उत्पादन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर्थिक वृद्धि के वित्त-पोषण के लिए अधिशेष उत्पादन हेतु सरकार द्वारा अपनाई जा रही कृषि संबंधी नीतियां क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सेक्टर होने के कारण कृषि के आर्थिक विकास को सुकर बनाने के लिए अधिशेष उत्पादन करने में अर्थव्यवस्था दूसरे अन्य सेक्टरों के साथ एक मुख्य भूमिका है। उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि को और अधिक गतिशील और सक्रिय बनाने के लिए, सरकार ने कई पहलें की हैं जिनमें शामिल हैं - किसानों के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाना और सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत बनाना; गुणवत्ताप्रद आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना; कृषक अनुकूल, मांग वाहित कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देना; बागवानी कार्यकलापों सहित उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को गतिमान करना; अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाना; लघु सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग को इष्टतम करना और शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली की सततता बढ़ाना; कृषि मण्डियों का सुधार करना, तथा फसल कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग; और किसानों के लिए जोखिम प्रबंध तंत्र का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम स्थापित करना।

कृषि-प्रौद्योगिकी पार्क

853. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से देश भर में कृषि प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, कृषि मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) मॉडल के अंतर्गत देश में आठ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर आधुनिकतम टर्मिनल मंडी की स्थापना के लिए पहल की है। टर्मिनल मंडियां एक हब-एंड-स्पोक फार्मेट में कार्य करेंगी जिसमें टर्मिनल मंडी (हब) को सुविधाजनक रूप से अवस्थित बहुत से संग्रहण केन्द्रों (स्पोक्स) के साथ जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद के विपणन के लिए आसान पहुंच मुहैया हो सके। इन मंडियों द्वारा कवर किए जाने वाले जिंसों में फल, सब्जियां, फूल, सुगंधित पौधों, जड़ी बूटी, मांस और कुक्कुट शामिल हैं। पी.पी.पी. माडल के अंतर्गत, निजी उद्यमी पूंजी और प्रबंधन की व्यवस्था करता है, राज्य सरकार विनियमन संबंधी स्वीकृति देती है और केन्द्र सरकार परियोजना में साम्य पूंजी का कुछ हिस्सा मुहैया करती है। उद्यम कृषि-व्यापार, शीत शृंखला, संभार-तंत्र, भंडारण, कृषि-अवसंरचना और संबंधित पृष्ठभूमि से उद्यमियों का एक परिसंघ हो सकता है। पी.पी.पी. माडल पर टर्मिनल मंडियों की स्थापना के प्रस्ताव पर नई दिल्ली में 20-2-06 को संपन्न राज्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य सरकारों और इच्छुक निजी उद्यमियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। सामान्य रूप से सभी राज्य सरकारें परियोजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गईं। वर्ष 2006-07 के वार्षिक बजट में, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत देश में टर्मिनल मंडियों की स्थापना के लिए 150.00 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज

854. श्री पी. मोहन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज (एन.सी.डी.ई.एक्स) का पुनरुद्धार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार ने ऑनलाइन कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज, मुंबई को 20 नवंबर, 2003 को नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी। एक्सचेंज ने 15 दिसंबर, 2003 से अपने प्रचालन शुरू किए। यह मान्यता स्थायी आधार पर दी गई है। तब से यह एक्सचेंज कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए अत्याधुनिक देशव्यापी स्क्रीन आधारित ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदान कर रहा है। एक्सचेंज द्वारा व्यापार के लिए प्रदान की गई सुविधाओं का कृषि उत्पादों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं द्वारा भी लाभ उठाया जा सकता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मुख्य लाभ मूल्य खोज और किसानों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, उपभोक्ताओं आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए मूल्य जोखिम प्रबंधन हेतु एक औजार के रूप में इसका प्रयोग करना हैं।

[हिन्दी]

प्रदूषणकारी इकाइयों को बन्द करना

855. श्री रामदास आठवले:

श्री रशीद मसूद:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13 दिसम्बर, 2000 को राजधानी में प्रदूषणकारी उद्योगों को बन्द करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक जिन औद्योगिक इकाइयों ने इसका अनुपालन किया है और जिन्होंने इसका अनुपालन नहीं किया है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एस.बी.आई. के साथ नैफेड का समझौता

856. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि संबंधी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन परिसंघ लिमिटेड (नैफेड) ने भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित किया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जैसा कि नैफेड द्वारा सूचित किया गया है इसने 27 जून, 2006 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता किया है। समझौते की शर्तों में संविदा कृषि के अधीन आदान वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है। आदान वित्तपोषण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सोयाबीन, आन्ध्र प्रदेश में पटसन, असम और गोवा में धान, मध्य प्रदेश में आलू और उत्तरांचल में विभिन्न जिंसों के बीजों के उत्पादन के लिए है। यह समझौता एक वर्ष के लिए वैध है।

दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली को लागू करना

857. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों की खरीद के लिए दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने में यह प्रणाली किस सीमा तक कारगर होगी; और

(घ) इससंबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर खाद्यान्न की खरीद का प्रस्ताव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर खाद्यान्न की खरीद का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

बी.एस.पी. से इस्पात की चोरी

858. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र से करोड़ों रुपए के उत्तम गुणवत्ता वाले इस्पात की चोरी लगातार जारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र से अच्छी गुणवत्ता वाले इस्पात की चोरी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) उपर्युक्त उत्तर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फलों के उत्पादन हेतु लक्ष्य

859. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में फलों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्यवार कितना निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार बागवानी, जिसमें वर्ष 2004-05 तक फलों की स्कीमें शामिल थीं, सहित कृषि के विकास के व्यापक बृहद् प्रबंधन स्कीम के अधीन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता दी। इस स्कीम में राज्य सरकारों को अपनी कार्य योजनाओं के अनुसार महसूस की गई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्यक्रम शुरू करने तथा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लचीलापन प्रदान करने का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) शुरू करने के बाद बृहद् प्रबंधन स्कीम में बागवानी के कार्यक्रम को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में मिला दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन फलों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता सहित मामलों का समाधान करता है तथा बागवानी फसलों का उत्पादन सुधारने हेतु सहायता देता है।

देश के उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों में उत्तर-पूर्व में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एन.ई.) फलों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन हेतु सहायता देता है।

समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन वाले राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु फलों के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

	(लाख मी. टन)
पूर्वोत्तर राज्य	28.60
जम्मू-कश्मीर	10.00
हिमाच प्रदेश	05.60
उत्तरांचल	06.70
कुल	50.90

(ग) वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान इन स्कीमों के अधीन दी गई कुल सहायता तथा वर्ष 2006-07 के दौरान निधियों के आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, III तथा IV में दिए गए हैं।

(घ) दसवीं योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाएं समय पर अनुमोदित की जाती हैं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य बागवानी मिशन को निधियां निर्गत की जाती हैं। सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा प्रगति का नियमित रूप से मानिटरन किया जाता है।

विवरण-I

बृहत् कृषि प्रबंधन की केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अधीन बागवानी हेतु निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा.प्र.	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1370.57	1323.35	1168.90
2.	बिहार	0.00	747.39	500.00
3.	झारखण्ड	0.00	95.00	103.00
4.	गोवा	447.00	106.00	101.25
5.	गुजरात	621.61	383.33	591.00
6.	हरियाणा	131.00	277.00	300.00
7.	हिमाचल प्रदेश	537.22	483.53	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर	277.77	505.83	91.81
9.	कर्नाटक	537.23	1500.55	1555.55
10.	केरल	674.32	1059.75	2046.95
11.	मध्य प्रदेश	2000.00	444.44	600.00
12.	छत्तीसगढ	1315.00	425.00	384.00

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	550.00	3890.00	2265.00
14.	उड़ीसा	497.00	805.55	890.00
15.	पंजाब	3810.00	180.00	180.00
16.	राजस्थान	0.00	775.00	684.41
17.	तमिलनाडु	0.00	1890.00	916.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	500.00	675.00
19.	उत्तरांचल	0.00	250.00	24.00
20.	पश्चिम बंगाल	583.33	511.00	450.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	216.10	0.00	0.00
22.	असम	575.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
24.	मिजोरम	1802.08	0.00	0.00
25.	मेघालय	50.00	2.50	0.00
26.	नागालैण्ड	340.00	0.00	0.00
27.	सिक्किम	227.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	440.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	26.15	11.75	0.00
31.	दिल्ली	79.00	37.70	30.00
32.	लक्षद्वीप	72.50	49.00	0.00
33.	पांडीचेरी	0.00	35.00	35.00
34.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	0.00
35.	अंडमान व निकोबार	55.12	124.27	9.50
	कुल	17235.00	16412.94	13601.37

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत निर्मुक्त राज्यवार निधि तथा वर्ष 2006-07 के लिए परिव्यय

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शा.प्र.	2005-06 निर्मुक्त धनराशि	प्रस्तावित परिव्यय 2006-07
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4420.96	राष्ट्रीय बागवानी मिशन मांग वाहित स्कीम है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर निधि की निर्मुक्ति की जाती है।
2.	बिहार	3100.00	
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	
4.	गोवा	315.20	
5.	गुजरात	3239.28	
6.	हरियाणा	1050.00	
7.	झारखण्ड	3030.00	
8.	कर्नाटक	4455.17	
9.	केरल	3533.98	
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	
11.	महाराष्ट्र	8260.28	
12.	उड़ीसा	3611.91	
13.	पंजाब	2868.82	
14.	राजस्थान	2259.57	
15.	तमिलनाडु	3891.67	
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	
17.	पश्चिम बंगाल	4035.31	
18.	दादर व नगर हवेली		
19.	दमन व द्वीव		
20.	दिल्ली		
21.	लक्षद्वीप		
22.	चण्डीगढ़		
23.	अडमान व निकोबार		
24.	पांडिचेरी		
	कुल	**58620.00**	
	एचक्यू/टी.एस.जी./एन.एच.बी.	3830.00	
	काजू		
	मसाले		
	एन.सी.पी.ए.एच.		
	एन.एच.आर.डी.एफ.	550.00	
	इफ्को फाउंडेशन		
	राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड		
	राष्ट्रीय बीज निगम		
	कुल योग	63000	100000

विवरण-III

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक दसवीं योजना के दौरान निधियों की राज्यवार/वर्षवार निर्मुक्ति (टी.एम.एन.ई. स्कीम)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
क.	मिनी मिशन-I				
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	175.00	100.00	700.00	–

1	2	3	4	5	6
2.	जम्मू-कश्मीर	–	100.00	100.00	250.00
3.	हिमाचल प्रदेश	–	100.00	100.00	250.00
4.	उत्तरांचल	–	100.00	154.00	250.00
ख.	मिनी मिशन-II				
1.	अरुणाचल प्रदेश	1099.00	1220.00	1645.55	1300.00
2.	असम	1092.15	1400.00	871.00	1300.00
3.	मणिपुर	685.00	638.00	1286.25	1500.00
4.	मेघालय	775.60	850.00	1395.99	1700.00
5.	मिजोरम	1099.73	1089.00	1801.10	1800.00
6.	नागालैण्ड	979.00	1256.00	1467.30	1700.00
7.	सिक्किम	855.00	1000.00	1150.00	1800.00
8.	त्रिपुरा	785.00	900.00	1111.30	1500.00
9.	जम्मू-कश्मीर •	–	650.00	1233.00	1550.00
10.	हिमाचल प्रदेश	–	650.00	1300.00	1100.00
11.	उत्तरांचल	–	564.72	975.00	1100.00
12.	तकनीकी समर्थन/एस.एफ.ए.सी. सेवा प्रभार तथा अन्य परियोजना आधारित प्रस्ताव	129.52	101.28	89.29	189.21
ग.	मिनी मिशन-III				
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	1350.00	700.00	1480.49	500.00
2.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल		320.00	192.00	750.00
3.	जम्मू-कश्मीर (पुनर्निर्माण योजना)			178.50	–
घ.	मिनी मिशन-IV				
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	75.00	*	*	*
2.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल	–	100.00	120.00	200.00

1	2	3	4	5	6
3.	जम्मू-कश्मीर (पुनर्निर्माण योजना)			321.50	–
	कुल योग	9100.00	11839.00	17672.27	18739.21

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिशन कार्यक्रमों के लिए अपने परिव्यय के 10 प्रतिशत आबंटन से अपनी स्कीमों को क्रियान्वित करेगा। अतिरिक्त आवश्यकताएं, यदि कोई हो, मिशन द्वारा प्रदान की जाएंगी।

विवरण-IV

वर्ष 2006-07 के दौरान निधियों का आबंटन व निर्मुक्ति (टी.एम.एन.ई. स्कीम)

(लाख रुपए में)

मिनी मिशन/राज्य	पूर्वोत्तर राज्य		जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल		कुल	
	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
मिनी मिशन-I						
पूर्वोत्तर राज्य	200.00	–			200.00	–
जम्मू-कश्मीर			100.00	50.00	100.00	50.00
हिमाचल प्रदेश			100.00	50.00	100.00	50.00
उत्तरांचल			100.00	50.00	100.00	50.00
मिनी मिशन-II						
अरुणाचल प्रदेश	1400.00	210.00			1400.00	210.00
असम	1400.00	210.00			1400.00	210.00
मणिपुर	1700.00	255.00			1700.00	255.00
मेघालय	2000.00	300.00			2000.00	300.00
मिजोरम	2000.00	1000.00			2000.00	1000.00
नागालैण्ड	2000.00	300.00			2000.00	300.00
सिक्किम	1800.00	270.00			1800.00	270.00

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	1400.00	560.00			1400.00	560.00
जम्मू-कश्मीर			3500.00	250.00	3500.00	225.00
हिमाचल प्रदेश			4000.00	2000.00	4000.00	2000.00
उत्तरांचल			4000.00	2000.00	4000.00	2000.00
तकनीकी समर्थन/एस.एफ.ए.सी. सेवा प्रभार तथा अन्य परियोजना आधारित प्रस्ताव पूर्वोत्तर राज्य	100.00	16.50			100.00	16.50
एचएस			40.00	7.00	40.00	7.00
मिनी मिशन-III						
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य						
एस.एफ.ए.सी.	500.00	200.00			500.00	200.00
एन.एच.बी.	500.00	200.00			500.00	200.00
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल						
एस.एफ.ए.सी.			200.00	100.00	200.00	100.00
एन.एच.बी.			400.00	200.00	400.00	200.00
मिनी मिशन-IV						
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य						
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (एस.एफ.ए.सी.)			400.00	200.00	400.00	200.00
कुल योग	15000.00	3521.00	12840.00+	4882.00	27840.00	8403.50**

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिशन कार्यक्रमों के लिए अपने परिव्यय के 10 प्रतिशत आबंटन से अपनी स्कीमें क्रियान्वित करेगा। अतिरिक्त आवश्यकताएं, यदि कोई हो, मिशन द्वारा प्रदान की जाएंगी।

+जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों के लिए एम.एम.-II के तहत कार्यक्रमों के लिए 7300 लाख रुपए के अतिरिक्त आबंटन के लिए प्रस्ताव किया गया है।

**20540.00 लाख रुपए के आबंटन के मुकाबले 41 प्रतिशत।

[अनुवाद]

खाद्य नीति की समीक्षा

860. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं सहित खाद्यान्नों के अपेक्षाकृत कम उत्पादन और खरीद के मद्देनजर वर्तमान खाद्य नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में खाद्यान्नों की कमी के लिए उदार नीति को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) वसूली की मौजूदा नीति के अनुसार सरकारी एजेंसियां (भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियां) देश में खाद्यान्नों के विपणनीय अधिशेष वाले सभी क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चलाती हैं। किसान अपने उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को अथवा निजी व्यापारियों को, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, बेचने के लिए स्वतंत्र होता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के तहत खाद्यान्नों की वसूली की मौजूदा नीति किसानों के लिए लाभप्रद रही है और इससे उनको अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिली है। बफर आवश्यकता तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल हेतु खाद्यान्नों की पर्याप्त वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर खाद्यान्न खरीदने संबंधी एक प्रस्ताव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

जल विवाद का निपटान करने के लिए भारत-बांग्लादेश समझौता

861. श्री मो. ताहिर:

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदी जल संबंधी विवाद के निपटान हेतु भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं/किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या विवाद के निपटान के लिए कोई फार्मूला ईजाद किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) फरक्का पर गंगा/गांगेय जल के बंटवारे के संबंध में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच संधि पर दिसम्बर, 1996 को हस्ताक्षर किये गए थे। दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रियों की अध्यक्षता में एक संयुक्त नदी आयोग विद्यमान है जिसमें द्विपक्षीय रूप से जल संसाधन क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम की निगरानी समितियां

862. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की राज्य स्तरीय निगरानी समितियां संसद सदस्यों की अध्यक्षता और उनकी भागीदारी के अन्तर्गत कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछेक राज्यों को ऐसी समितियों के गठन से बाहर रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (घ) वर्ष 2001 में लिए निर्णय के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम की राज्य स्तरीय मानीटरिंग समितियां बना दी गई हैं। एक संसद सदस्य को इन

समितियों का स्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जिसका कार्यकाल स्थायी होता है। इन समितियों में व्यक्तिगत सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समितियों के अध्यक्ष की विधिवत नियुक्ति कर दी गई है जबकि सदस्यता संयोजन में व्यक्तिगत सदस्य के कार्यकाल के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इन समितियों की सदस्यता को पुनर्गठित किया गया है। ये समितियां आवधिक रूप से बैठकें करती हैं।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र

863. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 500 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें वर्तमान में केन्द्र सरकार के पास निहित 500 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के अधिकार की मांग कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों द्वारा 250 मेगावाट वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से सहायता की कोई मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। 500 मैगावाट क्षमता से अधिक की पावर परियोजनाओं से संबंधित आठ प्रस्ताव सरकार के पास पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित हैं। इनमें से छह प्रस्ताव थर्मल पावर परियोजनाओं और एक आणविक ऊर्जा और एक हाइड्रो पावर परियोजना का है। गुजरात राज्य की चार परियोजनाएं और हरियाणा, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा की एक-एक परियोजना लम्बित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात मदों पर सीमा शुल्क

864. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात उद्योग ने केंद्र सरकार से प्रयुक्त और खराब वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, हां।

(ख) द इंडियन स्टील अलायंस ने इस्पात मंत्रालय को लिखे एक पत्र में अनुरोध किया है कि हाल ही में आयात में आए उछाल को ध्यान में रखते हुए दोयम और दोषपूर्ण इस्पात मदों पर शुल्क को पुनः 40 प्रतिशत किया जाए।

(ग) इस समय दोयम और दोषपूर्ण इस्पात मदों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत है और प्रमुख मिश्र और गैर-मिश्र इस्पात पर क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। दोयम और दोषपूर्ण मदों पर मौजूदा सीमा शुल्क में शुल्क संबंधी काफी अंतर है। प्रमुख गैर-मिश्र इस्पात के मामले में यह 15 प्रतिशत और प्रमुख मिश्र/बेदाग इस्पात के मामले में 12.5 प्रतिशत है। सरकार महसूस करती है कि यह अंतर दोयम और दोषपूर्ण इस्पात मदों के बड़े पैमाने पर आयात को रोकने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा दोयम और दोषपूर्ण इस्पात मदों की घरेलू मांग काफी है और किसी अनुचित शुल्क संबंधी प्रतिबंध से घरेलू उपलब्धता और कीमतें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

कस्टम मीलिंग हेतु गेहूं

865. डा. के.एस. मनोज: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए नियत गेहूं के स्थान पर आटा वितरण संबंधी कस्टम मीलिंग योजना को जारी रखने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कस्टम मीलिंग के लिए केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (के.एस.सी.एस.सी.) को गेहूं की आपूर्ति बंद कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से गेहूं के आबंटन हेतु कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने 21-12-2005 को जारी दिशानिर्देशों में निहित शर्तों का पालन करते हुए उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों में उचित दर दुकानों के जरिए राशनकार्ड धारकों को वितरित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के एक भाग को आटे में परिवर्तित करने और अन्य राज्यों में पौष्टिक आटे के वितरण की अनुमति प्रदान की है। अभी तक हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिला) और आंध्र प्रदेश राज्य को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) से (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की कस्टम मिलिंग हेतु पूर्व में चलाई जा रही योजना को उसकी मानीटरिंग करने में पेश आ रही कठिनाइयों के कारण उसे भारत सरकार द्वारा 11-12-1997 से समाप्त कर दिया गया था। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने पहले चलाई जा रही योजना को पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध किया है।

कृषि लागत में वृद्धि

866. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीजों के कारण खेती की लागत में वर्षों से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और फसलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में छोटे और मझौले किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) बीज के हिसाब से खेती की लागत वर्ष 2002-03 के दौरान कर्नाटक राज्य में ज्वार की फसल के मामले में 124.03 रुपए प्रति हैक्टेयर से तमिलनाडु राज्य में मूंगफली की फसल के लिए 2983.21 रुपए तक की सीमा में है। वर्ष 1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान राज्यवार तथा फसलवार प्रति हैक्टेयर लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) छोटे तथा मध्यम किसानों सहित सभी किसानों को समय पर तथा उचित मूल्य पर गुणवत्ताप्रद बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम, यथा 'गुणवत्ता बीजों के उत्पादन व वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण' क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के महत्वपूर्ण घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ संकर बीजों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता, बीजों की ढुलाई पर परिवहन सब्सिडी, सार्वजनिक क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता और किसान द्वारा उत्पादित/बचत किए गए बीज के लिए भण्डारण क्षमता का विकास करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु बीज ग्राम स्कीम शामिल है। वृहत प्रबंधन में समाहित विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रम स्कीमों के तहत किसानों को सब्सिडी और बीज मीनिकिटों के वितरण के रूप में सहायता दी जाती है। समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम तथा कपास प्रौद्योगिकी मिशन स्कीम के तहत भी किसानों को इसी प्रकार की सहायता दी जा रही है।

विवरण

विभिन्न फसलों के तहत खेती के प्रति हैक्टेयर पर बीज की लागत

(रुपए/हैक्टेयर)

फसलों के नाम	राज्य के नाम	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
गेहूं	हरियाणा	855.26	958.20	845.11	908.46	1011.45
	पंजाब	789.39	740.02	643.37	726.56	781.10
	उत्तर प्रदेश	955.27	1155.73	952.57	974.03	1106.32
धान	आन्ध्र प्रदेश	634.52	819.39	804.19	798.47	765.87
	हरियाणा	567.47	595.26	406.52	397.58	340.01
	पंजाब	467.06	529.63	512.69	557.25	554.39
	पश्चिम बंगाल	629.13	732.15	594.38	650.95	635.49
ज्वार	कर्नाटक	112.23	155.04	144.14	145.90	124.03
	महाराष्ट्र	235.55	329.87	300.53	305.39	333.42
बाजरा	गुजरात	232.80	344.42	356.93	384.68	361.82
	उत्तर प्रदेश	164.14	211.28	271.32	326.18	273.80
मक्का	आन्ध्र प्रदेश	734.20	584.32	741.49	693.74	830.54
	मध्य प्रदेश	157.94	326.25	201.07	198.04	196.04
चना	मध्य प्रदेश	1208.63	1200.37	1491.05	1607.97	1319.63
	उत्तर प्रदेश	1344.69	एन.ए.	1526.68	1671.17	1633.04
अरहर	महाराष्ट्र	389.93	326.86	401.30	343.91	485.17
	उत्तर प्रदेश	300.68	364.50	337.49	325.21	360.43
सोयाबीन	मध्य प्रदेश	1281.18	1053.54	1103.88	1145.68	1356.71
	महाराष्ट्र	1391.08	1196.73	1249.32	1378.21	1422.21
मूंगफली	गुजरात	2398.63	2379.80	2410.55	2557.36	2679.22
	तमिलनाडु	2254.63	2529.79	2692.49	2487.25	2983.21

1	2	3	4	5	6	7
जूट	असम	316.65	492.36	389.57	413.50	333.60
	पश्चिम बंगाल	351.81	384.96	324.15	311.54	317.92
कपास	आन्ध्र प्रदेश	एन.ए.	1364.97	1290.88	1476.28	1662.32
	गुजरात	621.47	1036.99	669.34	690.47	712.49
	महाराष्ट्र	एन.ए.	1167.67	852.44	920.76	1090.46

एन.ए. - उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

नहरों और तालाबों की मरम्मत के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

867. श्री अशोक अर्गल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में नहरों और तालाबों की मरम्मत के लिए 1900 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य को यह सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत बांधों और नहरों सहित सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए निधि जारी कर रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 168.0966 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 2005-06 तक मध्य प्रदेश राज्य को जारी की गई कुल धनराशि 2026.7706 करोड़ रुपये है।

मध्य प्रदेश राज्य में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के लिए, अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

जिले का नाम	शामिल किए गए जल निकायों की संख्या	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)	कृष्य कमान क्षेत्र (हे. में)	अतिरिक्त क्षमता (हे. में)	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)		
					2004-05	2005-06	कुल
शिवपुरी	65	41.28	18302	8624	–	15.00	15.00
टीकमगढ़	5	3.923	2920	712	–	0.70	0.70

है.-हेक्टेयर

अनुमानित लागत का 75% केन्द्रीय हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई है। दोनों ही जिलों में कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रकोष्ठ

868. डा. के. धनराजू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इनमें से राज्यवार कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया; और

(ङ) लम्बित शिकायतों के निपटान के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी हां। उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रतितोष के लिए उपभोक्ता मामले विभाग में 13-02-2002 को एक उपभोक्ता शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) उपभोक्ता शिकायत निवारण कक्ष द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को प्रतितोष के लिए तत्परता के साथ उपभोक्ता समन्वय परिषद् अथवा संबंधित विनिर्माताओं, कम्पनियों आदि को भेज दिया जाता है। इस प्रकार निपटान के लिए फिलहाल कोई शिकायत लंबित नहीं है।

नई पुनर्गठित बीज ग्राम योजना

869. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीजों की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए हाल ही में एक नई पुनर्गठित बीज ग्राम योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत किसानों को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) श्रीमन्, "गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" नामक पुनर्संरचित स्कीम वर्ष 2005-06 से लागू हो गई है। बीजों पर राजसहायता, भण्डारण पात्रों तथा प्रशिक्षण के रूप में क्रियान्वयक एजेन्सियों के जरिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों तक सहायता न पहुंचने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम अनाज बैंक

870. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक राज्यवार कितने गांवों में ग्राम अनाज बैंकों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या ग्राम अनाज बैंकों को अनुमोदित करने में कोई विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसको शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार इन अनाज बैंकों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(च) क्या धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इसके समुचित उपयोग के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) ग्रमीण अनाज बैंक स्कीम आरंभ में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही थी जिसने 4858 ग्रामीण अनाज बैंकों की मंजूरी दी थी जिनमें से अब तक 1482 अनाज बैंकों की स्थापना कर दी गई है, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। यह स्कीम नवम्बर, 2004 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को अंतरित कर दी गई थी और 2005-06 तथा 2006-07 में अब तक 3962 ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना करने के लिए मंजूरी जारी कर दी गई है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को इस स्कीम के अंतरित हो जाने के परिणामस्वरूप इस स्कीम को संशोधित किया गया था और इसे फरवरी, 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद 31-3-2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर मार्च, 2006 में 3282 अनाज बैंकों की मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2006-07 के लिए 680 अनाज बैंकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और इन्हें अविलम्ब अनुमोदित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) संशोधित स्कीम के लिए 2005-06 में इसके क्रियान्वयन हेतु 20.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। इस राशि में से बैंकों को मंजूरी देने के लिए 19.76 करोड़ रुपये उपयोग किए गए थे। 2006-07 के दौरान 50.00 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान में से अब तक 3.72 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(छ) (ङ) और (च) में दिए गए विवरण के अनुसार निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ज) राज्यों से अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि उपलब्ध निधियों का पूर्ण उपयोग हो सके। संशोधित स्कीम में मानीटरिंग और मूल्यांकन का प्रावधान है ताकि नकद धन/खाद्यान्नों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत और स्थापित किए गए अनाज बैंकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	स्वीकृत अनाज बैंकों की संख्या	स्थापित अनाज बैंकों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	259	138
2.	आंध्र प्रदेश	905	85
3.	पश्चिम बंगाल	152	50
4.	बिहार	61	25
5.	गुजरात	237	113
6.	मध्य प्रदेश	2461	449
7.	उड़ीसा	662	530
8.	त्रिपुरा	78	61
9.	राजस्थान	33	25
10.	तमिलनाडु	2	2
11.	केरल	8	5
	जोड़	4858	1482

विवरण-II

ग्रामीण अनाज बैंक योजना

वर्ष 2005-06 और 2006-07 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत और स्थापित किए गए अनाज बैंकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	स्वीकृत बैंकों की संख्या	कुल वित्तीय सहायता रु. में
1	2	3	4
	2005-06		
1.	आंध्र प्रदेश	(मार्च, 06) 1214	7,72,68,672
2.	उड़ीसा	(मार्च, 06) 240	1,52,75,520

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	(मार्च, 06) 262	1,66,75,776
4.	मध्य प्रदेश	(मार्च, 06) 926	4,76,37,599
5.	झारखंड	(मार्च, 06) 583	3,71,06,784
6.	त्रिपुरा	(मार्च, 06) 13	8,27,424
7.	मेघालय	(मार्च, 06) 44	28,00,512
	जोड़	**3282**	**19,75,92,287**
	2006-07		
1.	उत्तर प्रदेश	(मई, 06) 500	2,57,59,800
2.	असम	(मई, 06) 100	63,64,800
3.	सिक्किम	(जुलाई, 06) 80	50,91,840
	जोड़	680	3,72,16,440

भवन निर्माण कामगार

871. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

श्री सांताश्री चटर्जी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भवन निर्माण कामगारों के लिए एक अधिनियम पारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्यों ने इसे अधिसूचित किया है;

(ग) इस पर अन्य राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने भवन निर्माण कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए अर्जुन सेठ समिति नियुक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभवना है; और

(छ) भवन निर्माण कामगारों को कब तक इस कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (ग) जी हां, निर्माण कार्यकलापों में लगे कामगारों की सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा कल्याण उपायों का प्रावधान करने आदि के उद्देश्य से, सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में क्रमशः केन्द्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर है। इस अधिनियम को केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तरांचल, दिल्ली तथा पांडिचेरी राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार, भवन निर्माण कामगारों के लिए अपना स्वयं का अधिनियम कार्यान्वित करती रही है। शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने सूचित किया है कि अधिनियम के अंतर्गत राज्य नियमों, राज्य निर्माण एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के गठन तथा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) से (च) जी हां, डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में

गठित राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर सरकार को अपनी रिपोर्ट मई, 2006 में प्रस्तुत कर दी है। सिफारिशों में अन्यों के साथ-साथ असंगठित कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना, कामगारों/नियोजकों तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की अंशदान की दरें तथा स्वास्थ्य बीमा, प्रसूति लाभ, स्वाभाविक तथा दुर्घटनावश मृत्यु को कवर करने के लिए बीमा, गरीबी रेखा से नीचे के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले कामगारों के लिए वृद्धावस्था पेंशन एवं गरीबी रेखा से ऊपर वाले कामगारों के लिए भविष्य निधि आदि सहित लाभों का पैकेज शामिल है।

(छ) निर्माण कामगार समुचित सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के लिए पात्र हैं। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 अभी तक अधिसूचित नहीं किया है, जैसी कि सूचना दी गई है, वे अधिनियम को अंगीकार करने तथा उसके कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। भवन एवं अन्य निर्माण कामगार इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस अधिनियम का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने के पश्चात् कल्याणकारी उपायों का लाभ उठाएंगे।

माल/कच्चे माल की आवाजाही

872. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को माल तथा कच्चे माल की आवाजाही के लिए मालडिब्बों की अनुपलब्धता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये समस्या रेल मंत्रालय के सामने लाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के इस्पात संयंत्रों में माल की आवाजाही के लिए माल डिब्बों की आपूर्ति कभी-कभी होने वाली कमी को छोड़कर, आमतौर पर पर्याप्त रही है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.) की माल डिब्बों की आवश्यकता को आमतौर पर 95 प्रतिशत से अधिक पूरा किया जा रहा है और माल डिब्बों की कोई खास कमी नहीं देखी गई है। तथापि, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (के.आई.ओ.सी.एल.) तथा नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (एन.एम.डी.सी.) क्रमशः बेल्लारी-हॉस्पेट क्षेत्र और दोणिमलाई क्षेत्र में माल डिब्बों की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) और (ग) के.आई.ओ.सी.एल. ने ट्रैफिक रूट को वाया कैसल रॉक-मडगांव - ठोकुर बनाए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का मुद्दा रेलवे बोर्ड के साथ उठाया है और दक्षिण पश्चिमी रेलवे से प्रतिदिन कम से कम 2 माल डिब्बे वाया हसन-मंगलौर बुक करने का अनुरोध किया है। इससे दूरी और साथ ही भाड़े में कमी करने में मदद मिलेगी।

एन.एम.डी.सी. ने भी दोणिमलाई सैक्टर में माल डिब्बों की कम आपूर्ति की समस्या से जोनल रेलवे प्राधिकारियों को अवगत करवाया है।

इनके अलावा, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को माल डिब्बों की आपूर्ति के मुद्दे पर मंत्रिमंडल सचिवालय में अवसंरचना संबंधी अड़चनों के बारे में होने वाली मासिक बैठकों में रेल मंत्रालय के साथ लगातार चर्चा होती रही है।

'ए' प्रमाण-पत्र वाली फिल्मों के लिए एक समान संहिता

873. श्री पी. मोहन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन थिएटरों में अनुशासन का पालन सख्ती से किया जाता है जहां 'ए' प्रमाण-पत्र वाली फिल्में दिखाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो थिएटर के कर्मचारी सख्ती से केवल व्यस्कों के समक्ष ही इसके प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अनपाते हैं;

(ग) क्या 'ए' प्रमाण-पत्र वाली फिल्में सी.डी. पर तथा देर रात्रि चैनल पर आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे सेंसर बोर्ड के प्रमाणन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार किस प्रकार एक समान आचार संहिता लागू करने वाली है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्रकी अधिनियम, 1952 के अनुसार डी.वी.डी./सी.डी./वीडियो सहित विभिन्न प्रारूपों में फिल्मों को प्रमाणित करता है।

फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन राज्य/स्थानीय प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्में ही प्रदर्शित की जाएं और इन्हें देखने के लिए बोर्ड द्वारा प्रमाणन श्रेणी के अनुसार लोगों की श्रेणी/वर्ग के लिए ही प्रवेश सीमित हो। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत नियमों के अनुसार केबल सेवा प्रदात्ता द्वारा अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों को ही प्रसारित करना होता है।

(घ) केंद्रीय सरकार ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की जांच करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। यह समिति स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर संहिताओं के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के भंडारण की अधिकतम सीमा

874. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं सहित खाद्यान्नों के भंडारण की अधिकतम सीमा हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसके किसानों तथा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भंडारण की अधिकतम सीमा के हटाए जाने के बाद खाद्यान्न व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 15-02-2002 को जारी और दिनांक 16-06-2003 को संशोधित केन्द्रीय आदेश के द्वारा खाद्यान्नों (गेहूं सहित) के व्यापार पर लगे नियंत्रणों नामतः लाइसेंसिंग, स्टाक सीमा और अंतर-राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है।

(ग) से (ङ) किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाने, मूल्य स्थिरता लाने और कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के व्यापार से नियंत्रणों को हटाया गया है। सरकार खाद्यान्नों के मूल्यों पर लगातार नजर रखती रही है और मूल्यों में वृद्धि का रूझान देखने पर उचित उपचारात्मक उपाय कर रही है। फ्यूचर्स बाजार में गेहूं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर भी निकट रूप से निगरानी रखी जाती है और जब कभी भी सट्टेबाजारी के कारण मूल्यों में उतार-चढ़ाव देखा जाता है तब इसके लिए कार्रवाई की जाती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बफर मानदंडों को बनाए रखने के लिए 3.5 मिलियन टन गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया गया है ताकि गेहूं की उपलब्धता में सुधार किया जा सके। इसके अलावा खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता में सुधार करने और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 5% शुल्क पर गेहूं का आयात करने की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2002 में जारी केन्द्रीय आदेश के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेकर सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए लाइसेंसिंग, स्टाक सीमा आदि के लिए नियंत्रण आदेश जारी करने की शक्तियां अभी भी प्राप्त हैं।

[अनुवाद]

फिल्म प्रभाग की समीक्षा

875. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म प्रभाग की वर्तमान भूमिका तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) फिल्म प्रभाग का वार्षिक बजट कितना है तथा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) फिल्म प्रभाग के उद्देश्यों की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) फिल्म प्रभाग सार्वजनिक सूचना, शिक्षा, प्रेरणा और निदेशात्मक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा अपेक्षित वृत्तचित्रों, एनीमेशन, लघु और कार्टून फिल्मों के निर्माण तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है। फिल्म प्रभाग चलचित्रकी अधिनियम, 1952 और विभिन्न राज्य कानूनों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अंतर्गत "अनुमोदित फिल्मों" के प्रदर्शन की आवश्यकता संबंधी सांविधिक दायित्व को पूरा करने के लिए सिनेमा प्रदर्शकों की सहायता करता है। फिल्म प्रभाग स्वतंत्र

निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों को प्राप्त करके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी करके; मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जो वृत्तचित्रों, लघु और एनीमेशन फिल्मों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक फिल्म समारोह है, का द्विवार्षिक आयोजन करके भारत में वृत्तचित्र फिल्म आंदोलन के विकास में बढ़ावा देता है। फिल्म प्रभाग के पास 8000 से अधिक फिल्मों का संग्रहालय है जो कि सिनेमा प्रेमियों के और संदर्भ के एक स्रोत के रूप में सभी के लिए उपलब्ध है। इसने संग्रहालय की फिल्मों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के उद्देश्य से अपनी पुरानी फिल्मों का सेल्यूलायड से वीडियो प्रारूप में डिजिटलीकरण करना प्रारंभ कर दिया है।

(ख) फिल्म प्रभाग का वार्षिक बजट और गत वित्त वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

विवरण	संस्वीकृत बजट अनुदान	संशोधित प्राक्कलन	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय
योजनागत	1247.00	0820.00	0385.65	0339.50
योजनेतर	2397.00	2384.00	2374.25	2312.96
योग	3644.00	3204.00	2759.90	2652.46

(ग) फिल्म प्रभाग की भूमिका प्रासंगिक है क्योंकि इसकी फिल्में थियेटरों में सिने दर्शकों तक पहुंचती है और दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित की जाती है। मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग को समसामयिक बनाने एवं आधुनिक दर्शकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं। फिल्म प्रभाग ने दिनांक 3-7-2003 से अपनी वेबसाइट के जरिए फिल्मों का ऑनलाइन प्रवाह शुरू कर दिया है। मुम्बई स्थित फिल्म प्रभाग कॉम्प्लैक्स में मूविंग इमेजिज के संग्रहालय की स्थापना करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

केरल में समुद्र से भूमि कटाव

876. डा. के.एस. मनोज: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल तट प्रत्येक वर्ष समुद्र द्वारा भूमि कटाव से बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, जिससे वहां के निवासियों की भूमि तथा संपदा का भारी नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या समुद्र द्वारा भूमि कटाव से संरक्षण संबंधी कार्य हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां। केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केरल के तटीय क्षेत्र का एक भाग प्रत्येक वर्ष समुद्री कटाव द्वारा बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है।

(ख) और (ग) समय-समय पर केरल सरकार से तटीय सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और भारत सरकार ने इस संबंध में आवश्यक सहायता मुहैया कराई है। बारहवें वित्त आयोग ने नई समुद्री दीवार के निर्माण तथा पहले से निर्मित समुद्री दीवार के सुधार के वास्ते 2005-2010 की अवधि के लिए राज्य विशेष अनुदान के तहत तटीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए 175 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। आर्थिक कार्य विभाग (डी.ई.ए.) द्वारा राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.) के बाह्य वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) को भी भेजा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केरल से संबंधित एक घटक शामिल है। एशियाई विकास बैंक ने "समेकित तटीय प्रबंधन और उसके संबंध में निवेश में हुई वृद्धि" संबंधी तकनीकी अध्ययन के लिए भारत सरकार को तकनीकी सहायता दिये जाने का अनुमोदन कर दिया है। भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2005 में यथाअनुमोदित सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत राज्य में पर्यावरण और तटीय सुरक्षा उपाय के लिए 2005-06 से 2008-09 की अवधि के लिए 432.18 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र

877. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जलवायु के संदर्भ में भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा पर्यावरणीय संतुलन के लिए वन से ढका होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है और राष्ट्रीय औसत कितना है तथा वन भूमि का कुल कितना क्षेत्र इन राज्यों में है; और

(ग) सभी राज्यों को प्राक्कलित 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार, देश के कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई क्षेत्र वन अथवा वृक्षावरण के अंतर्गत होना चाहिए। पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि कटाव और भू-अवक्रमण को रोकने और कोमल पारितंत्र के स्थायीत्व को सुनिश्चित करने के लिए दो-तिहाई क्षेत्र का ऐसे आवरण के अंतर्गत रखरखाव का लक्ष्य होना चाहिए।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की गई वन स्थिति रिपोर्ट (एस.एफ.आर.), 2003 के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कुल वन आवरण और रिकार्ड किए गये वन क्षेत्र सहित वन आवरण की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन आवरण और रिकार्ड किए गए वन क्षेत्र का राष्ट्रीय औसत क्रमशः 20.64 प्रतिशत और 23.57 है।

(ग) सरकार द्वारा देश में वन आवरण में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 और उनके अंतर्गत नियम, दिशानिर्देश जैसे विधायी उपाय।

(ii) अनुमोदित कार्य योजनाओं आदि के अनुसार वनों की कार्य प्रणाली जैसे प्रबंध उपाय।

(iii) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत वनीकरण कार्यक्रमों और वनों की सुरक्षा और संरक्षण कार्यों को करने के लिए सहायता प्रदान करने जैसे वित्तीय उपाय।

(iv) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(v) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) स्कीम वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरणों और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों के द्वि-स्तरीय मेकेनिज्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(vi) बारहवें वित्त आयोग ने 2005-2010 की अवधि के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों, को 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देने का सुझाव दिया है, यह धन राशि उस धनराशि के अतिरिक्त है जो राज्य अपने वन विभागों अर्थात् वन विभाग के सामान्य व्यय के अतिरिक्त, के माध्यम से खर्च करेंगे।

विवरण

एफ.एस.आई. की वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 के अनुसार भारत के राज्यों के वन आवरण के (भौगोलिक क्षेत्र) की प्रतिशतता और कुल वन आवरण (किमी² में)

(क्षेत्र किमी²)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	वन आवरण	भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में वन क्षेत्र	रिकार्ड किया गया वन क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में रिकार्ड किया गया वन क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	275,069	44,419	16.15	63,821	23.20

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	83,743	68,019	81.22	51,540	61.55
असम	78,438	27,826	35.48	27,018	34.45
बिहार	94,163	5,558	5.90	6,473	6.87
छत्तीसगढ़	135,191	55,998	41.92	59,772	44,21
दिल्ली	1,483	170	11.46	85	5.73
गोवा	3,702	2,156	58.24	1,224	33.06
गुजरात	196,022	14,946	7.63	19,113	9.75
हरियाणा	44,212	1,517	3.43	1,558	3.52
हिमाचल प्रदेश	55,673	14,353	25.78	37,033	66.52
जम्मू-कश्मीर	222,236	21,267	9.57	20,230	9.10
झारखंड	79,714	22,716	28.50	23,605	29.61
कर्नाटक	191,791	36,449	19.00	43,084	22.46
केरल	38,863	15,577	40.08	11,268	28.99
मध्य प्रदेश	308,245	76,429	24.79	95,221	30.89
महाराष्ट्र	307,713	46,865	15.23	61,939	20.13
मणिपुर	22,327	17,219	77.12	17,418	78.01
मेघालय	22,429	16,839	75.08	9,496	42.34
मिजोरम	21,081	18,430	87.42	16,717	79.30
नागालैंड	16,579	13,609	82.09	8,629	52.05
उड़ीसा	155,707	48,366	31.06	58,136	37.34
पंजाब	50,362	1,580	3.14	3,084	6.12
राजस्थान	342,239	15,826	4.62	32,488	9.49
सिक्किम	7,096	3,262	45.97	5,841	82.31
तमिलनाडु	130,058	22,643	17.41	22,877	17.59
त्रिपुरा	10,486	8,093	77.18	6,293	60.01

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	240,928	14,118	5.86	16,826	6.98
उत्तरांचल	53,483	24,465	45.74	34,662	64.81
पश्चिम बंगाल	88,752	12,343	13.91	11,879	13.38
अंडमान व निकोबार	8,249	6,964	84.42	7,171	86.93
चण्डीगढ़	114	15	13.16	34	29.82
दादर और नगर हवेली	491	225	45.82	204	41.55
दमन और दीयू	112	8	7.45	1	0.89
लक्ष्यद्वीप	32	23	71.88	0	0.00
पांण्डिचेरी	480	40	8.33	0	0.00
कुल	3,287,263	678,333	20.64	7,74,740	23.57

किसान सहायता/परामर्श केन्द्र

878. श्री ब्रजेश पाठक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में वर्तमान में चलाए जा रहे किसान सहायता/परामर्श केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कौन-कौन से पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन केन्द्रों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) किसानों के कृषि और संवर्गी मामलों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किसान कॉल केन्द्रों को विभिन्न स्थानों पर प्रचालित किया गया है, जैसा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। किसान कॉल केन्द्र सप्ताह में सभी सात दिनों पर टोल फ्री दूरभाष सं. 1551 पर 6 बजे पूर्वाह्न से 10 बजे अपराह्न तक कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (ङ) फिलहाल सम्पूर्ण देश विद्यमान किसान कॉल केन्द्रों से कवर है।

विवरण

किसान कॉल केन्द्रों के स्थान

क्र. सं.	किसान कॉल केन्द्रों के स्थान	कवर किए गए राज्य/ संघ शासित क्षेत्र
1	2	3
1.	अहमदाबाद	गुजरात, दादर एण्ड नागर हवेली
2.	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एण्ड दीव
3.	कानपुर	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
4.	कोची	केरल, लक्षद्वीप द्वीपसमूह
5.	बैंगलोर	कर्नाटक
6.	चैन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
7.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश

1	2	3
8.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब
9.	जयपुर	राजस्थान
10.	इंदौर	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
11.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम
12.	गुवाहाटी	असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और अरूणाचल प्रदेश
13.	दिल्ली	दिल्ली और हरियाणा

[अनुवाद]

सी.बी.एफ.सी. के सदस्यों की नियुक्ति

879. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों का साहित्य, कला, संस्कृति तथा भाषा से कोई नाता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर इन्हें पैनल पर रखा गया है;

(ग) क्या इनकी नियुक्ति के मानदण्डों में संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक की गई बोर्ड की नियमित बैठकों का ब्यौरा क्या है तथा नियमित बैठकें न करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति करने हेतु चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) के मंडल सदस्यों का सामाजिक विज्ञान, कानून, शिक्षा, कला फिल्म आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से चयन किया जाता है और वे समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 की समीक्षा की जा रही है।

(घ) वर्ष 2003 में एक बैठक की गई; वर्ष 2004 में दो बैठकें की गई और वर्ष 2005 में बोर्ड ने एक बार बैठक की। वर्ष 2006 में, एक बैठक पहले ही आयोजित कर ली गई है और एक अन्य बैठक 31-7-2006 को होनी तय है। वर्ष 2003 से वर्ष 2005 के बीच नियमित बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं क्योंकि अध्यक्ष के पद का कार्यभार अस्थायी रूप से संभाला गया था या तो बोर्ड के अध्यक्ष अन्यथा पूर्व-व्यस्त थे।

[हिन्दी]

सहकारी चीनी मिलों के लिए सहायता

880. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किए जाने के बावजूद सहकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी घाटे में चल रही चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन सहकारी चीनी मिलों द्वारा केन्द्रीय सहायता के उपयोग पर कुछ नियंत्रण रखती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उक्त सहायता के उपयोग की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) इस सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) संघ सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने के बावजूद कुछ सहकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं।

(ख) सहकारी चीनी मिलों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2004-05 में देश में 102 सहकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं।

(ग) से (च) जी, हां। चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के उपयोग की मानीटरिंग करने के लिए पहले से ही एक प्रणाली मौजूद है। ऋण के उचित उपयोग और परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी और मानीटरिंग करने के लिए सरकार की ओर से मानीटरिंग एजेंसियों के रूप में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राष्ट्रीय

सहकारी विकास निगम को नियुक्त किया गया है। दूसरी किस्त और शेष ऋण, यदि कोई हो, का संवितरण पहले दी गई किस्त के उचित उपयोग के प्रति उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जाता है। मानीटरिंग एजेंसियां स्थल निरीक्षण, चीनी फैक्ट्री की लेखा बहियों के सत्यापन, चार्टर्ड लेखाकार की रिपोर्ट आदि जैसी आवश्यक जांच करने के बाद सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती हैं। यदि किसी ऋण का विपथन होता है अथवा चीनी विकास निधि नियमावली के अनुसार इसका उचित उपयोग नहीं होता है तो ऋण वापस ले लिया जाता है तथा मिल को आगे ऋण का संवितरण नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

भूजल स्तर को बढ़ाना

881. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार वर्षा के कितने जल का संचयन किया जा रहा है;

(ख) सरकार द्वारा वर्षा/बाढ़ के जल के और अधिक संरक्षण तथा इसके प्रयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के कम होते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सतही जल के संचयन हेतु राष्ट्रीय योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) वर्षा जल का संचयन सतही भंडारणों का सृजन करके तथा विभिन्न कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के द्वारा भूजल का पुनर्भरण करके किया जाता है। स्थानीय जलभूवैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर भूजल पुनर्भरण करने वाली वर्षा की प्रतिशतता राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होती है। कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के द्वारा प्रत्येक राज्य में संचित वर्षा जल की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(ख) "जल" राज्य का विषय होने के कारण, वर्षा/बाढ़ के जल को संरक्षित करने और इसका अधिक उपयोग करने के उपाय करने की जिम्मेदारी प्रमुखतः संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे वर्षा जल को संरक्षित करने और इसका उपयोग करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(iv) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में अधिसूचित क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर 8 मीटर से कम है, वहां पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों, होटलों, उद्योगों, फार्म हाउसों आदि को वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के निदेश जारी किए हैं।

(v) सी.जी.डब्ल्यू.बी ने राज्य सरकार के अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 2500 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(vi) वर्षा जल संचयन स्कीमों को आम आदमी तक लाने की दृष्टि से लोगों के बीच व्यापक प्रचार के लिए शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन पर फिल्में तैयार की गई हैं। केन्द्र/राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों/शैक्षिक संस्थानों/उद्योगों तथा व्यक्तियों को शामिल करते हुए देश भर में वर्षा जल संचयन तथा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर जन जागरूकता कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

(vii) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों

को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

(viii) शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में संशोधन कर दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक के प्लाटों पर नए भवनों में जल अपवाह सहित वर्षा जल के भंडारण के माध्यम से जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य कर लिया है। इसी प्रकार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल राज्य सरकारों ने विशिष्ट मामलों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है।

(ix) स्वच्छ जल वर्ष 2003-04 के दौरान "समुदाय आधारित संगठनों (सी.बी.ओ.एस.) के माध्यम से छत से वर्षा जल संचयन और विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में दो टायलेट्स का प्रदर्शन" नामक एक क्रियाकलाप शुरू किया गया। इसकी सफलता के आधार पर 2005-07 के दौरान और अधिक बालिका ग्रामीण सरकारी विद्यालयों को छत के वर्षा जल संचयन परियोजनाओं में शामिल किया गया।

(x) वर्ष 2006-07 के दौरान 12 करोड़ रुपए की कुल लागत से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के 13 अभिज्ञात क्षेत्रों में "वर्षा जल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक प्रदर्शनात्मक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(xi) विभिन्न वृहद और मध्यम बांधों में 213 बी.सी.एम. की भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, छोटे चेक बांधों के माध्यम से भी वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) उन क्षेत्रों, जहां पर निरंतर भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, का निर्धारण करने और पुनर्भरण के लिए व्यवहार्य क्षेत्र, अभिज्ञात करने के लिए केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा कराये गए विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के आधार पर 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना' विषय पर एक संकल्पना रिपोर्ट तैयार की गई है। देश में कुल 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं जहां पर भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की आवश्यकता है। यह आकलन किया गया है कि भूजल के संवर्धन के लिए वर्ष में लगभग 36 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) अधिशेष मानसून अपवाह का पुनर्भरण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए 1380 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन पर एक संकल्पना टिप्पण भी तैयार किया गया है। इस संकल्पना टिप्पण में वर्ष 2005-06 से शुरू करते हुए 5 वर्षों की अवधि में देश में भूजल विकास की उच्च अवस्था वाले 17 अत्यंत पिछड़े जिलों में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से 22395 वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण संरचनाओं के निर्माण की योजना है। यह संकल्पना टिप्पण जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है जिसने इसे एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सभी दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने तथा इसे अंगीकार करने के उद्देश्य से "भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण पर सलाहकार परिषद" का गठन भी किया है।

बागान क्षेत्र के कामगारों का पुनर्वास

882. डा. के.एस. मनोज: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में चाय बागान क्षेत्र गम्भीर संकट में था और हाल ही में वहां तालाबंदी रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों से प्रभावित लगभग 25000 कामगारों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इन कामगारों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार से किसी पैकेज का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य में अंतर

883. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के वर्तमान थोक और खुदरा मूल्यों के बीच प्रति किलोग्राम कितना अंतर है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच अधिकतम अनुमत्य अंतर के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार मूल्यों, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की किस प्रकार से निगरानी करती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) थोक और खुदरा मूल्यों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि खुदरा मूल्यों में वितरण, पैकेजिंग, खुदरा व्यापारी के मार्जिन आदि की लागत शामिल होती है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महानगरों में कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य और खुदरा मूल्य नीचे दिए गए हैं:-

वस्तु	दिल्ली		मुंबई		कोलकाता		चेन्नई	
	थोक (रु./टन)	खुदरा/ कि.ग्राभ	थोक (रु./टन)	खुदरा/ कि.ग्राम	थोक (रु./टन)	खुदरा/ कि.ग्राम	थोक (रु./टन)	खुदरा/ कि.ग्राम
चावल	1165	14.00	1175	12.50	850	11.00	1150	13.00
गेहूं	865	10.00	1225	14.00	व्या. नहीं	व्या. नहीं	1280	14.00
तुर दाल	2910	32.00	3050	33.00	2450	30.00	3100	34.00
चना दाल	2705	30.50	3200	35.00	2800	32.00	3150	34.00
सरसों तेल	4542	49.00	5200	74.00	4400	50.00	व्या. नहीं	व्या. नहीं
चीनी	1975	21.00	1910	21.50	1970	22.00	1880	20.00

व्या. नहीं: व्यापारित नहीं

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 14 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की देश भर में प्रमुख राज्य राजधानियों को शामिल करते हुए 18 केंद्रों में दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।

[अनुवाद]

उर्वरकों की कीमतों में कमी

884. **श्री सुबोध मोहिते:**

श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

श्री बी. विनोद कुमार:

श्री वी.के. ठुम्मर:

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्वरकों की मौजूदा कीमतों को घटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अलघ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अंतिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) उर्वरकों की कीमतों को घटाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता वाले कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1-4-2006 से शुरू होने वाली नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-III हेतु यूरिया इकाइयों के लिए नीति तैयार कर रही है।

अनुसंधान हेतु अनुदान

885. श्री रविप्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यावरण संबंधी सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के बहु-विषयक पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को अनुदान उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ङ) अभी तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4525/06]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2006 जो 5 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या सा.का.नि. 273(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4526/06]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4527/06]

अपराह्न 12.01½ बजे

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय संसदीय भागीदारी

प्रतिवेदन

महासचिव: महोदय, मैं नाडी, फिजी में 1-10 सितम्बर, 2005 तक 51वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे जा रहे इसप्रतिवेदन के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सोचा कि आप इसकी सराहना करेंगे। इसकी सराहना करने के बजाय आप इसकी आलोचना कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और इसकी सराहना करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, वे केवल एक बात कहना चाहते हैं...*(व्यवधान)* वे इसकी पहली बार प्रशंसा करेंगे ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई कार्य नहीं है। यह एक वचनबद्धता है। यह पहली बार किया जा रहा है, लेकिन आप इसकी प्रशंसा करने के बजाय इसकी आलोचना कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि पहले कभी भी ऐसा नहीं किया गया है...*(व्यवधान)* मैं इसका स्वागत एवं प्रशंसा कर रहा हूं। यह सिर्फ पहल मात्र नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसा नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि कुछ पारदर्शिता हो, और सदस्यों को भी इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, भविष्य में ऐसा किया जाएगा और मैं इस संबंध में आश्वस्त हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह पहली बार है कि ऐसा किया जा रहा है और हम इसमें कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अत:, मेरा मानना है कि आपको सचिवालय के कर्मचारियों की प्रशंसा करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: जी, हां, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे यह कहना है कि यह प्रतिवेदन सितम्बर, 2005 में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के फिजी दौरे और इसकी भागीदारी के बारे में है। हम मंत्रालयों से भी छ: महीनों के भीतर अपना प्रतिवेदन देने के लिए कह रहे हैं ताकि अगले सत्र में आवश्यकतानुसार शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा किया जाना चाहिए और ऐसा किया जाएगा।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह एक वर्ष और दस महीने के अंतराल के पश्चात् प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप गलत हैं। ऐसा एक वर्ष दस महीने के बाद नहीं बल्कि सिर्फ एक वर्ष के बाद किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे जानकारी नहीं है कि यह अनुज्ञेय है अथवा नहीं, लेकिन मैं उन कदमों के लिए सचिवालय को बधाई दूंगा जो इसमें लिए गए हैं। अब हम प्रत्येक दौरे के लिए रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप को-आपरेट कीजिए, तो जाएंगे।

अपराह्न 12.02 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

चौतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं 'भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) श्रम संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू):** महोदय, मैं 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार श्रम संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

समिति का सातवां प्रतिवेदन श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है जिसे 14 दिसम्बर, 2005 को सदन में प्रस्तुत किया गया था। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई 7 अप्रैल, 2006 को समिति को प्रस्तुत की थी।

सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति को मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य जिसे माननीय सदस्यों को परिचालित किया गया है के अनुलग्नक में दर्शाया गया है। मैं इस अनुलग्नक के सारांश को पढ़ने में सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा मान लिया जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) महत्वपूर्ण भारतीय संस्थापनों पर आतंकवादी हमलों, जैसाकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा उजागर किया गया है, की आशंका के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न काल के बाद हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर आते हैं। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

...*(व्यवधान)*

*ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4528/06

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं सभी को बारी-बारी से बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए। श्री मल्होत्रा पहले एक मुद्दा उठाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई और महत्वपूर्ण काम करना है। इसलिए, मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी अभी क्वैश्चन आवर में इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने टीवी पर सार्वजनिक रूप से और तीन बार इस बात की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि:

"ऐसी सूचना मिली है कि हमारे एक आणविक संस्थापन पर हमले की आशंका है। यह लश्कर-ए-तोएबा (एल.ई.टी.) का ऑपरेशन है।"

इसके बाद, उनसे यह प्रश्न किया गया। भारत के आणविक संस्थापनाओं को यह आशंका कितनी गम्भीर है? उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से, यह बहुत गम्भीर आशंका है।" आगे उन्होंने कहा कि: "इसे आम करने के बाद मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।"

[हिन्दी]

जो एटॉमिक और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन्स का मामला है, इसके ऊपर अगर सीरियस थ्रेट है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं तो सदन को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम टीवी में सुन रहे हैं कि उन्होंने वहां क्या दर्शन दिया, क्या कुछ कहा। सदन चल रहा है और इतनी सीरियस बात, थ्रिलिंग बात, इतनी भीषण स्थिति बाहर बताई जा रही है। प्रधान मंत्री जी एटॉमिक एनर्जी के मिनिस्टर हैं। क्या उन्हें हाउस को कौन्फीडेंस में नहीं लेना चाहिए? पहले उन्होंने कहा था कि लश्कर-ए-तोएबा के एयर फोर्स में जाने से खतरा है और कुछ लोग प्रवेश कर गए। अभी खबर आ रही है कि बहुत जगहों पर लश्कर-ए-तोएबा के लोग आर्मी के अंदर पकड़े गए, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही सारे समाचार पत्रों में आया है कि बिग बी, श्री तेंदुलकर और बड़े-बड़े वी.आई.पीज लश्कर-ए-तोएबा के खतरे में हैं। परन्तु सदन को कुछ मालूम नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जी इस बारे में सदन को कौन्फीडेंस में लेंगे कि यह खतरा कितना गंभीर है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं तो खतरा होगा ही। अगर वह गलत बात कह रहे हैं तो उन्हें भी बताएं, परन्तु गलत बात होने का सवाल नहीं है, वे प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है; उनके बिना नहीं कह सकते। यह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। इस हाउस को जानने का पूरा अधिकार है कि कितना थ्रैट है और कितना थ्रैट नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आपका धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया एक-एक करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज कशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, इस मुद्दे पर सरकार को स्वयं बयान देने के लिए कहा जाए।...*(व्यवधान)*। पूरा देश हमारी ओर देख रहा है।...*(व्यवधान)* महोदय, इस मुद्दे पर बयान देने के लिए सरकार को आपको सलाह देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कल लेबनान में 54 लोग मारे गए।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, सभा में यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैंने विषय के महत्व को समझा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, मैंने विषय के महत्व को समझा है। इसलिए मैंने आपको इसे उठाने की अनुमति दी है। सभा के नेता यहां पर हैं तथा सरकार के अन्य वरिष्ठ मंत्री भी यह। पर उपस्थित हैं। उत्तर उन्हें देना है। मैं उत्तर देने के लिए उन्हें निर्देश नहीं दे सकता हूं तथा आप इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप लम्बे समय से इस सभा के सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं विपक्ष के नेता द्वारा अपनी बात कहने क्योंकि वे इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, के बाद आपको अपना निवेदन कहने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि सामान्यतया प्रश्न काल के बाद सदस्यों को किसी मुद्दे पर चिन्ताएं व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन यह केवल चिन्ता की अभिव्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि सभा में मेरे साथी द्वारा की गई इस बात का उत्तर देना सरकार का कर्तव्य है। इस विषय के बारे में सही-सही क्या हुआ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये चीजें कुछ समय से चल रही हैं। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम से कतिपय रिपोर्टें पढ़ी हैं, जो हमें अत्यधिक पीड़ा देती है, विशेषकर, यह मामला आण्विक संस्थापनों से सम्बन्धित है। यह मामला इतना गंभीर है कि प्रधानमंत्री को स्वयं को उत्तर देना चाहिए। अन्यथा, रक्षा मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, तथा वे भी इस मुद्दे पर उत्तर दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। माननीय रक्षा मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं माननीय सदस्य तथा विपक्ष के नेता को इस पहलू पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

हमारे देश की सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियां पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने वाले लश्कर-ए-तय्यबा (एल.ई.टी.) की गतिविधियों पर लगातार पैनी निगाह रख रही है। पिछले कुछ समय से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसी सूचना उपलब्ध हैं कि एल.ई.टी. प्रमुख आधारभूत सुविधाओं, सैनिक ठिकानों और धार्मिक स्थलों पर आक्रमण की योजना बना रहा है।

जहां तक प्रमुख आधारभूत सुविधाओं का सम्बन्ध है सूचनाओं से मालूम चला है कि संभवतः आण्विक संस्थानों पर भी आक्रमण हो सकता है। सरकार ने जानकारी को गंभीरता से लिया है। कई विशेष सुरक्षा कदम उठाए जा चुके हैं और इस प्रकार के प्रयासों को रोकने के लिए अन्य कदम विचाराधीन, हैं।

सभा इस बात की सराहना करेगी कि उपलब्ध गुप्तचर

[श्री प्रणब मुखर्जी]

सूचना के आधार पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि प्रमुख संस्थानों और अन्य विशिष्ट ठिकानों की रक्षा की जा सके। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार सभी उपयुक्त कदम उठाएगी ताकि इस प्रकार के आक्रमण सफल न हों।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, जायसवाल साहब ने कहा कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है।

[अनुवाद]

वे सरकार में मंत्री हैं, तथा उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है। वे ऐसा कैसे कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। सभा के नेता यहां उपस्थित हैं। मेरी इच्छा है बयान यहां दिया गया होता तथा न कि बाहर। मैं यह बात स्वयं कहना चाहता था। यद्यपि सरकार ने उत्तर दिया है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे।

अपराह्न 12.10 बजे

(दो) लेबनान पर इजरायली हमलों से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, लेबनान में इस्रायल द्वारा किए गए घातक हमलों में 60 लोग मारे गए हैं और मरने वालों में सैंतीस बच्चे हैं। रात को जब वे सो रहे थे तो बमबारी की गई। पिछले 19 दिन से हमले जारी हैं और भारतीय नागरिकों सहित 800 से ज्यादा लेबनानी नागरिक पहले ही मारे जा चुके हैं।

हमने मांग की थी कि भारत सरकार तत्काल युद्ध विराम के लिए दबाव डाले, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। हो यह रहा है कि बुश प्रशासन युद्ध विराम न होने देकर इस्रायल की मदद कर रहा है। वे युद्ध विराम की कोई भी घोषणा होने नहीं दे रहे हैं। बुश प्रशासन खतरनाक बमों और हथियारों की आपूर्ति द्वारा खुली आक्रामकता जारी रखने के लिए इस्रायल को बढ़ावा दे रहा है।

हमने मांग की थी कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए तथा भारत सरकार को इस्रायल से हथियारों की खरीद को निलंबित कर देना चाहिए क्योंकि हथियारों की आपूर्ति द्वारा, हथियारों की बिक्री द्वारा इस्रायल को जो धनराशि प्राप्त हो रही है, उसका इस्तेमाल लेबनान पर हमला करने में हो रहा है।

इराक पर जब हमला हुआ था तो हमने इस सभा में उसकी निंदा की थी तथा एक संकल्प पारित किया था। तीन दिन तक सभा की कार्यवाही बाधित होने के पश्चात् एन.डी.ए. सरकार अंततः इराक पर हमले की निंदा के लिए एक संकल्प लाने पर सहमत हो गई थी। हमने देखा कि भारत सरकार ने लेबनान पर इस्रायल के घातक हमले की निंदा करते हुए एक वक्तव्य दिया है। हमें अपनी चिंता अभिव्यक्त करनी चाहिए और इस सभा की इस भयानक हमले की निंदा करते हुए एक संकल्प भी पारित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमले की निंदा करते हुए पहले ही वक्तव्य दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह एक छोटा देश है और उसकी बीस प्रतिशत जनसंख्या को देश छोड़कर भागना पड़ा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): मैं आपके समर्थन में ही बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हालांकि विश्व की राय इसके विरुद्ध है, फिर भी हमला जारी है। हम खामोश कैसे रह सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। मुझे अन्य माननीय सदस्यों को भी अनुमति देनी है।

श्री बसुदेव आचार्य: यह सभा खामोश कैसे रह सकती है? हमें इसकी निंदा करनी चाहिए तथा लेबनान पर भयानक हमले की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: सरकार इसकी भर्त्सना कर चुकी है।

श्री बसुदेव आचार्य: जब एक छोटे से देश पर हमला हो रहा है तो यह सभा खामोश क्यों है?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: महोदय, यह जो गंभीर विषय श्री आचार्य जी ने उठाया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है कि श्री मोहन सिंह आपका समर्थन कर रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: जिस माननीय सदस्य को मैंने बोलने के लिए बुलाया है - उनके भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*...

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अनावश्यक रूप से इसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यवाही वृत्तान्त में उसे सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं जाकर उनपर चिल्ला नहीं सकता। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप इसके बारे में चिंतित क्यों हैं?

(*व्यवधान*)*...

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री मोहन सिंह का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*...

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहते तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। श्री आचार्य, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मुझे लगता है कि श्री मोहन सिंह आपकी बात का समर्थन करना चाहते हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: दूसरों को भी बोलने दीजिए। अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस विषय पर नोटिस दिया था इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेबनान में आज जो कुछ भी हो रहा है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नागरिक ठिकानों पर हवाई हमले करके निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को मारा जा रहा है। बहुत से भारतीय घायल हुए हैं और कुछ मारे भी गए हैं, जिनकी लाशें भारत में आई हैं। ऐसे मौके पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि अमेरिका हमेशा मिडल ईस्ट में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए इजरायल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे में शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई है। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने यहां वक्तव्य जरूर दिया कि वहां शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन सीजफायर कराने के लिए जो सक्रिय पहल भारत सरकार को करनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री वहां गई थीं और केवल दिखावे के लिए सीजफायर करने की बात कही थी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इजरायल ने कहा है कि उसका यह अभियान 14 दिन तक जारी रहेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि विश्व में किसी भी शांति समर्थक देश को ऐसे मामले में कूदना चाहिए और सम्पूर्ण विश्व की एकता बनाकर इस तरह से दूसरे राष्ट्र के भीतर जो आक्रमण हुआ है, उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। भारत ने हमेशा ऐसा किया है। मैं लेबनान के नागरिक ठिकानों पर इजरायली हमले की घोर निंदा करते हुए तत्काल सीजफायर करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। इस पर सभा को सामूहिक रूप से अपनी वेदना व्यक्त कर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से आह्वान करना चाहिए कि वह इस्रायल से लेबनान में नरसंहार बंद करने को कहे। मैं नहीं जानता कि विपक्ष में मेरे मित्रों का क्या दृष्टीकोण है। उन्हें यह बताना चाहिए।...(*व्यवधान*)

एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र ने आज अपने मुख पृष्ठ पर एक चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें एक छोटे बच्चे के शव को उठाए हुए एक आदमी को गुस्से और दुख में दिखाया गया है। यह और कुछ नहीं बल्कि नरसंहार है। विश्व में आज हिटलर छाप नरसंहार का एक और रूप नजर आने लगा है। दूसरी चिंता यह है कि वास्तव में यह छद्‌म युद्ध है। यह छद्‌म युद्ध अनुशासन और संपूर्ण मध्य पूर्व में व्यवस्था स्थापित करने के बहाने से इस्रायल की आड़ में विश्व की महाशक्ति द्वारा लड़ा जा रहा है।

भारत अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जाना जाता है। हम हमेशा से पीड़ितों के पक्ष में रहे हैं। हमने हमेशा साम्राज्यवाद की भर्त्सना की है। हमने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का पालन किया है। इस सभा को सामूहिक रूप से कहना चाहिए कि

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

"इस्रायल तुरंत इस आक्रामकता को बंद करे।" यह युद्ध नहीं है। यह आक्रामकता है। इसे बंद किया जाना चाहिए। इस नरसंहार को बंद किया जाना चाहिए।

हमें लेबनान का समर्थन करना चाहिए। हमें मुसीबत में फंसी मानवता की सहायता करनी चाहिए। हमें नरसंहार के विरुद्ध बोलना चाहिए। इस आक्रामकता के विरुद्ध एक स्वर में बोलना भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद की परंपरा है। हमारी संसद के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए और हमें संपूर्ण विश्व को बताना चाहिए कि भारत स्पष्ट तौर पर चाहता है कि लेबनान में आक्रामकता तथा नरसंहार तुरंत बंद होना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)** ...

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाई, यह सही नहीं है। मैंने आपके उप नेताओं को बुलाया है और आप उन्हें बाधित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह वो स्थान नहीं है। केन्द्रीय हॉल अथवा किसी अखाड़े में जाइए, मैं नहीं जानता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप चाहें या न चाहें, किसी न किसी को कार्यवाही का विनियमन करना ही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनका नाम पुकारा था। वह बोलना चाहते थे। विषय के महत्व के कारण मैं उनको पूर्व सूचना के बिना अनुमति दे रहा हूं। सहयोग करने का यह तरीका सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, लेबनान में नागरिक ठिकानों पर आक्रमण करने और नागरिक ठिकानों पर बच्चों और महिलाओं का मारा जाना, हमारे सैनिकों का घायल होना - इसकी हम निंदा करते हैं। सदन में जो भावनाएं प्रकट की गयी है; हम उनके साथ हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो विस्तृत वक्तव्य दिया था और सारे हाऊस ने उसका समर्थन किया था कि वहां पर लड़ाई बंद होनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना द्वारा वहां शांति होनी चाहिए, सीजफायर होनी चाहिए। बच्चों और नागरिक ठिकानों पर हमले की हम निंदा करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य धैर्य रखिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप अवसर ही नहीं दे रहे हैं। मैं विषय के महत्व के कारण सभा के सभी वर्गों को सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा हूं। वे आपका समर्थन कर रहे हैं और विघ्न डाल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी अथवा कुछ उत्तर देगी? जरा प्रतीक्षा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, मैं आपको भी बुलाऊंगा। मुझे आपका नाम मिल चुका है। इसलिए, कृपया मुझे अपना कार्य करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तो, आप बोलिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल और स्वयं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि मैं भी अपने आपको इस मुद्दे से संबद्ध कर रहा हूं। यह और कुछ नहीं बल्कि इस्रायल द्वारा लेबनान जैसे कमजोर और छोटे राष्ट्र के विरुद्ध अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना है। भारत सरकार द्वारा इसकी निंदा की जानी चाहिए। हमने सदैव लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का साथ दिया है और किसी भी हमले का विरोध किया है। संसद ने सदैव ऐसा किया है। यह हमारी परंपरा है। हमें आशा है कि सरकार इस संबंध में समुचित कदम उठाएगी। हमें इस कार्रवाई की निंदा करने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प लेना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। लेबनान एक छोटा देश है। बड़े देश छोटे देश के विरुद्ध अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः, हमें इस कृत्य का एकजुट होकर विरोध करना होगा। हम आशा करते हैं कि सरकार भी इस संबंध में समुचित कदम उठाएगी और इस सभा में सर्वसम्मत संकल्प लाएगी तथा सरकार इस संबंध में पहल करेगी।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): मैं कोई तकरीर नहीं करूंगा।

[अनुवाद]

मेरे पास केवल चार दोहे, आठ पंक्तियां हैं जिनके द्वारा मैं अधिकांश सदस्यों की भावनाएं अभिव्यक्त कर सकता हूं।

[हिन्दी]

"ये जो इजराइल की लेबनान को सौगात है, ये तो एक दस्तूर है उसकी पुरानी बात है,

आज फिर मेरी नजर माझी में जाकर खो गयी, फिर शतीला-साबिराह की याद ताजा हो गयी,

आ गया लेबनान में पहने हुए जंगी लिबास, क्या फिलिस्तीनी लहू से बुझ न पाई तेरी प्यास,

उफ ये जुल्मों-जबर और दुनिया की ये खामोशियां, चौधरी जो अमन के बनते थे आखिर है कहां।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरी समझ में नहीं आता कि वह क्या कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: मैं ऊर्दू में बोल रहा हूं। उर्दू का भाषांतर उपलब्ध नहीं है। मैं इसका अनुवाद कर दूंगा...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: अन्य सदस्यों की तरह हम भी बड़ी शक्ति के रवैये की निंदा करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए। यह बहुत बुरी आदत है।

कुमारी ममता बैनर्जी, कृपया उन पर ध्यान मत दीजिए और मुझे संबोधित कीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं लेबनान के हित का समर्थन कर रही हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया टोका-टाकी न करें। यह बहुत गंभीर विषय है।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: इजरायल द्वारा लेबनान पर हमले में उड़ीसा के भी कुछ व्यक्तियों की जान गई है। हमारा विचार है कि संसद को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए जिसमें इस रवैये की निंदा की गई हो क्योंकि हमारे देश ने सदैव उपयोगी भूमिका निभाई है चाहे वह अफ्रीकी युद्ध हो अथवा अफ्रीकी संघर्ष अथवा वियतनाम का संघर्ष हो। भारत को गुट-निरपेक्ष आंदोलन के नेता के तौर पर नेतृत्व करना चाहिए। इस आंदोलन को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ताकि छोटी शक्तियों (छोटे देशों) को भारत से संरक्षण प्राप्त हो सके। मैं भारतीय सरकार से इसकी निंदा करने और सभा में एक संकल्प लाने का अनुरोध करना चाहती हूं। इस संबंध में हम सभी की एक राय है। मेरे विचार से हमें अमरीका के रवैये की निंदा अवश्य करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस सभा का अध्यक्ष होने पर गर्व महसूस करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, इस विश्व में जो मजबूत देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वे छोटे-छोटे देशों के लिए बराबर इस तरह की परेशानी पैदा करते रहते हैं और नागरिक ठिकानों पर हमला करके जान-माल के लिए भी बराबर खतरा पैदा करते रहते हैं। इस विषय पर सदन में प्रधानमंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया था। इस बारे में सदन का भी पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त है, लेकिन जो भूमिका पूर्व से भारत की इस बारे में रही है कि जहां भी विश्व में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है, वहां भारत प्रयास करके शांति कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन अभी जो भूमिका भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, वह भूमिका नहीं हो रही है। जो घटनाएं घट रही हैं, उनकी हम पुरजोर निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि यहां से एक प्रस्ताव पारित करें, जिससे वहां पर शांति कायम हो, जिसके लिए सदन और सरकार को प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि आज जो यहां रियेक्शन है, वह इस वजह से भी ज्यादा है, क्योंकि हम खुद इस चीज को अभी हाल ही में ट्रेन में बम ब्लास्ट के बाद महसूस करते हैं। बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, इन्सानों के टुकड़े हो जाते हैं, बच्चे यतीम होते हैं और जब ऐसे वाक्यात होते हैं तो हम कहते हैं कि यह आतंकवादियों का काम है। जब न्यूयार्क पर हमला हुआ तो हम सब ने उसे कन्डेम किया और कहा कि यह आतंकवाद है। उसके बाद हम अमरीका के साथ खड़े हो गए। जब उन्होंने पूरे

[सुश्री महबूबा मुफ्ती]

अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां सौ नहीं, हजार नहीं बल्कि हजारों की संख्या तादाद में लोग मार दिए, बच्चे मार दिए, लोगों को अपाहिज कर दिया, प्रोपर्टी बरबाद कर दी और उसके बाद यही सीन इराक में हो गया। वहां यह कहा गया कि न्यूक्लियर वैपन्स हैं। लेकिन बाद में खुद अमरीका ने कहा कि वहां कुछ नहीं है। हमारे जैसा मुल्क, गांधी जी का देश, हम हमेशा देखते रहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, रैजुलेशन लाते हैं और उसके बाद अमरीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि हमारे मुल्क में कहीं भी हमला होता है तो उसे आतंकवादी बुलाते हैं और उन्हें फांसी पर लटकाना चाहते हैं लेकिन जब पूरा मुल्क का मुल्क चाहे वह इजरायल हो या अमरीका हो, वह दूसरे मुल्क में जाकर पूरे साजो सामान के साथ हमला करते हैं, बच्चों को मारते हैं, पूरे देश को नष्ट कर देते हैं, तो हम उसे क्या कहें।

[अनुवाद]

उनके लिए क्या शब्द है और हम इस बारे में क्या करें? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? यह अमरीका या इस्रायल तक सीमित नहीं रहेगा। अमरीका या इजरायल को इसका जवाब देना पड़ेगा। यह जो अन्याय दुनिया में होता है, उसी कारण से ग्रुप्स बनते हैं और वही ग्रुप्स पूरी दुनिया में जाकर अफरातफरी मचाते हैं। हमारा मुल्क चूंकि डेमोक्रेटिक है और यहां अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी तादाद है। मुझे लगता है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम खड़े हो जाएं और इस सिलसिले में बात करें। हमारे इजरायल के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं यह अच्छी बात है, लेकिन आज जो हो रहा है, उसे हमें नोटिस में लेना चाहिए।

[अनुवाद]

हमें पीड़ितों के साथ खड़े दिखना चाहिए न कि निर्दोष पीड़ितों पर हिंसा करने वाले अपराधों के भागीदारों के साथ।

محترمہ محبوبہ مفتی (اننت ناگ): جناب اسپیکر صاحب، ہمیں لگتا ہے کہ آج جو یہاں ری ایکشن ہے، وہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم خود اس چیز کو ابھی حال ہی میں ٹرین میں بم بلاسٹ کے بعد محسوس کرتے ہیں۔ بچے مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، انسانوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آتنک وادیوں کا کام ہے۔ جب نیویارک پر حملہ ہوا تو ہم سب نے اس کی مذمت کی اور کہا یہ آتنک واد ہے۔ اس کے بعد ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے پورے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں سو نہیں، ہزار نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مار دیئے، بچے مار دیئے، لوگوں کو اپاہج کر دیا، پروپرٹی برباد کر دی اور اس کے بعد یہی سین عراق میں ہو گیا۔ وہاں یہ کہا گیا کہ نیوکلیئر ویپنس ہیں۔ لیکن بعد میں خود امریکہ نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جیسا ملک، گاندھی جی کا ملک، ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے ہیں، ریزولوشن لاتے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں کہیں بھی حملہ ہوتا ہے تو اسے آتنک وادی بلاتے ہیں اور انہیں پھانسی پر لٹکانا چاہتے ہیں لیکن جب پورا ملک کا ملک چاہے وہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، وہ دوسرے ملک میں جا کر پورے ساز و سامان کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، پورے ملک کو برباد کر دیتے ہیں، تو ہم اسے کیا کہیں۔ ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں؟

امریکہ یا اسرائیل کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو ناانصافی دنیا میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے گروپس بنتے ہیں اور وہی گروپس پوری دنیا میں جا کر افراتفری مچاتے ہیں۔ ہمارا ملک چونکہ ڈیموکریٹک ہے اور یہاں اقلیتوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور اس سلسلے میں بات کریں۔ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن آج جو ہو رہا ہے، اسے ہمیں نوٹس میں لینا چاہئے۔

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, एक-एक करके नाम पुकारूंगा। मैं एक ही समय दो माननीय सदस्यों की बात नहीं सुन सकता।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): माननीय बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए लेबनान पर इजरायली हमलों से उत्पन्न स्थिति और भिन्न-भिन्न दलों के सदस्यों ने जो प्रकाश डाला है, उसके साथ मैं अपने दल को सहमत करता हूं। हमारा दल भी इससे सहमत है। * यही कारण है कि जिस लहजे में इस तरह की घटना पर, इस तरह की दुर्घटना पर अपनी प्रतिक्रिया सरकार की ओर से व्यक्त करनी चाहिए थी, व्यक्त नहीं की जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस बात के लिए लेबनान के लोगों की सहायता के लिए और उस पर एग्रेशन तत्काल बंद करने के लिए भारत सरकार को खड़ा होना चाहिए। जिन से बात करने की आवश्यकता हो, बात करके अगुवाई करनी चाहिए और हाउस में एक रैजोल्यूशन लाकर इसे कंडैम करना चाहिए।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर इशू है। प्रधान मंत्री जी ने गवर्नमैंट की तरफ से कंडैम किया है। मैं भी इसके साथ हूं। हम क्यों नहीं इसे लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करते? मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस बारे में सर्वसम्मत राय रखते हैं। लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, हम उसकी निन्दा करते हैं। इस्रायल के खिलाफ सरकार की तरफ से संसद में कोई न कोई रैजोल्यूशन पास होकर जाना चाहिए जिससे दुनिया को पूरी बात मालूम हो सके।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदुर): महोदय, मैं अपने दल द्रमुक की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हमें लेबनानवासियों के प्रति गहरी चिंता दिखानी चाहिए। जैसा कि हमारे मित्र ने यहां कहा है - मैं अपने आपको उनसे संबद्ध करूंगा - विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत इस मुद्दे पर मूकदर्शक नहीं बना रह सकता। हमें गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार, पहले ही इस मुद्दे की निंदा कर चुकी है परंतु इसकी निंदा इस सभा द्वारा सभी दलों की सहमति से की जानी चाहिए। हमें इजरायल के बर्बर हमले के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इस बात से सहमत है कि लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, वे किसी एक देश के खिलाफ हमले नहीं हैं अपितु सम्पूर्ण मानव जाति और मानवता पर हमले हैं। सदन इस बात पर सर्वसम्मत है कि एक प्रस्ताव पास होना चाहिए। यह एक विचारणीय बात है। अक्सर इस बात पर चर्चा होती और इतिहास रहा है कि हिन्दुस्तान हमेशा अपने विश्व गुरु के लिए जाना जाता है लेकिन आज हिन्दुस्तान चुपचाप देख रहा है। केवल एक देश का एकाधिकार नहीं चलेगा कि वह विश्व में जो चाहे करे। हिन्दुस्तान सौ करोड़ लोगों का देश है। अगर हम लोग मन बना लें और पैदल मार्च करें तो किसी की हिम्मत नहीं कि हम लड़ाई हो सकें। हमें मजबूती से आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: हमारी सर्वसम्मत राय है कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं और दबने वाले नहीं हैं। कुछ लोग हम पर अनैतिक दबाव डालते हैं।*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच करूंगा। कृपया कार्यवाही मेरे पास लाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह घोर आपत्तिजनक है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): इसे रिकॉर्ड से निकाला जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरी समझ में नहीं आता। मैं इसकी जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री उमर अब्दुल्ला।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: हम लेबनान पर हमलों की निन्दा करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि मैं इसकी जांच करूंगा क्योंकि मैंने यह देखी नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था।

हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। इसे सिर्फ भावनाओं से नहीं किया जा सकता। हमें भावनाओं में कुछ नहीं कहना है। हमें सम्मानजनक तरीके से प्रतिक्रिया करनी है।

मैंने श्री उमर अब्दुल्ला का नाम बोला है। उनका पक्ष सुनते हैं।

श्री उमर अब्दुल्ला (श्रीनगर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की ओर से इजरायली आक्रमण और लेबनान के कब्जे की कठोरतम संभव शब्दों में निन्दा करता हूं। मेरी पार्टी मेरे दाईं ओर बैठे माननीय मित्र उठे थे और कहा था कि क्या हम इजरायल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते; हमारा मानना है कि इजरायल को अस्तित्व का उतना ही अधिकार है जितना इजरायल ने फिलिस्तीन को अस्तित्व का अधिकार दिया है, जितना इजरायल ने लेबनान को अस्तित्व का अधिकार दिया है, जितना इजरायल ने मध्य पूर्व के अन्य देशों को अस्तित्व का अधिकार दिया है। यदि इजरायल यह नहीं मानता कि फिलिस्तीनियों को अस्तित्व का अधिकार नहीं है तब मैं नहीं मानता हमें इजरायल को वही दर्जा देना चाहिए। जो सही है, सही है और जो उचित है, वही उचित है। दो देशों के लिए दो मानक नहीं हो सकते।

एक देश अपने मित्रों द्वारा अकारण आक्रमण की अनुमति देता है। जब भारत को उकसाया गया था और भारत पर हमला किया गया था - जब करगिल में हमारे शिखरों पर कब्जा किया गया था - हमें कहा गया था कि हमें नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी चाहिए।

और अब, इजरायल के मामले में, जब वे कोई उकसाव देखते हैं, जब वे प्रतिक्रिया का अधिकार देखते हैं, तो अमरीकी अपने आधिपत्य से बिल्कुल आंख फेर लेते हैं। मुझे कोई शक नहीं है इजरायल यह महसूस करता है कि जब हिजबुल्ला द्वारा उनके कुछ सैनिकों का अपहरण कर लिया गया था तो वे दुखी थे, किन्तु यह कार्य हिजबुल्ला द्वारा किया गया था इजरायल के निरपराध लोगों द्वारा नहीं, और इससे भी ज्यादा, लेबनान के बच्चों द्वारा नहीं किया गया था। लेबनान के बच्चे इसमें बिल्कुल निरपराध थे।

मैं मानता हूं कि यदि हम निर्गुट के सिद्धांतों पर डटे हुए हैं, यदि हम अपनी इस प्रतिबद्धता पर डटे हैं कि यह संसद भारत के लोगों के अतिरिक्त और किसी से संबंध नहीं रखती और भारत के लोगों के मत के अतिरिक्त और कुछ अभिव्यक्त नहीं करती तो संसद के दोनों पक्षों, सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए और एक संकल्प तैयार करना चाहिए। संसद को इस कब्जे की कठोरतम संभव शब्दों में निन्दा करनी चाहिए और लेबनान से इजरायल की तुरंत वापसी, एक युद्ध-विराम और इस समस्या की बातचीत से समाधान की मांग करनी चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से लेबनान के इजरायली आक्रमण की बिन्दा करता हूं। मैंने टी.वी. में देखा है कि अबोध बच्चों को मारा जा रहा है। हमारा देश एक संप्रभु देश है। हमने गुट निरपेक्ष देशों को मार्ग दिखाया है। हमने ईराक पर अमेरिकी हमले की निन्दा के लिए एक संकल्प पारित किया था। इसी तर्ज पर सरकार, प्रधानमंत्री ने सभा में वक्तव्य दिया था। किन्तु वह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। सरकार को संसद के दोनों सदनों में लेबनान पर इजरायली हमले की निन्दा करने वाला संकल्प पारित करना चाहिए। हम संकल्प का समर्थन करेंगे। सरकार को इसकी निन्दा करनी चाहिए और सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बात यहां कही है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि इसके पीछे कौन है। जब मुम्बई में आतंकवादी घटनाओं पर यहां चर्चा हो रही थी, तब भी मैंने इस बात को उठाया था कि जो आतंकवाद की जड़ है, क्या हम उसे खत्म कर सकेंगे। आज भी उन्होंने हिन्ट किया कि चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, चाहे सदाम हुसैन या बिल लादेन को खोजने को खोजने का बहाना हो। परंतु आज लेबनान पर अटैक्स हो रहे हैं। इस सबमें वही इजरायल के पीछे हैं। कहते हैं कि एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम उन्हीं के आगे घुटने टेककर बार-बार कहेंगे कि आप आतंकवाद को खत्म करिये। मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग पूरे विश्व में...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि भारतीय इतनी आसानी से समर्पण करते हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: जो लोग इसके पीछे हैं, उन्हें जानते हुए भी हम लोग उन्हीं से मदद देने की गुहार करते हैं। क्या हम लोग पूरे विश्व में इस बात का पर्दाफाश नहीं करेंगे कि आखिर इजरायल के पीछे कौन है। एक तरफ बार-बार हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ हर रोज इस तरह के अटैक करके हम आतंकवाद को उपजा रहे हैं। क्या हम यह सब खत्म करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं? इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री वाइको की अध्यक्षता वाली एम.डी.एम.के. की ओर से बोल रहा हूं। मैं सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं जिन्होंने लेबनान पर इजरायल द्वारा बमबारी की निन्दा की है। इजरायल के इस अत्याचार द्वारा लेबनान के अबोध बच्चे और नागरिक मारे जा रहे हैं। हमें इजरायल के इस व्यवहार की निन्दा करने वाला एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाणा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से इजरायल ने लेबनान पर जो अटैक किया है, जिसके कारण इन्नोसैन्ट महिलाएं, बच्चे तथा भारतीय नागरिक मारे गये हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि पूरा हाऊस इसकी निंदा करे तथा एक प्रस्ताव तैयार करके इजरायल को भेजे, जिससे कि वहां सीजफायर हो जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, यह पहली बार नहीं है जब इस सभा ने मानवता पर बर्बर हमले की निन्दा करने के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। लेबनान में आज जो हो रहा है उससे हमें द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी हमले की याद आती है। यह जातिसंहार से कम नहीं है। रोजाना बच्चे मारे जा रहे हैं। यह 20वां दिन है और एक सभ्य विश्व में हम संसद में मूक दर्शक के तौर पर बैठे हैं। यह नहीं हो सकता। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है, सरकार ने निन्दा की है किन्तु कुछ क्रियात्मक भाग भी होना चाहिए। यह संकेत जाना चाहिए कि हमारा देश ऐसे देश से खरीदारी नहीं करेगा जो जातिसंहार कर रहा है। छोटे-छोटे अपराधों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं किन्तु इस देश को छोड़ा जा रहा है क्योंकि बड़ा भाई इसके पीछे है। वह ढिठाई से कह रहा है, 'मुझे 14 दिन और दे दो और हम और कब्जा करेंगे।'

बच्चों ने वास्तव में शरण ली थी और वे बेसमैंट में गहरी नींद में थे। बड़ी शक्ति द्वारा किसी प्रकार की कोई निन्दा नहीं की गई है। अतः इस सभा के सभी वर्गों की ओर से कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस सभा को निन्दा करनी चाहिए और तुरंत युद्ध-विराम और कब्जा करने वाली फौजों की वापसी की मांग करनी चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि उस क्षेत्र में कब्जा करने वाली फौजों को एक सबक सिखाया जाए।

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए इस रिजॉल्यूशन का मैं समर्थन करता हूं। जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को आतंकी तरीके से अमेरिका अपने पूंजीवाद से फैला रहा है, चाहे वह अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, और जो आतंकवादी गतिविधियां अमेरिका के सैपेरेशन से बढ़ रही हैं और उसके कण आज हिन्दुस्तान में भी पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि अमेरिका जैसे देश के खिलाफ उसकी आतंकवादी हरकतों के लिए, आतंकवादियों का पक्ष करने के लिए, इस्रायल की आतंकी हरकत का पक्ष करने के लिए एक रिजॉल्यूशन लाकर अमेरिका का भरपूर विरोध किया जाए कि वह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला अमेरिका अपने घर में पालता है, अपने ही घर में भिखारी बनाता है और फिर अपनी बंदूकों को बेचने के लिए उनको बंदूकें देता है। अपने साजो सामान को बेचने के लिए ही वह आतंकवादी हरकतों को दुनिया में फैलाने का काम कर रहा है।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से लेबनान पर जो इस्रायली आक्रमण हो रहा है उसकी घोर निन्दा करता हूं। यह पूरी मानव जाति पर आक्रमण है और इसमें बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। जिस तरह से सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्य एकमत होकर इसकी निन्दा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि निन्दा करने के साथ साथ सरकार की ओर से हम सब एक साथ मिलकर एक रिजॉल्यूशन पास करने की पहल करें तो बहुत अच्छी बात होगी। दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती का हम लोग उचित जवाब देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, मैं अभागे, अबोध बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों और दुर्बलों पर इजरायली सेना द्वारा हमले पर इस सभा की माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त वेदना और भावना से सहमति व्यक्त करता हूं। कुछ दिनों पहले, माननीय प्रधान मंत्री ने लेबनान पर असंगत सैनिक हमले की निन्दा करने वाला एक विस्तृत वक्तव्य इस सभा में दिया था और लेबनान के पीड़ितों को मानवतावादी समर्थन दिया था। कल ही, चूंकि सभा सत्र में नहीं थी - सरकार सभा में अपना मत व्यक्त नहीं कर सकी थी किन्तु हमने इस कृत्य की बड़ी कठोर निन्दा जारी की थी। भारत इजरायली सेना द्वारा, नियंत्रण की मांग को अनदेखा करते हुए लेबनान पर निरंतर गैर-जिम्मेदाराना और अंधाधुंध बमबारी की पुरजोर निन्दा करता है।

विशेष रूप से 'काना' में प्रांत: एक इमारत पर बमबारी काफी घातक सिद्ध हुई है क्योंकि उसमें दर्जनों मासूम नागरिकों जिनमें अधिकांशत: महिलाएं, बच्चे और वृद्ध थे जिन्होंने वहां शरण ले रखी थी, की मृत्यु हो गई है। भारत लेबनान की सरकार और लोगों को इस दु:खद घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। भारत इजरायली-लेबनान सीमा पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर हवाई हमले की निंदा करता है जिसमें दो भारतीय सैनिक कल गंभीर रूप से घायल हो गये थे। भारत की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर आक्रमण तत्काल रुकने चाहिए। भारत इस संघर्ष के बढ़ने पर काफी चिंतित है और पुन: दोहराता है कि तत्काल बिना किसी शर्त के युद्ध विराम लागू हो ताकि जान और माल का और अधिक नुकसान न हो तथा लेबनान के प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। युद्ध विराम के उपरांत विचार-विमर्श होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र की समस्याओं का शांतिपूर्ण व्यापक समाधान निकाला जा सके और संबद्ध पक्षों की जायज शिकायतों तथा हितों का ध्यान रखा जा सके।

इसके अलावा भारत फिलिस्तीनी मंत्रियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी की भी निंदा करता है, क्योंकि भारत को ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया जाए। अतएव एकबार पुन: हम दुहराते हैं कि इस संघर्ष को तुरंत रोका जाए और लेबनान पर हमले को शीघ्र बंद किया जाए।

सभा के सदस्यों ने संकल्प पारित करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। महोदय, आप पूर्णत: अवगत हैं कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके तहत इस प्रकार के संकल्प पर विचार किया जा सकता है। मुझे आप सहित सभी पक्षों से विचार-विमर्श करना होगा। मुझे प्रधान मंत्री को सदन की राय से भी अवगत कराना होगा। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि भारत सरकार हर स्तर पर उचित कदम उठाएगी और इस परिस्थिति में जो भी आवश्यक होगा करेगी।

महोदय, मझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी यही समस्या है। मेरे विचार से आपके पास कई मुखर वक्ता हैं। अत: उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। क्या आप अपराह्न 1.15 बजे मेरे समिति कक्ष में हम एक साथ बैठ सकते हैं?

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करनी होगी। अभी लगभग अपराह्न 1.00 बजा है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अपराह्न 4.00 बजे हम बैठते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: जी हां, 4.00 बजे हम बैठ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि मैंने कहा, एक टिप्पणी की गयी है। मुझे इस सभा का अध्यक्ष होने में गर्व महसूस होता है।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, मैंने सुबह यह मामला उठाया था कि "इंडिया टुडे" के लेटेस्ट अंक में "लेटर बम्ब" के नाम से एक आर्टिकल आया है और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है। मैं समझता हूं कि संभवत: हमारे पूर्व विदेश मंत्री जी ने इसी पत्र के कुछ अंशों का अपनी पुस्तक में उल्लेख किया होगा। जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसकी सीधे प्रधानमंत्री जी से एप्रोच थी, वह अमेरिका से या अमेरिका को हमारी गुप्त सूचनाएं देता था। मैं इसमें से जरा कोट करना चाहूंगा:-

[अनुवाद]

"जिस वरिष्ठ व्यक्ति से मैंने बात की उसने मुझे गोपनीयता की शपथ दिलायी जब वह बैंगलोर में गुप्त बैठक में गए जहां कि प्रधानमंत्री के सामने परमाणु परीक्षण के मुद्दे को इसका समर्थन करने वाले उनके अधिकांश परामर्शदाताओं

द्वारा उनके समक्ष रखा जाएगा। वे बहुत चिंतित थे कि शायद वह यह लड़ाई नहीं जीत पाएं। किन्तु वह नहीं चाहते थे कि मैं इस समय किसी के साथ इस जानकारी को बांटू। उन्हें इस बात के फैलने के दुष्परिणामों का भय था और उन्होंने आशा जताई थी कि प्रधानमंत्री अपनी ख्याति के अनुरूप ही इस निर्णय को विलंब से लेने का निर्णय लेंगे।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इस पत्र को अगर पूरे तरीके से पढ़ा जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि जिस न्यूक्लियर डील की बात उस वक्त चल रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारी के माध्यम से दबाव डाला जा रहा था, वह न्यूक्लीयर डील तब तो नहीं पाई, लेकिन अब वह होने जा रही है। यह एक ऐसा गम्भीर मामला है कि जो देश, हमारे देश की जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है, प्रधान मंत्री कार्यालय, उसी में जासूसी कराए और उसी के साथ हम इस तरह का ऐसा समझौता करने जाएं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके लिए अमरीका की तरफ से लगातार साजिश होती रही है और हमें लगता है कि उस साजिश में हमारी गवर्नमेंट फंस गई है। इसलिए हम लोग बार-बार मांग करते हैं कि जो न्यूक्लीयर डील होने वाली है, इसमें सावधानी बरती जाए, पार्लियामेंट का सैंस लिया जाए और इससे पहले कुछ भी न किया जाए। यह जो लैटर छपा है, मैं समझता हूं कि यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अतः प्रधान मंत्री की तरफ से वक्तव्य भी आना चाहिए और सदन में चर्चा भी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हंसराज अहीर - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक और गम्भीर मामले की तरफ हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हम लोग अभी आतंकवाद की बात कर रहे थे। उससे भी एक घृणित कार्य के बारे में दैनिक समाचार पत्र में छपा है। एक टी.वी. चैनल ने एक डॉक्टर के कार्यकलापों के बारे में स्टिंग ऑपरेशन किया। उससे पता लगा कि वह डॉक्टर बहुत ही घृणित कार्य करता है और डॉक्टरी के पेशे को बदनाम करने का कार्य करता है। उस डॉक्टर द्वारा कुछ भिखारियों के हाथ-पैर कुछ पैसों के लिए काटे गए। यह आश्चर्य की बात है कि उन भिखारियों ने पैसे कमाने के लिए हाथ और पैर कटवाए। टी.वी. के एक चैनल ने डॉक्टर द्वारा पैसे लेते हुए और पूरा डिटेल बताते हुए समाचार दिखाया है कि किस प्रकार से केमीकल डालकर पहले भिखारी के हाथ-पैर को सड़ाया जाता है और उसके बाद यह प्रैस्क्रिप्शन तैयार कर के कि आपके हाथ अथवा पैर को यदि नहीं काटा जाएगा, तो पूरे शरीर में इन्फैक्शन फैल जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हाथ अथवा पैर को काटा जाना आवश्यक है और इस प्रकार से उसका हाथ अथवा पैर काट दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में मांग करती हूं कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले डॉक्टर को, हमारे देश में जितनी भी सजाएं हैं, वे यदि दी जाएं, तो भी कम हैं। मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि जिस व्यक्ति, महिला अथवा बच्चे के हाथ या पैर काटे गए हैं, मैं समझती हूं कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा। मैं समझती हूं कि इस बारे में हम बचपन में सुना करते थे कि ऐसा एक रैकेट कुछ लोगों द्वारा चलाया जाता है जो गरीब परिवारों के बच्चों को अगवा कर के ले जाते हैं और भीख मंगवाने के लिए उनके हाथ या पैर कटवा देते हैं, ताकि उनसे भीख मंगवाई जा सके। ऐसे रैकेट चलाने वाले लोगों को पकड़ा जाए और उन दोनों डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं समझती हूं कि देश में ऐसे बहुत से डॉक्टर होंगे, उनकी पहचान की जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। टी.वी. चैनल में दिखाए समाचार के अनुसार केवल एक डाक्टर ने ही 20-25 ऐसे केस किए हैं। इस प्रकार के घृणित कार्य को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करती हूं कि यह सदन इस बारे में विचार करे और तय करे कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री का ध्यान झारखंड के 22 जिलों के 28,097 ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन की मंथर गति की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन का कार्य, झारखंड सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के पत्र सं. 98/स.को., दिनांक 31-05-2005 द्वारा केन्द्रीय लोक

[श्री चन्द्र शेखर दूबे]

उपक्रम-दामोदर घाटी निगम, एन.टी.पी.सी., पी.जी.सी.आई.एल. तथा राज्य विद्युत बोर्ड को सौंप दिया गया है। विदित हो कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी योजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। उपरोक्त कार्य एजेंसियां केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्बद्ध लोक उपक्रम हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय स्तर से शीघ्र कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश अपेक्षित हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस ग्रामीण जनोपयोगी केन्द्र संपोषित योजना को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ कराने के प्रति केन्द्र सरकार के स्तर से भी पहल हो क्योंकि झारखंड प्रदेश की सरकार इस कार्य में सहयोग नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक साल पहले की यह योजना है झारखंड की राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख दी है।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले और पूरे भारत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, जिस कारण से आम लोगों को खुले में शौच करने से जो हवा लगती थी और उनका स्वास्थ्य सही रहता था, लेकिन अब यह सब बंद हो गया है और शौच के लिए जगह नहीं है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि वह गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए शौचालय के निर्माण के लिए पांच सौ करोड़ रुपये प्रति राज्य के हिसाब से दे।

महोदय, 900 से 1500 रुपये प्रति शौचालय की दर से पैसे दिए गए हैं। जहां बड़े-बड़े लोगों और अफसरों के शौचालयों के निर्माण के लिए 25000 से 30000 रुपये तक खर्च आता है तो क्या गरीब आदमी केवल 1200 रुपये में एक शौचालय बना सकता है? एक शौचालय 3600 रुपये में बनता है।

मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि वह 3600 रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से बनाने के लिए फण्ड की व्यवस्था करे और छत्तीसगढ़ सरकार को 500 करोड़ रुपये की राशि इस मद में आवंटित की जाए।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक और तुरन्त कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री प्रतीक पी. पाटील (सांगली): महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे बोलने के लिए कुछ समय दिया है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगली में लोग भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे हैं। लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न है। पानी का सुरक्षा स्तर 40 फीट होना चाहिए किन्तु यह पहले ही 50 फीट को पार कर गया है जिसका अर्थ है कि पानी सुरक्षा स्तर से 10 फीट ऊपर है। पालुस तालुका से लगभग 50000 वालवा तालुका से लगभग 10000 और मिराज तालुका से लगभग 5000 लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक सीमा के निकट है और महाराष्ट्र से होकर बहने वाली कृष्णा नदी सतारा और सांगली के निकट है और कोल्हापुर से होकर गुजरती है। कर्नाटक में अल्माटी बांध बनाया गया है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि गत 30 से 40 वर्षों में इस प्रकार का बाढ़ हमने कभी नहीं झेला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदया, यह इनका प्रथम भाषण है। हमारी परंपरा रही है कि जब एक सदस्य पहली बार बोल रहा हो तो उसे बाधा नहीं पहुंचाते हैं। मैं आपको उपयुक्त समय पर बुलाऊंगा अभी नहीं। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रतीक पी. पाटील: महोदय, गत वर्ष, हमने सरकार से अनुरोध किया था कि अल्माटी बांध से पानी छोड़ा जाए किन्तु उन्होंने पानी नहीं छोड़ा जिससे जलस्तर बढ़ गया है। इस वर्ष भी, हम उसी समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बांध से और पानी छोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके और जलस्तर नीचे आ सके।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको आपके प्रथम भाषण पर बधाई देता हूं। इस विषय पर श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश से भी कृपया बात करें।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.58 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, बहरीन में सोलह भारतीय मर गए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मुझे बिल इण्ट्रोड्यूस कर लेने दीजिए, उसके बाद में इसे लूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया थोड़ा इंतजार करें। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.03 बजे

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): मैं प्रस्ताव करती हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन) विधेयक, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

अपराह्न 2.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद सं.-10 पर विचार करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि नियम, 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर रख दिया जाए। इसे आज की कार्यवाही का भाग माना जाएगा।

(एक) गुजरात के बलसाड़ जिले में डांग वनों में वृक्षों की अवैध कटाई रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल (बलसाड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बलसाड़ में स्थित डांग के जंगल में हो रही पेड़ों की गैर कानूनी कटाई की तरफ दिलाना चाहता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 31-7-06 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

***सभा-पटल पर रखे माने गए।

[श्री किसनभाई वी. पटेल]

महोदय, पिछले दिनों डांग के जंगल में सबरीधाम मेला लगा। इस मेले में लाखों लोगों ने भाग लिया तथा वे यहां पर 15-20 दिन आकर रहे। इसी मेला स्थल पर एक पम्पा सरोवर बनाया गया। इस सारी व्यवस्था के लिए जंगल में एक तरफ 120-125 किलोमीटर तथा दूसरी तरफ 95-100 किलोमीटर सड़क बनवायी गयी। इस सारे आयोजन में इस जंगल के 10-12 रेंजों में भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई की गयी जिसके फलस्वरूप यहां के पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ।

दूसरी तरफ इस जंगल में पिछले 3 सालों में 10-12 लाख पेड़ों का बिचौलियों के द्वारा विनाश किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री से अनुरोध करता हूं। कृपया डांग के जंगल को बचाने हेतु केन्द्र सरकार के स्तर पर अविलम्ब उचित कार्यावही की जाये।

(दो) दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गुरखा पर्वतीय परिषद क्षेत्र में विद्यालयों के विकास हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग): भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट में गरीबों की सहायता करने और विशेषकर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की स्थापना करने और उनके विकास के लिए भारी धनराशि आवंटित की है। दार्जिलिंग के दार्जिलिंग गुरखा हिल काउंसिल क्षेत्र में भी 102 विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय के लिए 4.50 लाख रुपये और 32 विद्यालयों हेतु 1.50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई। इस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दार्जिलिंग गुरखा हिल काउंसिल क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना और उनके विकास हेतु लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। किंतु मुझे मजबूत होकर यह कहना पड़ रहा है कि इन 134 विद्यालयों हेतु अनुमत्य यह धनराशि वहां तक कभी नहीं पहुंची किंतु आधिकारिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट निर्धारित समय में पूरी की गई। सच्चाई का पता तब चला जब संबंधित विभाग ने उक्त 134 विद्यालयों से अलग-अलग उपयोग प्रमाण-पत्र मांगे। प्राथमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापक और समिति के सदस्य उस धनराशि के बारे में पूछे जाने पर आश्चर्यचकित हो गए जो उन्हें कभी नहीं मिली। उन्होंने इस मामले में अपने को निर्दोष साबित करने के लिए भागदौड़ करनी शुरू कर दी। कुछ सदस्यों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और दोषी व्यक्तियों के लिए परम्परागत खोज शुरू कर दी गई और पहले की तरह यह कार्यवाही भी चलती रहेगी।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जरूरतमंद विद्यालयों और उनके छात्रों को किसी भी कीमत पर अपने अधिकारियों की गलती के कारण कठिनाई नहीं होने दी जानी चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें, उन 134 विद्यालयों के लिए धनराशि जारी करें और उन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही करें जो इस भारी धनराशि का गबन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(तीन) तमिलनाडु में प्याज उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): भारत में जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत कृषक समुदाय है। हमारे लगभग 70 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और 48% किसान गरीबी रेखा के नीचे हैं। भारत पूर्णतया कृषि पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु में किसानों द्वारा लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि पर प्याज की खेती की गई। वे उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों पर काफी राशि व्यय कर रहे हैं। लेकिन वे अच्छी उपज और अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य पाने में असमर्थ हैं। किसानों को ऋण या तो सहकारी संस्थाओं से मिलता है या निजी साहूकारों से। ऋण के बोझ और फसल बर्बादी के कारण किसान समुदाय के परिवार सदस्यों के जान गंवाने एवं मौत की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी विशेषकर धारपुरम, कंगयम, पलानी और ओडाछत्रम ताल्लुकों की मुख्य फसल प्याज है। चूंकि उन्हें विषाक्त प्याज बीज मिले थे, अतः उनकी फसलें पूर्णतया बर्बाद हो गईं। किसानों द्वारा आंदोलन के पश्चात बीज विक्रेताओं द्वारा पोंगलुर और धारपुरम ताल्लुक के प्रत्येक किसान को क्षतिपूर्ति के रूप में 2000 रुपए की राशि दी गई। चूंकि बीज विषाक्त थे, अतः किसान काफी कम उत्पादन कर सके। इसके अतिरिक्त, व्यापारी प्याज की खरीद 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार किसानों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से समर्थन मूल्य दे रही है। इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह प्याज उत्पादकों को समर्थन मूल्य देकर उनका संरक्षण करे, अन्यथा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषक समुदाय,

विशेष रूप से प्याज की खेती करने वाले किसानों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए।

(चार) पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारों पर भूक्षरण रोकने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर पश्चिम बंगाल): पदमा, गंगा और भागीरथी नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में गंभीर भूमि कटाव पिछले 12 दशकों से तबाही फैला रहा है। इससे सैंकड़ों गांवों का विनाश हो चुका है और कई अन्य गांवों की भी ऐसी हालत कभी भी हो सकती है। पदमा, गंगा भूमि कटाव से पहले संघ सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ, जिसके द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोकने के लिए निधियां एकत्रित की गईं। लेकिन भागीरथी के तटवर्ती क्षेत्रों में भूमि कटाव को प्रकृति की मर्जी के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि इस विनाश को रोकने के लिए कोई कटाव रोधी कार्य नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप एक-एक करके गांव मानचित्र से गायब हो रहे हैं।

मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस भूमि कटाव की समस्या को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाए और सम्पूर्ण भूमि कटाव रोधी कार्य फरक्का बांध परियोजना प्राधिकरण द्वारा कराया जाए।

(पांच) हिमाचल प्रदेश में ओट से लुटरी (सेंज) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 22 को आपस में जोड़ने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): मैं इस सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-21 है जो चंडीगढ़ से शुरू होकर मंडी और मनाली होते हुए लेह तक जाता है तथा दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग-22 है जो अम्बाला से कौरिक तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 21 और राष्ट्रीय राजमार्ग 22 लेह और कौरिक तक जाते हैं जो क्रमशः पाकिस्तान और चीन सीमा पर स्थित हैं। इस प्रकार, स्थानीय जनसंख्या और पर्यटकों की आवश्यकता का ध्यान रखने के अलावा इनका रणनीतिक महत्व भी है। करगिल युद्ध के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21 ने मुख्य भूमिका निभायी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओट से लुहरी (सेंज) तक करीब 100 कि.मी. लम्बी एक सड़क का निर्माण किया है जो ओट में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21 से और लुहरी (सेंज) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 से जुड़ती है। इन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों हेतु मात्र एक कॉरीडोर ही प्राप्त नहीं होगा बल्कि इसका बड़ा रणनीतिक महत्व होगा क्योंकि इससे दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 कि.मी. कम हो जाएगी।

मैं सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें तथा इस कार्य व उद्देश्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता और मशीनरी उपलब्ध करायें।

(छह) राजस्थान के जयपुर में उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोनल कार्यालय के भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, जयपुर में उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोनल कार्यालय की स्थापना का निर्णय किया हुआ है और जयपुर स्टेशन पर ही जोनल कार्यालय काम कर रहा है। उक्त कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन का आबंटन भी हो चुका है परन्तु जोनल कार्यालय बनाये जाने के बारे में अभी तक तनिक भी प्रगति नहीं हुयी है। जोनल कार्यालय के स्टाफ के लिए भी जमीन उपलब्ध हो गयी है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जयपुर में शीघ्र ही जोनल कार्यालय का भवन और कर्मचारियों के रहने हेतु आवास व्यवस्था की जाये।

(सात) उत्तर प्रदेश में ओरई और जालौन को जोड़ने के लिए उत्तर-पूर्व जाने वाली कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा में उरई स्टेशन से मुबई, लखनऊ, गोरखपुर, बंगलौर तथा इंदौर से लखनऊ के लिए ट्रेनें गुजरती हैं। इसके बावजूद हावड़ा-दिल्ली के बीच उरई स्टेशन के लिए कोई भी गाड़ी नहीं गुजरती है जबकि उरई से दिल्ली के लिए सैकड़ों सवारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जाती हैं। उरई से न तो दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन है और न ही हावड़ा के लिए।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग करता हूं कि दिल्ली से पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली गाड़ी में से कोई दो-तीन ट्रेनों का रूट दिल्ली से झांसी से उरई कानपुर-इलाहाबाद होते हुए करने का कष्ट करें, जिससे मेरे लोक सभा क्षेत्र की जनता को उरई से दिल्ली तथा उरई से हावड़ा की ओर जाने हेतु सीधी गाड़ी मिल सके।

(आठ) उड़ीसा में पदमापुर से बड़बील तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 को चार लेन वाला बनाने संबंधी कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनंत नायक (क्योंझर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य के पूरा होने में हो रहे विलंब के कारण काफी उत्तेजित है। पद्मापुर से बड़बील के बीच इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है। चूंकि पुलों और सड़कों की हालत जीर्णशीर्ण स्थिति में है, वाहनों का आवागमन काफी मुश्किल हो रहा है। कभी-कभी पद्मापुर से आगे गोपालपुर तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 24 घंटे से भी अधिक समय तक वाहनों को खड़ा रखने के कारण इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि सभी छोटे पुलों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। इस राष्ट्रीय राजधानी को चार लेनों वाला बनाने का कार्य भी यथाशीघ्र पूरा किया जाए ताकि वाहनों का आवागमन सरल हो सके तथा यथाशीघ्र वैकल्पिक संभव मार्ग द्वारा यातायात अवरुद्ध होने की समस्या को दूर किया जाए।

(नौ) महाराष्ट्र में चिकनगुनिया बीमारी को फैलने से रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे (अकोला): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में बड़ी तेजी से फैल रहे चिकनगुनिया ज्वर की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हजारों लोग इस ज्वर से पीड़ित हैं। यह ज्वर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल चुका है और अगर इसे रोकने के लिए कोई आवश्यक कदम न उठाये गये तो यह महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों में भी फैल सकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस बीमारी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये जायें तथा एक केन्द्रीय टीम भेज कर चिकनगुनिया ज्वर का राज्य में सर्वे किया जाये और जहां भी आवश्यक हो तत्काल इसके उपचार हेतु प्रबंध किया जाये और जिन लोगों की इस बीमारी के कारण मृत्यु हुयी है उन्हें केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार से तत्काल सहायता राशि दी जाये।

(दस) गोदावरी और पंचवटी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के किराये में वृद्धि की समीक्षा करने के अलावा इन दोनों रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट घोषित किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगांव): सरकार ने 1 जुलाई, 2006 से गोदावरी और पंचवटी एक्सप्रेस को सुपरफास्ट के रूप में चलाने तथा उनके किराये में 10 रु. की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस रेलगाड़ी से चलने वाले यात्री अधिकांशतः निर्धन विद्यार्थी, कमजोर तबके के कामगार और पासधारक हैं। किराये में वृद्धि के कारण उन पर बोझ पड़ा है। मैं इस मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं के साथ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया था। लोगों की भागीदारी मुख्य मुद्दों में से एक रही है, इसके बावजूद मंडल रेल प्रबंधक ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया।

महोदय, इन मुद्दों पर विचार करते हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन विवादास्पद रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट बनाने और किराया बढ़ाने संबंधी अपने निर्णय को रद्द करे।

(ग्यारह) केरल के कासरगोड़ जिले में काजू के पौधों पर कीटनाशी इंडोसल्फन के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): इंडोसल्फान की पहचान वैज्ञानिक रूप से एक खतरनाक दुष्प्रभाव वाले कीटनाशक के रूप में की गयी है तथा लगभग सभी विकसित देशों में इसके प्रयोग पर पाबंदी है। यह, हवा, जल और भूमि को प्रदूषित करता है तथा कैंसर, यक्ष्मा, शारीरिक विकलांगता एवं आनुवांशिक समस्याएं पैदा करता है। केरल के कासरगौड जिला में काजू पौधरोपण में आज भी इस कीटनाशक का प्रयोग हवाई छिड़काव हेतु किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप 44 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग अपंग हो गए हैं और मृत्यु का ग्रास बनने की ओर अग्रसर हैं। पूरा 'पड्रे' गांव इसके प्रभावों की पकड़ में आ चुका है। अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं।

यह काफी गम्भीर स्थिति है और सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इंडो-सल्फान अथवा ऐसे अन्य खतरनाक कीटनाशकों के प्रयोग पर पाबंदी लगनी चाहिए। मृत व्यक्तियों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा सभी प्रभावित व्यक्तियों निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या करायी जानी चाहिए। प्रभावित लोगों का पुनर्वास आवश्यक है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की सहायता से एक केन्द्रीय योजना शीघ्र तैयार की जानी चाहिए।

(बारह) केरल के अलाप्पुझा जिले के सूखा और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): केरल के अलाप्पुझा जिला स्थित कुट्टानाड 'केरल का धान का कटोरा' के रूप में प्रसिद्ध है। चावल, जो केरल का मुख्य भोजन है, की आवश्यकता को कुट्टानाड के धान उत्पादकों द्वारा अंशतः पूरा किया जाता है। कुट्टानाड में धान की खेती की दो फसलें उगायी जाती हैं। पिछले 2-3 वर्षों के दौरान, धान के अधिकांश खेत सूखा, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं तथा इन खेतों में क्षारीय जल के घुसने से भी ये प्रभावित हुए हैं। इससे किसानों को हानि उठानी पड़ी है और वे ऋण जाल में फंसे हैं। पिछले मौसम के दौरान भी, राज्य सिविल आपूर्ति निगम द्वारा धान की पर्याप्त खरीद नहीं की गयी है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया खरीद मूल्य किसानों द्वारा धान की फसल पर खर्च की गयी राशि की तुलना में काफी कम है। इससे निर्धन किसानों का कष्ट और बढ़ा है। चूंकि कृषि घाटे का व्यवसाय हो गया है, अनेक किसान कृषि कार्य छोड़ रहे हैं। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो इससे हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। किसान मात्र इसलिए आत्महत्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे मानसिक रूप से मजबूत हैं। परन्तु यह भी उचित नहीं है कि हम आत्महत्या करने की स्थिति में ही उनको सहायता मुहैय्या कराएं।

इसलिए मैं कुट्टानाड के लिए विदर्भ जैसे पैकेज घोषित करने तथा किसानों को ऋण जाल और आत्महत्या करने जैसी स्थितियों से बचाने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): महोदय, जौनपुर से वाराणसी, लखनऊ, सुलतानपुर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जिस पर भारी मात्रा में वाहनों का आवागमन रहता है। जौनपुर में जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर ट्रेनों के जल्दी-जल्दी गुजरने के कारण वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती हैं जिस कारण प्रतिदिन जौनपुर की जनता जाम में फंस कर रह जाती है। परिणामस्वरूप नौकरीपेशा, व्यापारी वर्ग, छात्र एवं आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष करोड़ों लीटर डीजल एवं पेट्रोल बरबाद हो जाता है। अनेक बार आकस्मिक दुर्घटनाएं भी होती जाती हैं। इस परेशानी के कारण यहां की जनता लंबे समय से जौनपुर में जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की मांग कर रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जनता की परेशानियों को देखते हुए जौनपुर में जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने की कृपा करें।

(चौदह) संविधान के उपबंधों के अनुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, संविधान के मूल स्वरूप में आरक्षण के प्रावधानों को तोड़-मरोड़ कर लागू करने की परंपरा ही है। पहली यू.पी.ए. सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में पिछड़ों के आरक्षण को सही रूप में प्रस्तावित किया गया है। हाल के दिनों में समाचार पत्रों में आयी खबरों के आधार पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में यू.पी.ए. सरकार द्वारा घोषित आरक्षण के स्वरूप को पुनः बदलना आरक्षण विरोधियों के पूर्वाग्रह को तुष्ट करने की कोशिश नजर आ रही है। अतः हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आरक्षण के नियमों की घोषणा अपने मूल स्वरूप में शीघ्रतिशीघ्र करें ताकि आरक्षण का उद्देश्य पूरा हो सके।

(पन्द्रह) वस्त्र उद्योग में कार्यरत कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, भारतीय वस्त्र उद्योग कृषि के पश्चात् दूसरा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है और इसलिए सरकार का कर्त्तव्य है कि वह श्रमिकों के हितों के देख-रेख करे। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण बड़े वस्त्र निर्माता अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए श्रम बल का शोषण तथा श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम का अध्याय V (ख) इस अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है और केवल इन्हीं उपबंधों के माध्यम से लाखों श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा की गारंटी मिलती है। इस उपबंध को हल्का करने से नियोजक श्रमिकों का शोषण करने एवं उनसे रोजगार छीनने के लिए प्रोत्साहित होंगे इसके अतिरिक्त, भारतीय परिदृश्य में श्रम बल सस्ता एवं कुशल है। अतः, अन्य देशों की तुलना में भारत में किसी परिधान अथवा वस्त्र मद की श्रम लागत कम होगी।

इसी प्रकार, हड़ताल से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम

[श्री सी. कुप्पुसामी]

की धारा 2(ढ) में संशोधन का सुझाव काफी आपत्तिजनक है। लंबी सूचना अवधि सिर्फ नियोजकों के लिए लाभकारी होगी क्योंकि उनके पास अपने व्यवसाय को बंद करने तथा अनुचित श्रम व्यवहार अपनाने के लिए पर्याप्त समय होगा। वस्त्र उद्योग को जनोपयोगी सेवा के रूप में लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कार्य अवधि को बढ़ाकर 8 से 12 घंटे करना अनुचित और अन्यायसंगत है। यह दुनिया भर में अपनाए जाने वाले आई.एल.ओ. मानदण्डों के विरुद्ध है और भारत इसका हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। यह अमानवीय तथा नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।

अतः, मैं केंद्र सरकार से, विशेष रूप से माननीय श्रम मंत्री और माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वस्त्र क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और श्रम कानूनों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जो श्रमिकों के हितों के विपरीत हो।

(सोलह) उत्तर प्रदेश में सहजनवा, मेंहदावल, बासी, डुमरियागंज उतरौला और बलरामपुर तक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मो. मुकीम (डुमरियागंज): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज व गोरखपुर संत कबीर नगर तथा बलरामपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाले नगर सहजनवा, मेंहदावल, बासी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर तक रेल लाइ बिछाने हेतु सर्वे किया गया था। मेरे तथा पूर्व स्थानीय माननीय संसद सदस्यों द्वारा बार-बार रेल मंत्रालय को पत्र लिखा जाता रहा, लेकिन आज तक यह कार्य नहीं किया गया। उक्त स्थानों से लगभग 80 किमी. दूरी तय कर यात्रियों को रेल यात्रा करनी पड़ती है। जो बहुत ही कष्टमय है तथा उसमें समय की बरबादी होती है।

यहां यह बताना उचित होगा कि यदि इन नगरों को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाता है तो न केवल रेलवे के राजस्व की वृद्धि होगी, बल्कि इन नगरों का सामाजिक, आर्थिक विकास होगा तथा रोजगार के अभी अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

अतः सरकार के माध्यम से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखकर सहजनवा, मेंहदावल, बासी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर तक शीघ्रातिशीघ्र सर्वे कराकर रेलवे लाइन बिछायी जाये जिससे हमारे ससंदीय क्षेत्र के साथ अन्य संसदीय क्षेत्रों का भी सर्वांगीण विकास हो सके।

(सतरह) महाराष्ट्र के खेड़ में निजी कंपनी द्वारा संचालित बांधों से करों की वसूली किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव (खेड़): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् महाराष्ट्र के खेड़ में 21 बांध हैं। इनमें से कुछ बांध 100 वर्ष पुराने हैं और इनका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किया गया था। 21 बांधों में से 6 बांध निजी हैं और इनका संचालन टाटा कंपनी लिमिटेड करती है। लेकिन निजी कंपनी द्वारा बांधों के लिए कोई कर नहीं अदा किया जा रहा है। बांधों का निर्माण कृषि भूमि पर किया गया है और इनका उपयोग कृषि से इतर प्रयोजनों के लिए किया जाता है और इन्हें राज्य सरकारों को कर का भुगतान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार कंपनी से कर संग्रह नहीं कर रही है। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। अतः, मैं यह मांग करता हूं कि इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया जाए तथा करों के संग्रहण हेतु उन्हें उपयुक्त निदेश जारी किए जाएं।

(अठारह) राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए जिन लोगों से भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्थापित लोग कुछ समय से रोजगार की मांग कर रहे हैं और उन्होंने विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी शिकायतें रखी हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने 21-12-2004 को संसद में यह संकेत दिया था कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उन लोगों की पहचान करे जिन्हें रोजगार दिया जा सकता है और राउरकेला इस्पात संयंत्र तद्नुसार कार्रवाई करेगा। वर्ष 1992-1993 के दौरान सुंदरगढ़ जिला प्राधिकारियों तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों द्वारा एक संयुक्त सत्यापन किया गया था और इसमें रोजगार के लिए पात्र 1098 व्यक्तियों की पहचान की गई थी। पहचान किए गए किसी भी परिवार को अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार का राजस्व विभाग इस मामले का अनुसरण राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों के साथ निरंतर कर रहा है लेकिन इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों ने इस दिशा में अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। इससे उस क्षेत्र में गंभीर असंतोष उत्पन्न हो गया है।

मैं सरकार से हस्तक्षेप करने तथा इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों को यह निदेश देने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करूंगा कि तैयार की गई संयुक्त सूची के अनुसार विस्थापित

परिवारों की भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ करें ताकि लोगों की भावनाओं को शांत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस्पात संयंत्र क्षेत्र में रेल लाइनों के लिए प्रयोग की गई भूमि का अधिग्रहण इस्पात संयंत्र के लिए संयुक्त पैकेज के रूप में किया गया था। विस्थापित व्यक्ति इस्पात संयंत्र के लिए अधिगृहीत लेकिन रेल लाइन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए इसी प्रकार के पुनर्वास उपायों की मांग कर रहे हैं।

मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस पर समुचित रूप से विचार करे।

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का प्रस्तावित संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर): महोदय, इन पेपर इंटरनेशनल मैग्जीन के अप्रैल-जून, 2006 के अंक में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में 3 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का ग्रीनवुड पेपर प्लांट लगाने जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 2400 करोड़ रुपये है। इसी विषय में माननीय भारी उद्योग मंत्री ने 27 जुलाई, 2006 को सभा पटल पर एक समझौता रखा जो कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2006-07 के लिए है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल के रूप में लकड़ी एवं लकड़ी के विकल्प के रूप में बेगास की जरूरत पड़ती है। इसके लिए या तो वनों को काटना होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा या विदेशों से पल्प आयात करना पड़ेगा जिसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होगी। पानी की खपत भी 125 किलोमीटर प्रतिटन दर्शायी गयी है। बेगास पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा पेपर मिल टी.एन.पी.एल. तमिलनाडु में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर में 10 चीनी मिल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 30 चीनी मिलें हैं। पानी भी काफी मात्रा में उपलब्ध है। कच्चे माल के रूप में बेगास भी लगभग 20 लाख टन प्रति वर्ष उपलब्ध है। मेरा लोक सभा क्षेत्र जम्मूतवी-हावड़ा मेन लाइन पर स्थित है। क्षेत्र में काफी बेरोजगारी है। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस उद्योग को मेरे लोकसभा क्षेत्र बिजनौर में स्थापित किया जाये।

(बीस) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री बालेश्वर यादव (पडरौना): महोदय, उत्तर प्रदेश, खासकर कुशीनगर जिले में केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। यही हाल हार्टीकल्चर मिशन का हो रहा है, इस योजना के अंतर्गत काश्तकारों को, खाद व बीज के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, चैक द्वारा सीधे उन्हें दिये जाने का प्रावधान है लेकिन नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत जिला उद्यान अधिकारी, कुशीनगर ने ऐसा नहीं किया है। किसानों को, इस योजना के तहत कोई धनराशि नहीं दी गयी है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की जांच एक स्वतंत्र इकाई से करवाये।

अपराह्न 2.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - *जारी*

(दो) बहरीन के मनामा शहर में 30-7-2006 को हुए अग्निकांड में भारतीयों की मृत्यु

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ई. अहमद वक्तव्य देना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

***विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् बहरीन में क्या हुआ, के मद्देनजर मैं माननीय सदस्यों के सूचनार्थ एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

मनामा सिटी, बहरीन में एक श्रमिक शिविर में एक दुखद अग्निकांड में कथित रूप से 16 भारतीय मारे गए। 11 भारतीय घायल हुए और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। कहा जाता है कि 30 जुलाई को पूर्वाह्न 02 और 03 बजे के बीच इलेक्ट्रिक शार्ट सरकिट के कारण आग लगी थी। बहरीन पुलिस आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। श्रमिक शिविर के 168 श्रमिकों, जो सभी भारतीय थे, को एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया है। अग्निकांड में घायल हुए श्रमिकों को अस्पताल से छुट्टी मिल गयी है।

इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही बहरीन स्थित दूतावास ने प्रभावित श्रमिकों को राहत और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने एक आपातकालीन जानकारी प्रणाली की स्थापना की और इससे संपर्क करने संबंधी

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4529/06

[श्री ई. अहमद]

ब्यौरे दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और मीडिया को भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें कार्य घंटों के दौरान दूतावास स्थित संपर्क नम्बर और कार्य घंटों के पश्चात् सलमानिया मेडिकल कैंप जहां घायलों की चिकित्सा की जा रही थी - के संपर्क नम्बर शामिल हैं।

बहरीन के माननीय प्रधान मंत्री महामहिम श्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने श्रम मंत्री, नगरपालिका कार्य मंत्री और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रधान के साथ कल पूर्वाह्न 11 बजे दुर्घटना स्थल का दौरा किया। भारतीय राजदूत वहां मौजूद थे। बहरीन के प्रधानमंत्री इस अग्निकांड में 16 भारतीयों के मारे जाने से काफी चिंतित थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहरीन सरकार मामले की पूरी जांच करेगी। 16 मजदूरों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए बहरीन के प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि घायलों तथा मृतकों के परिजनों का ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार की दुखद घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जायेंगे।

बहरीन के मंत्रिमंडल ने आग की इस घटना, जिसमें भारतीय मजदूर मारे गए, पर गहरा शोक व्यक्त किया तथा मृतकों के परिवारों और भारत सरकार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बहरीन के प्रधानमंत्री ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित करने के आदेश दिए, जो कि यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार के आवास, आवासीय सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों के अनुरूप थे। समिति की अध्यक्षता बहरीन सरकार के नगरपालिका संबंधी मामलों के मंत्री करेंगे तथा इसमें कृषि मंत्री के साथ गृह, श्रम और स्वास्थ्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व भी होगा।

दूतावास, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, तमिलनाडु राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा चेन्नई में प्रवासी अभिरक्षक के साथ सम्पर्क में है तथा उन्हें इस त्रासदी में मारे गए तमिलनाडु के भारतीय नागरिकों का ब्यौरा उपलब्ध कराएगा। दूतावास में मारे गए लोगों के संबंधियों, जो ये चाहते हैं कि मृतकों के शवों को चेन्नई भेजा जाए, से भी सम्पर्क किया है। दूतावास शवों को गल्फ ऐयर के द्वारा सोमवार अर्थात् आज 31 जुलाई, को चेन्नई भेजने का प्रबंध और प्रयास कर रहा है और यह शव मंगलवार अर्थात् कल 1 अगस्त को चेन्नई पहुंच जायेंगे। जैसे ही इन शवों को भेजे जाने की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, सभी संबंधित लोगों को पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा।

अपराह्न 2.10 बजे

संसद (निरहर्ता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 11 पर चर्चा करेंगे। माननीय सदस्यों, सभा द्वारा अगले मद अर्थात संसद (निरहर्ता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 पर चर्चा आरंभ किए जाने से पूर्व मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं।

जैसे कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि इस विधेयक को लौटाते समय महामहिम राष्ट्रपति ने विधेयक पर संसद द्वारा पुनर्विचार करने की इच्छा जताई है:-

(क) संविधान के अनुच्छेद 102 में 'लाभ के पद' शब्दावली की निर्धारित व्याख्या के संदर्भ में; और

(ख) इसमें अन्तर्निहित संवैधानिक सिद्धान्त क्या है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इच्छा जताई है कि अन्य बातों पर विचार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को विनिर्दिष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए:-

(i) न्यायपूर्ण, समुचित और तर्कपूर्ण, मौलिक एवं व्यापक मानदंड तैयार करना जिन्हें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सुस्पष्ट एवं पारदर्शी ढंग से लागू किया जा सके;

(ii) उन पदों, जिन्हें धारण करने से सदस्य कथित रूप से निरर्ह हो जाता है और जिनके सम्बन्ध में निरर्हता सम्बन्धी याचिकाएं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पहले ही प्रक्रियाधीन है, के नामों को छूट देने के साथ पैदा होने वाले परिणाम; और

(iii) संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू करने में कानून की तर्कसंगतता और सुचिता।

इसलिए, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि माननीय सदस्य राष्ट्रपति जी के संदेश में संदर्भित विषयों पर ही ध्यान दें तथा चर्चा में भाग लेते समय अप्रासंगिक मुद्दों को न उठाएं।

कार्यमंत्रणा समिति ने चार घण्टे का समय निर्धारित किया है।

माननीय सदस्य अब प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही एक नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

माननीय सदस्यों, श्री वरकला राधाकृष्णन ने तीन आपत्तियां उठाई हैं - कि राष्ट्रपति जी के संदेश के साथ राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक नियम 144 एवं 145 के अधीन किसी भी माननीय मंत्री तथा सभा पटल पर नहीं रखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार पुनर्विचार में विधेयक पर चर्चा की जाती है, तथा नियम 112 के अधीन विधेयक पंजी से विधेयक को हटा दिया जाएगा।

राष्ट्रपति जी के संदेश के साथ राज्यसभा द्वारा पुनः यथापारित विधेयक 28 जुलाई, 2006 को महासचिव द्वारा लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था। नियमानुसार विधेयक तथा राष्ट्रपति जी के संदेश को विधेयक के प्रभारी मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि विधेयक पर राष्ट्रपति जी के संदेश के मद्देनजर विस्तृत चर्चा की जानी है तथा विधेयक पर पुनर्विचार करने तथा पारित करने में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

विधेयक पंजी से विधेयक को हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम 112 से सम्बन्धित नियम इस मामले पर लागू नहीं होता है।

अब, माननीय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ को चुनौती नहीं दे सकते हैं। मैं निर्णय दे चुका हूं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम 1959, राज्य सभा द्वारा यथा पारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 को 27 जुलाई, 2006 को राज्य सभा द्वारा पुनः पारित किया गया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संसद के विचारार्थ सामान्य प्रश्न उठाए हैं अर्थात - प्रथमतः न्यायपूर्ण, समुचित और तर्कपूर्ण, मौलिक एवं व्यापक मानदंड तैयार करना जिन्हें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सुस्पष्ट एवं पारदर्शी ढंग से लागू किया जा सके...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने नोटिस दिया है। पहले बोलने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अपनी व्यवस्था दी है। कृपया अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरे नोटिस का क्या हुआ? मैं नहीं मान सकता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, हमारी बात तो सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको समय नहीं दिया है, मैंने मिनिस्टर साहब को समय दिया है, इसलिए आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दीजिए, मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, विधेयक को भेजा ही नहीं किया गया है। यदि हमारे पास इसकी प्रति ही नहीं होगी तो हम विधेयक पर चर्चा कैसे कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, हमारी बात सुन लीजिए। ये सभी बातें गड़बड़ कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): महोदय, मिनिस्टर साहब केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें उनकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही है। कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप बैठकर शान्ति बनाए रखेंगे, तभी उनकी बात को सुन सकेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: उपाध्यक्ष महोदय, सभा में व्यवस्था नहीं है। हम मंत्री महोदय की बात कैसे सुन सकते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, इस सदन को अंधकार में रखने का क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने अपनी रूलिंग दे दी है, अब आप लोग बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, अब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा। जो बात राज्यों के अधिकार में है, उसे यहां से कैसे किया जाएगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, हमारे पास विधेयक की प्रति नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं बोलने के लिए श्री अनंत कुमार को बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, हम इस पर क्या विचार करेंगे? हमने कुछ नहीं सुना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: कैसे काम चलेगा यह ठीक नहीं है। हम क्या कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने कुछ सुना ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): आपने श्री अनंत कुमार का नाम लिया है, केवल उन्हें ही बोलना चाहिए...*(व्यवधान)* वे समस्या क्यों उत्पन्न कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाई (बालासोर): इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है...*(व्यवधान)* महोदय, उनके समर्थक ही समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, हम कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)* हम कोई समस्या उत्पन्न करना नहीं चाहते...*(व्यवधान)* हमने स्पष्ट रूप से इसे नहीं सुना है। हम माननीय मंत्री महोदय से कह रहे हैं वह कृपया इसे स्पष्ट रूप से और जोर से पढ़ें...*(व्यवधान)* हम नहीं जानते कि माननीय मंत्री महोदय ने क्या कहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, अगर आप दोबारा पढ़ना चाहें, तो पढ़ दें।

श्री हंस राज भारद्वाज: आप इनसे कहें कि शांति से सुनें। इतनी सभ्य सभा में हालत यह है कि ये सुनना नहीं चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्हें अनुशासित करना मेरा काम नहीं है। यह अध्यक्षपीठ की जिम्मेदारी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज: अगर ये सुनना चाहें तो मैं कई बार पढ़ सकते हूं। आप इनसे कहें...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

महोदय, इसे फिर पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परन्तु वे मेरी बात ध्यान से सुनें तो सही...(*व्यवधान*) महोदय, चूंकि आपने मुझे इसे फिर से पढ़ने को कहा है, मैं आपकी अनुमति से इसे फिर पढ़ रहा हूं।

महोदय, संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 2006 राज्य सभा द्वारा 27 जुलाई, 2006 को पुनः पारित किया गया। माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद के विचारार्थ कुछ सामान्य प्रश्न उठाए हैं अर्थात - प्रथमतः न्यायपूर्ण, समुचित और तर्कपूर्ण, मौलिक एवं व्यापक मानदंड तैयार करना जिन्हें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सुस्पष्ट एवं पारदर्शी ढंग से लागू किया जा सके।...(*व्यवधान*) दूसरे, उन पदों के नामों को छूट देने के साथ पैदा होने वाले परिणाम, जिन पदों को धारण करने से सदस्य कथित रूप से निरर्ह हो जाता है और जिनके संबंध में निरर्हता संबंधी याचिकाएं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पहले ही प्रक्रियाधीन है। तीसरे संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू करने में कानून की तर्कसंगतता और सूचिता उक्त विधेयक पर विचार करते समय राज्य सभा में इन बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 102 1(क) की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि लाभ का पद घोषित करने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करता है तथा उस पद के धारक को संविधान के अनुच्छेद 102 1(क) के अंतर्गत निरर्ह घोषित नहीं किया जा सकता। संविधान के प्रावधान के अनुसार संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में कतिपय पदों जैसे कि विपक्ष के नेता का पद, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सभापति का पद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभापति का पद और राष्ट्रीय महिला आयोग के सभापति के पदों को विनिर्दिष्ट किया गया।

1998 में मान्यता प्राप्त दल तथा मान्यता प्राप्त समूह के नेता का पद धारक को निरर्ह न करने वाला घोषित किया गया। वर्ष 2000 में, संसद के किसी भी सदन में मान्यता प्राप्त दल और मान्यता प्राप्त समूह के उपनेता का पद भी जोड़ दिया गया।

महोदय, अब मैं "भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारित" करने संबंधी अभिव्याप्ति को परिभाषित करने संबंधी मुद्दे पर आता हूं। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि "लाभ का पद" की अभिव्यकित संविधान के विभिन्न उपबंधों नामतः अनुच्छेद 18(4), अनुच्छेद 58(2), अनुच्छेद 59(2). अनुच्छेद 66(4), अनुच्छेद 102(1), अनुच्छेद 158(2) और अनुच्छेद 191(1) में विद्यमान है। "लाभ का पद" संबंधी अभिव्यक्ति को संक्षिप्त रूप से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। "लाभ का पद" और "सरकार के अधीन" संबंधी अभिव्यक्तियों के विस्तार का पता समय-समय पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में करना चाहिए। न्यायालय का यह विचार है कि क्या संबंधित पद, लाभ का पद है या नहीं इस बात का सम्यक निर्धारण करने के लिए न्यायालयों को परीक्षणों के शास्त्रीय पैमाने पर न करके व्यवहारिक आधार पर करने देना चाहिए।

चूंकि किसी 'लाभ के पद' पर आसीन होने के परिणामस्वरूप किसी को निरर्ह ठहराये जाने के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए कोई स्पष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धान्त न होने के कारण संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से जिन्हें संसद द्वारा विनिर्दिष्ट विधि द्वारा बनाया गया था, के आधार पर ऐसे पद धारित करने वाले व्यक्ति को निरर्ह करने के माध्यम से निरर्हरता के आधार में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से एक नकारात्मक सूची तैयार की गई थी इस सूची से इस बात का पता लगाया जा सकता था कि किन-किन पदों को धारित करने के परिणामस्वरूप धारक को निरर्हर ठहराया जा सकता है। तथापि, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था और इसके पश्चात सरकार के अधीन "लाभ का पद" किसे माना जाए, इस संबंध में यथास्थिति बनी रही। अब हम एक व्यापक और विस्तृत मानदंड तैयार करने संबंधी प्रस्ताव पर आते हैं जो उचित सही और युक्तियुक्त हो और जिन्हें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण और थोड़ा कठिन भी है। इसमें सभी राज्यों के लिए व्यापक और विस्तृत मानदंड तैयार करने की स्थिति में केन्द्र और राज्यों के संबंधों में बहुत अच्छा संतुलन होना चाहिए। सरकार के अधीन "लाभ का पद" किसे माना जाए इस संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियों के विचारों से इसका हल निकालने में सुविधा होगी।

राज्य सभा के माननीय सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति के संदेश और विधेयक के उपबंधों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् इस विधेयक को पुनः पारित कर दिया है। मैं इस विधेयक को सम्माननीय सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इन्होंने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संसद (निरर्हरता निवारण) अधिनियम, 1959, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सर्वप्रथम, मैं यहां पर माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि हम सभी जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 31 मई को इस विधेयक पर न्याय के सिद्धान्त, साम्या और पारदर्शिता के आधार पर पुनर्विचार करने हेतु एक संदेश भेजा था। पिछली बार विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी की बातों का उत्तर देते हुए माननीय भारद्वाज जी ने कहा था:

"मैंने विपक्ष के नेता के कुछ वक्तव्यों को सुना है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। हम सोचते हैं कि हमें संविधान की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वह स्वयं भी यही चाहते हैं कि संविधान की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।"

यहां इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में बनी भारत सरकार न केवल अनुच्छेद 102 (1)(क) और अनुच्छेद 191(1)(क) की संवैधानिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है अपितु वह जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित भी कर रही है।

31 मई, को राष्ट्रपति जी ने एक संदेश भेजा था और आज 31 जुलाई को यहां संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथ सरकार राष्ट्रपति महोदय द्वारा दी गई सलाह के प्रति न्यून आदर भाव दर्शाते हुए इस विधेयक को डरा धमका कर पारित करवाना चाहती है।

मैं "लाभ का पद" संबंधी संयुक्त समिति का सदस्य हूं। माननीय विधि मंत्री ने अन्य सभा में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए यह कहा था कि:

"इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् सरकार इस समस्या की जड़ तक पहुंचने और इसका समाधान निकालने के लिए दोनों सदनों की एक समिति बनाने के लिए तैयार है।"

वे उलटी गंगा क्यों बहा रहे हैं? 1954 में पंडित ठाकुरदास भार्गव की अध्यक्षता में गठित संसद की संयुक्त समिति ने "लाभ का पद" के संबंध में एक व्यापक विधेयक तैयार करने की सिफारिश की थी। जो 1959 में प्रवृत्त हुई। उस समिति की एक सिफारिश यह भी थी कि "लाभ का पद" की लगातार संवीक्षा करने के लिए दोनों सदनों की एक स्थायी समिति की स्थापना की जानी चाहिए। तदनुसार अगस्त 1959 में पहली बार "लाभ का पद" संबंधी संयुक्त समिति गठित की गई थी। तत्पश्चात, महोदय, आम चुनावों के बाद गठित प्रत्येक लोक सभा द्वारा "लाभ का पद" संबंधी संयुक्त समिति के गठन हेतु लोक सभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय से कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया जाता है। "लाभ का पद" से संबंधित पहले से ही एक संयुक्त समिति विद्यमान है जिसमें लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के पांच सदस्य हैं। मेरा माननीय विधि मंत्री से सीधा प्रश्न यह है कि जब "लाभ का पद" के संबंध में पहले से ही एक समिति है तो इन 55 विभिन्न लाभ के पदों के संबंधित मामलों को इस समिति के पास क्यों नहीं भेजा गया? आपने श्रीमती जया बच्चन का मामला इस समिति के पास क्यों नहीं भेजा? आपने श्रीमती सोनिया गांधी का मामला इस समिति के पास क्यों नहीं भेजा? आप संसद और "लाभ का पद" संबंधी संयुक्त समिति को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? ऐसी जल्दबाजी क्यों की जा रही है?

आपका संविधान और माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दी गई सलाह के प्रति कोई आदर नहीं है। मैं "लाभ का पद" संबंधी संयुक्त समिति के अध्यक्ष से बात कर रहा था। मैंने सचिव से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि 1959 से इस विधेयक को छोड़कर "लाभ का पद" संबंधी हर विधेयक और हर सिफारिश संयुक्त समिति के पास आई थी। इसलिए विधि मंत्री महोदय आप सत्यनिष्ठा के प्रश्न पर पहले ही बगले झांक चुके है और संवैधानिक भावना को बनाए रखने के प्रश्न पर आप संवैधानिक भावनाओं से मुंह मोड़ चुके हैं।

मैं आपके उत्तर को पढ़ रहा था। मैं सोचता हूं कि यह दोहरी बात - बेकार की बात का स्पष्ट उदाहरण है।...आपके विचारार्थ मैं इसे पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है:

"हम मंत्री है और माननीय राष्ट्रपति द्वारा आबंटित कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसी के दिमाग में इस बात की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने की कोई मंशा है।"

तब, यह विधेयक क्यों लाया गया है? माननीय राष्ट्रपति की सलाह को कितना महत्व दिया गया?

राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पर कहा है:

"हमें मूलभूत तथा व्यापक मानदंड स्थापित करने चाहिए। हमें इन मानदंडों को स्पष्ट तथा पारदर्शी प्रकार से सभी राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों में न्यायपूर्ण, उचित तथा समुचित ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। उस पद का नाम जिसे शामिल करने के परिणाम से छूट मिली हो, जिसके पदधारण से सदस्य को कथित रूप से निरर्हक घोषित किया जा सके तथा जिससे संबंधित निरर्हता की याचिका सक्षम प्राधिकारी के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन हों..."

तब, माननीय विधि मंत्री, आप कैसे कह सकते हैं कि आप भारत के राष्ट्रपति की इच्छाओं के विपरीत कार्य नहीं कर रहे हैं? माननीय मंत्री आपने अपने भाषण में कहा:

"मैं इस संबंध में उत्सुक हूं कि हमें वाद-विवाद पर चर्चा करनी चाहिए तथा समाधान ढूंढना चाहिए क्योंकि माननीय राष्ट्रपति ने शायद कई मुद्दे उठाए हैं। मूल रूप से, इसका संबंध तीन या चार बिंदुओं से है। पहला मुद्दा सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा से है तथा इसका संबंध सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, हितों के टकराव से बचना है।"

क्या शांति निकेतन, श्री निकेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, हल्दिया विकास प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम जैसे 55 पदों का इसमें शामिल किया जाना हितों का टकराव नहीं है? किन कारणों से संविधान सभा, हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 102(1)(क) को इसमें शामिल किया। मूल कारण न केवल भारत में, वरन् ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका तथा कनाडा के संवैधानिक कानून में शक्तियों का विभाजन है। हमारे पास न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका है। और जो विधानमंडल में हैं, वे कार्यपालिका के रहमो-करम पर आश्रित न हों, वे कार्यपालिका द्वारा प्रभावित न हों। इस प्रकार, हमें किसी लाभ के पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

लेकिन इन बातों की अनदेखी करके आप इस संशोधन विधेयक को ला रहे हैं। विधि मंत्री जी आपने अपने उत्तर में माननीय विधि कहा और मैं उद्धृत करता हूं:

"माननीय राष्ट्रपति ने इस विधेयक में किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया है।"

लेकिन यह तथ्य कि माननीय राष्ट्रपति ने विशिष्ट मुद्दों के साथ संशोधन के लिए, पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को वापस भेजा कभी-कभी मैं महसूस करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: मुझे खेद है कि आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि सदन में संशोधन तथा पुनर्विचार दो विभिन्न मुद्दे होते हैं...*(व्यवधान)*...आपको समझना चाहिए कि यदि उन्होंने संशोधन सुझाया था...*(व्यवधान)* मैं उत्तर दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम प्रारूप विधेयक की एक प्रति की आशा कर रहे थे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*...*

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, आपने अभी सदन में पढ़ा कि माननीय राष्ट्रपति क्या चाहते हैं। मैं विपक्ष के अपने माननीय मित्रों से आपकी टिप्पणी पर गौर करने को कहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, जब कभी माननीय राष्ट्रपति जी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, ऐसा उन्होंने केवल दो बार किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कमेंटरी मत कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 का अवलंब लिया है। वह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत था।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं इसे ठीक करता हूं। जब कभी राष्ट्रपति ने इसे वापस अर्थात् पुनर्विचार के लिए भेजा है, और क्या हमने इस पर पुनर्विचार किया है? क्या हमने उनके दृष्टिकोण पर कोई विचार किया है? एक महीने का समय बीत चुका है...*(व्यवधान)* क्या आपने अपने दिमाग का उपयोग किया है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उनके पास दिमाग नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: कभी-कभी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि संप्रग सरकार संवैधानिक निरक्षरता से ग्रस्त है।

यह व्यर्थ की बात है। विधि मंत्री महोदय, आप यह कहते रहे कि राष्ट्रपति संविधान में पितृ तुल्य है और हम उनका मार्गदर्शन पाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हम उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर सबसे अधिक ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ये तीन बातें आपने कहीं। आपने कहा कि वे पितृ तुल्य हैं। द्वितीयतः आपने कहा कि आप उनका मार्गदर्शन लेने के लिए

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत कुमार]

उत्सुक हैं। हम हमेशा इस उच्च पद के सुझाव पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ये उच्च पद के सुझाव हैं। आपने क्या गौर किया? आपने यह ध्यान दिया कि आप उस विधेयक को वैसे ही ले आए जैसे यह दो माह पूर्व पारित किया गया था। क्या यह सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है?

अतएव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सविनय अनुरोध है कि देश के विधि मंत्री को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्हें संसद के दोनों सदनों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने भाषण के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। उन्हें चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बातों से सचमुच आश्चर्यचकित हूं।

तब हमने श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा धारण किए गए पद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पद का प्रश्न उठाया। हमने राष्ट्रपति के सम्मुख उनकी सदस्यता की निरर्हता हेतु याचिका दायर की। उसके संबंध में, आपने क्या कहा? आपने कहा: "हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यदि किसी बड़ी पार्टी का नेता उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिसे गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना है, तो इसमें बुरा क्या है?" क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भारत सरकार एक गैर सरकारी संगठन है? श्री भारद्वाज, यह आपका भाषण है "जिसे गैर सरकारी संगठनों को सलाह देता है तो इसमें गलत क्या है?" मैं नहीं सोचता कि भारत सरकार एक गैर सरकारी संगठन है...*(व्यवधान)* "राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अंतर्गत 15 प्रमुख गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं जो विधान में आगम देते हैं।" यह प्रथा उस समय नहीं थी जब तक कि एन.ए.सी. की नियुक्ति नहीं हुई थी। "समय बदल गया है, गैर सरकारी संगठनों को बड़ी भूमिका मिली है।" मैं ऐसा नहीं सोचता कि यह गैर-सरकारी संगठन है। भारत सरकार एक गैर सरकारी संगठन नहीं है। ...*(व्यवधान)*

मैं निश्चित रूप से उस मुद्दे पर आऊंगा।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी के महासचिव के नाते 23 मार्च, 2006 को मैंने श्रीमती सोनिया गांधी की निरर्हता के लिए राष्ट्रपति जी के समक्ष एक याचिका दायर की थी। किन्तु अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वह छद्‌म त्याग की मूर्ति बनना चाहती थीं...*(व्यवधान)* फिर उन्होंने चुनाव लड़ा।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा): मैं इस शब्द के प्रयोग का पुरजोर विरोध करती हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मैं अपनी बात जारी रख रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनें। फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वे लोकसभा के लिए चुन ली गई। किन्तु मेरा मूल प्रश्न यह है। संप्रग सरकार और माननीय विधि मंत्री जी ने एन.ए.सी. को निरर्हता से छूट प्राप्त सूची में क्यों शामिल किया? इसका कारण मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने याचिका दायर की थी उस दिन कांग्रेस पार्टी ने यह वक्तव्य दिया था कि एन.ए.सी. लाभ का पद नहीं है। आपने भी स्वयं यही कहा था कि एन.ए.सी. लाभ का पद नहीं है। मीडिया में यही प्रचार था। आप टालमटोल क्यों कर रहे हो? आप इसे पुनः क्यों छूट प्राप्त सूची में डाल रहे हैं? क्या यह किसी को बचाने के लिए है? या किसी की नियुक्ति के लिए है? श्रीमती सोनिया गांधी के छद्‌म त्याग का क्या हुआ?

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। वे श्रीमती सोनिया गांधी से पूर्णतः आक्रांत हैं। यह आक्रांतता बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक आक्रांत हैं। कृपया मुद्दे पर आइये।

श्री अनंत कुमार: नहीं, मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय: वे इस सभा की माननीय सदस्या हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज: सम्पूर्ण पार्टी उनसे आक्रांत है।

श्री अनंत कुमार: मैं आदेश को पढ़ता हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय, हम किसी से भी आक्रांत नहीं हैं। हम केवल भारत के संविधान, भारत के संविधान के सिद्धान्तों से मोहग्रस्त हैं न कि कांग्रेस पार्टी के असंवैधानिक अवसरवाद राजनीति से ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त कुमार के भाषण के अलावा कुछ भी कार्य वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जयेगा।

(व्यवधान)...*

श्री अनंत कुमार: महोदय, 31 मई, 2004 को जब संप्रग सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने सरकार के निम्नतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन के सम्बन्ध में आदेश जारी किया था...*(व्यवधान)* मैं दोनों को एक साथ पढ़ूंगा जिससे हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकें।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारद्वाज जी, इसके अनुसार: "हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। यदि किसी बहुत बड़ी पार्टी का कोई नेता किसी गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है तो इसमें गलत क्या है?" मैं अब आदेश को पढ़ूंगा। यह कहता है: "राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।" आपने यह नहीं कहा 'ए चेयरमेन आर ए चेयर पर्सन' क्योंकि आपने पहले ही निर्णय कर लिया था कि अध्यक्ष कौन होगा। यह कहता है: "एन.ए.सी. की अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्री के समकक्ष किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी और इसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो कि प्रधान मंत्री द्वारा अध्यक्ष के साथ परामर्श करके नामांकित किये जायेंगे।"

क्या आप ऐसी सुविधा और क्षेत्राधिकार अन्य समितियों और मण्डलों को देंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप ऐसी विशेष सुविधा की अनुमति 'सुपर प्राईम मिनिस्टर' को दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, सुपर प्राईम मिनिस्टर का मतलब क्या है? यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त कुमार के भाषण के अलावा कुछ भी कार्य वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

श्री अनंत कुमार: राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्य इस प्रकार होंगे:

"न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करना, सरकार द्वारा नीति निर्धारण में इनपुट प्रदान करना" और सरकार को विधायी कार्यों में सहायता करना।"

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: किस नियम के अन्तर्गत?

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, यह नियम 132 के अन्तर्गत है। यह नियम कहता है:

"ऐसे प्रस्ताव पर वाद-विवाद, राष्ट्रपति के संदेश में निर्दिष्ट विषयों तक या राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश किये गये किसी संशोधन के विषय में संगत किसी सुझाव तक ही सीमित रहेगा।"

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सदस्य इस अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह यहां लागू नहीं होता है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उनकी टिप्पणियों को प्रतिबन्धित किया और रोका जाना चाहिए। वाद-विवाद को सभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट विषयों तक ही सीमित रखा जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह नियम उन पर लागू नहीं होता है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं यह दोहराना चाहता हूं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्य इस प्रकार होंगे:

"न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करना"

यदि श्रीमती सोनिया गांधी साझा न्यूनतम कार्यक्रम का निरीक्षण कर रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे होंगे...*(व्यवधान)* स्पष्टरूप से उनके पास इसके लिए कोई समय नहीं हैं...*(व्यवधान)* इसमें आगे यह कहा गया है कि:

"सरकार द्वारा नीति बनाने के लिए आदान उपलब्ध कराना और सरकार को उसके विधायी कार्य में सहायता प्रदान करना।"

इसमें यह भी कहा गया है:

"परिषद को केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त और उपयुक्त कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इस परिषद के कार्यकरण के संबंध में समस्त व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा और प्रधान मंत्री कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। परिषद् के कार्यकरण हेतु व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।"

तो, फिर क्या यह गैर सरकारी संगठन है या लाभ का पद है?...*(व्यवधान)* मैं एक आम आदमी के रूप में विभिन्न न्यायिक विनिर्णयों का भी हवाला देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: कृपया मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिए।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मेरी बात अभी जारी है।...*(व्यवधान)* वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला...

श्री वरकला राधाकृष्णन: माननीय सदस्य, संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य थे, जिसने विधेयक की जांच की थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या आप मुझे बताएंगे कि वास्तव में लाभ का पद क्या है? क्या आपने संपूर्ण भारत में लागू उस प्रश्न पर ध्यान दिया था? इसका कहीं भी जिक्र नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: लभा के पद का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सरकार को इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपको बोलने के लिए पहले अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के माननीय विधि मंत्री के लाभ हेतु बताना चाहता हूं कि वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम झारखंड स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद धारण करने के लिए झारखंड नेता शिबु सोरेन की निरर्हता को सही ठहराया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: राधाकृष्णन जी, बैठ जाइए। आपकी पार्टी को जब टाइम मिलेगा, तब आप जो चाहे कह लीजिए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: वर्ष 1980 में, तमिलनाडु के संसद सदस्य श्री आर. मोहरनारंगम का एक मामला था...*(व्यवधान)* पहला मामला जो वर्ष 1959 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था, वह रावन्ना सुबन्ना बनाम जी.एस. कागेरप्पा ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 653 मामला था और उच्चतम न्यायालय ने साठ के दशक के दौरान आज तक उमराव सिंह बनाम दरबार सिंह और ए.के. सुबैया बनाम रामकृष्ण हेगड़े मामले में उच्चतम न्यायालय के उस कानून को ही दोहराया है। उच्चतम न्यायालय का एक तयशुदा कानून है और यह निर्धारित करने के लिए चार मापदंड हैं, कि कोई पद लाभ का पद है अथवा नहीं।

(1) क्या सरकार का पद पर नियुक्ति और हटाना तथा पद के निष्पादन और कार्यकरण पर नियंत्रण है;

(2) क्या पदधारक को क्षतिपूर्ति भत्ते, के अलावा कोई पारिश्रमिक भी मिलता है, जिसमें वाहन बिल, टेलीफोन कॉल्स, यात्रा खर्चे शामिल हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार, माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् पिछले कई महीनों में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा इस सम्माननीय सभा को उपलब्ध कराएं। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं।

(3) क्या उस निकाय के पास जिसमें पद धारण किया गया है। कार्यकारी, विधायी अथवा न्यायिक शक्ति है अथवा वह निधियों के वितरण, भूमि के आबंटन, लाइसेंस जारी करने आदि की शक्तियां प्रदत्त करता है अथवा नियुक्ति, छात्रवृत्ति प्रदान करने की शक्तियां प्रदान करता है।

(4) क्या यह पद पदधारक को संरक्षण के माध्यम से प्रभाव अथवा शक्ति दिलाने में समर्थ बनाता है।

ये वे मापदंड हैं, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में तय किया गया है। ऐसी स्थिति होने पर, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री अनंत कुमार: हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि 55 विभिन्न लाभ के पदों को सभा के समक्ष छूट हेतु किस प्रकार लाया गया है क्योंकि अन्ततोगत्वा मैं समझता हूं कि यह कर्तव्य और स्व-हित के बीच एक संघर्ष है। कोई भी कानून स्व-हित से प्रेरित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कानून में एक प्रासंगिकता और सिद्धांत होना चाहिए और इसे सार्वजनिक हित से प्रेरित होना चाहिए, लेकिन यहां एक ऐसी सरकार है, यू.पी.ए. सरकार - यू.पी.ए. का अर्थ है सिद्धांतहीन गठबंधन - जो स्व-हित के समर्थन में, यू.पी.ए. की राष्ट्रीय अध्यक्षा के स्व-हित में। अपने पद बचाने वाले सभी 55 अथवा 56 संसद सदस्यों के स्व-हित में एक विधेयक लेकर आई है। यह बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

एक मुद्दे पर, मैं विधि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि

इस विधेयक को पेश करते वक्त उन्होंने उद्देश्य और कारणों का विवरण लिखने में दोटूक शब्दों का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं कि यह विगत 59 वर्षों के स्वतंत्र भारत के इतिहास में सभी सिद्धांतों को ताक पर रखने की एक दृढ़तापूर्ण स्वीकारोक्ति है। मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए उद्देश्य और कारणों का विवरण पढ़ रहा हूं:

"हाल में यह आवश्यक हो गया है कि लाभ का पद धारण करने के आधार पर संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मुद्दे की पुनः जांच की जाए। ऐसा हाल ही में हुई घटनाओं के कारण आवश्यक हो गया है, जहां संसद के दोनों सदनों से लगभग चालीस या इससे अधिक सदस्य विभिन्न कानूनी और गैर कानूनी निकायों के अध्यक्ष या सदस्यं के पद धारण किए हुए है और इस आधार पर निरर्हता संबंधी कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं कि वे लाभ का पद धारण किए हुए हैं। यदि इस कार्य स्थिति को बना रहने दिया जाता है तो बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी होना निश्चित है और संसद के दोनों सदनों में स्थानों के रिक्त होने की संभावना है।"

ये सीटें अधिकांशतः संप्रग और कम्युनिस्ट मित्रों की हैं। इसमें आगे लिखा है:

"यदि इस कार्य स्थिति को बने रहने दिया जाता है तो बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी होना निश्चित है और संसद के दोनों सदनों में स्थानों के रिक्त होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव कराए जाने आवश्यक होंगे। यह एक व्यर्थ का खर्च होगा और इससे देश पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ेगा।"

ऐतिहासिक रूप से इसके समानान्तर एक और घटना भी है। इसी रूप में और इन्हीं विचारों के साथ स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1971 से 1976 के बीच लोक सभा की कुल अवधि एक वर्ष बढ़ा दी थी और ये लोग उस समय पार्टी में थे। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है।

मैं वामपंथी पार्टियों से हैरान हूं। श्री बसुदेव आचार्य और अन्य के नेतृत्व में वामपंथी पार्टियां दिन-रात सदैव उच्च नैतिक मूल्यों की बात करती हैं, वे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर प्रवचन देती हैं। अब क्या स्थिति है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया सभा में शांति बनाए रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः एक दिन पहले बुधवार को वामपंथी समन्वय समिति की बैठक में सी.पी.आई. के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि:

"लाभ के पद के विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू खंड को हटाकर माननीय राष्ट्रपति को लौटाया जाना चाहिए।" यह भी बताया गया था कि सी.पी.आई. के वरिष्ठ नेताओं से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका। आजकल बार-बार प्रयास के बावजूद आप टिप्पणियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): कृपया हमें उस अखबार का नाम बताइए जिससे आप ये पढ़ रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः मैं 'द पायनियर' से पढ़ रहा हूं। सी.पी.आई. के महासचिव श्री ए.बी. वर्धन ने 'द पायनियर' को बताया कि:

"...चूंकि विधेयक में बताए गए कुछ पद अभी हाल ही में सृजित हुए थे, अतः भूतलक्षी प्रभाव देने के खंड से होमवर्क की कमी झलकती है..."

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, यह श्री चंदन मित्रा द्वारा लिखा गया संपादकीय है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः नहीं, यह संपादकीय नहीं है। यह श्री ए.बी. बर्धन द्वारा दिया गया वक्तव्य है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में शांति बनाए रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः अब मैं 'नेशनल हेराल्ड' पढ़ने जा रहा हूं। यह लिखता है:

"लाभ के पद पर वामपंथ दुविधा में।"...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): आप जैसे कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी इस अखबार को नहीं खरीदता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया सभा में शान्ति बनाये रखिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत कुमार: इसमें कहा गया है:

"जबकि सी.पी.आई. ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी एम.पी. या एम.एल.ए. को संसद द्वारा सृजित पदों के अलावा अन्य किसी पद को ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सी.पी.आई. ने टू ट्रैक अप्रोच की मांग की है।"

यह टू ट्रैक अप्रोच नहीं है। यह डबल स्पीक अप्रोच है और इसे ही अवसरवाद के नाम से जाना जाता है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: झारखंड पर आपका दृष्टिकोण क्या है?

श्री अनंत कुमार: झारखंड पर हमारा दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट है। हम भारत के माननीय राष्ट्रपति की सलाह मांग रहे हैं और हम इसका स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि एक कानून होना चाहिए जो कि संघ राज्य क्षेत्रों सहित पूरे देश पर लागू हो।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं इस समय एक मूलभूत प्रश्न पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आपकी पार्टी को टाइम मिलेगा, उस समय आप बोल लेना।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं बहुत ही संगत प्रश्न पूछ रहा हूं। उन्होंने श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन विकास प्राधिकरण हल्दिया विकास प्राधिकरण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र आदि कार्यालय शामिल किए हैं। हमारे देश में सैकड़ों विकास प्राधिकरण हैं। बंगलौर विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण आदि हैं। प्रत्येक शहरी क्षेत्र का एक विकास प्राधिकरण है। कतिपय कार्यालयों को छूट देने के लिए लाभ का पद विधेयक में उन्होंने मनमाना चयन किस प्रकार किया, और वह भी तब, जबकि वे निरर्हता के लिए कार्यवाही का सामना कर रहे हैं?

यदि आप अपने सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी का अनुसरण करना चाहते हैं, तो आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए और दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए।...*(व्यवधान)* सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिए और दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें अवसरवादी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए।...*(व्यवधान)* स्वयं को और दूसरों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिमान नहीं होना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे हमेशा नीति-वचन के साथ चलते हैं तथा यह नीति-वचन दूसरों को उपदेश देने के लिए आदर्शवाद है और पालन करने और व्यवहार में लाने के लिए अवसरवाद है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

श्री बसुदेव आचार्य: आप झारखंड तथा मध्यप्रदेश में किस चीज का पालन कर रहे हैं? प्रो. मल्होत्रा कहां हैं? वे कहां चले गए?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

श्री अनंत कुमार: सबसे पहले, मैं एक मूलभूत प्रश्न रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उस मामले पर संविधान सभा के समय से ही से चर्चा हो रही है। इस पर लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में चर्चा हुई थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी को पर्याप्त समय दिया जायेगा।

श्री अनंत कुमार: कई बार, विभिन्न अवसरों पर लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति ने विभिन्न सरकारों से, न केवल इस सरकार से बल्कि पिछली सरकारों से भी 'लाभ के पद' की परिभाषा देने की सिफारिश की थी। कृपया 'लाभ के पद' की परिभाषा को स्पष्ट करें, इसे मूल रूप दें तथा इसे व्यक्तिनिष्ठ विकल्प न बनाएं।

माननीय राष्ट्रपति ने एक माह का समय दिया तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के पास अन्य राजनीतिक दलों

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के साथ मिलकर इस पर विचार करने के लिए एक माह का समय मिला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तथा हमारे नेतृत्व के साथ भी चर्चा की थी...*(व्यवधान)*

श्री एच.आर. भारद्वाज: मैं किससे बात करूं? वे खुद दिशाहीन हैं। नेतृत्व कहां है?...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: हमारा इस पर काफी स्पष्ट दृष्टिकोण है जो श्री आडवाणी ने दिया तथा जिसे श्री भारद्वाज का समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि संविधान की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। संविधान की भावना क्या है? संविधान की भावना शक्तियों का 'विभाजन' तथा दायित्व की बात करती हैं जो 'लाभ के पद' से अलग हैं। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी इस संविधान की भावना का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। वे भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे इसे समाप्त करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: देखिए, हर पार्टी को टाइम मिलेगा। जब आपको बोलने का समय मिले, तब आप बोलें। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जब किसी पार्टी का कोई सदस्य बोलना शुरू करे, तो दोनों तरफ से इंटरप्शन्स शुरू हो जाएं।

[अनुवाद]

यह अच्छा नहीं लगता है।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: थोड़ा-थोड़ा तो होता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रीजनेबल तो ठीक है, लेकिन ऐसा न हो कि मैम्बर को सुना ही न जाए। आपकी अपनी पार्टी की भी बारी आएगी, तब आप बोलिए। सुनने के लिए थोड़ा दिल चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम सुन रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: क्या सुन रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम है कि कांग्रेस पार्टी समूचे देश को यह आश्वासन देने की स्थिति में है कि सं.प्र.ग. की अध्यक्ष राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष फिर बन पाएंगी या नहीं। पहले दिन उन्होंने कहा कि यह लाभ का पद नहीं है; दूसरे दिन, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया; तीसरे दिन उन्होंने चुनाव लड़ा तथा चौथे दिन उनके विधि मंत्री 'लाभ के पद' से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का पद अलग करने का एक संशोधन ले आए। यह सरासर अनुचित है।

इन शब्दों के साथ मैं संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। हम इसका विरोध करते हैं। मैं सरकार को चेतावनी भी देता हूं कि समूचा देश इसका विरोध कर रहा है; समूचा मीडिया इसका विरोध कर रहा है; आपके साथ कोई नहीं है तथा आप अकेले हैं। 1975 की गलती को मत दोहराएं जो श्रीमती गांधी को बचाने के लिए लोक जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके किया गया था।

पिछली बार, सरकार ने खुद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि सरकार श्रीमती सोनिया गांधी को बचाना चाहती थी। अब वे चूककर्ताओं के झुंड को, छप्पन लोगों को, तथा सरकार को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। इसलिए इस सरकार ने यह संशोधन लाया है। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। हमने इसका विरोध दूसरी सभा में किया; हम इसका विरोध यहां करते हैं; तथा हम इसका विरोध सभा के बाहर भी करेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदेश के अनुसरण में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। चूंकि हम पर आरोप लगाया गया है कि हम लोग संवैधानिक रूप से निरक्षर हैं, मुझे इस चर्चा में कुछ साक्षरता का समावेश करने की अनुमति दें।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 102, मैं अनुच्छेद के शब्दों को वैसे ही रूप में रखूंगा, में उल्लेख है:

> "कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।"

यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 है। इसका अर्थ क्या है? इसमें दो भाग हैं। प्रथमतः एक व्यक्ति निरर्ह हो जायेगा यदि तीन बातें पूरी होती हैं:

[श्री कपिल सिब्बल]

(1) वह पद धारण करता हो, (2) यह लाभ का पद हो, तथा (3) यह सरकार के अधीन हो। तीनों शर्तों को पूरा किया जाना है। तभी वह व्यक्ति संसद से या तो निरर्ह घोषित किया जायेगा या अपना नामांकन भरने के समय, यदि इसका विरोध किया जाये, तो चुनाव में उम्मीदवार नहीं होगा।

यदि तीनों शर्तें पूरी की जाती हैं, तो वह निरर्ह हो जायेगा इसके बाद, छूट वाला हिस्सा, जो दूसरा है आता है। यदि आप एक पद का धारण करते हैं, यह लाभ के लिए है, यह भारत सरकार के अधीन है, तो संसद कानून द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि आप निरर्ह नहीं होंगे। अतएव, यदि आप 1959 के अधिनियम को देखें, 1959 की अधिनियम के अंतर्गत सभी पद सरकार के अधीन लाभ के पद माने जायेंगे क्योंकि संवैधानिक प्रावधान का संपूर्ण उद्देश्य यह मानना है कि सरकार के अधीन ये लाभ के पद हैं तथा फिर उनमें छूट दी जाये।

अब, इस सभा में प्रतिपक्ष के नेता का उदाहरण लें। प्रतिपक्ष के नेता को छूट मिली हुई है। इस प्रकार, वह लाभ के पद पर कार्यरत हैं। आप लाभ के पद पर कार्यरत लोगों को छूट नहीं देना चाहते हैं। कृपया उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह उनका तर्क है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए और उनकी बात सुनिये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: यह उनका तर्क है। कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह उनका तर्क है। अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: यह अच्छी बात नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(व्यवधान)...*

श्री कपिल सिब्बल: आप उनको बैठाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह बोलने का समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): वे लोग श्री सिब्बल को बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: तभी तो आपके बोलने में कोई तथ्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्ता, आपकी बारी आएगी और उस समय आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: दासगुप्ता जी, आपको टाइम मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, यदि आप उनको अनुशासन में नहीं लाते हैं तब तक मैं अपनी बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यह आपका उत्तरदायित्व है मेरा नहीं। जब श्री अनंत कुमार बोल रहे थे तब मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। मैं एक शब्द भी नहीं बोला। हमने उनकी बात पूरे मनोयोग से सुनी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात से सहमत हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह अच्छी बात नहीं है। कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब विपक्ष के नेता बोलते है, तब हम बिलकुल भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वे श्री सिब्बल को प्रत्युत्तर देने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? यह सही तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। शांति से उनकी बात सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: देखिये, मैंने पहले भी कहा था कि एक पार्टी का जब कोई सदस्य बोल रहा है तो दूसरी पार्टी को बड़े पेशेंस और विशाल ह्रदय से उसकी बात सुननी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, जब अनंत कुमार जी बोल रहे थे, मैंने पूरी कोशिश की कि इधर शांति रहे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं चाहता हूं कि आप इनके आर्ग्यूमेंट को सुनने की हिम्मत रखें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है। मैंने यह सुझाने के लिए उदाहरण दिया कि वस्तुत: अनुसूची में वही सारे लोग शामिल हैं जिन्हें सरकार के अन्तर्गत लाभ का पद धारण करने वाला माना जाता है और इसीलिए संविधान ने छूट की व्यवस्था की है...*(व्यवधान)* मैं आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूं। आप अभी हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? कृपया सुनिए। यदि आप असहमत हैं तो आपको बोलने का अधिकार है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: गीते जी, आपकी बारी आएगी।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: मैं यह बात कह रहा था। मैं इस बात पर आऊंगा और इसीलिए राष्ट्रपति ने संदेश भेजा है। मुझे भूतलक्षिता के प्रश्न का उत्तर देना है। मैं इसका उत्तर दूंगा। किन्तु मैं उल्लेख मात्र कर रहा हूं कि आजादी के बाद से इस देश के इतिहास में कई उदाहरण हैं कि कई लोग और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे पद धारण करते थे। उदाहरण के लिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनता सरकार के समय विदेश मंत्री थे। वे उस समय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष भी थे। वह भी लाभ का पद था। किन्तु उन्हें निरर्ह नहीं किया गया। हमने उनके निरर्हता की मांग नहीं की।

राज्य सभा के एक अन्य माननीय सदस्य इन्दिरा गांधी कला केन्द्र के अध्यक्ष थे। वह राज्यसभा के सदस्य थे और इंदिरा गांधी कला केन्द्र की अध्यक्षता कर रहे थे। वह भी एक लाभ का पद था। हमने उनके त्यागपत्र की मांग नहीं की।

उनकी समस्या यह लगती है कि वे नहीं चाहते कि श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा रहें। यही आपकी एक मात्र बात है तथा यही आपकी एक मात्र समस्या है।...*(व्यवधान)* उनकी सम्पूर्ण बहस सोनिया केन्द्रित है तथा उन्हें सिद्धान्तों से कुछ भी लेना देना नहीं है।

वास्तव में, मेरे मित्र श्री अनंत कुमार ने हम पर बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी को संशोधन विधेयक 25 मई को प्राप्त हुआ

[श्री कपिल सिब्बल]

तथा उन्होंने 31 मई को इसे लौटा दिया तथा हम इसे अनुचित रूप से जल्दबाजी करते हुए जुलाई में ला रहे हैं। लेकिन देखिए, उनके स्वयं के राज्य में क्या हुआ। कर्नाटक में क्या हुआ? जुलाई से काफी पहले, 6 जून को उन्होंने विधानसभा में क्या किया? उन्होंने कर्नाटक विधायिका (निरर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई।...(*व्यवधान*) उन्होंने क्या किया? उन्होंने किन-किन पदों पर छूट दी? उन्होंने सभापति, अध्यक्ष, उप-सभापति, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, उप-मंत्री, संसदीय सचिव, विपक्ष के नेता, सरकारी मुख्य सचेतक के पदों को छूट दे दी। उन्हें छूट प्राप्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन्हें कानून के माध्यम से छूट दे दी। तब आपकी संवैधानिक साक्षरता को क्या हुआ था?...(*व्यवधान*) आपकी सिद्धान्तवादी राजनीति को क्या हुआ था?...(*व्यवधान*) अन्यथा सम्पूर्ण कर्नाटक सरकार गिर गई होती।

मैं एक और उदाहरण देता हूं।...(*व्यवधान*) मैं इनका ही एक और उदाहरण देता हूं। झारखण्ड में क्या हुआ? उन्होंने, 24 मार्च, 2006 को ही झारखण्ड विधायिका (निरर्हता का निवारण) विधेयक, 2006 पारित कर दिया था। विधेयक में 22 ऐसे पद हैं जिन्हें लाभ के पद होने से छूट दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री, श्री अर्जुन मुण्ड, जो तेनुगढ़ विद्युत निगम के अध्यक्ष भी हैं, श्री करिया मुण्डा, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री सरयू राम, उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड को छूट दी गई हैं। तो उन्होंने जो किया वह असाधारण था। यह ऐसा कार्य था देश में पहले कभी नहीं किया गया। विधेयक की धारा 2 एवं 3 के अनुसार ऐसे प्रत्येक विधायक के लिए निरर्हता निवारण की व्यवस्था है जो भूतलक्षी प्रभाव से लाभ के पद को धारित करता है। हमने ऐसा कभी नहीं सुना है ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: वह तो पास हो गया।...(*व्यवधान*) तब आपकी कांशंस क्या कह रही थी? तब आपकी नैतिकता क्या कह रही थी?...(*व्यवधान*) आप जिन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तब ये कहां थे?...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं। मैं हमेशा केवल आपके माध्यम से ही सभी को सम्बोधित करता हूं। मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूं।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी भी आपसे यही रिक्वैस्ट है।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: यदि आप बुरा न मानें तो आप जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*...

श्री कपिल सिब्बल: जब मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं, तो आपका इस प्रकार बोलने का मतलब क्या है?...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सिब्बल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

श्री कपिल सिब्बल: मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अन्यथा मैं सिर्फ राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने संदेश में उठाए गए मुद्दों पर ही अटक जाऊंगा। केवल इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार द्वारा दोतरफा बोलने, दोतरफी बात करने और राजनीति में नैतिकता का मुद्दा उठाए जाने के कारण मैं उन्हें उदाहरण देने के लिए मजबूर हुआ था जिसने उन्हें यह दिखाए कि उनकी पार्टी क्या कर रही है...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी को भी बोलने का टाइम मिलेगा।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: क्या आप एक मिनट के लिए चुप होंगे?

श्री कपिल सिब्बल: नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगा।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जो भी कहना है, आप इनके बाद बोलने के बाद कहिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: इस मामले की सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी आधुनिक समय की राजनीति के कलाबाज हैं। उनका अन्त:करण ग्रहणशील है, जोकि प्लास्टिसीन की तरह खिंचता है और कलाबाज की तरह वे किसी भी मनचाही स्थिति में आ जाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे इस सभा में किस ओर बैठे हैं। यही उनका इतिहास है। मुझे एक अत्युत्तम किताब की याद आ रही है जिसे मैं आजकल पढ़ रहा हूं जिसका नाम 'ए कॉल टू ऑनर' है। महोदय, इस पुस्तक के लेखक की यात्रा भारतीय राजनीति में भाजपा की यात्रा है। 'ए कॉल टू ऑनर' से 'माई फाल टू डिसऑनर', 'माई फाल फ्रॉम ऑनर'। अत: यह उनकी यात्रा है, 'कॉल टू ऑनर' से 'फॉल फ्रॉम ऑनर'। यही हुआ है और यही कारण है कि निर्णय की घड़ी में, जब वे अपनी स्थिति ले लेते हैं, भारत के लोग उन्हें सबक सिखा देते है।

वापस उस ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा और 'संवैधानिक साक्षरता' के बारे में बात शुरू करते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह इस मुद्दे का मूल है। राष्ट्रपति महोदय ने बड़ी सार्थकता से तीन मुद्दे उठाए और मैं मानता हूं कि हमें उनका उत्तर देने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा यह है कि कृपया व्यापक मानदंड विकसित करें, जो कि न्यायपूर्ण, उचित और तर्कपूर्ण हो, और जिन्हें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर स्पष्ट और पारदर्शी रूप से लागू किया जा सके। व्यापक मानदंड बनाने के लिए और अगर आप इसे पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं तो दो चीजों को पूरा करना आवश्यक है। मेरे अच्छे मित्रों ने एक उदाहरण दिया कि एक राज्य में हमारी एक परिषद् है, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सभी राज्यों में सभी परिषदों को छूट क्यों नहीं दी गई। उसका उत्तर बिलकुल आसान है। सभी राज्यों में सभी परिषदों के अध्यक्ष संसद सदस्य नहीं हैं। छूट के खंड का उद्देश्य पदधारक को निरर्हता में छूट देने से है। इसे पद से कोई लेना-देना नहीं है। इसका संबंध पदधारक व्यक्ति से है। अतएव, यदि एक संसद सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकरण में कोई पद धारण करता है तो आप गुजरात विकास प्राधिकरण को छूट नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहां कोई संसद सदस्य इसका सदस्य नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई संसद सदस्य उस का सदस्य नहीं है। यह सुझाव राष्ट्रपति की ओर से आया है। लेकिन समूचे भारत में सभी पदों पर इस कानून को लागू करना कठिन है क्योंकि समूचे भारत में सभी पदों पर संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य हों यह आवश्यक नहीं है। अतएव, आपको संसद सदस्या तथा विधायकों द्वारा धारित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पदों संबंधी विधान को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। यह राष्ट्रपति के प्रश्न के एक भाग का उत्तर है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सुनें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, उठाए गए दूसरे बिन्दु का भी उत्तर दिया जाना चाहिए तथा यह माननीय राष्ट्रपति के संदेश का हिस्सा है। राष्ट्रपति...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, आप किस प्रकार मेरे बोलने पर हस्तक्षेप करने की अनुमति दे सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: उनकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं आई है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सिब्बल साहब की स्पीच के अलावा और कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...*(व्यवधान)*...*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दे का दूसरा हिस्सा अर्थात् माननीय राष्ट्रपति जी का प्रश्न जिस पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता था क्या ऐसा प्रयास संभव है जिसके द्वारा हम मूलभूत मानदंड को अपनाकर जोकि उपयुक्त और न्यायोचित हों तथा जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके और लाभ के पद की परिभाषा बनाई जाये और जो समान रूप से सभी पर लागू हो।

महोदय, यह एक ऐसा प्रयास है जो केवल इस देश में ही नहीं किया गया बल्कि विश्व में सबसे पुराने तथा सबसे बड़े प्रजातंत्र में किया गया परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसी परिभाषा पर नहीं पहुंच पाया। इसका कारण है। ऐसे शब्द हैं जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, 'उपेक्षा'। को परिभाषित कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार से किसी सड़क पर कार चला रहा है जहां कोई व्यक्ति नहीं है तो वह उपेक्षा नहीं है। लेकिन वही कार यदि उस सड़क पर चलाई जाये जहां सैकड़ों लोग मौजूद हैं, तो वह उपेक्षा है। सब कुछ मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप 'उचित' की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। आप 'समुचित' की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। आप 'समानता' की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। अतएव, संवैधानिक कानून के क्षेत्र में कई शब्द हैं जिनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। दुर्भाग्यवश, लाभ का पद भी एक ऐसा ही शब्द है। उदाहरणस्वरूप, आयकर अधिनियम के अंतर्गत आप लाभ कमाते हैं या नहीं कमाते हैं इसका निर्धारण आयकर अधिकारी आपके द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर करते हैं। लाभ की परिभाषा देना काफी कठिन है। एक व्यक्ति का लाभ दूसरे की हानि भी हो सकती है। हमारे लिए लाभ उनके लिए हानि है...*(व्यवधान)* इस तथ्य के मद्देनजर, सरकार के लिए मूलभूत मानदंड विकसित करना काफी कठिन है जो पूरे देश में सभी पदों के लिये लागू किया जाये तथा जो उचित न्यायपूर्ण तथा समुचित हो।

महोदय, मेरे मित्र ने विश्व के कई देशों की बात की जहां शक्ति का विभाजन है तथा लोगों को लाभ का पद धारण नहीं करने दिया जाता है क्योंकि वहां हितों का टकराव है। वह पूरी तरह सही हैं। वहां भी, कई तरह की कठिनाइयां हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि आप अमेरिकी प्रजातंत्र की ओर देखें तो आप पाएंगे कि अमेरिकी प्रजातंत्र में शक्ति का पूरी तरह विभाजन है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका के कैबिनेट का सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। ऐसा भारत में नहीं है। ऐसा इंग्लैंड में नहीं है। वहां पर शक्ति का पूरा-पूरा विभाजन है। दूसरे शब्दों में, सीनेट का एक सदस्य, उदाहरणस्वरूप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी का है, 'इम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स' से संबंधित राष्ट्रपति के 'स्टेम सेल' अनुसंधान से संबंधित विधेयक के विरोध में अपना मत डाल सकता है। ऐसा होता है तथा प्रतिदिन ऐसा होता रहता है। वहां पर लाभ का प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों? यह इसलिए कि राष्ट्रपति विधानमंडल के एक सदस्य को पद नहीं दे सकता जो राष्ट्रपति के विरुद्ध में अपना मत दे सके। अतएव, यदि वह उसे पद देता है तो वह अपने प्रभाव का उपयोग करेगा। यह शक्तियों के विभाजन का विशिष्ट उदाहरण है। अमेरिका में, कानून की पूरी प्रक्रिया ने एक अलग मार्ग का पालन किया है। यह भारत पर लागू नहीं होता है, यही स्थिति कनाडा और आस्ट्रेलिया की है।

महोदय, यदि आप इंग्लैंड के इतिहास को देखें तो यह पूरी तरह से अलग मुद्दा है। जहां तक इंग्लैंड के इतिहास का संबंध है उनके इतिहास में तीन काल खण्ड थे तथा मैं उसका केवल उल्लेख करना चाहता हूं। पहला विशेषाधिकार काल खण्ड था। आप सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि इंग्लैंड में राजा के पास समस्त शक्तियां थीं। राजा आदेश देता था कि विधायकों को क्या करना है। अतएव, जब इंग्लैंड में विधानमंडल बनाया गया तब सदस्यों ने सोचा कि उन्हें अपने विशेषाधिकार को सुरक्षित रखना है। वह अवधि 1640 से पूर्व की थी जिसे इस विशेषाधिकार अवधि कहते हैं। इस अवधि में संसद सदस्यों ने स्वयं कहा कि वे राजा से कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपने विशेषाधिकार को सुरक्षित रखेंगे। उनका मानना था कि उनका कोई भी सदस्य राजा से कोई भी पद स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद बहाली (रेस्टोरेशन) अवधि आयी जो वर्ष 1660 के बाद शुरू हुई : जब राजशाही द्वारा संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए पदों की पेशकश की गयी। यह अवधि 1707 तक चली जब वास्तविक मंत्रित्व दायित्व अवधि शुरू हुई जिसके पश्चात् अन्ततः 1707 ई. से इंग्लैण्ड में एक कानून बना - इंग्लैण्ड में पहला ठोस कानून वर्ष 1957 में बना। और इसे क्या कहा जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस कानून को 'हाऊस ऑफ कॉमन्स डिस्क्वालिफीकेशन एक्ट' कहा जाता है जिसे अन्ततः वर्ष 1975 में ठोस रूप दिया गया। यह निरर्हता निवारण नहीं बल्कि निरर्हता अधिनियम है। इसका एक कारण है। 300 वर्षों के अनुभव से संसद सदस्यों ने महसूस किया कि निरर्हता को रोकना असंभव होगा क्योंकि भाजपा जैसी पार्टियां राजनीतिक कारणों से बार-बार न्यायालय जाएंगी। वे जानते हैं कि लेबर पार्टी के सदस्यों या कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की पहल पर यह किसी भी क्षेत्राधिकार में हो सकता है। अतः उन्होंने विपरीत तरीका अपनाया संविधि में आप ऐसे पद का नाम बतायें जिसे धारण करने पर निरर्ह हो जाएंगे। अतः यदि आप वह पद धारण नहीं करते तो आप अधिनियम से बाहर हैं। अतः इंग्लैण्ड में इस बात के बावजूद कि संविधि 'लाभ का पद' को परिभाषित नहीं करती, फिर भी इस कानून में बहुत अधिक स्पष्टता है और भारत में 42वां संशोधन द्वारा ऐसा ही करने की कोशिश की गयी थी जिसका उल्लेख मेरे साथी श्री हंसराज भारद्वाज ने किया था। 42वें संशोधन में हमने वास्तव में विधान को इस प्रकार बनाने का प्रयास किया था।

"संविधान के अनुच्छेद 102 में खण्ड 1 में उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड स्थानापन्न किया जाएगा:

(क) यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत ऐसा कोई पद धारण करता है जिसे संसद ने विधि द्वारा इसके पद धारक को निरर्ह..."

अतः हमने वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा यह प्रयास किया कि एक ऐसा कानून लाएं जो इंग्लिश संसदीय लोकतंत्र के 300 वर्षों के अनुभव के अनुकूल हो जिससे वास्तव में सांविधिक पदों का निर्धारण हो जो व्यक्तियों को निरर्हता करता हो। किन्तु दुर्भाग्यवश इसे आपके द्वारा, तत्कालीन सत्तासीन दल जनता पार्टी द्वारा 44वें संशोधन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अतः जब हमने सांविधानिक साक्षरता लाने का प्रयास किया, आप निरक्षता के पक्ष में थे। जब हमने विधि में कुछ निश्चितता लानी चाही तब आप अनिश्चितता के पक्षधर थे। दोहरी बातें आपकी पार्टी में है।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): आप अब इसे क्यों नहीं लाते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? उन्होंने सांविधानिक साक्षरता की बात की थी अतएव मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। मैं कम से कम अपने को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं यदि मैं दूसरों को शिक्षित नहीं कर सकता। महोदय, मुझे स्वयं को शिक्षित करने की अनुमति दी जाए। तो विधि की स्थिति यह है। जब राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि एक जेनरिक परिभाषा तैयार की जाए तो मेरा उत्तर है कि यह अत्यन्त दुष्कर है। कई देशों के सांविधानिक इतिहास को देखें। हम कानून को और सटीक बना सकते हैं यदि हम अंग्रेजों का तरीका अपनाते हुए ऐसी संविधि बनाएं जो निरर्हता निवारण के स्थान पर उन पदों का उल्लेख करें जो लोगों को निरर्ह बनाते हैं। यही तरीका है। पहले प्रश्न का मेरा उत्तर यह है।

अपने संदेश में राष्ट्रपति महोदय ने जो दूसरा प्रश्न, उन पदों के नामों को छूट देने के साथ पैदा होने वाले परिणाम, जिन पदों को धारण करने से सदस्य कथित रूप से निरर्ह हो जाते हैं और जिनके संबंध में निरर्हता संबंधी याचिकाएं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पहले ही प्रक्रियाधीन है, के समन्वय में है। राष्ट्रपति महोदय यह पूछना चाह रहे हैं। आप एक विधान ला रहे हैं और इस देश के कुछ उत्साही व्यक्तियों ने पहले ही निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं जो लोगों से निरर्ह करने की मांग करती हैं। राष्ट्रपति महोदय पूछ रहे हैं कि उन लोगों का क्या होगा। उन्होंने यही दूसरा प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर विधान में ही है। विधान के अन्तिम खण्ड में यह है।

"शंकाओं के समाधान के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी याचिका या निर्देश का निपटारा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।"

अतः राष्ट्रपति महोदय की शंकाओं का समाधान विधि द्वारा ही कर दिया गया है अर्थात् निर्वाचन आयोग के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं का निपटारा इस संशोधित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।

राष्ट्रपति महोदय द्वारा तीसरा प्रश्न संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू करने में कानून की तर्कसंगतता और शुचिता के बारे में है। राष्ट्रपति पूछ रहे हैं कि इस कानून को भूतलक्षी प्रभाव

[श्री कपिल सिब्बल]

से क्यों बनाया जा रहा है? उत्तर बहुत सीधा सा है। यह केवल 55 व्यक्तियों या पदों की बात नहीं है। इससे भाजपा प्रभावित है; इससे उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य सभी...*(व्यवधान)*

इस देश में अधिवक्ताओं की प्रतिभा इतनी अधिक है कि इस देश में कहीं भी कोई भी पद प्रभावित हो सकता है। अतः इस बारे में हमें अधिक आश्वस्त नहीं होना चाहिए। किन्तु यह मुद्दा नहीं है। इससे पूरे देश में 200 संसद सदस्य और विधायक प्रभावित हुए हैं। 200 याचिकाएं लंबित हैं। अतः हमने एक जिम्मेदार सरकार के रूप में सोचा कि इस प्रकार का कानून सभी दलों के हित में पारित करना उचित होगा...*(व्यवधान)* मैं ऐसा कह रहा हूं। इस पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है। यह सभी संबद्ध दलों के लाभार्थ है। आपने ऐसा ही अधिनियम झारखण्ड में पारित किया और हमने विरोध नहीं किया; आपने कर्नाटक में ऐसा किया और हमने विरोध नहीं किया। इसी प्रकार सबने सोचा कि पद धारण करने वाले व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है। अतएव, एक कानून पारित करना बेहतर होगा क्योंकि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत पारित है। यह अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। यह अधिकार हमने संविधान से बाहर प्राप्त नहीं किया है। यह अनुच्छेद 102 का ही भाग है। अतएव हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जानते हैं कि विधायिका अधिकार का अग्रदर्शी और अनुदर्शी दोनों तरह से इस्तेमाल करने की अधिकारी है। विधायिका को भूल जाइए। कई बार संसद सदस्य और घटक मांग करते हैं कि यह यह लाभ हमें इस इस तिथि से दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए वेतन, मकान किराया, भत्ता इत्यादि। कई बार सरकार कहती है, "हां, जिस तिथि से हम वेतन आयोग गठित करेंगे उस तिथि से आपको देंगे। हम अग्रदर्शी प्रभाव से नहीं देंगे।" विशेष प्रणाली के अन्तर्गत, कर कानून के अन्तर्गत कई लाभ अनुदर्शी प्रभाव से दिए जाते हैं। वे हमसे कहते हैं, "ठीक है, आपको यह राशि अमुक-अमुक तिथि से अनुदर्शी प्रभाव से मिलेगी।" अतः अनुदर्शिता कोई ऐसी चीज नहीं है जो विधि में अनसुनी हो। यह विधायी प्रक्रिया का भाग है। अतः इसके भूतलक्षी प्रभाव पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। तभी भारत के राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए तीसरे मुद्दे का उत्तर होगा।

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं। माननीय सदस्यों ने इस सभा में कहा है, "इन सभी बातों पर विचार किए बिना विधान कैसे लाया गया? वास्तव में सरकार झूठे दावे करती है और राष्ट्रपति का अनादर कर रही है। एक बार फिर मैं 'संविधान की व्याख्या' की बात कहना चाहता हूं। यदि मेरी याददाश्त सही है तो संविधान के अनुच्छेद-111 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को जब कोई विधेयक प्राप्त होता है तो वह या तो विधेयक पर अपनी अनुमति देने या विधेयक पर अनुमति को रोकने का हकदार है। इसमें दो बातों "या तो वह विधेयक को अनुमति देता है अथवा अनुमति को रोकता है" का प्रयोग किया गया है। यदि राष्ट्रपति अपनी अनुमति को रोकते हैं तो क्या होता है? दूसरे पैराग्राफ में 'जितनी जल्दी हो सके' शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्हें 25 मई को यह विधेयक मिला और उन्होंने 31 मई को इसे वापस भेज दिया।

जब वह इसे वापस भेज रहे है तो वह क्या कर सकते थे? पहला वह यह कह सकते थे कि "समस्त संशोधन पर पुनर्विचार किया जाए", जैसा कि उन्होंने किया। दूसरे, वह यह कह सकते थे, "मैं निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव कर रहा हूं। मैं इन संशोधनों का प्रस्ताव करता हूं कृपया इन संशोधनों पर विचार करें।" राष्ट्रपति ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा। तीसरे, वह यह कह सकते थे, "मैं चाहता हूं कि आप इस अधिनियम के विशेष उपबंध को देखें और मैं चाहता हूं कि संसद इस विशेष उपबंध पर पुनर्विचार करे।" राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें अपना संशोधन नहीं दिया और हमें किसी विशेष उपबंध पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, "विधेयक पर पुनर्विचार करें।" अनुच्छेद 111 में यह कहा गया है कि जैसे ही संसद को राष्ट्रपति का संदेश प्राप्त होता है तो या तो वह उनके द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को पारित कर दे अथवा वह मूल विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दे। अनुच्छेद 111 में ऐसी शक्ति दी गई है। इसमें अनादर की कोई बात नहीं है। संविधान में इसकी व्यवस्था है। हम राष्ट्रपति से यह कह सकते हैं कि हम विधेयक को यथावत पारित करेंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 111 का एक अंग है। हम एक संप्रभु सभा के सदस्य के रूप में अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति विधायिका का एक अंग है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, विधायिका के तीन अंग हैं - राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए जब राष्ट्रपति विधेयक को हमें वापस भेजते हैं तो हम अनुच्छेद 111 के अंतर्गत कानूनन अपनी संप्रभुता शक्ति द्वारा विधेयक को यथावत पारित करने के पात्र हैं। जब एक बार हम विधेयक को यथावत पारित कर देते हैं और यह राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जाता है तो संविधान यह कहता है कि वह अपनी अनुमति को नहीं रोक सकते हैं।

दूसरे शब्दों में, संविधान में यह वर्णित है कि जब विधेयक उनके पास यथावत चला जाता है तो वह अपनी अनुमति को नहीं रोक सकते हैं...*(व्यवधान)* कोई भी यह बात नहीं जानता है। ऐसा इसलिए है कि कल भाजपा के एक बहुत ही वरिष्ठ

सदस्य ने यहां कहा था कि माननीय राष्ट्रपति को यह मामला अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेज देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुच्छेद 111 पढ़ा होता तो ना तो भाजपा ने और ना ही उनके वरिष्ठ नेताओं ने ऐसा कहा होता। वास्तव में, यह दूसरी सभा में हुई चर्चा का एक भाग था...(*व्यवधान*) इसलिए वस्तुतः वे माननीय राष्ट्रपति से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करने को कह रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्त अनंत कुमार जी, को मुझ पर भरोसा नहीं है क्योंकि वह अनुच्छेद 111 को बड़ी कौतूहलता से देख रहे हैं।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कपिल सिब्बल के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

श्री कपिल सिब्बल: मैं अनुच्छेद 111(2) के परन्तुक को पढ़ता हूं। यह कहता है:

"और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा।"

'संवैधानिक निरक्षरता के लिए' इतना काफी है। हमारा संवैधानिक साक्षरता पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। यह आपके लिए है...(*व्यवधान*) हमारा संवैधानिक साक्षरता पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं है किंतु हम इस बात में विश्वास करते हैं कि संवैधानिक निरक्षरता पर भी हमारा कोई मालिकाना अधिकार नहीं है...(*व्यवधान*)

इसलिए इस सभा के समक्ष यह प्रश्न आया है। हमने उस बात पर चर्चा की है जो माननीय राष्ट्रपति ने अपने संदेश में हमें लिखी थी। हमने उन बातों पर ध्यान दिया है और फिर हम मतदान के समय इस बात पर सुविचारित मत व्यक्त करेंगे कि क्या हम इस विधेयक को उसकी पूर्णता में पारित करना चाहते हैं अथवा हम उस पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। माननीय विधि और न्याय मंत्री ने इस विधेयक को यथावत रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि इसे उसी रूप में पारित किया जाना चाहिए।

अब मैं अपनी आखिरी बात कहना चाहता हूं। हम भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करें। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो आप संसद में हुए मार्च, 1950 के वाद-विवाद को देख सकते हैं जिसमें डा. बी.आर. अम्बेडकर, डा. कुंजरू और श्री कामथ ने भाग लिया था। यह वाद-विवाद 'लाभ के पद' पर एक काफी रोचक वाद-विवाद था। ये संवैधानिक इतिहास का संक्षिप्त वर्णन है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उस वाद-विवाद में मुद्दा यह था कि जब 1935 में अधिनियम लागू हुआ था और जिसे संविधान लागू होने अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पूर्व स्वतंत्रता के बाद अर्थात्, 15 अगस्त, 1947 को लागू कर दिया गया था। अब, एक क्रमभंग हो गया था क्योंकि इससे पूर्व संविधान लागू नहीं हुआ था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत एक कार्यकारी परिषद् थी। यह कार्यकारी परिषद एक कैबिनेट के समान थी। इसी दौरान, कुछ उपमंत्री, संसदीय सचिव और राज्य मंत्री नियुक्त किए गए थे। ऐसा 1947 और 1950 के बीच में हुआ था।

इसलिए यह प्रश्न उठा कि क्या ये लाभ के पद हैं अथवा नहीं क्योंकि जहां तक उप-मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का संबंध था, उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था। इसलिए, यह वाद-विवाद शुरू हुआ कि हमें उन्हें बचाना चाहिए। अब की तरह, जहां लोगों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, उन्हें भी पहले ही नियुक्त किया जा चुका था। किंतु हमें बचाना जाना चाहिए। इसलिए संविधान लागू होने के तत्काल बाद एक अध्यादेश पारित किया गया। अध्यादेश 1950 में पारित हुआ था। यदि मुझे ठीक प्रकार से याद है तो उस समय यह अध्यादेश 6 महीने के लिए न होकर 6 सप्ताह के लिए था। अध्यादेश केवल 6 सप्ताह के लिए ही पारित किये जा सकते थे और उन्हें बचाने के लिए वह अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए प्रख्यापित किया गया था। किंतु यहां पर अध्यादेश की प्रक्रिया को बुरा माना जाता है और लोग यह कहते हैं कि सरकार उसे इस सभा में लागू करना चाहती है। सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया है। किंतु 1950 में उपमंत्रियों और राज्य मंत्रियों को 6 सप्ताह के लिए बचाने हेतु एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था और उसके बाद यह कहते हुए एक विधेयक पारित किया गया कि इन लोगों को बचाया गया है। इस प्रकार, ये इतिहास के छोटे-छोटे शब्दचित्र हैं जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए। तत्पश्चात्, समिति गठित हुई जिसकी चर्चा मेरे विद्वान सहयोगी ने की है; वर्ष 1954 की इस समिति में इस बात पर पूरी चर्चा हुई कि क्या होना चाहिए। वर्ष 1954 की समिति में इस बात पर काफी सुन्दर विश्लेषण हुआ है कि लाभ का पद कौन-सा है तथा कौन-सा पद लाभ का पद नहीं है। परन्तु कुल मिलाकर वाद-विवाद का सार यह रहा कि गैर-सांविधिक प्रकृति को सलाहकार परिषदें लाभ का पद नहीं है।

यदि आप वास्तव में यहां कुछ परिशिष्टों को देखें, तो पाएंगे कि इनमें से अधिकांश पद लाभ के पद कभी नहीं हो सकते। शांति निकेतन लाभ का पद कभी नहीं हो सकता।...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): यह बात किसने कही।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः महोदया, व्यवधान उत्पन्न करने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)...*

श्री कपिल सिब्बलः ऐसा मैं कह रहा हूं। यह मेरी राय है। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी राय है।

उपाध्यक्ष महोदयः आप पहले ही 45 मिनट ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बलः मुझे अपनी राय जाहिर करने का हक है। मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि इस अधिनियम के अंतर्गत और पिछले अधिनियम के अंतर्गत इनमें से अनेक पद लाभ के पद नहीं हैं। परन्तु मेरे मित्रो, आपने क्या किया है कि - और इसी वजह से हमें यह विधेयक लाना पड़ा है - आपने लाभ के पद संबंधी मुद्दे को लाभ के लिए विवाद पैदा करने का अवसर बनाने का प्रयास किया। इस प्रयास को निष्फल करना है ताकि आप इस विवाद का लाभ न उठा सकें जिसका एकमात्र उद्देश्य आपको राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाना है। इसी वजह से हम यह विधेयक लेकर आए हैं। मैं यथासंशोधित रूप से इस विधेयक को पारित करने हेतु इस सभा को अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संसद समय-समय पर संविधान की धारा 102 और 103 के तहत विचार करती रही है। लेकिन इस बार कुछ नई परिस्थिति पैदा हुई है, जब से हम अपनी संवैधानिक व्यवस्था को देख रहे हैं, संसदीय व्यवस्था को देख रहे हैं। पहली बार किसी विधेयक को, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया हो, भारत के राष्ट्रपति जी ने अपने कुछ सुझावों पर विचार करने के लिए और उसे फिर से पारित करने के लिए दोनों सदनों के सामने भेजा है। इसमें उनकी मुख्य चिंता, जो स्वाभाविक चिंता है, व्यक्त हुई है कि हर बार कुछ पदों को हम ऑफिस ऑफ प्रोफिट घोषित करके इस सदन में चर्चा करते रहें, इससे बेहतर होगा कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट क्या होता है, इसकी एक मुकम्मिल परिभाषा तय की जाए। राष्ट्रपति जी की यह चिंता पहली बार प्रकट नहीं हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दो-तीन फैसलों में इस चिंता को व्यक्त किया और भारत की संसद ने संसद शुरू होने के साथ ही 1952 और 1953 के बाद जब इस तरह के विवाद खड़े हुए तो संविधान सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव की अध्यक्षता में 1954 में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कुछ परिभाषाओं के साथ संशोधन के लिए 1956 में सुझाव दिये थे, जिनके अनुसार 1959 का कानून इस संसद ने पारित किया था। लेकिन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बहुत सारी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंडियन ऑयल कारपोरेशन का गठन हुआ, जितनी कोयले की कंपनियां थीं, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ तो उनमें संसद के बहुत सारे सदस्यों का उनकी गवर्निंग बॉडी में, उनकी एक्जिक्यूटिव बॉडी में संसद ने नामांकन किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी श्री एस.एन. जोशी साहब को उसका मैम्बर बनाकर भेजा गया। यह विवाद फिर पैदा हुआ कि यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट है और इसमें संसद सदस्य नहीं रह सकते। इसलिए 1975 में संसद ने फिर एक कमेटी बनाई और एक व्यापक संशोधन, संवैधानिक संशोधन की शक्ल में सदन के सामने आया था और इस संसद ने उसे पारित भी कर दिया था। लेकिन 1978 में चूंकि इमरजेन्सी के दौरान पारित सारे कानूनों को, इमरजेन्सी के बाद बनी हुई संसद ने अनडन किया। उसी में कुछ अच्छे कानून भी अनडन हो गये क्योंकि यह कहा गया कि इमर्जेंसी में बहुत सारी बातें जनतंत्र विरोधी थीं। इमर्जेन्सी का कानून भी जनतंत्र विरोधी था। उन सारी धाराओं को अनडन कर दिया गया क्योंकि 1977 की जो पार्लियामेंट चुनी गई, वह 6 साल के लिए चुनी गई थी, संविधान में संशोधन हो गया था। उन सारी चीजों को अनडन करते हुए उस पार्लियामेंट ने इसे भी अनडन कर दिया और यह विवाद बहुत दिनों के लिए शांत हो गया। यदि जया बच्चन जी का मामला नहीं आया होता, राजनैतिक कारणों से उनकी सदस्यता का समापन नहीं हुआ होता, जिन लोगों ने उनके घर में आग लगाई, उन लोगों को यह पता नहीं था इस ज्वाला की लपट इतनी जबर्दस्त उठेगी कि उस ज्वाला में उनको भी झुलसना पड़ेगा तो उस ज्वाला से अपना झुलसाना बचाने के लिए सबको एक चिंता सवार हुई और बहुत सारे पदों को आनन-फानन में कि ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं, यह विधेयक हमारे सामने आ गया। इसलिए हम सुझाव देना चाहते हैं कि भारत सरकार को चाहिए कि हम इस कानून को एज एट इज पास करने के आज पक्ष में है। लेकिन इसे एज इट इज पास करने के बाद राष्ट्रपति जी के जो सुझाव हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार अलग-अलग कुछ मामलों में कहा कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कहा कि यदि आपको कार, बंगला, हाउस रेन्ट, टी.ए., डी.ए. तथा वेतन मिलता है तो यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और बाद में अभी कह दिया कि यदि इस तरह के सभी प्रावधान हैं और उन प्रावधानों के रहते उनका आप उपभोग करते हैं, या नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वे सब पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे। यह जो सुप्रीम कोर्ट की नयी रूलिंग है, वह इस तरह की आई है। इसलिए 1959 का कानून, 1956 की ठाकुरदास भार्गव की कमेटी, 1976 का कानून-संवैधानिक संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में भारत की संसद की एक सर्वदलीय कमेटी बननी चाहिए जो एकमुश्त राष्ट्रपति जी की भावना के अनुसार लाभ के पद की परिभाषा करे और लाभ के पद की परिभाषा के बाद 102 धारा में संसोधन करके इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि बार-बार संसद में हमें न आना पड़े। जो संसद की ओर से काम करने वाली कमेटी है, उस कमेटी को ही यह अधिकार हो कि वह किसी भी पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर सके, इसका अधिकार उस संसदीय कमेटी के पास होना चाहिए। बार-बार हमें संसद के सामने आने की आवश्यकता न रहे।

दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल है, बहुत सारे सदस्यों के पास जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो एकाध ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो तो समझ में आता है लेकिन जब दर्जनों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हों, यह बात कुछ अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने बलिदान किया, अब उनके मन में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी कि जल्दी से जल्दी उन पदों को हम ऑक्युपाइ करें। इसलिए हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस कानून को पास करने के बाद शिष्टाचार और राजनैतिक नैतिकता की मांग है कि इस धारा के चलते जिन लोगों ने जिन पदों से त्यागपत्र दिया है, यह कानून पास होने के बाद शिष्टाचार मांग करता है कि उन पदों को वे फिर से ऑक्युपाइ न करें। इस निवेदन के साथ मैं इस विधेयक और उस कानून का उसी रूप में पारित करने के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 3.59 बजे

(श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए)*

महोदय, यदि संविधान के निर्माताओं ने यह कल्पना की होती कि भविष्य में भाजपा जैसा सांप्रदायिक दल और इसके कुछेक सहयोगियों जैसे गैर जिम्मेदार दल अस्तित्व में आ सकते हैं, तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 120(1)(क) का प्रारूप अलग तरीके से तैयार किया होता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा और इसके सहयोगी दल आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय एक लाभ के पद पर आसीन हैं। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोक सभा अध्यक्ष के पद जैसे अति सम्भावित पद पर अनुचित रूप से धब्बा लगाने का प्रयास किया गया है।

अपराह्न 4.00 बजे

बहुत ही उचित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय ने वाद-विवाद के दौरान सभा की अध्यक्षता नहीं करने का निर्णय लिया है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष कितना जिम्मेदार है। करीब 200 याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं। माननीय राष्ट्रपति ने पूछा है कि इन याचिकाओं का क्या होगा?

मैं तृणमूल कांग्रेस के एक नेता द्वारा की गयी शिकायतों में से एक शिकायत को पढ़ता हूं। इसका क्या अर्थ है? इसमें कहा गया है कि "लाभ के पद पर आसीन संसद सदस्य और उनके लाभ के पद निम्नांकित है, इसलिए उनको संसद की सदस्यता से निरर्ह किया जाए।..." श्री सोमनाथ चटर्जी लोक सभा के अध्यक्ष हैं। क्या लोकसभा अध्यक्ष का पद लाभ का पद है? कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। तत्पश्चात्, यह कहा गया है कि वह 'शांतिनिकेतन श्रीनिकेतन डेवलपमेंट ऑथोरिटी' के चेयरमैन हैं। मुझसे पहले के वक्ता, श्री कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ का पद कभी भी नहीं रहा है। किसी भी दृष्टिकोण से इसे लाभ का पद नहीं कहा जा सकता। चूंकि तृणमूल के कुछ नेताओं ने इसे लाभ का पद बताया है, क्या इसे लाभ का पद माना जाएगा? आगे कहा गया है कि वह एशियाटिक सोसायटी कोलकाता के अध्यक्ष हैं। मैं इस शिकायत को चुनौती देता हूं। वह भाजपा की तरह माननीय राष्ट्रपति महोदय को गुमराह कर रहे हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी एशियाटिक सोसायटी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। यह सूचना महीनों से अभी तक वेबसाइट पर कैसे पड़ी हुई है? प्रयोजन क्या है?

तत्पश्चात्, श्री हन्नान मोल्लाह का उल्लेख किया गया है। निर्वाचित संसद सदस्य के रूप में उन्हें वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में इस का स्पष्ट उल्लेख है। पहले वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष अधिकारी हुआ करते थे परन्तु वर्ष 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किए जाने के पश्चात् लोक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने इस पद को सम्भाला है तथा यह वर्ष 1995 में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के

[श्री रूपचंद पाल]

अनुरूप है। आप संगति नहीं बैठा पाए हैं। एक अधिनियम और दूसरे अधिनियम में कुछ अंतर हो सकते हैं, और दोनों ही संसद के अधिनियम हैं। वे लोग आरोप लगा रहे हैं कि श्री हन्नान मोल्लाह लाभ के पद पर आसीन हैं। महोदय, आज तक यह कोई परिभाषित नहीं कर पाया है कि लाभ का पद कौन-सा पद माना जाएगा। इस संबंध में बहस जारी है।

काफी विचार-विमर्श के बाद, संविधान सभा में, अनुच्छेद 102(1क) का उपबंध किया गया था। यह निर्णय संसद पर छोड़ दिया गया तथा संसद कानूनी रूप से यह परिभाषित करेगी कि आखिर कौन-सा पद लाभ का पद है और कौन-सा पद लाभ का पद नहीं है।

आप उनके बारे में अनुमान नहीं कर सकते। संशोधित अधिनियम के अनुसार, शांति निकेतन और श्रीनिकेतन विकास प्राधिकरण अथवा वक्फ बोर्ड और अन्य सभी संस्थाएं अनुसूची में सूचीबद्ध है। इन सब संस्थाओं के बारे में, हम अनुमान नहीं लगा सकते थे। इनमें से कुछ हाल ही में अस्तित्व में आए है तो कुछ पिछले दशक अथवा उसके पहले के दशक में ही अस्तित्व में आए। आप अनुमान के आधार पर इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए, मैं दुःख के साथ यह कहना चाहूंगा कि भाजपा देश में अस्थिरता पैदा करने हेतु इस मुद्दे का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। वे लाभ के पद के मुद्दे के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति का नाम घसीट रहे हैं। वे काफी वाक्पटु हैं तथा उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जी यह बात कह रहे हैं और राष्ट्रपति वह बात कह रहे हैं। एक भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा था "गुजरात में नरसंहार हो रहा है।" इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? उस समय राष्ट्रपति के पद के प्रति आपका सम्मान कहां था?...*(व्यवधान)* मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

पूरे विश्व में लाभ के पद की प्रणाली है, जिसका वर्णन किया गया है। अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में एक प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस संबंध ब्रिटेन का 300 वर्षों का अनुभव है।

अब उन्होंने एक सूची बनाई है कि लाभ के पद कौन-कौन से हैं। इसके अलावा कोई भी लाभ का पद नहीं है। हम यह चाहते हैं। जो कुछ हुआ है वह संरक्षण का मामला नहीं है। निश्चित ही, संरक्षण एक तत्व है, परन्तु निराधार आरोप भी लगाए गए हैं जिनके आधार पर निर्वाचन आयोग संबंधित नाम वेबसाइट पर डाल रहा है। यह बताने के लिए कि यह कितना भेदभावपूर्ण है, मैं बस श्री नीलोत्पल बसु के मामले का वर्णन कर रहा हूं। वह राज्य सभा के सदस्य थे और शिकायत में यह कहा गया है कि वह एक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री बलबीर पुंज और श्री नीलोत्पल बसु एक ही दिन सेवानिवृत हुए। वेबसाइट से श्री बलबीर पुंज का नाम हटा दिया गया था क्योंकि वह सेवानिवृत्त हो चुके थे जबकि श्री नीलोत्पल बसु का नाम, जोकि एक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष मात्र थे, अभी भी वहां मौजूद है। उनकी छवि को खराब करने, धूमिल करने हेतु उनके नाम को वेबसाइट पर महीनों तक रखा गया। ऐसा माननीय अध्यक्ष के मामले में भी हो रहा है। इसका क्या उद्देश्य है?

वेबसाइट पर एक के बाद एक सभी वामपंथी सांसदों के नामों का उल्लेख किया गया है। वे कोई लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं और लाभ का कोई प्रश्न नहीं था और इसमें प्राप्यता का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु जनता के प्रतिनिधि के रूप में एक संसद सदस्य को विकासात्मक निकायों, परामर्शदात्री निकायों इत्यादि के माध्यम से लोगों की सेवा करनी पड़ती है। इसका निर्धारण कौन करेगा? क्या वह एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अध्यक्ष जैसे उच्च पद के विरुद्ध भी झूठे आरोप लगा रहा है? अभी तक, उसने उनको वापस नहीं लिया है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि निर्वाचन आयोग जैसा संवैधानिक निकाय यह कह रहा है कि यह साबित करना शिकायतकर्त्ता का कर्तव्य नहीं है कि उन्होंने सही कहा है या गलत। निर्वाचन आयोग स्वयं सूचना की मांग कर रहा है। एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय सूचना एकत्र करने में शिकायतकर्ता की सहायता कर रहा है। क्या यह संविधान के हित में है? क्या यह लोकतंत्र के हित में है?

भाजपा साम्प्रदायिक आधार पर देश को बांटने और अस्थिर करने का प्रयास करती रही है। वे दो तरह की बात कर रहे हैं। झारखंड में वे जो कर रहे हैं वह यहां नहीं किया जा सकता। वे कर्नाटक में जो कुछ कर रहे हैं, यहां नहीं किया जा सकता। वे संभाविता की बात कर रहे हैं। यह भाषण ही है जिसके अध्यक्ष को खुलेआम घूस लेते हुए देखा गया था। पूरा राष्ट्र इस बात को जानता है और समूचा विश्व इससे अवगत है।...* वे ईमानदारी, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: किसी का बचाव करने का क्या तरीका है...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं: क्या तरीका है।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: मैं मुद्दे की बात करता हूं।

अब, जिन कदमों का प्रस्ताव किया गया है, वह राष्ट्रपति

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

का निरादर नहीं है। यह संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार है जिसे इस सभा, इस संसद ने अपने विवेक से विधेयक को पारित किया है। उस पर विचार-विमर्श किया है, विचार व्यक्त किए गए हैं और तत्पश्चात् विधेयक को अधिनियम का रूप दिया गया और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था ताकि राष्ट्र को पता चले कि संसद किस प्रकार किसी स्थिति विशेष का सामना कर रही है। हमारी आपत्ति यह है कि भाजपा, पूरे जोर-शोर से, अस्थिरता पैदा करने और उक्त अस्थिरता से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने हेतु राष्ट्रपति के उच्च पद को शामिल करने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो कुछ भी प्रस्ताव किया जा रहा है, जो कुछ भी इस संसद में सरकार द्वारा किया जा रहा है, वह संविधान के अनुसार ही है। क्या वे इस विधेयक में ऐसा कुछ भी दिखा सकते हैं जो संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करता हो? नहीं।

विधेयक को भेजा गया था। राष्ट्रपति को इसे संशोधन के साथ या गैर संशोधित रूप में पुनर्विचार हेतु भेजने का पूरा अधिकार है। यदि इसे संशोधन के साथ भेजा जाता है, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है परन्तु किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। यह सिर्फ पुनर्विचार के लिए है। सभा इस पर पुनर्विचार कर रही है। जी हां, हम विधेयक के कई प्रावधानों में उल्लिखित बातों को दोहराते है। इसे स्वीकार करना राष्ट्रपति का दायित्व है।

वे कुछ खतरनाक बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से, मंत्रीपरिषद की सलाह के बगैर कार्य नहीं कर सकते है। यदि वे मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर उच्चतम न्यायालय को भेज देते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि वे किसी नए बात का सुझाव कर रहे हैं, और वह हमारे देश और संविधान के लिए खतरनाक होगा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और उनकी सहायता एवं सलाह से विलग करना खतरनाक है। मेरे उर्जावान सहयोगी ने निश्चित रूप से कहा है कि राष्ट्रपति भी इस सभा का अंग है? वे भी इस सभा के अंग है। हम राष्ट्रपति के उच्च पद की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? साथ ही, हम इस सभा में व्यक्त किए गए विचारों की भी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, भाजपा जो कह रही है, वह खतरनाक है। बहुत हो चुका।

आप झारखंड में क्या करे है? जी हां, इस स्थिति में, आप अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कर सकते हैं। कर्नाटक में क्या हो रहा है? मध्यप्रदेश में क्या होगा? ऐसे 200 मामले में से कितने भाजपा से संबंधित हैं? इनमें से कितनों का संबंध अन्य दलों से है? ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को छोड़ दिया गया था वह भी केवल इसलिए कि तकनीकी रूप से कुछ नाम नहीं आए हैं - यद्यपि वह खेल प्राधिकरण में उच्च पद पर काबिज हैं, कुछ अन्य नाम आए हैं हालांकि इन नामों को नहीं आना चाहिए और कुछ नाम तो कल्पना से भी परे हैं जैसाकि अध्यक्ष, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी के मामले में हुआ है और जैसाकि मेरे ऊर्जावान सहयोगी के मामले में हुआ है।

हम और व्यापक परिभाषा के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव से सहमत हैं। ऐसा संसद की संयुक्त समिति द्वारा किया जा सकता है। यह समाधान होना चाहिए - जो सबके लिए अनुपालन योग्य होगा। ऐसा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किए जाने तक, माननीय अध्यक्ष के उच्च पद को धूमिल करने, निर्दोष संसद सदस्यों की छवि को धूमिल करने, जिनके पास लाभ का कोई पद नहीं है, का अतार्किक कदम-अनुचित है। वे कोई वेतन अथवा कोई वित्तीय लाभ नहीं ले रहे है। उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों की टिप्पणियां पर्याप्त नहीं हैं। कुछ राजनीतिक दल जो कि हताश हैं और जिनको लोगों ने अस्वीकार कर दिया है, गैर जिम्मेदाराना दोषारोपण कर रहे हैं और लाभ के पद की परिभाषा स्पष्ट नहीं है।

इसी कारण मैं खेद सहित इस बात का पुनः उल्लेख करना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था वेबसाइट पर भेदभावपूर्ण ढंग से इसका उपयोग कर रही है एवं प्रस्तुत कर रही है। इसी आधार पर कुछ नाम नामंजूर कर दिए गए हैं और हटा दिए गए हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी संसद सदस्य समान हैं। हम सभी को समान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। सदन का एक वर्ग, राजनैतिक स्थापना का एक भाग गंभीर आरोप लगाता है। कुछ गैर-जिम्मेदार राजनैतिक दल गंभीर आरोप लगाते हैं।

अब मैं इस विधेयक को यथावत रूप में राष्ट्रपति को भेजे जाने के सुझाव के बारे में यह कहना चाहूंगा कि यह उसी ढंग से बगैर किसी परिवर्तन के भेजा जाएगा। यह हमारे प्राधिकार का भी एक भाग है।

महोदय, हम किसी अन्य के प्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। हम संविधान के प्रावधानों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत संविधान की अपेक्षा के अनुसार हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहे हैं। इस स्थिति में मैं आपको दो बातों का स्मरण दिलाना चाहूंगा और तत्पश्चात् मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

इस विधेयक में तैयार की गई सूची में 45 नाम हैं। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ और मामले आएं। आप उनका

[श्री रूपचंद पाल]

पूर्वानुमान नहीं कर सकते। अतः, जितनी जल्दी हो सके, इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए।

अब मैं अंतिम बात का उल्लेख करना चाहूंगा। जो भी नुकसान हुआ है, उसका निस्तार नहीं किया जा सकता है। एक असुधार्य क्षति हुई है। इस महत्वपूर्ण कार्यालय, संसद सदस्यों के रूप में हमारे महत्वपूर्ण पद की छवि धूमिल हुई है। उन्हें राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें माननीय अध्यक्ष महोदय से यह कहते हुए माफी मांगनी चाहिए - 'हमने जो भी किया है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं।' ऐसा इसलिए क्योंकि यह मिथ्या आरोप लगाया गया है कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक विशेष पद ग्रहण कर रखा है। इस बात से माननीय राष्ट्रपति महोदय को गुमराह किया जा रहा था कि शांतिनिकेतन श्रीनिकेतन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद लाभ का पद है...*(व्यवधान)* इसे किसने परिभाषित किया है?...*(व्यवधान)* यही मामला कई अन्य संसद सदस्यों के मामले में हो रहा है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात जारी रखूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैं सिर्फ यह अनुरोध कर रहा हूं कि उन्हें होश में आना चाहिए और उन्हें अधिक जिम्मेदार ढंग से आचरण करना चाहिए। अन्यथा उनके द्वारा किए जा रहे गैर-जिम्मेदार आचरण को राष्ट्र बरदाश्त नहीं करेगा।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि देश में केवल वही अच्छी पार्टी हैं और सभी को यह समझना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, मुझे भाषण नहीं करना है। मुझे केवल इतना ही आग्रह करना है कि हम बड़े-बड़े लोगों को बचाने के लिए इस बिल को स्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे वे गरीब 11 साथी, जिन्हें सुने बिना ही हाउस से निकाल दिया गया। इसलिए हम लोग जब एक पाप कर ही रहे हैं तो उन लोगों को भी बचाने का काम हम लोगों को करना ही चाहिए।

सभापति महोदय: आपकी बात सदन ने सुन ली है।

श्री गणेश प्रसाद सिंह।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको मैं समझता हूं कि जब से संविधान का गठन हुआ है और उसके बाद संविधान की धारा 102 में यह सन्हित नहीं किया गया कि कौन सा पद लाभ का होगा और कौन सा नहीं। इसके बाद इस सदन में 1959 में एक एक्ट पास हुआ। सदन की एक गरिमा है और सदन ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है और आज भी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण संविधान का सम्मान करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे।

महोदय, राष्ट्रपति जी के पास जो बिल भेजा गया, वह दोनों सदनों से पारित होकर गया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर विचार किया, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कोई ऐसे संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया कि इन-इन धाराओं में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने दो-तीन बातों की जानकारी मांगी है और उन्होंने कहा है कि सदन को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आपसे पहले चेयर पर उपाध्यक्ष जी बैठे हुए थे, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के संदेश को पढ़कर सदन में सुनाया। आज हम सभी उस पर विचार कर रहे हैं। संविधान की धारा 102 में कहीं कोई उल्लेखित नहीं है। यदि आप मूल विधेयक 1959 को भी देखेंगे तो उसमें भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। बल्कि 1959 की धारा-3 में कुछ खण्डों में संशोधन किया गया है और उसी के माध्यम से एक तालिका बनाई गई है, उस तालिका में विभिन्न पदों का नाम लिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे कि जो बिल मई में पारित हुआ था, उसमें 45 पद निहित थे, लेकिन इस बिल में इसके स्कोप को और बढ़ाया गया है और 55 पदों को इसमें सन्निहित किया गया है।

बी.जे.पी. के माननीय सदस्य मल्होत्रा जी इस विषय पर उस समय बहुत हल्ला कर रहे थे। पता नहीं आज क्यों अनुपस्थित हैं? मल्होत्रा जी को आज उपस्थित रहना चाहिए था। उसका कारण मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे और वे बी.जे.पी. के माननीय सदस्यगण जानते होंगे। एक तरफ से बात होती है, वह व्यक्ति विशेष पर हमला हो जाता है कि व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोई एक व्यक्ति, सभी जो 55 पद हैं, उस पर पदस्थापित नहीं है और उस पर कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपके मध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जो बिल लाया गया है, वह बिल्कुल संविधान के अनुरूप है। इस पर हम विचार करें, हम पर सदन को अधिकार है। संविधान से ही यह सदन चल रहा है, संविधान से न्यायालय चल रहा है, दूसरी कार्यपालिका वगैरह संविधान के तहत चल रहे हैं। न्यायालय को कानून की समीक्षा करने का अधिकार है,

लेकिन इस सदन को कानून बनाने का पूरा-पूरा अधिकार है। माननीय श्री कपिल सिब्बल जी ने इस सदन को काफी विस्तारपूर्वक बनाया है, एक मंत्री, संसद सदस्य से ज्यादा एक विधिवेत्ता के रूप में इन्होंने सारे मामलों को, सारी धाराओं को लोगों के सामने रखा है। मैं समझता हूं कि उससे अब कहीं कुछ ज्यादा नहीं है। अभी मैं एन.डी.ए. के लोगों से कहना चाहता हूं। एक तरफ आप माननीय सोनिया गांधी जी पर हमला बोलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को बचाने के लिए यह किया गया। लेकिन झारखण्ड में, जहां आपकी सरकार थी, आपने कानून बनाया या नहीं बनाया और दूसरे प्रदेशों में, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उन सब जगहों पर यह कानून बनाया या नहीं बनाया? यह कानून पूरा विधि सम्मत है और मैं इस कानून का, इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): माननीय सभापति जी, आज इस सदन में ऑफिस ऑफ प्रोफिट के ऊपर जो बिल लाया गया है, उस पर चर्चा हो रही है। पक्ष-विपक्ष में तमाम प्रकार के तर्क और तमाम प्रकार की बातें रखी गई हैं। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी इसमें प्रतिपक्ष की तरफ से श्री अनन्त कुमार जी ने तमाम तर्क रखे और राष्ट्रपति जी द्वारा वापस करने का जो सदन में पुनः चर्चा करने के लिए उन्होंने बात रखी, उनकी बात से ऐसा एहसास होता था कि राष्ट्रपति जी ने कोई ऑब्जैक्शन क्रिएट किया है। राष्ट्रपति जी ने इस बिल को केवल पुनर्विचार के लिए सदन में भेजा है। राज्य सभा में चर्चा हुई, सदन में चर्चा हुई, सदन में खुली चर्चा हो रही है और सारे लोगों ने अपने विचार रखे। हमारे जो विद्वान विधिवेत्ता माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने तार्किक तरीके से एक-एक बात को इस सदन में रखा, जिसका कोई जवाब विरोध करने वालों के पास नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल को लाने की आवश्यकता आज पड़ी है, आज ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई और यह मामला, यह पद कोई आज क्रिएट नहीं हुए हैं। पचासों वर्ष में इन पदों का सृजन हुआ, उन पर लोगों ने लाभ उठाया, जो लोग उन पदों पर बैठे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी कि इसके लिए विधेयक लाना पड़ा। आज इधर सदन में जो लोग बैठे हुए हैं, कल जब वे सत्ता में थे, तब उन्होंने भी इन पदों का लाभ उठाया था। जो सत्ता में आएगा, वह उन पदों का लाभ उठाने का काम करेगा।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): क्या आप यह मानते हैं कि ये लाभ के पद हैं?

श्री राजेश वर्मा: बिल्कुल, मैं मानता हूं और मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। आज ऐसी परिस्थितियां हैं और कुछ पद ऐसे हैं, जिनको चलाने के लिए इस सदन के अंदर चर्चा करनी जरूरी है और आज इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। आज ऐसी परिस्थितियां थी, जिनकी वजह से परिवर्तन करना पड़ा। अभी झारखंड और कर्नाटक की बात आयी, वहां जब संविधान में संशोधन की बात थी, तो वहां कर लिया जाता है, लेकिन तब कोई चर्चा नहीं होती और आज अभी सदन में चर्चा हो रही है, तो विपक्ष की तरफ से बहुत सी बातें कही जाती हैं। झारखंड की बात जब माननीय कपिल सिब्बल जी ने रखी, तो कोई इंट्रप्शन नहीं हुआ और जब कोई तार्किक बात आती है, तो उस पर इंट्रप्शन होता है। माननीय सभापति जी, यू.पी.ए. सरकार की तरफ से जो संशोधन आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इसके आने के बाद आने वाले समय में तमाम प्रकार के कांप्लीकेशंस खत्म होंगे और जो भी सरकारें आएंगी, वे सुचारू रूप से चलती रहेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति जी, लाभ के पद के कानून में संशोधन करने वाला विधेयक जब पहली बार सदन में आया, तब भी हमने उस विधेयक का विरोध किया था और आज भी हम उसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। उस समय हमने सदन को यह चेतावनी दी थी, दुर्भाग्यवश आज देश में और आम जनता में सरकारों के बारे में जो सोच हैं, उसके बारे में मैं यहां कहना चाहता हूं। इस देश की जनता के मन में आज सरकारों पर विश्वास नहीं रहा है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित करें, तो शायद इस संसद की विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जतायी, महामहिम राष्ट्रपति जी के मन में भी यही विचार आया होगा। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए हुए विधेयक को जब महामहिम के पास गया, तो उन्होंने इस विधेयक को संसद के सामने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। मैं समझता हूं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं हैं। जो तर्क यहां कपिल सिब्बल जी ने दिए थे, एक बात यहां रघुनाथ जी जो इस समय यहां सदन में नहीं है, इंट्रप्शन करते हुए उन्होंने यह बात कही थी, अब वे सदन में आ गए हैं, मैं उनका जिक्र यहां पर कर रहा हूं। उन्होंने एक बात कही और उस बात में काफी दम था। उन्होंने कहा कि बड़ों को बचाने के लिए हम पाप तो कर ही रहे हैं। यदि हम यह पाप कर रहे

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

हैं, तो थोड़ा और पाप करें कि जो 11 लोगों को हमने बिना अवसर दिए फांसी दी है, उन 11 सांसदों पर पुनः पुनर्विचार करें। कपिल सिब्बल जी को मुझे इतना ही एहसास दिलाना है कि जो तर्क आपने यहां सदन में दिए थे, हम तो आप के तर्क से सहमत नहीं है, लेकिन आप के सहयोगी भी आपसे और आपके दिए हुए तर्क से सहमत नहीं हैं। वरना यह नहीं कहते कि हम बड़ों के लिए पाप कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब यह विधेयक पहली बार सदन में आया तब मैंने आसन से मांग की थी कि जिन संस्थाओं को इस लाभ के पद के कानून के दायरे से बाहर किया जा रहा है, उनमें कौन से सांसद लाभ के पदों पर हैं चाहे वे लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों? जो सांसद लाभ के पद पर आसीन है, यदि उस लाभ के पद को कानून के दायरे से बाहर नहीं किया जाता है, तो वे सांसद कानून की पकड़ में आयेंगे। यदि कोई सांसद न्यायालय में जायेगा, तो न्यायालय निश्चित रूप से उनके खिलाफ जायेगा। कपिल सिब्बल जी, आप हंसिये मत। आप अपना विधेयक निकालिए और ओरिजनल विधेयक के जो कारण और उद्देश्य दिये हैं, उनको पढ़िये। उस विधेयक में सरकार ने लिखा है कि यदि हम यह नहीं करते, तो लगभग 45 सांसद ऐसे हैं, जहां पर पुनर्चुनाव करने पड़ेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? यह कानूनी मामला होगा। ये मामले न्यायालय में जायेंगे और उन जगहों पर हमें बाय इलैक्शन करने होंगे जो देश की आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं हैं। यह सरकार ने अपने विधेयक में कहा है। अभी उस विधेयक की कापी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उसे आपको पढ़कर सुना देता।...(*व्यवधान*) आपने विधेयक के कारण और उद्देश्यों में कहा है कि वहां पर बाय इलैक्शन करने पड़ेंगे इसलिए हम और यह सदन जानना चाहता है। सदन के साथ जिस जनता के हम नुमाइंदे हैं, जिस जनता ने हमें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां भेजा है, वह जान जाये कि वे कौन से सांसद हैं जिनके लिए हमारे पास केवल बहुमत है और बहुमत के बल पर सत्ता का दुरुपयोग करके हम इस प्रकार का विधेयक लाकर बड़ों को बचाने का पाप इस सदन में कर रहे हैं। कम से कम वह सूची तो सदन के सामने रखी जाये। लेकिन वह सूची भी सदन के सामने नहीं रखी गयी।

सभापति महोदय, जब कपिल सिब्बल जी यहां बोल रहे थे तब मैं उसे सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा था। उन्होंने कई तर्क दिये। मैं उनको जवाब या सफाई देने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। हमारी संसदीय कार्य प्रणाली है और सारा देश इस संसद का अनुकरण करता है। मैंने पहली बार यहां सुना, हमारे मंत्री जी कानून के विद्वान हैं, वे हमें यहां से संदेशा दे रहे थे कि अब हमें कर्नाटक और झारखंड का अनुकरण करना चाहिए।...(*व्यवधान*) आपने जो कहा, वह मैं समझ गया।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप अपनी बात कहिये।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत गंगाराम गीते: वही बात मैं कह रहा हूं।...(*व्यवधान*)

श्री कपिल सिब्बल: बात कहने और समझने में बड़ा अंतर होता है।...(*व्यवधान*)

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह बिल्कुल सही है।

श्री कपिल सिब्बल: मैंने कुछ कहा और आपने कुछ और समझा।...(*व्यवधान*)

श्री अनंत गंगाराम गीते: संसद का अनुकरण राज्यों की विधान सभाओं को करना चाहिए। लेकिन यहां पर यह शिक्षा दी गयी कि हमें अब उनका अनुकरण करना चाहिए। अगर वे सही हैं तो हम भी सही हैं और यदि वे गलत हैं, यदि आप यह कहना चाहते थे कि उन्होंने जो किया, वह गलत है। यह भी नहीं कहना चाहते थे।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप लोग शांत रहिये। पहले उनकी बात समाप्त होने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कपिल सिब्बल जी को प्रार्थना करूंगा कि आपने आज सदन में जो भी कहा, आप रात को अपने इस वक्तव्य को पढ़ें। आप इसे पढ़कर अपने आप पर हंसेंगे।...(*व्यवधान*)

श्री कपिल सिब्बल: मैं भी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी इसे घर जाकर पढ़िये। शायद आपको सुबह तक समझ आ जायेगी कि मैंने क्या कहा।...(*व्यवधान*)

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं तुरंत समझ गया इसलिए इस बात को यहां पर कह रहा हूं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय, यह मुद्दा हमारे विवाद का नहीं है। कपिल सिब्बल और अनंत गीते के विवाद का यह मुद्दा नहीं है। लेकिन हम किसका अनुकरण करना चाहते हैं? यदि झारखंड ने किया, वह गलत है और कर्नाटक में जो हुआ, वह गलत

है, तो हम सदन में क्या करने जा रहे हैं? हम उसी गलती को दोहरा रहे हैं। वे ही तो ऐसा कह रहे थे। यदि वह बात गलत है तो अब हम वही यहां पर करने जा रहे हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कृपया शान्त रहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, यहां संविधान के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 का जिक्र किया गया है। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, आप सदन को कोई नयी बात नहीं बता रहे थे। आपको उस कानून में संशोधन का पूरा अधिकार है लेकिन उसे संशोधित करने का आपका तरीका गलत है। जिन सदस्यों या संस्थाओं को हम अब उसके दायरे से बाहर कर रहे हैं, वे संस्थाएं कब से हैं, लाभ के पद का कानून कब से अस्तित्व में है? आज इसमें दोनों सदनों के 45 सदस्य शामिल हैं, लेकिन जब उन सदस्यों की नियुक्ति की गयी तब उनको जानकारी नहीं थी कि हमारे देश में लाभ के पद का कानून भी है और हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस सालों से हम उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और हम उसका लगातार उल्लंघन करते आए हैं। श्रीमती जया बच्चन का केस चर्चा में नहीं आया होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पर चर्चा करने का समय हमें मिल पाता। श्रीमती जया बच्चन जी को एक कानून लागू कर, उनके पद को लाभ का पद घोषित करते हुए उनको पद से हटाया गया जबकि पिछले पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस सालों से हम इस कानून का लगातार उल्लंघन करते आ रहे हैं। एक तरह से हम जो गलती कर रहे हैं, उसको कबूल किए बगैर हम उसे इस सदन में सही ठहरा रहे हैं कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, वह गलती नहीं थी। कम से कम हमें अपनी गलती का एहसास तो होना चाहिए, लेकिन हम उसे इस सदन में सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश का सार्वभौम सदन है, जिसका पूरे देश और विधानसभाओं द्वारा अनुकरण किया जाता है। इसलिए हमने तब भी इस विधेयक का विरोध किया था और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। यह केवल कुछ प्रमुख सदस्यों और बड़े नेताओं को बचाने के लिए हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें, उनकी विश्वसनीयता इस देश में खत्म हो चुकी है, उसी तरह आज आप लोगों पर यह बात कायम करने जा रहे हैं कि भविष्य में हमारी संसद की विश्वसनीयता भी खत्म होगी। यह चेतावनी मैंने उस समय भी दी थी और आज भी दे रहा हूं। इसीलिए हमने इस विधेयक का उस समय भी विरोध किया था और आज भी इसका विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): सभापति महोदय, मैं श्री सिब्बल के प्रभावशाली भाषण को तल्लीन होकर सुन रहा था। उनके द्वारा सभा के समक्ष रखे गए सम्पूर्ण तर्क के आधार पर मैंने दो निष्कर्ष निकाले हैं। उनकी दलीलों से मैंने जो समझा है वह यह कि इस विधेयक को लाए जाने के पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य 45 संसद सदस्यों तथा विभिन्न राज्य विधानमंडलों के कुछ सदस्यों को बचाना है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पीछे राजनैतिक मंशा है।

हमारे संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति इस संसद के अंग हैं। श्री अनंत कुमार ने राज्य सभा में माननीय विधि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर का संदर्भ दिया जिसमें मंत्रीजी ने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस देश के पितातुल्य हैं और संसद हमेशा उनसे दिशानिर्देश मांगती है। तथापि, जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब संसद को दिशानिर्देश देना चाहते हैं, तब वे इस देश को दिशानिर्देश देना चाहते हैं, दुर्भाग्यवश सरकार उसे अस्वीकार कर देती है।

इस विधेयक को भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय यह चाहते हैं कि कोई विशिष्ट पद लाभ का पद है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए एकसमान मानदण्ड होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय यह चाहते हैं कि एकसमान मानदण्ड होना चाहिए। लाभ के पद से विमुक्त किए जा रहे पदों की सूची को देखने से यह पता चलता है कि इसमें विभिन्न राज्यों के 55 पद हैं। उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्ड को लिया जा सकता है। देश के सभी वक्फ बोर्डों को क्यों नहीं? एक अन्य उदाहरण उत्तर प्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल के फिल्म विकास निगम का है। सभी राज्यों के फिल्म विकास निगम क्यों नहीं? इसमें एकरूपता होनी चाहिए।

अगर आप सूची को देखेंगे तो यह पाएंगे कि उल्लेख किए गए 55 संसद सदस्यों में अधिकांश दो राज्य के हैं - पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इस विधेयक द्वारा प्रभावित अथवा लाभान्वित होने वाले 45 संसद सदस्यों में से एक तिहाई से अधिक हमारे वामपंथी साथी हैं। जब माननीय संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के लिए किसी सरकार द्वारा कोई विधेयक लाया गया तो उस पक्ष से काफी हंगामा किया गया। वे 'आदर्शवाद' की बात करते हैं। वे कहते हैं : "हम आदर्श का पालन करते हैं; हम एक ऐसी पार्टी हैं जो 'आदर्शवाद' में

[श्री प्रसन्न आचार्य]

विश्वास करती है और जो 'मूल्य-आधारित' राजनीति में विश्वास करती है।" वह 'मूल्य' कहां है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने उस समय इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करने का निर्णय लिया जब इस विधेयक को चर्चा के लिए लाया गया। क्या आप इसका अनुसरण करेंगे? क्या इस विधेयक से लाभान्वित होने वाले हमारे कांग्रेसी मित्र और अन्य संसद सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुसरण करेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुसरण करते हुए कम से कम इस चर्चा के दौरान अनुपस्थित रहेंगे? मुझे यह पता नहीं है कि मत विभाजन होगा अथवा नहीं। जब मत विभाजन किया जाएगा तब हम दखेंगे कि वे इसमें भाग ले रहे हैं अथवा नहीं अथवा उनकी पार्टी उन्हें मत-विभाजन में भाग लेने की अनुमति देती है अथवा नहीं। 'आदर्शवाद' अथवा 'मूल्यों' की व्याख्या में दोहरे मापदण्ड हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विगत काल में एक गलत काम हुआ है, भविष्य में वही गलत काम नहीं होने देने का हमें प्रयास करना चाहिए। सरकार को इस संसद का उपयोग नहीं करना चाहिए - यह संसद सभी गलतियों, अनियमितताओं अथवा जालसाजियों को धोने के लिए पवित्र गंगा नहीं है। यह सरकार संसद के इस मंच का दुरुपयोग कर रही है।

मैं इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य का ध्यान 1975 और 1977 के बीच हुई घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इस सभा में एक के बाद दूसरे विधेयक पारित किए गए। इस सभा के कई सदस्यों को जेल में रखा गया। इस सभा के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को जेल भेज दिया गया था और उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया था। दो घंटे के अंदर हमारे संविधान में संशोधन किया गया था। इस पवित्र सभा के दुरुपयोग के लिए भारी बहुमत का उपयोग किया गया था। उनके साथ क्या हुआ? भारत के लोगों ने उन लोगों को दण्डित किया। इसका साक्षी इतिहास है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे विधेयकों को पारित कर इस महान सभा के मूल्यों को गिराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। श्री सिब्बल यह दलील दे रहे थे कि हमें एकरूपता का उपयोग क्यों करना चाहिए और इसे एकसमान रूप से प्रयोज्य नहीं किया जा सकता। ऐसे संसद सदस्य हैं जो लाभ के पद पर आसीन हैं और उन्हें सूची से, विधेयक से बाहर रखा जाना चाहिए, अन्य को नहीं। हम इस देश के लोगों को क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं।

मुझे लगता है कि श्रीमती जया बच्चन के मामले का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा। कुछ ही दिनों में इसका निर्णय हुआ था। लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा बहुत से मामले निर्वाचन आयोग के पास भेजे गए थे। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? मैं निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर प्रश्न नहीं उठाना चाहता। मैं निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में प्रश्न उठाना नहीं चाहता। परन्तु देश में हर व्यक्ति के मस्तिष्क में यह प्रश्न है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा कई मामले निर्वाचन आयोग के पास भेजे गए थे।...*

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, यह आपत्तिजनक है। माननीय सदस्य के भाषण का यह भाग निर्वाचन आयोग के अर्ध-न्यायिक क्रियाकलापों की ओर इंगित करता है। निर्वाचन आयोग मामले के बारे में निर्णय कर रहा है...*

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, मैं निर्वाचन आयोग के अर्ध-न्यायिक क्रियाकलापों के बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल सत्य का उल्लेख कर रहा हूं। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मैं निर्वाचन आयोग के अर्ध-न्यायिक क्रियाकलापों के बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। परन्तु यह स्पष्ट तथ्य है।

...* यह ऐसा प्रश्न है, जो केवल मेरे मस्तिष्क में नहीं है बल्कि यह प्रश्न देश के प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कौंध रहा है। यही बात है...*(व्यवधान)*

यह विधेयक, निष्पक्ष विधेयक नहीं है। मैं आपका ध्यान इस विधेयक के खण्ड 4(ii) की ओर दिलाना चाहता हूं। एक आशंका के कारण इस विधेयक में यह खण्ड शामिल किया गया है। श्रीमती जया बच्चन अदालत गई, यदि वह जीत जाती हैं, तो भी उन्हें सभा का सदस्य बनने से फिर से रोक दिया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में खण्ड 4(ii) जोड़ा गया है। श्री सिब्बल ने सही कहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है। इसका राजनीतिक उद्देश्य है; यह राजनीतिक से मुक्त नहीं है। और ऐसा विधेयक लाकर हम इस सम्माननीय सभा के पटल का दुरुपयोग कर रहे हैं।

अपराह्न 4.47 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष महोदय: क्या एक मिनट के लिए मैं आपको बाधित कर सकता हूं?

श्री प्रसन्न आचार्य: बिल्कुल महोदय।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 04.47¼ बजे

इजरायल द्वारा लेबनान पर हमले के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज प्रातः सभा के सभी वर्गों ने लेबनान पर इस्रायली हमले तथा निर्दोष लोगों के मारे जाने के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। सरकार भी इससे सहमत है और यह तय किया गया कि हमें मिलकर बैठना चाहिए तथा देखना चाहिए कि संकल्प पारित किया जाना चाहिए या नहीं। हमने वह बैठक की और मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने एक मसौदा बनाया है, जिसे सभी दलों के माननीय सदस्यों ने स्वीकृति दे दी है। मैं स्वीकृति के लिए इसे सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी वर्गों को यह स्वीकार्य होगा।

> "यह सभा पश्चिम एशिया में भारत के सुदूर पड़ोस में बढ़ रहे तनाव जिसने इस क्षेत्र में पहले से ही व्याप्त जटिल और नाजुक स्थिति को और भी बढ़ाया है, पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करती है। सभा कई दिनों से लेबनान के ऊपर इजराइल द्वारा की जा रही भारी और अंधाधुंध बमबारी जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत भारी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और आहत हुए हैं, तथा जिसके कारण लेबनान में नागरिक अवसंरचना को व्यापक नुकसान हुआ है, कि एक मत से भर्त्सना करती है। यह सभा इस कठिन समय में लेबनान की जनता को भारत की जनता की गहरी संवेदना, सहानुभूति और सहयोग भेजती है। भारत की जनता इस त्रासदीपूर्ण लड़ाई के शिकार लोगों को मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने में अपना योगदान करने को तैयार है।
>
> इस लड़ाई के बढ़ने, जिसमें भारत की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण के हित प्रभावित हो रहे हैं, से चिंतित यह सभा अविलम्ब और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग करती है ताकि लेबनान का और अधिक नुकसान रुक सके तथा प्रभावित लोगों तक आवश्यक मानवीय सहायता तत्काल पहुंच सके। हम इस लड़ाई में संलिप्त सभी पक्षों से हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर वापस लौटने का आग्रह करते हैं। इस सभा का दृढ़ मत है कि इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो न केवल इस क्षेत्र के देशों बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए चिन्ता का विषय है, इस क्षेत्र की समस्याओं का बातचीत के द्वारा एक ऐसा व्यापक समाधान निकाला जा सकता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों के वैध हितों और शिकायतों को ध्यान में रखा गया हो।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रसन्न आचार्य अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 04.50 बजे

(श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए)*

संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक 2006 - *जारी*

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य: संविधान का अनुच्छेद 102 सीमित प्रयोजन के लिए है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह अनुच्छेद शामिल किया था तो यह बहुत ही सीमित प्रयोजन के लिए था जिसके बारे में सदन में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। हमारे यहां सरकार का मंत्रिमंडलीय रूप है। हमारे यहां राष्ट्रपति शासन पद्धति नहीं है। सरकार के मंत्रिमंडलीय रूप में एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। संसद सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है। अमरीका में राष्ट्रपति शासन पद्धति में क्या हो रहा है? अमरीका का राष्ट्रपति किसी भी नौकरशाह को अपना सचिव, अपना मंत्री बना सकता है। यह प्रणाली यहां नहीं है। इसलिए, संविधान निर्माताओं ने एक विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुच्छेद 102 को संविधान में शामिल किया। जो संसद सदस्य मंत्री पद पर आसीन हैं, उन्हें लाभ के पद की परिभाषा से मुक्त रखा जाएगा। उस अनुच्छेद को जोड़ने का यही विशिष्ट प्रयोजन था परन्तु हम उस प्रयोजन को ही धुंधला रहे हैं। हम संविधान के अनुच्छेद 102 का दुरुपयोग कर रहे हैं।

अब कोई सीमा नहीं है। आज, संसद ने सदस्यों के एक वर्ग को लाभ के पद से छूट दे दी है। कल यह सदस्यों के एक और वर्ग को छूट दे सकती है। परसों यह सदस्यों के एक, तीसरे वर्ग को छूट दे सकती है। तो सीमा कहां है? इसलिए मेरा मानना है कि इस सरकार द्वारा अनुच्छेद 102 की ठीक प्रकार से व्याख्या अथवा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और

[श्री प्रसन्न आचार्य]

इसका कोई अंत नहीं है। आज, 45 संसद सदस्यों की सूची में शामिल किया गया है। कल यदि सदस्यों का एक और वर्ग लाभ के पद पर आसीन हो जाएगा तो उन्हें भी छूट दे दी जाएगी। अतः इसकी कोई सीमा नहीं है।

मेरा सुझाव यह है कि संविधान के इस उपबंध को समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता? सरकार संविधान के इस उपबंध को समाप्त करने के स्थान पर इस उपबंध का मजाक उड़ा रही है। हमें संविधान को विकृत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें संविधान के अनुच्छेद 102 का दुरुपयोग अथवा इसका गलत निर्वचन नहीं करना चाहिए। सरकार अपने सहयोगियों को अक्षुण्ण बनाए रखने अथवा अपनी सरकार को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस अनुच्छेद में रुचि ले रही है।

सरकार क्या कर रही है, विशेषकर संविधान में हाल ही किए गए संशोधन को पारित करने के पश्चात् अर्थात् इस सभा की कुल संख्या में से 15 प्रतिशत संख्या को भी सदस्य माना जा सकता है जिन सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला सरकार उन सदस्यों को "लाभ के पद" से छूट देकर ऐसे सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। सरकार इस प्रयोजनार्थ यह विधेयक ला रही है। यह संविधान के निर्माताओं का अपमान है। अतः यही अच्छा होगा कि हम संविधान के इस उपबंध को समाप्त कर दें।

राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को लैटाए जाने के बाद इस विधेयक को पुनः पारित किए जाने के फलस्वरूप सरकार न केवल अपने कद को घटा रही है बल्कि यह राष्ट्र के समक्ष संसद की गरिमा को भी घटा रही है। सरकार के पास इस सभा में बहुमत है इसलिए तकनीकी आधार पर इसे विधेयक को पारित करवाना सही हो सकता है। आज ये इस विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करवा सकते हैं, जैसा कि इन्होंने आपातकाल के दौरान किया था। यह समा संपूर्ण राष्ट्र की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी पर क्या नैतिक प्रभाव पड़ेगा? क्या हम इससे अनभिज्ञ है? राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को लौटाए जाने के बाद भी यदि इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो, महोदय यह हमारे लिए एक अच्छा दिन नहीं होगा। यह भारतीय लोकतंत्र को इतिहास में एक 'काला दिन' होगा।

मैं केवल उस तरफ अथवा बीच में बैठे हुए लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूं। हमें दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए। यहां कोई इस विधेयक का विरोध कर सकता है लेकिन वह अपने राज्य में इस विधेयक को पारित करवाने की जल्दी करेगा। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता। कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है। हम यहां पर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी विधानसभाओं में इसी प्रकृति के विधेयक को पारित करवाने की जल्दबाजी करते है। यह दोहरा मानदंड है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं।

मेरा राज्य उड़ीसा एक छोटा सा राज्य है जिसमें केवल 147 विधायक है। उड़ीसा में क्या हो रहा है मैं यह देखने के लिए प्रत्येक सदस्य को वहां आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे राज्य उड़ीसा में किसी भी "लाभ के पद" के संबंध में किसी भी पद पर एक सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में एक भी विधायक अथवा सांसद को नियुक्त नहीं किया गया है। आप क्या सोचते हैं कि वहां कोई दबाव नहीं था? हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार पर भारी दबाव था। प्रत्येक विधायक सरकार के किसी न्याय अथवा बोर्ड अथवा समिति का अध्यक्ष बनना चाहता था लेकिन किसी भी विधायक अथवा सांसद को न तो ऐसे किसी पद पर नियुक्त किया गया और न ही उड़ीसा सरकार इस संबंध में कोई अध्यादेश अथवा विधेयक लाने पर विचार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में उड़ीसा राज्य ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यदि हममें जरा सी भी अंतरआत्मा बाकी है तो हमें संसद की गरिमा को कम नहीं करना चाहिए और न ही हमें भारत के राष्ट्रपति का अपमान करना चाहिए। हमने भारत के राष्ट्रपति की पर्याप्त अवमानना की है।

इसलिए मैं सरकार से इस विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। आप भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सुझावों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कुछ अन्य संशोधनों के साथ आएं। इस सत्र को समाप्त होने दें। आप इस विधेयक को आगामी सत्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे कोई आसमान नहीं गिरने वाला है। यदि इस सभा के कुछ सदस्य परिणाम भुगतना चाहते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने दें। इस सरकार द्वारा किए गए पाप को इस संसद द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। जैसाकि मैंने कहा है कि यह संसद कोई पवित्र गंगा नहीं है जहां पर त्रुटियों और गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। हमें इस संसद के पटल को इस द्वेषपूर्ण उद्देश्य के लिए उपयाग नहीं करना चाहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, की गई प्रतिबद्धताओं, सिद्धान्तों पर आधारित राजनीति और इस देश के संविधान और नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मैं यहां पर इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

प्रश्न यह है कि संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? संविधान ने निरर्हरता को रोकने के लिए संसद को अधिकार दिया है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है और इस संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया है। यह संविधान के उपबंधों के अनुसार है जिसमें निरर्हता के निवारण के हमें अधिकार दिए गए हैं। हम इस उपबंध का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मेरी अंतर्रात्मा स्पष्ट है। इसलिए न तो मैं हिम्मत हारता हूं, न ही मैं अपनी अंतर्रात्मा को दुःख पहुंचा रहा हूं और न ही मैं यह मानता हूं कि मैं मूल्य आधारित राजनीति से पलायन कर रहा हूं। यह एकदम स्पष्ट है।

प्रश्न यह है कि क्योंकि राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर सलाह दी थी इसलिए इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। मैं इस विधेयक का विरोध करने वालों को भोला-भाला नहीं मानता हूं। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि इस विधेयक का विरोध करने वाले बहुत भोले हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसका कारण बहुत सीधा है। इस बात का सुझाव दिया जा रहा है कि इस विधेयक को तकनीकी तौर पर सक्षम बनाने के लिए इसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि इसकी न्यायिक संवीक्षा की जा सके। मेरे मित्र द्वारा यही सुझाव दिया जा रहा है। न्यायपालिका के मन को पढ़ने का भी प्रयास किया गया जा रहा है। इस संबंध में होने वाले न्यायिक निर्णय का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। न्यायिक निर्णय देने से पूर्व न्यायिक निर्णय हो गया। मैं नहीं मानता कि चेतावनी देने की कोई आवश्यकता है। मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार की चेतावनी देनी चाहिए। यदि न्यायालय द्वारा इससे भिन्न मत व्यक्त किया जाता है तो संसद, संविधान में दिए गए अधिकारों के अंदर कार्य करेगी। यदि न्यायपालिका द्वारा भिन्न मत व्यक्त किया जाता है तो हम अपना कार्य करेंगे। इसलिए चेतावनी की घंटी बजाए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, जहां तक राष्ट्रपति कार्यालय और संसद के बीच संबंधों का प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच संबंध बहुत प्रगाढ़ है। जब से संविधान अधिनियमित किया गया है तब से अनेक अवसरों पर इस मुद्दों को उठाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय और संसद के बीच संबंध बहुत ही मधुर है। हम राष्ट्रपति की सलाह का आदर करते हैं। हम भारतीय संसद की संप्रभुता का भी आदर करते है। मेरा मानना है कि संसद सर्वोच्च है। इसलिए मैं मानता हूं कि संप्रभु संसद को अपने विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति की सलाह के अनादर का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय राष्ट्रपति ने अपना कार्य किया है। उन्होंने अपनी सलाह दी और हमने अपने विवेकानुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करके अपना कार्य किया है। संविधान भी यही कहता है यदि संसद की गरिमा को कम करने का कोई भी प्रयास किया जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे। संसद सर्वोच्च है क्योंकि हम संविधान में उल्लिखित उपबंधों के आधार पर इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते है।

महोदय, मैं थोड़ा सा चकित हूं कि इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी न किए जाने का सुझाव दिया जा रहा है। यह खुले तौर पर कहा जा रहा है। इस विधेयक को लम्बित रखा जा सकता था जैसाकि भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने एक विशेष विधेयक को तीन वर्ष तक लंबित रखा था। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका केवल यह अर्थ हुआ कि न केवल संसद की संप्रभुता को कम करने का सुझाव दिया जा रहा है अपितु संसद की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक के विरोध का संबंध इस देश में चल रहे शक्ति के लिए संघर्ष से है।...*(व्यवधान)*

महोदय, श्रीमती मेनका गांधी द्वारा जो कुछ बोला जा रहा था मैं उसे बहुत उत्साह से सुन रहा था। यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि श्रीमती मेनका गांधी ने बीच में टोका-टाकी की गुणवत्ता को भी आत्मसात कर लिया है। वह ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि वह समय-समय पर क्रिकेट मैदानों में जाती रहती है।

महोदय, यदि और संवीक्षा के नाम पर संसद इस विधेयक को अंगीकार नहीं करती, यदि हां माननीय राष्ट्रपति के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए इस विधेयक को अंगीकार नहीं करते, यदि विधेयक को दी जाने वाली अनुमति लम्बित रखी जाती है, तब क्या होगा? मैं इसके बारे में स्पष्ट हूं। यदि विधेयक पारित नहीं किया जाता तो निर्वाचन आयोग अपने अधिकारों के अंतर्गत इस मुद्दे पर गौर करेगा। यदि इस सभा के अनेक सदस्य अपनी सदस्यता खो देते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता तो क्या होगा? सत्ता के लिए जुआ शुरू हो जाएगा। सत्ता के भूखे राजनेता सत्ता से बाहर होते समय इसकी शुरुआत कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप उनकी बात सुन लें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब आपको मौका मिलेगा, तब अपनी बात कहिएगा।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं इसे दोहराता हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। यदि विधेयक का अधिनियम नहीं बनाया जाता है तो निर्वाचन आयोग इस मामले पर अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि 48 अथवा 58 अथवा 38 सदस्य अपनी सदस्यता खो देते हैं तो संभव है कि ऐसा महसूस हो कि यह समय ताकतों का समान रूप से अस्थिरता शुरू करने का हो और इसलिए, सत्ता के लिए जुआ शुरू हो जाता है ...(*व्यवधान*) जहां तक मेरा अंतःकरण कहता है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। मैं खुले रूप से कहता हूं कि इस विधेयक का अधिनियमन निर्हरता को रोकने के लिए किया जा रहा है क्योंकि हमें यह अधिकार है। इस विधेयक का अधिनियमन ताकतों के वर्तमान समीकरण की राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए किया जा रहा है। आपके पास केवल अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने अथवा सड़कों पर उतरने अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का रास्ता बचा है जहां पर कानून और व्यवस्था ठप्प हो जाए। आप यह रास्ता चुन सकते हैं। मैं खुले रूप में यह बात कहता हूं। मैं खुले रूप से कहता हूं कि यदि आपके मन में इन्हें सत्ता से बाहर करने की इच्छा है तो आप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। आप इस विधेयक का विरोध करने का बहाना क्यों करते हैं? आप लुका-छिपी का खेल क्यों खेलते हैं? आप खुले रूप से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए अथवा कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कीजिए जिससे यह सरकार अस्थिर हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए। हम इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि हम इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यदि न्यायालय इस विधेयक को रद्द कर दे तो हम इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यदि सहमति में विलंब होता है तो हम स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यदि आप सरकार को अस्थिर करते हैं तो हम स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसमें लुका-छिपी का खेल नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं। इसको रोकने के लिए हम विधेयक लाना चाहते हैं। मैं खरी-खरी कहता हूं। अस्थिरता की स्थिति को रोकने के लिए, असांवैधानिक, अवैध रूप से, संसदीय लोकतंत्र के मानदंडों से बहुत अलग सत्ता के लिए तरीके से सत्ता के लिए जुए को रोकने की लिए हम यह विधेयक लाना चाहते हैं। इसका सामना कीजिए।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप सुनने की आदत डालिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: दासगुप्त जी, आपका समय अब समाप्त हो गया है।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: हमें परिणामों की बात नहीं करनी चाहिए। पिछली बार के चुनावी परिणाम जनादेश दिखा चुका है। हमें परिणामों की बात नहीं करनी चाहिए। यहां हमारी सबसे अधिक संख्या है। यहां वामपंथियों की सबसे अधिक संख्या है। आप अल्पमत में आ गए हैं। आपको सत्ता से बाहर कर दिया गया है। आप परिणामों की बात करते समय कृपया आइना देख लीजिए। जरा आइना देख लीजिए। हम तत्काल विधेयक का अधिनियमन चाहते हैं। हम निरर्हरता का निवारण चाहते हैं। हम केवल अपने संवैधानिक विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है। हम संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए, विधेयक के विरुद्ध कोई हो-हल्ला और कुछ नहीं बल्कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास और सत्ता के लिए जुआ है। भारतीय जनता इसे स्वीकार करने वाली नहीं है।

मेरा सरकार को एक सुझाव है। यह माना जा सकता है कि विधेयक में कुछ खामियां हैं। मैं यह बात मानने से इनकार नहीं करता। इस विधेयक के अधिनियमन के पश्चात् इस कानून के कार्यान्वयन और ऐसी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होगी जिसके द्वारा "लाभ के पद" की संसदीय प्रश्न का उत्तर दिया जा सके। इसके लिए एक व्यवस्था आवश्यक है। सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिए जाने की आवश्यकता है यदि निकट भविष्य में इस कानून को अपर्याप्त पाया जाता है तो उसमें परिवर्तन किया जाएगा। सरकार को मेरा यही सुझाव है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मैं सत्ता के लिए खेले जा रहे जुए का विरोध करता हूं।

श्रीमती एम.एस.के. राजेन्दीरन (रामनाथपुरम): महोदय, मैं अपने दल द्रमुक की ओर से उच्च सदन राज्य सभा द्वारा पुनः पारित संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, जिसे लाभ के पद विधेयक के रूप में जाना जाता है, का समर्थन करती

हूं। महामहिम, भारत के राष्ट्रपति ने अपने विवेक से विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। हम राष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह का सम्मान करते हैं क्योंकि वह पितृ तुल्य हैं। वह संवैधानिक ढांचे में उच्चतम पद पर हैं। मेरे विचार से सरकार पूरे मुद्दे की जांच करने हेतु संसदीय समिति गठित करने के लिए पहले ही सहमत हो चुकी है।

मुझे नहीं पता कि इस विधेयक से इस बार इतना अधिक विवाद क्यों हुआ है क्योंकि संसद सदस्यों द्वारा धारिक लाभ के पदों को छूट पहली बार नहीं दी जा रही हैं। जन प्रतिनिधियों के रूप में, संसद सदस्यों को बहुत से कर्तव्यों और कार्यों का विस्पादन करना होता है और उन्हें पूर्णतः अवैतनिक अथवा सेवोन्मुखी पद लेते समय उन्हें निर्हर नहीं किया जाना चाहिए। पहले इसी प्रकार के संशोधनों से विपक्ष के नेता और संसदीय दलों मुख्य सचेतक सरकार से वेतन ले पाए थे।

मैं विपक्ष विशेषकर भाजपा से अपील करती हूं कि इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद न खड़ा करें क्योंकि भाजपा शासित राज्यों ने अपनी राज्य विधानसभाओं में अपने विधायकों द्वारा धारित कतिपय पदों को लाभ के पद उपबंधों से छूट देते हुए ऐसे विधेयक पारित किए हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं राज्य सभा द्वारा दूसरी बार यथापारित विधेयक का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (दक्षिण कलकत्ता दक्षिण): मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद महोदय। मैं अपने माननीय विधि मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक का विरोध करती हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपका होने से सपोर्ट करती लेकिन सी.पी.एम. का है इसलिए अपोज करती हूं।...*(व्यवधान)* गुरुदास दासगुप्ता जी ने एक बात सच कही कि यदि यह बिल नहीं लाते तो जो 55 संसद सदस्य ऑफिस ऑफ प्राफिट में आ रहे थे, वे सब डिसक्वालिफाइ हो जाते और सदन में यह सरकार नहीं रहती। उन्होंने कहा है कि गवर्नमैंट पोलिटिकली गैम्बल करती है और आपकी गवर्नमैंट नहीं रहती।

[अनुवाद]

आप अपनी सरकार को बचाने के लिए जल्दबाजी में यह विधेयक लाए।

[हिन्दी]

हमारा कहना यह है कि कोई झारखंड या बंगाल की बात नहीं है। हम कभी बंगाल, बिहार और पार्लियामेंट में भी करते हैं। बात यह है कि पहले जो हुआ है, वह तब तक की स्थिति के अनुसार हुआ है, लेकिन अब आप लोगों ने यह शुरुआत क्यों की है? हमें भी पता नहीं था, यह बात सच है। जब जया बच्चन जी का मेम्बरशिप गया तो हम लोगों ने समझा कि इसके पीछे नतीजा और कारण क्या है। हमने जब देखा कि एक मेम्बर चला गया, उस बेचारे की क्या गलती थी। उसी तरह के हमारे स्टेट में इतने मेम्बर्स हैं और वे सेम पोजिशन एनज्वॉय कर रहे हैं उसका कहीं कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें दुख हुआ। इसलिए दुख हुआ।

[अनुवाद]

आप एक दूसरे में अंतर नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

लॉ सब के लिए एक है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉ दो तरह का होता है - एक कॉमन आदमी के लिए लॉ होता है और एक प्रिविलेज्ड क्लास के लिए होता है। प्रिविलेज्ड क्लास कौन होता है, जिसकी गवर्नमेंट होती है और जिसके पास कानून बनाने की क्षमता होती है।...*(व्यवधान)* मैं भी कांग्रेस से आई हूं।

[अनुवाद]

आप बंगाल कांग्रेस के लोगों से उनकी भावनाओं के बारे में पूछिए और अन्य अपने राज्य के लोगों से इस विधेयक के बारे में उनकी भावनाएं पूछिए।

[हिन्दी]

हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि क्लाज-4 में यह कहा है कि अगर यह बिल पास होगा तो इन्हें डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ईवन कोर्ट में भी। एक बात और कही गई कि यह बिल पास होने के बाद जब लॉ बन जाएगा तो इलैक्शन कमीशन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी आपने लाया है। इलैक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, चीफ सैक्रेट्री को लेटर दिया।

[अनुवाद]

प्रेस में यह खबर है कि आप 31 जुलाई तक अपना उत्तर दें।...*(व्यवधान)*

[कुमारी ममता बैनर्जी]

[हिन्दी]

इसीलिए आज के दिन आपको बिल पास कराना जरूरी हो गया। जब पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, चीफ सैक्रेट्री को नोटिस दिया था और उन्होंने इलैक्शन कमीशन को रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन एडवोकेट जनरल एक लैटर लिख कर बोला, हमें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: वह सही बोला।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: वह सही बोला या गलत बोला, लेकिन मैं सही बोल रही हूं। उसके बाद इलैक्शन कमीशन ने फिर लिखा -

[अनुवाद]

आप चुनाव आयोग को उत्तर देने के लिए बाध्य है...*(व्यवधान)* पहले सब्जैक्ट पर बोलने दो। आप अल्पसंख्यक विकास निगम के अध्यक्ष हैं। आप यहां क्यों बैठे हैं?...*(व्यवधान)* सभी 54 संसद सदस्यों के पास पद हैं...*(व्यवधान)* आप यहां क्यों बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: असेम्बली इलैक्शन में इलैक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर पाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप शांत होकर इनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: पुलिस ने बयान निकाल दिया और बिल भी निकाल दिया। अगर थोड़ी भी इज्जत की बात होती तो जो भी इस केस में फंसा है, वह चुप बैठ कर बात नहीं सुनता।...*(व्यवधान)* वे शत्रु नहीं हैं...*(व्यवधान)* मैं उन्हें अपना मित्र मानता हूं...*(व्यवधान)* हम इस बारे में कहना नहीं चाहते। मैं कहना चाहती हूं कि जब आपको पता चल गया तो आप स्टेट असेम्बली में इसे कर सकते थे। आपके राज्य का अपना कानून है। केवल दो अपवाद वाले मामले हैं - आपने क्यों नहीं किया? झारखंड में अगर किया तो अब आपने क्यों नहीं किया? आपने दिल्ली का दरवाजा क्यों खटखटाया?...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: वहां एमपीज के लिए नहीं है। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: एमपीज के लिए भी स्टेट में है, ऐसा मत कहिए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी से अपील करती हूं। उनका यह रुख है...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आप कांग्रेस में वापस जा सकती हैं ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: मुझे क्या करना है, इसकी सलाह मुझे आपसे नहीं लेनी है।

[हिन्दी]

सर, मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी बात कैसे कहूंगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शान्त रहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं उन्हें बधाई क्यों दे रही हूं? क्योंकि जया बच्चन के मामले के बाद उन्होंने संसद से अपना त्यागपत्र दे दिया। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गईं।

[हिन्दी]

जब मुम्बई ब्लास्ट्स पर यहां चर्चा हुई, तब मैंने सोनिया जी को यहां बैठे देखा था, लेकिन आज नहीं हैं। आज आई थीं, लेकिन चली गईं, क्यों? क्योंकि उन्हें दिक्कत होती है। आपका सपोर्ट लेने के लिए उन्हें सपोर्ट देना पड़ता है। यह इज्जत का सवाल नहीं है, यह सदन का सवाल है। जो रास्ता उन्होंने आपको दिखाया था, वह आपने क्यों नहीं देखा, क्या आपके पास इसका कोई जवाब है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

दो-तिहाई पद वामदलों से सम्बन्धित है। वे विचारधारा के बारे में बात करते हैं...*(व्यवधान)* यह पश्चिम बंगाल की विधानसभा नहीं है। यह संसद है...*(व्यवधान)* मित्र, आप भी आसनसोल विकास निगम के अध्यक्ष हैं...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें बुलाया जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): मैं यह कह रहा हूं

कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वह एक कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के नाते वेतन प्राप्त कर रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: असैम्बली में क्यों नहीं दिया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप चुनाव आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते?

[हिन्दी]

अगर उनके खिलाफ कोई बात कहनी है, तो आप इलैक्शन कमीशन में जाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप लिख सकते हैं...*(व्यवधान)* आप महामहिम राष्ट्रपति को लिख सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने उनके नाम का उल्लेख किया है...*(व्यवधान)* वे यहां मौजूद नहीं है। वह राष्ट्रीय कार्मिक प्रबन्धन संस्थान के अध्यक्ष हैं। यह सरकारी संगठन नहीं है। सभी 15 व्यक्ति सरकार के विशेषाधिकारों, शक्तियों का आनन्द उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रेसीडेंट ने जो मैसेज दिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मुझे एक बात कहते हुए खेद हो रहा है...*

[हिन्दी]

हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बंस गोपाल चौधरी: ...*

कुमारी ममता बैनर्जी: ...* यह इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अंश है।

[हिन्दी]

सर, मुझे दो-तीन बातों पर बहुत ऐतराज है। मैं अपनी बात कैसे कहूं,...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: प्रेसीडेंट का जो रैफरेंस आया है, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

कुमारी ममता बैनर्जी: ये लोग इतना चिल्लाते हैं, मैं कैसे अपनी बात कहूं। मैं कैसे बोलूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे चिल्ला कर आपका टाइम बढ़ा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: सर, आज का दिन ब्लैक डे के रूप में जाना जाएगा। पार्लियामेंट के लिए आज का दिन बहुत ट्रैजिक है। ऐसा काला कानून देश के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेसीडेंट ने अंडर आर्टीकल 102 क्या मैसेज दिया था, उसे आप ठीक से देखिए। उन्होंने तीन पाइंट्स का जिक्र किया था जिन्हें श्री कपिल सिब्बल और श्री अनन्त कुमार आदि कई सदस्यों ने बताया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रही हूं। संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 को 25 मई, 2006 को अनुमति के लिए महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 111 के प्रावधान के अन्तर्गत इस विधेयक को पुनः विचारार्थ संसद के दोनों सदनों को एक संदेश के साथ भेज दिया।

[हिन्दी]

उसमें यही बोला -

[अनुवाद]

"सामान्य और व्यापक मानदण्डों का सृजन करना जो न्यायसंगत, उचित और तार्किक हो तथा जिन्हें स्पष्ट एवं पारदर्शी ढंग से सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू किया जा सके।"

[हिन्दी]

इसमें क्या दिक्कत है?

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रही हूं क्योंकि सरकार कार्यालयों को छूट न प्रदान करके कुछ संसद सदस्यों को छूट प्रदान कर रही है। क्यों केवल कुछ ही व्यक्तियों

[कुमारी ममता बैनर्जी]

को छूट प्रदान की जा रही है? इसका कारण यह है कि उनके बिना सरकार नहीं चल सकती है। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रही हूं क्योंकि गठबंधन की राजनीति में कभी-कभी ऐसी बाध्याताएं हो जाती है।

मोहम्मद सलीम: श्री वाजपेयी इस बारे में जानते हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी: श्री वाजपेयी आप लोगों से बहुत बेहतर थे। आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आदर करना चाहिए। अपने आपको श्री वाजपेयी के साथ तुलना मत कीजिए।

महोदय, कांग्रेस पार्टी का स्थान बहुत ऊंचा है। यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है किन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है।

[हिन्दी]

जब देखते हैं कि लेफ्ट पार्टीज इनके लिए किडनी, लीवर और हर्ट हो गया है।

[अनुवाद]

वामदल आपके गुर्दे, यकृत, ह्रदय और मस्तिष्क बन गए हैं। आप उनके लिए अपनी विश्वसनीयता क्यों खो रहे हैं? वे देश का विनाश कर रहे हैं और वे संसदीय प्रणाली को भी क्षति पहुंचा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री बंस गोपाल चौधरी: महोदय, वह पेपरों से पढ़ रही है ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं पेपरों से नहीं पढ़ रही हूं। मेरे पास सारा ब्यौरा है।

महोदय, मैं अध्यक्षपीठ का बहुत सम्मान करती हूं। मैं उस बारे में कोई उल्लेख नहीं करना चाहती हूं। मैं पीठ का आदर करती हूं। किन्तु मैं विशेष व्यक्तियों का उल्लेख करूंगी...*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: ठीक है महोदय, यदि आप कहते हैं तो मैं नाम नहीं लूंगी।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप जिनका नाम ले रही हैं, वे स्पीकर हैं और उन पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: मैंने स्पीकर साहब की बात नहीं की है।...*

सभापति महोदय: उनके बारे में चर्चा करने के नियमों में दूसरे तरीके बताए गए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी...*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप पहले सुनिए, बाद में अपनी बात कहिएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बंस गोपाल चौधरी: महोदय, पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता को एक कम्पनी से वेतन मिल रहा है। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, वह आसनसोल विकास निगम में एक पद पर आसीन है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप लोग सुनने की आदत डालिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, इस विधेयक में क्या कहा गया है? *[हिन्दी]* इस बिल में 55 का नाम दिया गया है। आप स्वयं देख लीजिए कि इस बिल में यह एक्ट है कि नहीं है। इस बिल में लिखा है कि *[अनुवाद]* यह लाभ का पद है, वेस्ट बंगाल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1979 यहां है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचंद पाल: आप अपना संदेह दूर कीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैं इसका उल्लेख क्यों कर रही हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि तीन या चार पदों का उल्लेख किया गया है जैसे कि श्रीनिकेतन-शांतिनिकेतन विकास प्राधिकरण। अगर आप विधेयक के पृष्ठ 2 पर क्रम सं. 8 देखें, तो आप देखेंगे कि इसमें जिस कानून का मैंने उल्लेख किया है, वह बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है।

न केवल इतना ही, बल्कि यह हल्दिया विकास निगम के लिए भी है। उस क्षेत्र से हमारे मित्र हैं, यहां तक कि आसनसोल विकास निगम भी है। माननीय सदस्य भी यहां उपस्थित हैं। मैं नाम नहीं ले रही हूं। पश्चिम बंगाल से ऐसे लगभग 15 नाम हैं। वे कहते हैं कि कोई दस्तावेज नहीं है। अगर कोई दस्तावेज न हो तो हम शिकायत क्यों करेंगे? अगर कुछ गलत है तो वे अपनी बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आपका समय समाप्त हुआ।

कुमारी ममता बैनर्जी: नहीं सर, कैसे समाप्त हो गया? ये लोग बोलने ही नहीं देते हैं, कैसे समय समाप्त हो गया? यह बहुत बढ़िया बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, यह एक अधिसूचना है जिसमें बताया गया है कि वे किस प्रकार इन समितियों के सदस्य बने और अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये सारे दस्तावेज आपको दे सकती हूं। हमने सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): ये सब कचरा है...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: यह उनके लिए कचरा हो सकता है लेकिन यह देश के लिए कचरा नहीं है। महोदय, उनके पास बहुमत है और वे इस विधेयक को पारित कर सकते हैं, किन्तु यह जनता की इच्छा नहीं है।

[हिन्दी]

यह जनता की बिल नहीं है, जनता इसके बारे में आप लोगों को सपोर्ट नहीं देगी, जनता इसके खिलाफ है।

[अनुवाद]

जब मामला चुनाव आयोग के पास लंबित हो तो मैं नहीं समझती कि यह विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने का सही समय है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आयोग उनके विरुद्ध कार्रवाई न कर सके।

महोदय, मैं सभा को यह सूचना देना चाहती हूं कि अगर आप इस विधेयक को पारित करेंगे तो यह गलत परिपाटी होगी। यह अनैतिक है और यह संविधान को निष्ठाहीन बना देगा। यह सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों का हनन है। महोदय, जब एमपीलैड मामले में दस संसद सदस्यों के शामिल होने का मामला था *[हिन्दी]* आप लोगों ने उनकी नौकरी खा ली। मैं करप्शन के फेवर में नहीं हूं। अगर उन्होंने गलती की है तो वह गलती है, लेकिन *[अनुवाद]* आपने उन्हें सुनवाई की अनुमति नहीं दी। *[हिन्दी]* डिफेंड करने की बात भी आपने नहीं की। जब आपकी बात आई तो आपके खिलाफ केस है और आप यहां बैठकर झगड़ा करते हैं। *[अनुवाद]* यही फर्क है। हम नहीं समझते कि इस सभा को इस तरह चलना चाहिए। *[हिन्दी]* इसके लिए मैं यह बात भी कहना चाहूंगी कि प्रेसीडेंट अकेले नहीं हैं।

सभापति महोदय: अब आपकी बात हो गई।

कुमारी ममता बैनर्जी: प्रेसीडेंट जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो हमारे लोक सभा, राज्य सभा हाउस हैं, *[अनुवाद]* राष्ट्रपति इस सरकार के अनिवार्य अंग हैं और राष्ट्रपति हमारे देश और इस सभा के सर्वोच्च व्यक्ति हैं। अतः राष्ट्रपति सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति दिशा-निर्देश दे सकते हैं और वे जनता के हितों को देखने में समर्थ हैं। वे ऐसा कर सकते है। किन्तु हमें खेद है कि *[हिन्दी]* 55 पोस्ट होल्डर्स के लिए आजादी के बाद 2-3 औकेजन हुए, जब ऐसा काला बिल हम लोगों को पास करना पड़ा है। *[अनुवाद]* यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करती हूं कि जब राष्ट्रपति महोदय कोई संदेश भेजते हैं, तो हमें उस संदेश को स्वीकार करना चाहिए और यह देखने का प्रयास करना चाहिए वे क्या कहना चाहते है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

कुमारी ममता बैनर्जी: आप नहीं सुनना चाहते हैं। हमको देखना चाहिए कि आर्टीकल 74 में यह प्रोवीजन है कि प्रेसीडेंट गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये ज्यूडीशियरी को बार करना चाहते हैं, इलैक्शन कमीशन को बार करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब बात समाप्त हो गई, समाप्त करिये।

कुमारी ममता बैनर्जी: पोलिटिक्स के लिए एक बात तो गुरुदास दासगुप्ता जी ने साफ-साफ बताई कि अगर हम यह नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चली जायेगी। यह ठीक बात है, लेकिन एक वोट के लिए जब अटल जी की गर्वनमेंट चली गई थी, तब यह बात आप लोगों के दिल में क्यों नहीं आई थी?

[अनुवाद]

सिर्फ एक वोट के लिए। केवल इतना ही नहीं देवगौड़ा की सरकार और अन्य कई सरकारें चली गईं। वे हर चीज के साथ समायोजन कर सकते हैं परन्तु वे हर चीज के साथ नैतिकता का समझौता नहीं कर सकते हैं। वे हर चीज के साथ समझौता कर सकते हैं, किन्तु वे अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते। वे हर चीज के साथ समझौता कर सकते हैं किन्तु भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं कर सकते।

महोदय, मैं इस सभा को सूचित करना चाहती हूं कि यह विधेयक उन्हें उचित उत्तर देगा और वह उत्तर जनता का होगा। लोग उन्हें देख रहे हैं और उनकी ओर देख रहे हैं। वे उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे यह अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, संविधान के लागू होने के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है जब माननीय राष्ट्रपतिजी ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया है। मुझे उस सलाह पर चर्चा करते हुए अति हर्ष हो रहा है। आज माननीय विधि मंत्री ने विधेयक को आगे पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने जो कि भारत के संविधान की धारा 79 के तहत संसद के अंग हैं, तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह दी है। एक जेनेरिक और व्यापक मानदंड के मूल्यांकन पर है जो कि न्यायपूर्ण, उचित, तर्कसंगत हो और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर स्पष्ट एवं पारदर्शिता से लागू किया जा सके। हमने 54 निगमों या अन्य प्राधिकरणों को लाभ के पदों को छूट के लिए शामिल किया है। हम यहां क्या कर रहे हैं? हम पदों को छूट नहीं दे रहे हैं, हम उन व्यक्तियों को छूट दे रहे हैं जो कि लाभ के पद पर हैं। यह बिलकुल सही नहीं है। संविधान के निर्माताओं ने उसे किसी संभाव्यता के कारण शामिल किया है कि यदि कोई पद लाभ के पद के अंतर्गत आता है तो हम पद को छूट दे सकते हैं न कि किसी व्यक्ति को हम इस वर्तमान कानून के तहत व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रहे हैं। मान लीजिए, कुछ शहरी विकास प्राधिकरण लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए हम अधिनियम में यह उपबंध करते हैं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी शहरी विकास प्राधिकरण को लाभ के पद से छूट मिली है तो कल उस पद को धारण करने वाले किसी भी संसद सदस्य को छूट मिलेगी। मैं श्री कपिल सिब्बल द्वारा रखे गए तर्क को नहीं मानता। राष्ट्रपति जी का यह मंतव्य नहीं है। एकरूपता होनी चाहिए। मान लीजिए आन्ध्र प्रदेश या कर्नाटक में वह लाभ के पद के अंतर्गत आता है, कल यदि कोई संसद सदस्य उस प्राधिकरण में नियुक्त होते हैं तो वह वापस संसद आ सकते हैं क्योंकि उस पद को छूट मिली हुई है। यह एक खामी है। अतः एकरूपता होनी चाहिए। मैं माननीय राष्ट्रपतिजी से सहमत हूं।

मेरी दूसरी बात - और यह काफी महत्वपूर्ण बात है - यह है कि चर्चा के समय भी मेरी पार्टी ने इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का विरोध किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए कानून के पुख्ता होने और उसके औचित्य के बारे में यही विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने क्या किया है? इसे 4 जुलाई, 1959 अर्थात् 46 वर्षों के अंतराल के बाद भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। वर्ष, 1959 में तो कुछ निगम और कुछ प्राधिकरण बने भी नहीं थे। कुछ निगम वर्ष 2000 में बने थे; कुछ निगम वर्ष 2003 में बने थे। इसे 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देने की जरूरत क्यों पड़ी? सभा में चर्चा के दौरान भी मैंने यही कहा था। माननीय राष्ट्रपति महोदय की भी यही राय है। इसलिए मेरी पार्टी संशोधन लाया है।

मेरी पार्टी इस कानून को समाप्त करने हेतु दो संशोधन लाये है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू न करके भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। वर्ष 1959 से लेकर अब तक हमने सभा में कई बार संशोधन किए हैं किंतु हमने उन्हें भावी तरीके से लागू किया है और भूतलक्षी प्रभाव से नहीं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रहे हैं। कांग्रेस के एक सदस्य ने श्रीमती जया बच्चन के खिलाफ राष्ट्रपति जी के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई। यदि सरकार इतनी ही गंभीर थी तो उसे जया बच्चन को उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में 'लाभ के पद' धारण करने हेतु अयोग्य ठहराने की बजाय इस विधान को और पहले लाना चाहिए था। कई दिनों तक यह मामला न्यायालय में रहा किंतु वे विधान नहीं लाए। उनको अयोग्य ठहराने के बाद - उसमें मेरी पार्टी भी शामिल थी - हमने चार व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रपतिजी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। यदि सरकार हमारे संशोधनों को स्वीकार करती है तभी हम इस विधेयक का समर्थन

करेंगे और वह भी तब जब इसे भावी तरीके से लागू किया जाए न कि भूतलक्षी प्रभाव से। लोग इसे देख रहे हैं; यहां तक कि मीडिया ने भी इस पर काफी संपादकीय लिखे। हम विधान को जनहित में न बनाकर अपने व्यक्तिगत हित हेतु बना रहे हैं। कुछ लोगों को बचाने के लिए हम इस विधान को ला रहे हैं। इस देश में हर कोई यही बात कर रहा है। आपको राष्ट्रपतिजी की सलाह को ध्यान में रखना होगा; आपको कई समाचार पत्रों में लिखे संपादकीय को ध्यान में रखना होगा।

अब आपको जनता की राय भी लेनी होगी। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके आधार पर हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। मेरी पार्टी का यह सुझाव है कि इस विधेयक को पूर्ण संवीक्षा हेतु या तो संयुक्त संसदीय समिति अथवा स्थायी समिति को भेज दिया जाना चाहिए।

आज तक लाभ के पद के बारे में कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। हमें लाभ के पद के बारे में व्यापक परिभाषा और राष्ट्रपति जी द्वारा भेजे गए अन्य मामलों पर भी अपनी राय देनी है। हमें इस पर आराम से चर्चा करनी है और सरकार दुबारा एक व्यापक विधेयक ला सकती है। इसके बाद हम इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर सकते हैं।

महोदय, यह सही बात नहीं है। हमें राष्ट्रपति जी की सलाह का आदर करना चाहिए। हमें जनता की राय तथा अन्य कानूनविदों की राय भी लेनी चाहिए। यह सही है कि संसद सर्वोपरि है। यदि हम इस विधेयक को दूसरी बार राष्ट्रपति जी को भेजते हैं तो उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और वे इसे अनुच्छेद 111 के अंतर्गत रोक भी नहीं सकते हैं। संसद की सर्वश्रेष्ठता के आधार पर हम राष्ट्रपति जी की सलाह को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध करता हूं कि वे सभी विचारों पर ध्यान दें और राष्ट्रपति जी की सलाह का भी आदर करें।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब पहले यह बिल लाया गया था, उस वक्त भी हमने इसे अपोज किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इससे गलत मैसेज जाएगा, लोग कहेंगे कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपनी सरकार बचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है और ऐसा ही हुआ।

अभी श्री सिब्बल यहां नहीं हैं। वह हमारे दोस्त हैं और बहुत बड़े वकील भी हैं। मैं बड़ी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि जब कोई वकील किसी क्लाइंट का केस लड़ते हैं तो अगर वह गलत भी होता है तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं कर सके। आज उनकी बातों में दम नहीं था। वह कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी की कैसे डिसरिस्पैक्ट हुई। डिसरिस्पैक्ट क्यों नहीं हुई। अगर किसी वक्त उनकी कोई पोलीटिकल लीनिंग होती तो हम सोच सकते थे कि उन्होंने अपनी पोलीटिकल लीनिंग की वजह से ऐसा किया। वे दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट हैं जिनकी इज्जत हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति करता है और उनका बहुत बड़ा स्टेचर है। हमने उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): महोदय, मैं समझता हूं कि आप भी इस बात पर सहमत होंगे कि हम राष्ट्रपतिजी पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह मौलिक सिद्धान्त है...*(व्यवधान)* हम राष्ट्रपतिजी का नम लेकर चर्चा को प्रभावित नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: वे माने हुए साइंटिस्ट हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इससे आगे की बात कहें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: सभापति जी, आपने बोलते समय सुझाव दिया था, हमारे कई और दोस्तों ने भी दिया कि इतनी जल्दी क्यों है कि इसे आज ही पास करना है। इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बना दें और उसमें डिस्कस करें। अगर उसमें कुछ कमियां हैं, तो उन्हें देखकर इसे लाएं।

जब दासगुप्ता जी बोल रहे थे, मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि लेफ्टिस्ट्स आज इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पावर के लिए कौन नहीं लड़ता। आप पावर के लिए गलियों और बाजारों में सरकार को अपोज करते हैं, लेकिन जब पार्लियामैंट में होते हैं तब क्यों नहीं करते, तब क्यों सपोर्ट करते हैं। पावर सबको चाहिए, आप भी पावर के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप आज सपोर्ट कर रहे हैं तो पावर का मजा ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: हम भाजपा को सत्ता में न आने देने के लिए इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: यह कोई सिद्धान्त नहीं है। ...*(व्यवधान)* इनका सिद्धान्त आम जनता के लिए लड़ना होना चाहिए, बी.जे.पी. के साथ लड़ने का नहीं। लेकिन अगर सरकार की एंटी पॉलिसी है तो उसे आप सड़कों पर अपोज करते हैं। जब उनको बचाने की जरूरत होती है तब आप उन्हें बचा लेते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम बाहर और अंदर दोनों जगह एक जैसा ही बोलते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: मेरी पार्टी का यह मानना है कि आप आज एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बनाकर इस बिल को उसके सुपुर्द कर दीजिए और उसे टाइम दे दीजिए कि इतने समय तक आप अपनी रिपोर्ट दे दें। उसके बाद सारा हाउस यदि यूनेनीमस किसी बात पर सहमत हो जाये, तो उसे हम राष्ट्रपति जी को भेज सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इस विधेयक को उसी शक्ल में पास किया जा रहा है, उसको मैं अपोज करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन्हें और कुछ न करके कम से कम उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने जो बातें अपनी तरफ से सरकार के सामने रखी थीं, उन पर अगर उनका कोई मतभेद है, तो उसको कहना जरूरी था। केवल यही कहना कि जैसा आपने भेजा था, वैसा ही हम वापस भेज रहे हैं, यह मैं राष्ट्रपति जी का अपमान मानता हूं। इसलिए मैंने यह कहा कि उन्हें कम से कम क्षमा याचना करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* जहां तक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात है, तो यहां उस पर बहुत चर्चा वकीलों और सांसदों के बीच में हो चुकी है। यह माना जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनाये रखना जरूरी है।

अपराह्न 5.49 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

संसद का इस पर पहले जो विचार है, उसके दो वाक्य मैं यहां बताना चाहता हूं क्योंकि जो चर्चा हुई, उसमें ऐसी बातें सामने आई कि केवल हमें कानून तक ही सीमित रखना है और संविधान की जो भी भावना है, वह जैसी की तैसी ही इस्तेमाल में आनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर संसद का पहले जो विचार था, वह यह था कि:-

[अनुवाद]

> "इस संवैधानिक उपबंध का मूल उद्देश्य संसद अथवा राज्य की विधानसभा के सदस्यों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने का है कि संसद अथवा विधानसभा में वे सदस्य न हों जिन्हें कार्यपालिका - सरकार - से पक्षपात या लाभ न मिलता हो और जिन्हें बाद में कार्यपालिका के अनुग्रह के अंतर्गत प्रभावित न किया जा सके।
>
> स्पष्टतया, यह उपबंध कर्तव्य - जो संसद सदस्यों का कर्तव्य है - और विधायकों के स्व-हित के बीच विवाद के जोखिम को समाप्त करने अथवा कम करने के लिए किया गया था।"

[हिन्दी]

महोदय, यह बहुत महत्व की बात है और इस पर मैंने देखा कि सारी बहस में कुछ भी यहां निकल कर सामने नहीं आया। यहां केवल कानून के शब्दों पर ही चर्चा करना सभी का लक्ष्य रहा और कानून का जो असली अर्थ है, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कही है। हम चाहते हैं कि जब यहां पर यह चर्चा चल रही है कि इसको राष्ट्रपति के पास फिर एक बार भेजा जाए या ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि कोई एक रास्ता निकल आए तो यह जो बात है उसे हमें अपनी आंखों के सामने रखना होगा। इसके बाहर कानून जैसा है, वैसा ही उसे अगर सामने रखकर आगे बढ़ेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जो अनुभव है, वह यह दिखाता है कि इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कितनी लूटपाट हो चुकी है। उसी को आगे भी बनाए रखने की जरूरत हो तो वह बात अलग है, लेकिन मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं इसके पीछे सबूत हैं कि मामूली नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की लूट कैसे हो चुकी है, कैसे हो रही है और आगे भी इसको जारी रखने का काम ये लोग करेंगे।

इसलिए हमारा बहुत आग्रह से यह कहना है कि इस कानून को स्वीकार करना बिल्कुल संभव नहीं है। हम लोगों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहां पर जो सारी चर्चा हो गयी, उसमें कहीं भी आम आदमी नहीं दिखायी दिया। आम आदमी केवल बोलने तक ही है और बाकी सब काम अपने लिए ही होता है। यह आम आदमी मात्र आया ही नहीं, बल्कि इस सभा से लोगों में एक संदेश भी आज जा रहा है कि सांसद,

जिनकों लोगों ने चुनकर भेजा है, वे सबसे पहले अपने लिए ही बने रहते हैं और उसके बाद ही लोगों की अगर कोई समस्या वगैरह है, तो उस पर उनकी नजर जाती है।

यहां सुबह से क्या हो रहा है, आज सुबह से जो यह चर्चा हो रही है, उससे हमें देखना चाहिए कि हम इसमें कहां हैं। कुछ सांसदों ने जरूर गम्भीर चर्चा की है और मैं यह नहीं कहता कि बाकी ने नहीं की। लेकिन सदन में हो रही इस चर्चा से जो संदेश बाहर जा रहा है, उसका मतलब यह है कि हम सिर्फ अपने लिए ही यहां चर्चा कर रहे हैं और अपने को उठाने के लिए ही बात करते हैं, देखते हैं।...*(व्यवधान)* मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई सांसद यह कह रहा है, लेकिन यहां से जो संदेश इस चर्चा से जा रहा है, वह यही जा रहा है कि हमारा आम जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है, उस पर हम चर्चा न करके सिर्फ अपने हितों के लिए चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसका अर्थ यह है कि इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बिल से उस आम आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है, जो बाहर बैठा हमारी यह कार्यवाही देख रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: हमारे देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। उन्हें हम क्या संदेश दे रहे हैं, यह हमें देखना होगा। हमारे देश में नक्सली आंदोलन बढ़ रहा है। उसके चलते कई लोग मारे जा रहे हैं। कई पढ़े-लिखे नौजवान रोजगार नहीं मिलने की वजह से नक्सली आंदोलन में शामिल होकर दूसरों को मारने का काम कर रहे हैं। उन्हें हम क्या संदेश भेज रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अगर इस प्रकार का हम लोगों की तरफ से संदेश जाएगा तो देश को कितना नुकसान हो सकता, इस पर अगर हम चर्चा करें तो हमें मालूम होगा।

मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहां आम आदमी के लिए कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी चर्चा इस बिल पर हुई है, उसमें कई लोगों ने इस बिल का विरोध किया है, जिनमें मैं भी हूं। इसके अलावा कई सांसदों ने अपने-अपने विचार सदन में रखे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे उन विचारों से गलत संदेश देने का काम हमारे द्वारा हो रहा है, जबकि हमें देश को बचाने का काम करना चाहिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, पट्टाली मक्काल काची की ओर से मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके दो कारण हैं। मैंने संसद में हुई विभिन्न चर्चाओं को सुना है। इस मुद्दे पर काम की बातें कम और व्यर्थ की बातें ज्यादा हुई हैं। दुर्भाग्यवश, विधेयक पर उद्देश्यपरक तरीके से चर्चा करने की बजाय विषयपरक तरीके से चर्चा की गई है। इसलिए, मैं दो बातों पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

पहला, हम इस विधेयक का इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि यह संवैधानिक उपबंधों की एक या दो बातों और 1959 के अधिनियम के भीतर है। दूसरे, यह विधेयक संसद की इस सभा की विधायी सक्षमता के भीतर है।

संविधान साफतौर पर यह कहता है कि संसद लाभ के पद से छूट दे सकती है और यह विधेयक यह छूट देने के लिए ही लाया गया है। हालांकि अनुच्छेद-102 में कहा गया है कि लाभ के पद के धारकों को अयोग्य घोषित किया जाएगा किंतु इसमें एक शर्त है जिसमें कहा गया है कि संविधान अथवा संसद कुछ छूट दे सकता है और ये ही छूट इस अधिनियम में दी गई है। जिन्होंने इस संविधान (संशोधन) विधेयक को पढ़ा है, वे यह जानते हैं कि लोगों की चार सामान्य श्रेणियों को निरर्हता अधिनियम से छूट प्राप्त है।

सायं 6.00 बजे

पहली श्रेणी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष का कार्यालय है। दूसरी श्रेणी किसी सांविधिक निकाय के अध्यक्ष का कार्यालय है। तीसरी किसी निकाय, चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, के अध्यक्ष का कार्यालय है। चौथी श्रेणी अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति आदि का कार्यालय है जो सूची में शामिल नहीं है। इसलिए, देखना यह है कि क्या ये कार्यालय लाभ के पद के दायरे से छूट पाने के हकदार हैं अथवा नहीं। मेरी राय में जिन कार्यालयों को छूट प्राप्त है वे मात्र लाभ के संस्थान ही नहीं हैं। आप डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान का उदाहरण ले सकते हैं। इस संस्थान में लाभ कमाने के लिए क्या है? आप मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को लीजिए। क्या यह लाभ कमाने वाला संस्थान है? इसमें कई सांविधिक और गैर-सांविधिक बोर्डों को शामिल किया गया है और ये सभी बोर्ड आम

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. एम. रामदास]

आदमी के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए, जहां तक इन संस्थाओं का संबंध है, लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता है। आप किसी सांविधिक निकाय के अध्यक्ष का उदाहरण ले सकते हैं। इन सांविधिक निकायों का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जन कल्याण होता है। इसलिए, ये लाभ के पद वाले संस्थान कतई नहीं है और इन संस्थानों के अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर आसीन व्यक्ति - चाहे वे संसद सदस्य हो अथवा कोई अन्य - लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति नहीं कहलाएगा। जब संस्था का उद्देश्य ही लाभ कमाना न हो तो उस के किसी पद पर आसीन व्यक्ति को लाभ के पद पर आसीन कैसे माना जा सकता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: एक मिनट प्लीज। क्योंकि 6 बज चुके हैं, इसलिए अगर हाउस के मैम्बर्स एग्री करें तो जितनी देर तक यह बिल खत्म नहीं होता, इसका समय बढ़ा लें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): ठीक है, सर।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास: इसलिए, विभिन्न बोर्ड, निगम और संस्थाएं, जिन्हें सभा ने लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा है, लाभ के पद वाली संस्थाएं नहीं हैं बल्कि चूंकि ये जन विकास हेतु अपना योगदान दे रही हैं और इनका स्वरूप ही सार्वजनिक संस्थाओं जैसा है। इसलिए इन संस्थाओं के अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद को लाभ का पद होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी व्यक्ति इन घटनाक्रमों की यही व्याख्या करेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कोई संसद सदस्य इन पदों पर आसीन हो सकता है। क्या हम इन पदों पर आसीन होने के योग्य हैं। मान लीजिए यदि हम इन संस्थाओं का अध्यक्ष बनने के लिए अर्ह नहीं हों तो आप किसी आई.ए.एस. अधिकारी अथवा संयुक्त सचिव अथवा किसी अन्य को इनका अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि एक संसद सदस्य जो जनप्रतिनिधि है डा. अम्बेडकर फाउन्डेशन की देखरेख करने में सक्षम नहीं है? इसके बाद कोई अन्य व्यक्ति, एक आई.ए.एस. अधिकारी उक्त पद को ग्रहण करेगा। क्या वह वहां लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा? इसका अर्थ है कि इस अवधारणा को फिर उन सभी लोगों पर लागू किया जाना चाहिए जो इस पद को धारण करने जा रहे हों। इसलिए, हमारे विचार से, छूटप्राप्त ये सभी संस्थाएं लाभ का पद वाली संस्थाएं नहीं है। इसलिए हम इस विधेयक को स्वीकार करते हैं।

अब राष्ट्रपति महोदय, ने संसद की और विवेकपूर्ण राय जानने हेतु इस विधेयक को संसद के पास लौटाया है और संसद का विवेक इसी में है कि वह इसे राष्ट्रपति महोदय के पास पुनः अनुशंसित करे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राष्ट्रपति जी ने इस प्रकार के किसी विधेयक को लौटाया है। अनेक अवसरों पर विधेयकों को संसद के पास लौटाया गया है और संसद ने राष्ट्रपति के पास उन्हें पुनः अनुशंसित किया है। इसलिए, यह संसद इस विधेयक को पारित करने में सक्षम है।

संबंधित पदधारक के हित और सदस्य के अपने हित के बीच कोई टकराव नहीं है। संसद सदस्य होना इस प्रकार के पद धारण में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए मैं सभी दृष्टिकोणों - विधायी और संवैधानिक दृष्टिकोणों से - इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, श्री कपिल सिब्बल के काफी उत्साहवर्द्धक व जोशपूर्ण हस्तक्षेप के बावजूद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज दिन के अंत में, इस बात पर कुछेक महीनों के दौरान दूसरी बार जबर्दस्त आंदोलन होगा कि इस संसद का प्रयोग सत्ताधारी पक्ष के अनैतिक हित के रक्षार्थ एक हथियार के रूप में किया जा सकता है और किया जाता रहेगा।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): जनता अंग्रेजी नहीं समझती, हिन्दी में बोलिये।

श्री उदय सिंह: हिन्दी में भी बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महामहिम राष्ट्रपति जी की बुद्धिमतापूर्ण राय और संवैधानिक शुचिता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जहां तक हमारे विवेक व इस संसद को प्रजातंत्र का मंदिर माने जाने का अर्थ है वह बेमानी हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बेझिझक इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि जब सत्ता के घमंड के निर्लज्ज प्रदर्शन की बात आती है तो संप्रग (यू.पी.ए.) सरकार - जिसे आम तौर उल्टा पुल्टा गठबंधन के नाम से पुकारा जाता है - काफी तेजी से मानदंड स्थापित कर रही है जिसका अनुकरण करना औरों को लिए असंभव होगा। यह बहस का मुद्दा है कि आखिर क्या यह विचलित बुद्धिमता उनकी अपनी है अथवा सार्वजनिक जीवन में

सत्यनिष्ठा व नैतिकता के स्वयंभू अधिष्ठाता वामदलों की है। परन्तु यह अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि ये वामदल ही हैं और खास तौर पर एक विशेष राज्य के संबंधित लोग जो इस विधेयक को कानून बनाने के लिए बेचैन हैं।

यद्यपि मेरा इस सरकार से मोहभंग है - यदि इसे एक ऐसी सरकार कहा जाए जो किसी भी बात पर झुक जाती है तथापि मेरा वामदलों के लिए गुस्सा सुरक्षित है। वे किसी के सामने झुक जाने वाली इस सरकार, नीचा दिखाने हेतु घोर संवेदनहीनता और सम्मानहीनता के साथ अपने नवप्राप्त ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधायी और न्यायिक कार्यों को अलग-अलग रखने की उनकी इच्छा का क्या हुआ? मात्र भगवान को ही मालूम है। तथापि मैं आशा करता हूं कि इस काली करतूत को पूरा करने के पश्चात्, वामदलों का संबंधित दिखावा - उच्च पदों पर आसीन लोगों की नैतिकता - कुछ हद तक कम हो जाएगा।

[हिन्दी]

मैं एक दोस्ताना चेतावनी कांग्रेस बंधुओं को देना चाहता हूं। आपके साथ बहुत दिनों तक मैं आपकी पार्टी में था, इसलिए यह दोस्ताना चेतावनी है कि जो हाल लालू जी ने आपका बिहार में किया है, मिट्टी में मिला दिया है, नेस्तनाबूत कर दिया है, वही हालत ये वामपंथी लोग आपकी पूरे देश में करने वाले हैं। इसमें हमें खुशी नहीं होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमसे मुकाबला करने वाला भी कोई हो। आज की यह नई कांग्रेस अपनी पुत्री की बात नहीं सुनती, इसी मुद्दे पर उन्होंने गुस्से से इस्तीफा दिया और इतने मतों से जीत कर आईं, उनका अनुसरण कीजिए। इस्तीफा दीजिए और लोगों के पास जाइए। आप क्यों डरते हैं? श्री गुरुदास दासगुप्त को मैं बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने सच कहा कि हम इसलिए बिल पास कराना चाहते हैं ताकि हम लोग पावर में न आ जाएं। आप हमें कब तक पावर में आने से रोकोगे, वर्ष 2009 में हम पावर में अपने आप आ जाएंगे। अगर नैतिकता है, तो नैतिकता को दिखाओ और लोगों के पास जाओ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दल वर्तमान में अपने को एक विचित्र स्थिति में पा रहा है। हमने पहली बार इस विधेयक का विरोध किया था और अब हमारा कदम पूरी तरह से विधेयक के संबंध में अपने दृष्टिकोण की रक्षा करना है। परन्तु हम मुश्किल से इस संबंध में अपना संतोष व्यक्त कर सकते हैं। हम भी इसी संसद के सदस्य हैं तथा हमें निस्सहाय होकर संविधान के साथ की जा रही नाजायज छेड़छाड़ को देखना होगा क्योंकि तर्क का आधार "जिसकी लाठी उसकी भैंस" हो गया है।

[हिन्दी]

जब से इस सरकार पर लालू यादव जी का प्रभाव बढ़ा है, तब से विचार-विमर्श के आदान-प्रदान से ज्यादा "जिसकी लाठी उसकी भैंस" की नीति चल रही है। यह बात गलत है। लोकतंत्र से बातचीत से बात होनी चाहिए। मैं लालू जी को याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार में इन्होंने एक रैली की थी। लेकिन "रैली" शब्द स्त्री लिंग है, इसलिए इसका नाम उन्हें पसंद नहीं आया और इसका नाम बदल कर "रैला" रख दिया। पूरे राज्य से लोगों को बड़ी-बड़ी लाठियों के साथ बुलाया गया। अपने अंदाज में लालू जी ने उस "रैला" में कहा था कि "तेल पिलावन, लाठी घुमावन"। लेकिन न तेल काम आया न लाठी, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप तर्क पर बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपने विचारों पर नहीं रहेंगे, तो सत्ता से आप चले जाएंगे। ...*(व्यवधान)* मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह: महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए और दो मिनट का समय दीजिए। मैं और अधिक समय इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मेरे भाषण के दौरान व्यवधान हुए हैं। कृपया मुझे बोलने के लिए और दो मिनट का समय दीजिए।...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया सत्ता पक्ष के लोगों का व्यवहार देखिए।...*(व्यवधान)*

इस बात पर गौर करें। महामहिम ने इस विधेयक को लौटा दिया है। उन्होंने इस विधेयक को सिर्फ लौटाया ही नहीं है बल्कि अपनी टिप्पणी सहित लौटाया है। अधिक समय नहीं लेते हुए,

[श्री उदय सिंह]

क्योंकि आपने भाषण समाप्त करने का निर्देश दिया है, मैं मात्र एक वाक्य उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा है: "जेनरिक व्यापक मानदंड तैयार करना जो उचित और तर्कसंगत हो।" इसका अभिप्राय क्या है? क्या इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति जी हम लोगों से कह रहे हैं कि यह विधेयक अनुचित और अनौचित्यपूर्ण है? क्या सरकार के लिए इससे भी और अधिक घृणित बात हो सकती है और सरकार ने निर्णय लिया है कि वह इस विधेयक को इसी रूप में फिर भेजेगी।

अब, आपकी चाल बेपर्दा हो गयी है। चाल यह है कि राष्ट्रपति महोदय दूसरी बार विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। परन्तु अपने आप से पूछें: "क्या संविधान में यह उपबंध इस उद्देश्य हेतु किया गया था ताकि इस उपबंध का घोर दुरुपयोग किया जाए?" महामहिम ने विधेयक वापस भेज दिया है और तब आप कह रहे हैं कि आप इसी संविधान का सहारा लेंगे। आप निर्णय ले रहे हैं कि..." कि आप अनुच्छेद 111 का सहारा लेंगे और राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होगा। हम यही प्रार्थना करें कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, राष्ट्रपति महोदय इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें। परन्तु न्यायिक समीक्षा का क्या होगा? क्या वह इसे पारित करेंगे? क्या यह बात आपने स्वयं से पूछी है? तब संभावित संवैधानिक संकट के लिए कौन जिम्मेदार होगा?

जैसा कि कुमारी ममता बैनर्जी ने सही कहा है कि आप वाम दलों द्वारा निर्देशित हो रहे हैं, परन्तु उनका खोखलापन तीव्रता से प्रकट हो रहा है। इसलिए, भारत सरकार के रूप में आपके लिए हितकर होगा कि आप अपने सामान्य विवेक का प्रयोग करें। परन्तु उस स्थिति में मैं क्या कह सकता हूं जब आपकी हठधर्मिता ने आपके सामान्य विवेक पर पूरी तरह ताला जड़ दिया है। उपाध्यक्ष जी, कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूं कि "सत्यमेव जयते"।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मिनिस्टर साहब ने बोलना है। आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, कार्यवाही-वृत्तांत से असंसदीय शब्दों को निकाला जाना चाहिए। मैं इसे समुचित रूप आपकी जानकारी में लाऊंगा और कृपया आप इनकी जांच करें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर कुछ अनपार्लियामैंटरी होगा तो उसे देख कर निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, अभी लाभ के पद से संबंधित बिल पर चर्चा चल रही है। हालांकि इस पर पहली बार सदन में चर्चा नहीं हो रही है। इसके पहले लगभग दो माह पहले सदन में चर्चा हुई थी। वह इस सदन में पास हुआ था और राज्य सभा से भी पास हुआ था। जब महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गया तो उन्होंने इस बिल की समीक्षा करते हुए पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। पुनर्विचार के लिए भेजने का मतलब होता है तो सदन से विचार होकर गया था तो राष्ट्रपति जी की उस पर सहमति नहीं थी। उन्होंने देखा कि इस बिल में कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है, यह बिल न्यायसंगत नहीं है, बिल में समानता नहीं है जिस के कारण उन्होंने पुन: विचार के लिए भेजा। सरकार ने पुनर्विचार किया। सरकार को लगा कि हमने जो भेजा था, वह सही था। यह फिर सदन में लाए हैं जिस पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में सभी दलों के लोगों ने भाग लिया। हम कानून मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने पारदर्शिता रखी है? उन्होंने 54-55 संस्थाओं को इसमें जोड़ा है जिस में एक तिहाई, यानी 18 बंगाल के लोगों ने छक्का मारा है। जब यह बड़ी नीति और सिद्धांत की बात करते हैं तो लगता है कि भगवान राम के बाद इन्हीं का अवतार हुआ है। हम लोग जब सदन में नहीं थे तो सुनते थे कि मार्क्सवादी सदन से मिले पैसों को दल में देते हैं और किसी तरह कांख में झोला टांग कर काम चला लेते हैं लेकिन हमें सदन में दोहरा चरित्र देखने को मिला। इनका भाषण और कुछ और काम और कुछ आंख के सामने देखने को मिले। 54 में से 18 पद, यानी एक तिहाई पश्चिम बंगाल और 6-7 उत्तर प्रदेश ने भी मारे हैं।

श्री मोहन सिंह: उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है लेकिन क्रियात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम है। बिहार की भी दो हैं। एक अनुग्रह नारायण सिंह सेवा संस्थान की है। हम जानना चाहते हैं कि उसमें केन्द्र सरकार का क्या है? वह राज्य सरकार की संस्था है, वहां के कानून राज्य सरकार के बनाये हुए कानून हैं, वहां की व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे है, उस पर राज्य

*अध्यपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सरकार की नियंत्रण है। लेकिन आप इसमें क्यों लाये हैं, आप इसलिए लाये हैं, क्योंकि कांग्रेस के सांसद अभी उसके चेयरमैन हैं। बड़ा अजीब लगता है श्री कपिल सिब्बल जी बोलते थे ...*(व्यवधान)* झारखंड की राज्य सरकार इस बिल को लाई थी। एन.डी.ए. सरकार इसे लाई थी तो उस समय आप लोगों ने इसका विरोध किया था, कहा था, बिल गलत है, आज आप ला रहे हैं...*(व्यवधान)* हम आपके जैसे...*

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक्सपंज कर दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उस दिन ये लोग विरोध कर रहे थे, आज हम विरोध कर रहे हैं। इसमें जनता का सवाल कहीं नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने एक्सपंज कर दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: * मैं बोलूंगा तो इनको छींटे लगेंगे, क्योंकि सच बात बड़ी कड़वी होती है।...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी पूरी सदन के नेता है और उनके बारे में यह ऐसी बात बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी अनपार्लियामैन्ट्री होगा, वह निकाल देंगे। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी अनपार्लियामैन्ट्री होगा, वह निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, हमने अपने को भी कहा है, इसमें हम भी शामिल हैं, फिर इन्हें गुस्सा क्यों आता है। हम अपने को छोड़कर नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सदन में आज त्यागपूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी को इस बहस में भाग लेना चाहिए था। इसका कारण यह है कि इसी सवाल पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दिया था और देश के लोगों ने उन्हें त्यागमूर्ति भी कहा था...*(व्यवधान)* वह वहां से भारी बहुमत से जीत कर आईं और फिर उसी कुर्सी पर बैठने के लिए गलत तरीके से बिल लाकर आज कानून बनाया जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): उपाध्यक्ष जी, यह क्या अनपार्लियामैन्ट्री बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह असंसदीय नहीं है।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, हम अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमें लगता है कि...* इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सांसद तथा विधान निर्माता निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में विभिन्न भूमिकाओं का निर्णय करते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: ओवेसी जी, बैठ जाइए। जरा लालू जी की बात को सुन लिया जाए।

श्री लालू प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है और हम भी प्रभुनाथ सिंह जी से अपील करते हैं कि उन्होंने सदन की गरिमा के प्रति अपना भाषण बोलते हुए पूरे सदन को कह दिया कि हम लोग...*

उपाध्यक्ष महोदय: वह मैंने कह दिया कि मैं प्रोसीडिंग देख लूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप दोनों ही ऐसी बोली बोलते हैं कि हम क्या करें?

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: कौन बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो अनपार्लियामेंट्री होगा, वह प्रोसीडिंग में से हम निकाल देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में यह कहता हूं कि लालू जी ने भारत सरकार में मंत्री रहते हुए ऐसा लफ्ज कभी भी नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो अनपार्लियामेंट्री होगा, वह हम निकाल देंगे।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो असंसदीय और असंगत है, वह प्रोसीडिंग में से निकाल दिया जाए।...(*व्यवधान*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: प्रभुनाथ सिंह जी ने और जो हमारे आदरणीय सदस्य हैं, पार्टी में टोकाटोकी हो, कोई बात नहीं है लेकिन पूरे सदन में बैठे हुए हम सब लोग...* यह कहना ठीक नहीं है।...(*व्यवधान*) इसे प्रोसीडिंग में से निकाल दिया जाए।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: वह मैंने कह दिया कि मैं प्रोसीडिंग देख लूंगा और जो अनपार्लियामैंट्री होगा, उसे निकाल दूंगा।

...(*व्यवधान*)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): उपाध्यक्ष महोदय, प्रभुनाथ सिंह जी को पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए।...(*व्यवधान*) इनको पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कह दिया कि मैं एक्सपंज कर दूंगा। माफी मांगने या न मांगने वाली कोई बात नहीं है।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: जो लोग बगैर मेरी परमिशन के बोलते हैं, उनकी बातें रिकार्ड में नहीं जाएंगी।

(*व्यवधान*)...*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आप अपने सदस्यों को बैठाइए।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: मुंशी जी भी अपने सदस्यों से रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, सांसदों, विधायकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी संस्थानों और न्यासों के सम्बन्ध में अपनी सहायता और परामर्श देंगे ताकि वे संस्थान देश के लोगों के हितों के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।...(*व्यवधान*)

महोदय, मैं इस पक्ष की ओर से भी बहस सुन रहा था। कई बार संवैधानिक, असंवैधानिक, संवैधानिक औचित्य, नैतिकता आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। कई सदस्यों ने पूछा कि सभी राज्यों के लिए कानून एक जैसा क्यों नहीं है।...(*व्यवधान*) कई बार आप किसी को शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन जब कोई शिक्षित नहीं होना चाहता है, तो आप उसकी अनभिज्ञता को बढ़ाने में सहायता दे सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के अध्यधीन यह विधान इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि संसद सदस्य किसी न किसी राज्य समिति के सदस्य भी होते हैं। यदि कोई विधायक केन्द्र सरकार की किसी समिति का सदस्य बनना चाहता है तो छूट राज्य सरकार के अन्तर्गत आती है। इस मामले में केन्द्र राज्यों की ओर से कार्य नहीं कर सकता हैं।

दूसरी बात विपक्ष के सदस्यों ने यह कहा है कि माननीय राष्ट्रपति के प्रति हमारा कोई आदरभाव नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 1974 के शमशेर सिंह, उच्चतम न्यायालय के चार न्यायमूर्ति मामले में बहुत ही स्पष्टतः कहा है कि राष्ट्रपति केवल दो ही परिस्थितियों में अपनी ओर से कार्य कर सकते हैं - वे हैं, जब सरकार अपना बहुमत खो दे तथा जब भंग होने का मामला हो। इन दो परिस्थितियों के अलावा, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। इसलिए, मुझे विपक्ष के ऐसे विद्वान सदस्यों से यह सुनकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय आदि की सलाह लेना पसंद करेंगे।

भूतलक्षी प्रभाव के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय ने कान्त कथुरिया मामले में बहुत ही स्पष्ट कहा है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतः कहा है कि लाभ के पद के मामले में छूट भूतलक्षी प्रभाव से दी जा सकती है।

दूसरी बात यह कि वे आज ईमानदारी और माननीय राष्ट्रपति का आदर नहीं किए जाने की बातें करते हैं लेकिन जब एन.डी.ए. सरकार सत्ता में थी और जब गुजरात जल रहा था तब उन्होंने कैसे श्री के.आर. नारायणन, तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति के सुझावों की पूरी तरह अनदेखी की थी।...(*व्यवधान*)

तब राष्ट्रपति की सलाह की पूर्णतः अनदेखी की गई थी...*(व्यवधान)* मुझे आश्चर्य होता है कि तब उनकी नैतिकता और संवैधानिक औचित्य कहां गया था?...*(व्यवधान)*

अन्त में, यदि शांति निकेतन जैसे संस्थान को सक्षमता से तथा प्रभावी तरीके से चलाना है, तो हमें श्री सोमनाथ चटर्जी के कद के व्यक्ति की आवश्यकता है तथा हमें भाजपा से किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें मो. सलीम की आवश्यकता है तथा हमें आपकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है।

मैं इसी बात के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। बेशक हिन्दुस्तान में *

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: उसको एक्सपंज कर दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उसे एक्सपंज कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें माफी मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)* ये पहले माफी मांगें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उसे एक्सपंज कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.32 बजे

(इस समय श्रीमती किरण माहेश्वरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उसे एक्सपंज कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

*अध्यपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: लोक सभा सायं 6.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं 6.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 6.45 बजे

लोक सभा सायं 6.45 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: लोक सभा सायं 7.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं 7.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 7.15 बजे

लोक सभा सायं 7.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 - *जारी*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी आप सबसे एक रिक्वैस्ट है कि हमारी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इन्हें इस वक्त सिर्फ हमारा देश ही वाच नहीं कर रहा है, बल्कि सारी दुनिया इसको देख रही है। मैं यह चाहता हूं कि हम सब जिम्मेदार लोग हैं, ऑनरेबिल मैम्बर्स हैं, सीनियर मैम्बर्स हैं, कुछ नये मैम्बर भी हैं, हमें चाहिए कि हम सब एक दूसरे का मान-सत्कार करें और एक दूसरे को सुनने की अपने में हिम्मत पैदा करें।

जहां तक आज का सवाल है, यहां जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं, बुरा हुआ और जो कुछ भी ओवेसी जी ने नरेन्द्र

[उपाध्यक्ष महोदय]

मोदी जी के बारे में कहा, वह उनकी गलती थी, उसे मैंने एक्सपंज कर दिया है और जो अपोजीशन की तरफ से नारे लगे, उनको भी मैंने खत्म कर दिया है। मैं समझता हूं कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आपने, जो कुछ उन्होंने कहा, उसकी निन्दा की है, यह तो रिकार्ड में डालिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हां जी, की है।

श्री मानवेन्द्र सिंह जी, सिर्फ दो मिनट आपको बोलना है।

श्री मानवेन्द्र सिंह (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए यहां खड़ा हूं। तीन महीने पहले इसी सदन में एन.डी.ए. ने इस विधेयक का विरोध किया था और आज भी हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जब यह विधेयक महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारे पास वापस आया है और महामहिम ने उसमें कुछ सुझाव लिखे हैं, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने प्रत्येक पाइंट पर बड़े विस्तार से चर्चा की है। मैं केवल इतना ही आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि भारत के संविधान में, भारत में राष्ट्रपति जी का जो पद है, वह सर्वोच्च पद है और जो महामहिम द्वारा सुझाव रखे गए हैं, उन सुझावों और पाइंट्स पर सरकार ने इस विधेयक में न तो चर्चा की है, न उस पर हमें ऐसा कोई मार्गदर्शन दिया है कि उन पाइंट्स को, उन सुझावों को कुछ सोच-समझकर कि यह विधेयक थोड़ा सुधरे और जो राजनेताओं के प्रति जनता में आम धारणा है, वह धारणा थोड़ी बदले। आज इस सदन में कई ऐसे सदस्य हैं, जिनमें से किसी पर तो कोई...*

उपाध्यक्ष महोदय: असंसदीय शब्दों को एक्सपंज किया जाये।

श्री मानवेन्द्र सिंह: इसके साथ-साथ हम ऐसा विधेयक पारित करना चाहते हैं, केवल चुने गए सांसदों के लाभ के लिए यह लालच की जो सीमा है, उसके द्वारा हम आम जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? लाभ के पद के लिए जो लालच है उसको हम स्वीकार करते हैं।...*(व्यवधान)* एक वामपंथी सदस्य ने कहा कि भाजपा राष्ट्रपति महोदय को गुमराह कर रही है।

महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को सन् 1992 से जानता हूं। जब वे रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर थे। उस समय मैं पत्रकार था, तब से मैं महामहिम को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को कोई मिस लीड नहीं कर सकता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह: राष्ट्रपति जी ने जो सुझाव भेजे हैं, अपने विवेक से, देश की चिंता के लिए, अपनी देश भक्ति की भावना से भेजे हैं। उन सुझावों को हमने ठुकराया है। मैं समझता हूं कि यह इस सदन की गरिमा को फेवर नहीं करता। पिछले सप्ताह और आज सबेरे भी कई सदस्यों द्वारा भारत में जो किसानों के बीच और सेना में अनेक आत्महत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, उस पर चर्चा हुयी थी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आत्महत्या की चर्चा में भारत में कभी किसी ने राजनेता को आत्महत्या करते नहीं सुना। राजनेता आत्महत्या क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उनको लाभ का पद दे रहे हैं। वे गलत भी करते हैं, तो भी हम उनको लाभ का पद देते हैं। राजनेताओं में आत्महत्या क्यों नहीं होती? आत्महत्या सेना में हो रही है, किसानों के बीच हो रही है, राजनेता क्यों नहीं आत्महत्या करते?...*(व्यवधान)* क्योंकि हम सब उन्हें लाभ का पद देने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। आज यह देश की हालत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): उपाध्यक्ष महोदय विशेषकर सभा में शांति स्थापित करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विपक्ष के नेता के प्रति भी आभारी हू कि उन्होंने अपने माननीय सदस्यों को कार्यवाही चलाने के लिए मना लिया।

हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इस संसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विपक्ष के माननीय नेता इस बात से सहमत होंगे कि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय ने जब हमें यह संदेश भेजा तो उस संदेश पर उचित विचार करना हमारा

*अध्यपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हमें इस बात से बहुत निराशा है कि राष्ट्रपति महोदय तथा उनके अच्छे गुणों की विस्तार में चर्चा करते हुए विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने इन बिंदुओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर कोई यह कहता कि संसद के पास इस कानून में संशोधन करने का अधिकार है तो मुझे अच्छा लगता। इस बारे में कोई बात नहीं की गई। मेरे मित्र श्री कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 102 के बारे में चर्चा की। जिस अनुच्छेद में सदस्यों को लाभ का पद रखने से रोका गया है, उसी अनुच्छेद में संसद की दोनों सभाओं को उन्हें छूट देने की अनुमति भी दी गई है। इस सभा का अधिक समय न लेते हुए मैं बताना चाहूंगा कि छूट कब दी गई थी। प्रथम छूट वर्ष 1950 में दी गई। वर्ष 1950 के एक अधिनियम द्वारा कतिपय कार्यालयों को छूट दी गई। द्वितीय छूट वर्ष 1951 में दी गई।

वर्ष 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विभिन्न कार्यालयों को भविष्यलक्षी तथा भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी गई। यह अधिनियम, लाभ के कतिपय पदों को घोषित करने के लिए था इन पदों पर कार्यरत लोगों को अयोग्य ठहराने के लिए नहीं। आप देख सकते हैं कि वित्तीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, फिल्म पूछ-ताछ समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य, रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा अधिकारी, भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष तथा राज्य में सहायक सरकारी वकील किस प्रकार के पद थे। जिन छोटे पदों के बारे में भी संदेह था, उन्हें वर्ष 1951 में छूट दे दी गई। तत्पश्चात् 1954 में एक वृहत कानून पारित किया गया। यह इस प्रकार के विभिन्न सदस्यों को छूट देने के लिए था, जिनका उल्लेख इस विधेयक में किया गया है। अतः माननीय सदस्यों के मस्तिष्क से यह भ्रम सदा के लिए निकल जाना चाहिए सभा कुछ गलत कर रही है। यह सभा लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है तथा संविधान जो भी चाहता है, उसे करने में हिचकना नहीं चाहिए क्योंकि संसद सदस्य के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी को त्याग नहीं सकते, यदि वह अधिकार आपको दिया गया है तो। आपका कहना है कि हमें उस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह अलग बात है कि राजनीतिक रूप से आपकी अलग राय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके तर्क के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है कि 45 सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। और विपक्ष में बैठे हुए आपको यह पसन्द नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपको यह पसन्द नहीं है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने राजनीतिक लाभ के साथ-साथ कुछ और चीज लाएं।

इसलिए, मैं केवल यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कानून सक्षम हैं तथा संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। मैं आपको केवल फैसलों के बारे में याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आप संविधान की व्याख्या की बात करते हैं।

राजस्थान के प्रसिद्ध मामले, श्रीमती कान्ता कथूरिया के मामले में ऐसा ही किया गया तथा उद्धरण है ए.आई.आर. 1970 उच्चतम न्यायालय 694। मैं इन फैसलों के बारे में, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मैं केवल दो बातें पढ़ूंगा जोकि आपके मस्तिष्क से अभी आशंकाओं को समाप्त कर देंगी। इस मामले में एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील श्री एम.सी. चगला ने बहस की थी, जो बाद में मंत्री बने थे। उन्होंने इन सभी बिंदुओं को उठाया था कि भूतलक्षी प्रभाव से ऐसा नहीं किया जा सकता तथा पांच न्यायधीश जिनमें से एक न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, न्यायमूर्ति सीकरी थे न्यायमूर्ति ए.एन. राय थे तथा तीन अन्य बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। उनमें से एक भारत के उप-राष्ट्रपति बने। किस बात पर जोर दिया गया? मैं पैराग्राफ 39 पढ़ रहा हूं।

> "अनुच्छेद 191(1)(क) में 'घोषित' शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, परन्तु हम इसे उपलक्षित नहीं कर पाए हैं - मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं जोर देकर कहता हूं - कि हम इस शब्द से विधायिका की शक्तियों की किसी सीमा को निहितार्थ प्रदान करना। घोषणा को पहले की किसी तारीख से प्रभावी बनाया जा सकता है।"

तत्पश्चात् वे जारी रहते हैं तथा मैं पढ़ता हूं:

> "आशंका यह है कि शायद यह स्वस्थ परंपरा न हो।"

आपका तर्क यह है कि एक ही समय पर बहुत से लोगों को छूट देना एक बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसमें फिर कहा गया है कि:

> "आशंका यह है कि शायद यह स्वस्थ परंपरा न हो और इस शक्ति का किसी विशेष मामले में दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि राज्य विधायिकाओं की शक्तियों को सीमित करने का कोई आधार नहीं है।"

उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों ने इसकी व्याख्या की है और उस पक्ष से बोलने वाले किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि इसे अलग किया जा सकता है अथवा उच्चतम न्यायालय की इससे बेहतर एक और व्यवस्था भी है। मैं चाहता हूं कि कुछ जानकर सदस्यों को यह मुद्दा उठाकर इस पर प्रकाश डालना चाहिए था।

हमारे बारे में कुछ चुटकुले कहे गए। इस्तेमाल की जाने वाली इन भाषाओं की हम परवाह नहीं करते। ये संसदीय जीवन का भाग हैं। हम यह समझने में परिपक्व हैं कि आक्रोश और क्रोध में हम हमेशा गलत ही बोलते हैं। इसलिए श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने जो भी कहा, मै उसे बुरा नहीं मानता। मैं उनके स्वयं के चरित्र के बारे में बहुत सी बातें कह सकता हूं परन्तु

[श्री हंस राज भारद्वाज]

मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वह मेरे मित्र हैं और उनके चरित्र के बारे में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। कुछ माननीय सदस्य जिनका कि खराब रिकॉर्ड है, मेरे पास सहायता के लिए आए थे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सभी सहकर्मी हैं। परन्तु मैं फिर कहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधायिकाओं से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 102 तथा अनुच्छेद 191 की यह व्याख्या की है। यह अर्ध-संघीय ढांचा है, जिसमें संसद तथा राज्य विधायिकाओं को उन पदों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है जो संसद सदस्यों तथा विधायकों ने धारण किए हुए हैं।

जिन सभी विधायिकाओं ने अपने-अपने विधायकों को छूट दी है उन्होंने सही किया है। यह सही तरीका है क्योंकि संविधान ने उन्हें यह शक्ति दी है। यदि वे इसे किसी और तरीके से करते तो वह अवैध होता। अंतः जब राष्ट्रपति महोदय आशंकित होते हैं और एक बार जब हम भूतलक्षी प्रभाव से पद को छूट देने के प्रभाव के बारे में उत्तर दे देते हैं तो यही उत्तर है। हमने रिकॉर्ड पर यह कहा है कि किसी भी सीमा के बिना यह संसद की शक्ति है। बहुत से मामलों में भूतलक्षी कानून की हमेशा अनुमति होती है। यह कोई असामान्य बात नहीं है। अतः उच्चतम न्यायालय की इस व्यवस्था के बाद किसी के भी मस्तिष्क में यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि हम आपको कुछ गलत करने को कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं?

यदि आप मुझे पांच मिनट दें तो मैं दो-तीन बातें और कहूंगा। कई संसद सदस्यों को शिकायत थी कि जब उन्हें संसद से निष्कासित किया गया तो उनकी बात सुनी नहीं गई। क्या यह तथ्य नहीं है? मैं सोचता हूं कि निष्कासन; निरर्हता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के संबंध में यह सोचना सत्ता पक्ष एवं विपक्ष हम सभी सांसदों का यह कर्तव्य है कि हम इस पर निष्पक्ष रूप से चर्चा करें। लेकिन कठिनाई यह है कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए बंटे हुए है। इनमें से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया है। हम एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय मंत्री महोदय, इस सभा को पहले ही तथ्यों से अवगत करा चुके हैं। हमें अपना ध्यान संविधान के अनुच्छेद 111 पर केन्द्रित करना चाहिए। लेकिन आप गुणों की चर्चा कर रहे हैं। आपको गुणावगुण के बारे में चर्चा करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके गुणों से शुरुआत की है। मैंने कभी भी यह विवाद पैदा नहीं किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से विधान बनाने की अनुमति दी गई थी। मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूं। मैं इस सभा के समय को बर्बाद नहीं करना चाहता।

इसके जेनेरिक विस्तृत विवरण के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि एक अर्ह संघीय संरचना है। हम राज्य की विधानसभाओं की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ पदों का सृजन किया है। वे इसे राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दे रहे हैं। यदि वे उन्हें छूट देना चाहें तो इसकी शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास है न कि संसद के पास। लेकिन जब संसद के किसी सदस्य द्वारा ऐसा कोई पद धारित किया जाता है, तब शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा इस सभा द्वारा किया जाना चाहिए। संविधान में इसी बात की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने का कोई अन्य उपाय नहीं है।

श्री अनंत कुमार ने एक बात कही थी। वह मेरे अच्छे मित्र हैं। वे हमेशा मुस्कराने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कई बार वे अपनी मुस्कान खो देते हैं। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध याचिका दायर की थी। श्री अनंत कुमार जी, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप इस सभा में श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध बहस करें, क्योंकि यह हितों का टकराव है। जब आप इस सभा के बाहर किसी का पक्ष लेते हैं तो आप उसका पक्ष इस सभा में नहीं ले सकते हैं। अतः यह उचित नहीं है। आप एक मंत्री रहे है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको दो अथवा तीन चीजें याद दिलाना चाहता हूं।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): यदि आप अपनी बात समाप्त करें तो मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के महासचिव होने की हैसियत से याचिका दायर की थी। आज, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल द्वारा किस प्रकार 'लाभ का पद' और "लाभ का पद" से छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए इस सम्माननीय सभा में इस मुद्दे को उठाकर मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया है।

श्री हंस राज भारद्वाज: संसदीय विधि की मेरी थोड़ी-बहुत जानकारी के अनुसार यदि कोई किसी न्यायालय में अथवा कहीं और किसी मुद्दे को उठाता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता, विशेषकर उस स्थिति में जबकि वह याची के रूप में उस मामले के एक पक्षकार हों। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए; वाद-विवाद को कभी भी प्रभावित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपको अपने लिए है। आप इससे असहमत हो सकते है यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं, जो कुछ जानता हूं उसके अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसके समाधान की दो पद्धतियां है...(*व्यवधान*) इसका समाधान करने के लिए केवल दो पद्धतियां है। पहली पद्धति इंग्लैंड में प्रचलित है जबकि दूसरी पद्धति का उपयोग हम कर रहे हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमें श्री आडवाणी जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। आपको याद होगा कि (42) बयालीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश पद्धति को लागू किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि "लाभ के पदों" की एक व्यापक सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि माननीय सांसद यह जान सकें कि ये पद निषिद्ध पदों की श्रेणी में आते हैं अत: उन्हें ये पद धारित नहीं करने चाहिएं। लेकिन तत्पश्चात् चवालीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया। चवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का अनुच्छेद 102 प्रभाव में आया। इस संशोधन के अंतर्गत आप किसी पद को किसी सूची में रखने के स्थान पर किसी व्यक्ति को छूट दे सकते है। इसके अतिरिक्त संविधान में कोई तीसरी पद्धति मौजूद नहीं है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें इसमें और उसमें संशोधन करना चाहिए। लेकिन "लाभ का पद" की जो कोई परिभाषा दी जानी चाहिए वह इस संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम में नहीं दी गई है। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 102 के दायरे में होना चाहिए।

जिस समय दल-बदल को परिभाषित किया जा रहा था उस समय मैं मंत्री था। मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। क्या हमें इसे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में देना चाहिए लेकिन सभी ओर से यही 'कानूनी सलाह' प्राप्त हुई कि 'नहीं' यह एक संवैधानिक निरर्हता है और आपको इसके लिए अनुच्छेद 102 में संशोधन करना होगा और इसलिए हमें अनुच्छेद 102 में दसवीं अनुसूची रखनी पड़ी। अब भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। लेकिन उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि यदि हम कोई परिभाषा देना चाहते हैं अथवा संसद सदस्यों को छूट देने के लिए कोई अन्य पद्धति अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना होगा। लेकिन मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमें यह शक्ति नहीं खोनी चाहिए। विपक्ष के एक संसद सदस्य ऐसे थे जो नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्रवाई कर रहे थे। वह बहुत ही विद्वान सांसद थे। फिलहाल मैं उनका नाम भूल गया हूं।...(*व्यवधान*) हां, याद आया, उनका नाम श्री सुरेश प्रभु है। वह एक सनदी लेखाकार हैं। उन्हें इस विषय की बहुत अच्छी जानकारी है और यदि उन्हें इस बोर्ड अथवा प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वे उस पद से कमाई करेंगे? संसद के अनेक सदस्यों को जानकारी है और अनेक सांसदों के पास, छ: माह के संसद सत्र में सम्मिलित होने के बाद अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए समय निकाल सकते हैं। कोई अपने पैरों में स्वयं बेडिया नहीं डाल सकता। इसे इस सम्माननीय सभा के समक्ष खुला हुआ रखना चाहिए। जब कभी भी हम इसके बारे में कुछ महसूस करेंगे तो इस संबंध में चर्चा कराएंगे। कौन कहता है कि कोई चर्चा नहीं होगी? माननीय राष्ट्रपति के संदेश का यही उद्देश्य है।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से विपक्ष में अपने मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सभा का सदस्य होने के नाते आपको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी संदेश पर उद्देश्यों का आरोपण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार ब्रिटेन की महारानी वहां की संसद में संदेश भेजती रहती है ठीक उसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति जी भी संसद में संदेश भेजते रहते हैं। कार्यपालिका की कार्यवाही के मामलों में वह निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए प्राय: संसद के पास भेज सकते हैं। जब हम कहते हैं "हम मंत्रिमंडल के निर्णय को दोहराते हैं" तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम राष्ट्रपति के निर्णय के प्रति अनादर दिखा रहे हैं? जब आपकी सरकार थी तब आपने अपने अनेक निर्णयों को दोहराया था अर्थात् आपने अपने निर्णयों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। अत: जब हम मंत्रिमंडल के निर्णय को दोहराते हैं तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के प्रति आदर प्रदर्शित नहीं किया? यही संवैधानिक व्यवस्था है। विधायी प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। यदि विधेयक पारित किया जाता है और तब राष्ट्रपति बड़े बुजुर्ग और राष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते अपने दिमाग का उपयोग करते हुए यह कह सकते हैं कि "कि मैं अपनी स्वीकृति को लम्बित रख रहा हूं और अपना संदेश भेज रहा हूं" और दोनों सदनों में हमें यह संदेश प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि "आप इस निर्णय पर पुनर्विचार करें।" यदि सरकार दोबारा इस विधेयक को पारित करने का निर्णय लेती है तब विधि मंत्री का यह कर्तव्य है कि विधि को लागू करें...(*व्यवधाम*)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी बात समाप्त कर ली है अथवा नहीं! यह व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 111 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: कृपया मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 111 की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। यह संविधान के अनुच्छेद 111 का उल्लंघन है। यह एक बाध्यकारी उपबंध है।

संवैधानिक अपेक्षा स्पष्ट है और इसे विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए सभा हेतु "शैल" (अंग्रेजी सहायक क्रिया) को जानबूझकर अनिवार्य बनाया गया। अनुच्छेद 111 में "शैल" का उपयोग अनिवार्य है। हम क्या कर रहे हैं? हम राष्ट्रपति जी की सलाह को नकार रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं इसे सभा की जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं...*(व्यवधान)* महोदय, यह प्रावधान अनिवार्य है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यह अनुच्छेद 111 के प्रावधानों का उल्लंघन है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, यह अनुच्छेद 111 की गलत व्याख्या करने और डी. बसु की संविधान सम्बन्धी पुस्तक को ध्वस्त करने का एक ढंग है।...*(व्यवधान)* उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, "शैल" का क्या अर्थ है? माननीय मंत्री को हमें संतुष्ट करना चाहिए...*(व्यवधान)* यह अनिवार्य है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मंत्रीजी को जवाब देने दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: "शैल" के उपयोग का यह अर्थ है कि उन्हें अनुच्छेद 111 की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, 'शैल' अनिवार्य है। आपको महामहिम राष्ट्रपति की सलाह पर अवश्य विचार करना चाहिए। इसे नकारा नहीं जा सकता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं अनुच्छेद 111 के उपबंधों को पढ़ रहा हूं...*(व्यवधान)* "सदन पुनर्विचार करेगा..."

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रीकंसिडर ही कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इसका क्या अर्थ है?...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, यह गलत व्याख्या है।

संसद राष्ट्रपति जी की सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, कृपया बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, मैंने इसे पढ़ लिया है और इसमें कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(*व्यवधान*)

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मुझे बहुत खेद है, सर्वप्रथम यहां पर महामहिम राष्ट्रपति को सम्मान देने पर अत्यधिक जोर था और मुझे बहुत दुःख हो रहा है जिस प्रकार वे राष्ट्रपति जी के विचारों को इतने सामान्य ढंग से ले रहे हैं...(*व्यवधान*)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, वे शायद गम्भीर न हों किन्तु हम बहुत गम्भीर हैं...(*व्यवधान*)

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं माननीय सदस्य को सतर्क करता हूं और व्यक्तिगत स्तर पर यह महसूस करता हूं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। विधेयक लाने वाले को बोलने का अधिकार होना चाहिए। सभी माननीय सदस्यों को छह घंटों तक सुनने के बाद, कम से कम मुझे 5-10 बिन्दुओं पर बोलने का अवसर दिया जाए। इसीलिए, मैं यही कहूंगा कि प्रक्रियारत विधायी प्रस्ताव की मूल अवधारणा यही है कि प्राथमिकता इस सभा के पास है। क्या आप संसद को अपना निर्णय देने से नकार सकते हैं? मैंने यह किया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को एक संदेश प्राप्त हुआ, राज्य सभा के सभापति महोदय के कार्यालय में एक संदेश आया और संदेश के अनुपालन में इसे सभापटल पर रख दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति इस पर दोनों सदनों द्वारा पुनर्विचार चाहते हैं। पुनर्विचार का अर्थ है, उपाध्यक्ष महोदय ने हमें किन मुद्दों पर वाद-विवाद करना है उसके दिशा-निर्देश दिए हैं, इन मुद्दों पर हमें प्रकाश डालना है और उल्लेख करना है।

हमारा व्यवहार यह होना चाहिए कि हमें उन बिन्दुओं पर जोर देना चाहिए न कि कटुता पर। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए, हमें उसी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। हमें अपने वक्तव्यों के माध्यम से यह दर्शाना चाहिए कि हम अपने अधिकारों की सीमा रेखा में हैं। यह संसद अपने अधिकार क्षेत्र में यह कहती है: "जी हां, राष्ट्रपति जी, हमने आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर किया है; हमने इस पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया है; किन्तु हम यह महसूस करते हैं कि संसद के पास यह शक्ति है और हम प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत इन लाभ के पदों को छूट प्रदान करते हैं।" यही सरकार का निष्कर्ष है। इसी बारे में, मैं आप लोगों से निर्णय लेने के लिए इस सभा में उपस्थित हुआ हूं। यह निर्णय इस वाद-विवाद से उत्पन्न होगा और यहां विपक्ष की भूमिका बहुत कमजोर है। इसीलिए, यहां पर...(*व्यवधान*)

आप मुझ पर चिल्ला सकते हैं। मैं बहुत कमजोर व्यक्ति हूं, आप मुझ पर चिल्ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहें।

...(*व्यवधान*)

श्री हंस राज भारद्वाज: आज इस पर बहुत अधिक ऊर्जा लगाई जा रही है क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति यह चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। पुनर्विचार करते समय, हमें तीन बिन्दुओं पर अवश्य पुनर्विचार करना चाहिए। हमने इसका उल्लेख करने का प्रयास किया है, प्रथम पदों के बारे में छूट देने के सम्बन्ध में, हमारे पास अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत शक्ति है; इस संसद के पास यह शक्ति है। कांता कथूरिया के मामले के माध्यम से मैंने यह उल्लेख किया था कि हम इसे पारित करने का अधिकार रखते हैं और पूर्व प्रभाव से उन्हें इसका लाभ दे सकते हैं। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं; हम इसे बाहर ही रखेंगे। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि यह सभा इस पर विचार करने और पारित करने का अधिकार रखती हैं। धन्यवाद, महोदय...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(*व्यवधान*)*...

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। कृपया हमारी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय: दासगुप्त जी, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। कृपया बैठ जाइये।

(*व्यवधान*)...*

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक मिनट और बोलना चाहता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हंस राज भारद्वाज]

कुछ सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसे नये सिरे से तैयार करेगी। मैं इस माननीय सभा को आश्वस्त करता हूं कि सभी बिन्दुओं को नोट कर लिया गया है और सरकार इस पर पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों की एक समिति नियुक्त करने के लिए तैयार है और यह देखेगी क्या मौजूदा विधान की समुचित परिभाषा अथवा संशोधन किया जा सकता है। हमें ऐसा करके बहुत प्रसन्नता होगी। जैसा कि मैंने कहा है इसका कारण यह है कि यह माननीय सदस्यों की निरर्हता से सम्बन्धित है, हम अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करेंगे और इस मुद्दे के समाधान के लिए आपका सहयोग भी लेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 राज्य सभा द्वारा पुनः यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू करेगी। श्रीमती मेनका गांधी संशोधन सं. 4 प्रस्तुत करेंगी।

नया खंड 1क

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 के पश्चात्, अन्तःस्थापित करें,

"1क - संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(कक) "लाभ के पद" का अर्थ है, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद, जिसको धारण करने वाले के पास अपने पद के आधार पर कार्यकारी, वित्तीय और आनुषंगिक शक्तियों का उपयोग करने का अवसर हो बावजूद इस तथ्य के कि ऐसे पद को धारण करने वाला या तो कोई भत्ता ग्रहण न कर रहा हो या उतना भत्ता ग्रहण कर रहा हो, जो संसद सदस्य अथवा विधायक को ग्राह्य दैनिक भत्ते से अधिक न हो;"। (4)

मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि क्यों। विधि मंत्री ने बहुत ठोस दलील दी है कि सांसदों के रूप में हम आगे कार्रवाई करने के पात्र हैं, भले ही राष्ट्रपति महोदय की सलाह कुछ भी हो। ऐसा हो सकता है लेकन यह इसे नैतिक रूप से उचित नहीं ठहराता। आपने वास्तव में कहा है कि ऐसा 1951 में, 1950 में, पहले भी हुआ है; इन लाभ के पदों को छूट दी गई है। यह सत्य है।

लेकिन ये वे लाभ के पद थे, जिन्हें छूट दी गई थी। उनमें एकसमानता थी। वे निष्पक्ष थे। वे प्रासंगिक थे। मैं जानना चाहती हूं कि तब क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, इसके बीच में कोई तुलना है। क्या आज, ये पद हैं, जिन्हें छूट दी जा रही है अथवा पद धारण करने वाले वे लोग हैं, जिन्हें छूट दी जा रही है? राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा है? उन्होंने यह नहीं कहा है: "छूट न दें।" उन्होंने कहा है कि यदि आप एक राज्य मात्स्यिकी निगम को छूट देंगे...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): ये लम्बा भाषण कैसे दे सकती हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकती हैं और बोल सकती हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा है? राष्ट्रपति जी ने कहा है कि केवल एक मत्स्यिकी निगम को छूट देने की बजाय क्यों न सभी को छूट दे दी जाए? आखिरकार, सभी फिल्म बोर्डों को छूट दी गई थी। यदि एक छावड़ा पुल निगम को छूट दी जानी है, तो सभी पुल निगमों को छूट दी जाए। राष्ट्रपति जी ने यही कहा था...*(व्यवधान)* नहीं। एक छावड़ा पुल निगम भी है। उन्होंने जो कुछ कहा, वह यही है। जब हूगली विकास बोर्ड अथवा यू.पी. विकास बोर्ड को छूट दी गई है, तो क्यों न सभी को छूट दी जाए?...*(व्यवधान)* यदि छूट देने के पीछे यही भावना है, तो हम आपको भूतलक्षी प्रभाव से या भावी प्रभाव से समर्थन देने में खुशी महसूस करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आपका संशोधन क्या है?

श्रीमती मेनका गांधी: इसमें दुर्भावना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्रीमती मेनका गांधी: प्रत्येक सदस्य ने इसके बारे में बोला है चाहे ऐसा करना उचित हो अथवा नहीं। क्या इस ओर से एक संसद सदस्य ने कहा है; "हां, हमें केवल एक कारण से इन छूटों की आवश्यकता है कि एक संसद सदस्य बेहतर तरीके से सक्षम होता है और किसी निगम अथवा लाभ के पद का संचालन करने में अधिक बेहतर होता है।" किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है...*(व्यवधान)* क्या पश्चिम बंगाल में मत्स्य विकास का

प्रबंधन करने के लिए कोई मात्स्यिकी विभाग नहीं है? कोई संसद सदस्य मात्स्यिकी बोर्ड या विकास बोर्ड या ऐसे अन्य निकाय का पद क्यों संभाले, जिसका राज्य द्वारा अत्यधिक सुविधा के साथ संचालन किया जा सकता है? क्या किसी संसद सदस्य ने कहा है, "नहीं, एक संसद सदस्य उस पद, जो कि अब एक लाभ का पद है, का संचालन करने के लिए अधिक चतुर, अधिक बेहतर और अत्यधिक अनुभवी है"? किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है। इसलिए, यह योग्यता पर आधारित नहीं है...*(व्यवधान)*

अंतिम बात जो मैं कहना चाहती हूं, वह यह है। मैं माननीय विधि मंत्री से सहमत हूं, जिन्हें मैं अनेक वर्षों से जानती हूं। हां, हमारे पास इसे पारित करने का अधिकार है। वास्तव में, हमारे पास अधिकार है। लेकिन यदि कल हम विधेयक पारित करते हैं - जो कि श्री मानवेन्द्र सिंह जी कहने का प्रयास कर रहे थे - जिसमें दृष्टांत के तौर पर हत्या या लूट में छूट दी जाए, तो क्या यह नैतिक रूप से सही होगा?...*(व्यवधान)* यह केवल इसलिए नैतिक रूप से सही नहीं है क्योंकि हम इसमें छूट दे दें। इसलिए, मैंने अनेक संशोधनों की बात कही है, जिन्हें वास्तव में हर किसी ने पढ़ा होगा। लेकिन मैं अपने संशोधन का एक हिस्सा पढ़कर बात समाप्त करना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केवल अपने संशोधन संख्या 4 के विषय में ही बोलें।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, नियम 86 के तहत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: ये याचिकाएं न्यायालय में लंबित हैं। जिन छूटों के लिए एन.डी.ए. ने कहा है...*(व्यवधान)* आप मात्स्यिकी बोर्ड से हैं। मुझे बेहद खेद है। मुझे ज्ञात नहीं था कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, एक मिनट प्रतीक्षा करें। मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उन्हें एक पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। आपके द्वारा केवल एक एकल प्रश्न को अनुमति दी जा सकती है। लेकिन आपने इन्हें ज्यादा समय दे दिया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे अपने संशोधन के बारे में बोल सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार कृपया बैठ जाइए। वे अपने संशोधन पर बोल सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: आप उन्हें इसके लिए विशेष अनुमति दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: तोपदार जी कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे बहुत खेद है, यदि मैंने मात्स्यिकी पर चर्चा करते समय दुखती रग पर हाथ रख दिया हो? मैंने इसे केवल उदाहरण के लिए लिया था...*(व्यवधान)* वे पचपन श्रेणियां भी उतनी ही पक्षपातपूर्ण और अतर्कपूर्ण हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना संशोधन सं. 4 प्रस्तुत करें।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करती हूं, जो अपने सभी चार खंडों में विशेष रूप से मूलतः इसकी मांग करता है कि याचिकाओं पर न्यायालय में सुनवाई होने दें, और यदि आप भयभीत नहीं हैं और आपको विश्वास है, कि आपने जो किया वह नैतिक रूप से सही है। तो मुझे विश्वास है कि न्यायालय उन्हें कायम रखेगा...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, आपको मुझे सुनना होगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: तोपदार जी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह अपना संशोधन पेश करते समय बोल सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 धारा 3 में संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा संशोधन 1 से 3 तक प्रस्तावित है, जो क्लॉज दो, तीन और चार के संबंध में है। मैं इतना ही सबमिट कर रहा हूं कि क्लॉज चार बिल के भीतर कहीं डिफाई नहीं है। मूल अधिनियम में पांच धाराएं हैं। जो चौथी क्लॉज है, उसे पास करने के बाद कहां मूल अधिनियम में इनस्टॉल करेंगे? बिल की स्कीम डिफैक्टिव है। आपको पुनः एक अमैंडमैंट लेकर आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेनका गांधी जी ने संतोष गंगवार की ओर से जो क्रमांक पांच से सात संशोधन मूव किए हैं, वे आइडैंटिकल हैं, मिलते-जुलते हैं। मौजूदा विधेयक के क्रमांक एक से तीन रिट्रॉसपैक्टिव इफैक्ट को समाप्त करने से संबंधित हैं जिसे मैं मूव नहीं कर रहा हूं। कृपया उन्हें निरस्त कर दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती मेनका गांधी संशोधन सं. 5 लायेंगी।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं प्रस्ताव करती हूं कि पृष्ठ 1 पंक्ति 9

"और 4 अप्रैल 1959 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे" (5)

का लोप किया जाए

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पेश किए गए संशोधन सं. 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी क्या आप अपना संशोधन संख्या 8 पेश करेंगी?

कुमारी ममता बैनर्जी: जी हां महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 8 पेश कर रही हूं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति को भेजे गए संदेश में सरकार ने कोई, आदर नहीं दिखाया। सरकार ने इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। इसीलिए मैं यह संशोधन पेश कर रही हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 2 पंक्ति 1 और 2 का लोप किया जाए। (8)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं कुमारी ममता बैनर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 8 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

रात्रि 8.00 बजे

खंड 3 - नई तालिका को जोड़ा जाना

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत संशोधन सं. 2 प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': उपाध्यक्ष महोदय, अमैन्डमैन्ट नम्बर दो मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी संशोधन सं. 6 प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 2 पर पंक्ति 9 और 10 का लोप किया जाए। (6)

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं यह अधिकार केवल संशोधन प्रस्तुत करने वाले को है।

श्री संतोष गंगवार: इसमें मेरा नाम है। मैं प्रस्ताव कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): उपाध्यक्ष महोदय इसमें मेरा नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं कृपया बैठ जाएं। आपको कोई अधिकार नहीं है।

डा. एम. जगन्नाथ: चूंकि मुझे अपने संशोधन पेश नहीं करने दिया गया मैं बहिर्गमन करता हूं...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.01 बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ सभा से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसमें हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* मैं इतना कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिस भावना के तहत इस बिल को वापस भेजा था और लगता भी है कि सदन में हमने उसके ऊपर चर्चा भी नहीं की। हमने इसमें जो बात लिखी है, वैसे माननीय कानून मंत्री जी ने कहा है, इसमें मेरा आग्रह यह है कि

[अनुवाद]

"इस अधिनियम की शुरुआत से एक वर्ष के अंदर केन्द्र सरकार न्यायोचित, उचित तथा तर्कसंगत मानदण्डों पर आधारित एक विस्तृत कानून का विनियमन करेगी जिसे लागू किया जा सके"

[हिन्दी]

मेरा कहना है कि इसके ऊपर कायम रहें और महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और उनसे क्षमायाचना करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा खंड 3 के संशोधन सं. 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी संशोधन सं 9 प्रस्तुत करेंगी।

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 2 पर पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर "और विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पोलिटिक्स के लिए राष्ट्रपति जी ने जो मैसेज दिया है, उसे टोटली रिजैक्ट किया जा रहा है। मेरे विचार से यह एक ऐतिहासिक भूल है। इसीलिए मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कुमारी ममता बैनर्जी द्वारा खंड 3 के संबंध में संशोधन सं. 9 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 - प्रमाणन तथा अन्य मामलों से संबंधित विशेष प्रावधान

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत संशोधन सं. 3 पेश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': मेरा अमैन्डमैन्ट 3 क्लाज 4 के संबंध में है। मेरा सबमिशन इतना ही था कि आपको इसका दोबारा अमैन्डमैन्ट लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आप जो स्कीम लेकर आये हैं, उसमें कहीं नहीं है कि आफ्टर सैक्शन-5 जायेगा या सैक्शन 4 में अमैन्डमैन्ट करेंगे। यह डिफैक्टिव है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे मूप क्यों नहीं करते?

श्री संतोष गंगवार: मैं इसे मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी क्या आप संशोधन सं. 7 का प्रस्ताव करना चाहती हैं?

श्रीमती मेनका गांधी: जी महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 4 पंक्ति 18-28 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए ,

"4(1) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय धारा

[श्रीमती मेनका गांधी]

3 में उल्लिखित किसी भी पद के संबंध में, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या निर्देश लंबित है, तो वह पद इस अधिनियम के अधीन उस समय तक निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं माना जाएगा। जब तक कि याचिका या निर्देश का निपटान उसके पक्ष में नहीं कर दिया जाता है।

परंतुक कि धारा 3 के अधीन किसी पद के लिए किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक याचिका या निर्देश का निपटान इसके दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर ऐसे मानदण्डों के आधार पर एक व्यापक विधान अधिनियमित करेगी जो न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त दो तथा जो समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर स्पष्ट और पारदर्शी ढंग से लागू हो सके।" (7)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा खंड 4 से संबंधित संशोधन सं. 7 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी अगर पहले इसे मूव करा लें तो ठीक होगा।

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि थर्ड रीडिंग में आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। यह बहुत ही अच्छा संयोग है कि इन्हीं दिनों में जब संसद इस विषय पर विचार कर रही है, संसद के प्रमुख अधिकारी सैक्रेटरी जनरल आचारी जी ने इस विषय को लेकर एक ग्रन्थ लिखा है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ही लिखा है तथा इसकी प्रस्तावना स्वयं लोक सभा अध्यक्ष ने लिखी है और मैंने जितने भाषण सुने, उन भाषणों में इस बात पर बल दिया गया कि संविधान में ही यह अधिकार संसद को दिया गया है कि किस पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिधि में से बाहर रखें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिकार दिया गया है। आखिरकार आर्टिकल 102 (1ए) जिसके अधीन यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आता है, उसके दो हिस्से हैं।

[अनुवाद]

"कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्ह होगा, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।"

सर्वप्रथम, भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन वह लाभ का पद धारण करता हो, तो वह निरर्ह घोषित किया जायेगा; लेकिन ऐसा उस पद के अलावा होगा जिसमें संसद इसका पद धारण करने को कानून द्वारा निरर्ह नहीं घोषित करता हो। अतएव यह पद है न कि व्यक्ति जो घोषित किया जाता है। यह मुद्दा श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पूर्व में उठाया गया था। मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

मैं इस तथ्य पर विचार करना चाहता हूं कि जबकि न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करते हैं तथा इस पर कई निर्णय दिए है कि लाभ का पद वास्तव में क्या है तथा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति उन निर्णयों की तह में गई हैं, तथा अपनी व्याख्या की है, इत्यादि। लेकिन किसी ने भी, कानून मंत्री ने भी यहां तक कि श्री कपिल सिब्बल ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी विशिष्ट पद को छूट देने के संबंध में संसद की शक्ति असीमित नहीं है।

मैं यह मानता हूं कि संसद के पास ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वे कतिपय लाभ के पदों को इस रूप में घोषित करें कि वे पदधारक को निरर्ह नहीं कर सके। इसके अनुसार, मैं श्री आचारी को उद्धृत करता हूं:

"तथापि, यह प्रश्न उठता है कि क्या यह शक्ति असीमित है तथा संसद एवं विधानमंडल प्रत्येक पद से संबंधित पदधारक को निरर्ह नहीं घोषित कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शक्ति असीमित नहीं है।"

[हिन्दी]

आप चाहते थे और खासकर आपने जब अपना बाकी व्याख्यान दिया, इसमें यह कहा कि किसी ने यह बताया नहीं। आप मानकर यह चले थे कि सब अधिकार पूरे हैं और आपने डा. कथूरिया का जो जजमेंट है, उसे कोट किया।

[अनुवाद]

मैं उच्चतम न्यायालय के भगवान दास बनाम हरियाणा राज्य के सम्बन्ध दिए गए विचारों का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में जब न्यायालय को लगे कि अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 191 के अंतर्गत छूट देने संबंधी शक्ति का उचित रूप से तथा पर्याप्त मर्यादा के साथ पालन नहीं हुआ है तो वह विधानमंडल द्वारा पारित कानून को निरस्त करने के लिए हस्तक्षेप करेगी।

अतएव, न्यायालय इसे निरस्त कर सकता है।

[हिन्दी]

मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे जो आशंका है और इस सदन के नेता जब हमको मिले थे, हमारे कई नेता साथी थे, तब भी हमने कहा कि हम को आशंका है कि जिस प्रकार से हम इसको पास करने जा रहे हैं, और जब मैं आज सुनता रहा, और जब मैंने इसका स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट एंड रीजन्स देखा कि क्यों हम यह बिल पास कर रहे हैं, *[अनुवाद]* उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार:

"...संसद के दोनों सदनों में स्थानों की संभावी रिक्तता के कारण परिणामी रिक्तता को भरने के लिए उप निर्वाचन कराए जाने आवश्यक होंगे। यह एक व्यर्थ का व्यय होगा और इससे देश पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ेगा।"

यह संविधान के कारण, अनुच्छेद 102 के कारण है। तथा यदि उस कारण व्यय हों, तो इससे क्या न्यायालय को विवश होकर कहना पड़ेगा कि यह उचित है? इससे बढ़कर, हमारे पास कई माननीय सदस्य थे, कई नहीं पर कम से कम श्री गुरुदास दासगुप्त ने काफी धाराप्रवाह में यह कहा कि यह सरकार की स्थिरता के लिए आवश्यक है। यदि उस उद्देश्य के लिए, हम इस प्रकार का कानून पारित करने जा रहे हैं तो न्यायालय निश्चित रूप से यह जांच करेगा कि क्या यह उचित परिस्थिति है जिसमें संसद ने यह कानून स्वीकृत किया। अतएव, हमें संदेह का अनुभव होता है तथा हमने यह सदन के नेता को कहा कि कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि राष्ट्रपति ने...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैंने दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। 'स्थायित्व' के साथ साथ मैंने कहा कि "ऐसे लोग जो शक्ति के भूखे हैं उनके द्वारा सत्ता के लिए उलटफेर किए जाने को रोकने के लिए।"

श्री लालकृष्ण आडवाणी: यहां तक कि आज सरकार राष्ट्रपति से यह सफारिश कर सकती है कि सदन भंग किया जाये। ताजा चुनाव कराए जायें। क्या यह सत्ता हासिल करने के लिए किए जाने वाला उलटफेर है? यह परिस्थिति से संबंधित प्रश्न है। इस परिस्थिति में, आप महसूस करते हैं कि ये 45, 35 या 30 सदस्यों को यदि संरक्षण नहीं मिला तो स्थिरता नहीं होगी। इसी कारण से, यह सत्ता के लिए उलटफेर है। वस्तुतः हमने जब उनसे इस विषय पर चर्चा की तो हमने कहा कि हम चाहेंगे कि कोई अस्थिरता नहीं उत्पन्न हो। हम यह देखना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति बने जहां हम ऐसा कानून बनाएं जिसमें हमें कम-से-कम उपचुनावों का सामना करना पड़े, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि सदा के लिए यह मनमाना कार्य न हो जाये जो हमारे कई सहयोगियों के शब्दों में, लोगों के मस्तिष्क में हमारे कद को कम करता हो। यह आज हो रहा है। *[हिन्दी]* यह हो रहा है कि अपने को बचाने के लिए ये कुछ भी पास कर सकते हैं, मेजॉरिटी है तो कुछ भी पास कर लो। *[अनुवाद]* मैं इससे सहमत नहीं हूं। अतएव, मैं वह रहस्य नहीं खोल रहा हूं कि मेरे सहयोगी, जो श्री भारद्वाज के पूर्ववर्ती तथा हमारी सरकार में कानून मंत्री थे, ने सरकार को सुझाव दिया था कि आप हमें 48 घंटे का समय दीजिए तथा हम आपके सामने एक प्रारूप तैयार करेंगे जो आपके उद्देश्यों को पूरा करेगा तथा साथ ही, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।

58 वर्षों में पहली बार राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 को लागू कर रहे हैं। यह संसद के लिए शर्मिंदा होने की बात है। यह राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमण्डल को कुछ वापस भेजने जैसा नहीं है। यह अनुच्छेद के अन्तर्गत किया जाता है और यह अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 74 के अधीन हम जब कोई सिफारिश करते हैं, यथा, इस राज्य में राष्ट्रपति सासन लगाया जाये, तो

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। सरकार उन्हें अध्यादेश देती है तो वे पुनर्विचार के अनुरोध के साथ इसे वापस करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यह अध्यादेश के द्वारा किया जाना चाहिए या संसद के द्वारा होना चाहिए। वह अलग मामला है।

यहां, संसद के इतिहास में पहली बार - मैं संसद में 30 वर्षों से ज्यादा समय से हूं - लोकसभा को एक विधेयक पर विचार करना पड़ रहा है जो इसने पहले पारित किया था, यानी दूसरी बार विचार करना पड़ रहा है। ईश्वर न करे यदि कल न्यायालय कोई व्यवस्था देता है, न्यायालय इस तथ्य को संज्ञान में लेता है कि पद को छूट नहीं मिली है; वरन् व्यक्ति को छूट दी गई है संसद सदस्य को छूट मिली है, तथा उसी आधार पर इस कानून को निरस्त घोषित करती है तो हमें इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा।

इसे राष्ट्रपति से प्राप्त करना और राष्ट्रपति को हमें यह बताना किंकर्त्तव्यमूढ़ होने की स्थिति थी कि: "मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूं।" उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। यदि कल हमें यह पुनः उच्चतम न्यायालय अथवा किसी न्यायपालिका से प्राप्त हो तो क्या हमें प्रसन्नता होगी?

इसलिए, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस स्थिति में भी इस मामले पर पुनर्विचार करे। आखिरकार गत दो वर्षों में, इस सरकार को उच्चतम न्यायालय के पांच प्रमुख निर्णय अथवा न्यायिक भर्त्सनाएं सुनाए गए थे। जहां तक न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने का संबंध है तो इसका बहुत अवांछनीय रिकार्ड रहा है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में दिए गए आरक्षण से हुई थी; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण तक जारी रहा; बिहार में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे तक जारी रहा; आई.एम.टी.डी. एक्ट तक जारी रहा; और हाल में केवल एम्स की अध्यक्षता के बारे में रहा। यह सरकार का रिकार्ड है। आप न्यायपालिका द्वारा इस निर्णय को आमंत्रण क्यों दे रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे ऐसा न करने की वकालत करता हूं। इस पर विचार करने के लिए थोड़ा समय और ले लीजिए।

आइए हम सब एक साथ बैठकर यह विचार करें कि आपके मन में जो आशंका है उसे कम से कम कैसे किया जा सकता है। एक तरफ, हम राष्ट्रपति द्वारा अभिव्यक्त विचारों का संज्ञान ले सकते हैं और ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि जो कानून हम बनाते हैं वह संविधान के दायरे में हो। ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं है। मेरा विचार है कि यह संभव और व्यवहार्य होना चाहिए। हमने अपने सुझाव दिए थे और उस समय मैं यह महसूस करता था कि सरकार का सुझाव इसे पारित कराने की ओर है। अन्यथा, इस मुद्दे पर गहन विचार करने के लिए पर्याप्त समय था। वास्तव में, राष्ट्रपति की यह विशेष सलाह दो महीने पूर्व मिली थी। इन दो महीनों में, ये सब कार्य किए जा सकते थे, और इस विधेयक 31 जुलाई तक ही समुचित रूप से पारित कराया जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए, मैंने आपको इस प्रकार की चेतावनी दी है।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, माननीय विधि मंत्री के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया है...(*व्यवधान*)

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैंने विपक्ष के नेता की बात को बड़ी सावधानी से सुना है। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करने के अतिरिक्त कुछ भी नया नहीं कहा है कि हमें इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहिए। यह सामान्य बात है...अब, दूसरी तरफ से बोलने वाले सदस्य...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखिए।

...(*व्यवधान*)

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं उन्हें कुछ बातें बताना चाहूंगा क्योंकि मैं इस मुद्दे की कानूनी स्थिति पर पूरी तरह तैयार हूं। मैंने भूतलक्षी कानून के बारे में निर्णय दिया था। एक व्यक्ति जो लाभ के पद पर है उस प्रश्न का व्याख्या क्या है? यह वास्तव में शिबु सोरेन का मामला है जो कि पृष्ठ सं. 2,596 पर 35वें पैराग्राफ में है। यह कहता है:

> "एक व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं इस प्रश्न की व्याख्या प्रत्येक मामले और प्रासंगिक सांविधिक उपबंधों के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए यथार्थवादी रूप में किए जाने की आवश्यकता है। जबकि अनेक प्रमुख और अन्य पात्र व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रभाव डालने वाले "कड़े और संकीर्ण अर्थ" को स्वीकार नहीं किया जा सकता है परंतु ऐसे में एक नागरिक पर निरर्हता अधिरोपित करने वाले सांविधिक उपबंध का संव्यवहार करते समय मात्र व्यापक और सामान्य दृष्टिकोण को अपनाने तथा अत्यावश्यक बिंदुओं की उपेक्षा करना अनुचित होगा।"

पूरा मुद्दा यह है कि ब्रिटेन में एक परंपरा है कि इसमें किन्हें छूट नहीं दी जाती है। मैं किसी रक्षा कार्मिक को छूट नहीं दे सकता, और मैं किसी और को छूट नहीं दे सकता ...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अपने द्वारा उद्धृत निर्णय के अतिरिक्त, मैं इस विशेष पुस्तक के अंतिम पैराग्राफ में हमारे महासचिव द्वारा की गई टिप्पणी को उद्धृत करना चाहता था। यह उद्धरण कहता है:

"भगवान दास मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 के अंतर्गत विधान मंडलों द्वारा शक्ति के प्रयोग पर कतिपय रोक लगाता है...।"

"ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 102(1)(क) और 191(1)(क) की योजना में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाकर रखा गया है जिसके अंतर्गत लाभ का पद रखना निरर्हता होता है, परंतु जब विधानमंडल दखल देता है और घोषणा करता है कि कतिपय पद पदधारी व्यक्ति को निरर्ह नहीं होते हैं। विधानमंडल द्वारा उपर्युक्त शक्ति के अनुचित प्रयोग के आधार पर इसके हस्तक्षेप न्यायपालिका के संकेत देने के साथ, विधि की न्यायिक संवीक्षा, संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन की तैयारी हो चुकी है।"

मैं आपसे, सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संतुलन को मत बिगाड़िए और संसद को ऐसी स्थिति में मत पहुंचाइए जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा हमारी भर्त्सना हो।

श्री हंस राज भारद्वाज: मुझे बहुत खेद है कि उनके जैसा परिपक्व नेता उच्चतम न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की भूमिका इसके पारित होने और राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति मिलने के बाद शुरू होगी। हम राष्ट्रपति के संदेश पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा कर्तव्य आपकी सहायता करना है और हम कुछ भी अवैध अथवा असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से यह उपयुक्त माहौल नहीं है...*(व्यवधान)* राष्ट्रपति के रूष्ट होने की आशंका से हमें परेशानी हो रही है, और अब, तीसरी आशंका यह है कि न्यायपालिका इसे अभिखंडित कर देगी। सभी कानून न्यायिक समीक्षाओं के अध्यधीन हैं। संविधान संशोधन भी न्यायिक समीक्षा के अध्यधीन हैं।

विपक्ष के माननीय नेता द्वारा जो उद्धृत किया गया है वह यह है कि हम प्रत्येक पद को पूर्णतः छूट नहीं दे सकते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटिश संसद संकेत देती है। उसने कहा है: "आप रक्षा बलों, पुलिस और न्याय विभाग के अधिकारियों को छूट नहीं दे सकते।" जिन अधिकारियों को छूट नहीं दी जानी है उनके बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश हैं और यह परंपरा है। भारत में भी, हम रक्षा कार्मिकों, पुलिस विभाग, सरकारी अधिकारियों और सरकार के सचिवालयों जैसे कार्यालयों को छूट नहीं देते हैं। वे संसद सदस्य नहीं बन सकते।

कौन कहता है कि ये अनियंत्रित शक्तियां हैं। हमें यह देखना है कि जिन संस्थाओं में सदस्यों ने पद ले रखा है क्या वे अयथार्थवादी हैं और वहां न्यायालय निर्णय देते हैं। इससे कौन इनकार करता है? मैंने यहीं से शुरू किया था। न्यायालय की विभिन्न घोषणाएं हुई हैं जो वास्तव में यह निर्णय करते हैं कि क्या एक लाभ के पद को समुचित रूप से छूट दी गई अथवा क्या एक सदस्य बिना छूट के निरर्ह घोषित हो जाता है। ये सभी मुद्दे न्यायिक संवीक्षा के मामले हैं।

जब संसद द्वारा कानून पारित किए जाते हैं तो वे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अध्यधीन होते हैं। तो क्या इसका यह अर्थ है कि कुछ होगा और कुछ नकार दिया जाएगा, संसद को निष्क्रिय बना दिया जाए। मैं उनके जैसे एक परिपक्व नेता के इस प्रकार के दर्शन का समर्थन नहीं करता हूं। संसद को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मैं विपक्ष के माननीय नेता के इस अनुरोध को अस्वीकार करता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि विपक्ष के नेता ने मेरा नाम लिया है इसलिए मुझे स्थिति को स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। मैं इस सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। विपक्ष के माननीय नेता ने मेरा नाम लिया है...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, जब तृतीय पठन पूरा हो गया है तो वह कैसे बोल सकते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

कई माननीय सदस्य: 'हां'

उपाध्यक्ष महोदय: जो विरोध में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य: 'नहीं'

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य: निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ। हम मत-विभाजन चाहते हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, हम मत-विभाजन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: दर्शक-दीर्घाएं खाली करा दी जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मतदान के लिए प्रस्ताव करता हूं।

...(*व्यवधान*)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...(*व्यवधान*) मैं प्रक्रिया नियम के नियम-371 की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।...(*व्यवधान*) अर्थदण्ड अथवा प्रत्यक्ष हित के आधार पर सभा के मत-विभाजन में कुछ सदस्यों के मतदान करने के मामले में व्यक्तिगत, अर्थदण्ड अथवा प्रत्यक्ष हित में इसे चुनौती देना आपत्तिजनक है...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी, मैं आपको वोटिंग के बाद सुनूंगा।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी, यह आपत्ति उठाने का सही समय नहीं है। मत विभाजन के तुरन्त बाद और अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद किसी कतिपय सदस्य के मत पर आपत्ति की जा सकती है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं वोटिंग के बाद और एनाउंसमेंट के पहले आपकी बात सुनूंगा। पहले आप बैठ तो जायें। आप पहले मेरी बात सुन लें।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वे भाग कैसे ले सकते हैं?...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रोसीजर यह है कि वोटिंग के बाद और एनाउंसमेंट के पहले आपकी बात सुनूंगा, उसके पहले नहीं।

...(*व्यवधान*)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उसमें क्या होगा?...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: आप जरा सुन लें।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, दर्शक-दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

पक्ष में **रात्रि 8.35 बजे**

*अंतुले, श्री ए.आर.

अंसारी, श्री फुरकान

अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र

अजय कुमार, श्री एस.

*अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.

*अप्पादुरई, श्री एम.

अय्यर, श्री मणिशंकर

अहमद, डा. शकील

अहमद, श्री ई.

आचार्य, श्री बसुदेव

आरून रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस.

उरांव, डा. रामेश्वर

ओला, श्री शीश राम

ओवेसी, श्री असादुद्दीन

कमलनाथ, श्री

करूणाकरन, श्री पी.

कलमाडी, श्री सुरेश

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम.

कामत, श्री गुरुदास

*किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्रीमती मीरा

कुमारी, सैलजा

कुरूप, एडवोकेट सुरेश

कृष्ण, श्री विजय

कृष्णदास, श्री एन.एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

केरकेटा, श्रीमती सुशीला

कोन्यक, श्री डब्ल्यू. वांग्यू

कौर, श्रीमती परनीत

खां, श्री सुनील

खारवेनथन, श्री एस.के.

गणेशन, श्री एल.

*गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर

गमांग, श्री गिरिधर

गांधी, श्री राहुल

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गिल, श्री आत्मा सिंह

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

चक्रवर्ती, डा. सुजान

चक्रवर्ती, श्री अजय

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सांताश्री

चन्द्र कुमार, प्रो.

चन्द्रप्पन श्री सी.के.

*चर्चिल, श्री अलीमाऊ

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री हरिसिंह

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डा.

चौधरी डा. तुषार अमर सिंह

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्रीमती रेनुका

चौरे, श्री बापू हरी

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी

जय प्रकाश, श्री

जोगैया, श्री हरि राम

झा, श्री रघुनाथ

टाइटलर, श्री जगदीश

ठुम्मर, श्री वी.के.

डेलकर, श्री मोहन एस.

डोम, डा. रामचन्द्र

तंगबालु, श्री के.वी.

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोपदार, श्री तरित बरण

*दत्त, श्रीमती प्रिया

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दास, डा. अलकेष

दास, श्री खगेन

दासगुप्त, श्री गुरूदास

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दीक्षित, श्री सन्दीप

दूबे, श्री चन्द्र शेखर

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

देव, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मिलिन्द

नन्दी, श्री अमिताभ

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन

नरबुला, श्री डी.

निखिल कुमार, श्री

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री जीवाभाई ए.

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई

पटेल, श्री दिन्शा

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी

पलनिसामी, श्री के.सी.

पवार, श्री शरद

*पाटील, श्री प्रतीक पी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री लक्ष्मणराव

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब

पाटील, श्रीमती सूर्याकांता

पाठक, श्री ब्रजेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाण्डा, श्री प्रबोध

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री रूपचंद

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री वीरचन्द्र

*पिंगले, श्री देविदास

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, श्री प्रशान्त

प्रभु, श्री आर.

प्रसाद, श्री हरिकेवल

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ

फैन्थम, श्री फ्रांसिस

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान

बर्मन, प्रो. बसुदेव

बसु, श्री अनिल

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बारड, श्री जसुभाई धानाभाई

*बिश्नोई, श्री कुलदीप

बुधौलिया, श्री राजनरायन

बेल्लारमिन, श्री ए.वी.

बोस, श्री सुब्रत

भक्त, श्री मनोरंजन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भड़ाना, श्री अवतार सिंह

भूरिया, श्री कांति लाल

मंडल, श्री सनत कुमार

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मनोज, डा. के.एस.

*महतो, श्री सुनिल कुमार

महावीर प्रसाद, श्री

**मांझी, श्री राजेश कुमार

माकन, श्री अजय

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

माने, श्रीमती निवेदिता

मिडियम, डा. बाबू राव

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मिश्रा, डा. राजेश

मीना, श्री नमोनारायन

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच

मुफ्ती, सुश्री महबूबा

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मुर्मू, श्री हेमलाल

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैक्लोड, श्री इन्ग्रिड

मैन्या, डा. टोकचोम

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

यादव, डा. करण सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पर्ची के माध्यम से मतदान में हुई गलती को ठीक किया।

यादव, प्रो. राम गोपाल

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री एम. अंजनकुमार

यादव, श्री गिरिधारी

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री पारसनाथ

यादव, श्री मित्रसेन

रघुपति, श्री एस.

*रवीन्द्रन, श्री पन्नियन

रठवा, श्री नारनभाई

राजगोपाल, श्री एल.

राजा, श्री ए.

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी

राजेन्द्रन, श्री पी.

*राणा, श्री गुरजीत सिंह

राणा, श्री रबिन्दर कुमार

राधाकृष्णन, श्री वरकला

रामकृष्णा, श्री बाडिगा

*रामदास, प्रो. एम.

राव, श्री के.एस.

राव, श्री डी. विट्टल

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री मधुसूदन

लालू प्रसाद, श्री

लाहिरी, श्री समिक

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती ऊषा

वाघेला, श्री शंकर सिंह

विजयन, श्री ए.के.एस.

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार

वेंकटपति, श्री के.

वेंकटस्वामी, श्री जी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेलु, श्री आर.

शर्मा, डा. अरविन्द

शर्मा, श्री मदन लाल

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शैलेन्द्र कुमार, श्री

*संगमा, श्री पी.ए.

सज्जन. कुमार, श्री

सर, श्री निखिलानन्द

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सलीम, मोहम्मद

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

साहु, श्री चंद्रशेखर

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री गणेश प्रसाद

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री सीताराम

सिंह, श्री सूरज

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती प्रतिभा

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन

सिब्बल, श्री कपिल

सील, श्री सुधांशु

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुजाता, श्रीमती सी.एस.

सुब्बा, श्री मणी कुमार

सुब्बारायण, श्री के.

सुम्बरुई, श्री बागुन

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव एच.

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेनथिल, डा. आर.

सेन, श्रीमती मिनाती

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका

सोरेन, श्री शिबु

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

*हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अनवर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

विपक्ष में **रात्रि 8.36 बजे**

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज जी.

आचार्य, श्री प्रसन्न

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

ओराम, श्री जुएल

*कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कनोडिया, श्री महेश

*कुन्नुर, श्री मंजुनाथ

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गंगवार, श्री संतोष

गढ़वी, श्री पी.एस.

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्रीमती मेनका

गाव, श्री तापिर

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोहेन, श्री राजेन

चौधरी, श्री पंकज

चौबे, श्री लाल मुनी

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

*त्रिपाठी, श्री बृज किशोर

देव, श्री बिक्रम केशरी

*देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र

धोत्रे, श्री संजय

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्रीमती अर्चना

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द

पटैरिया, श्रीमती नीता

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.

पाठक, श्री हरिन

पोटाई, श्री सोहन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

'बजदा', श्री बची सिंह रावत

बैनर्जी, कुमारी ममता

बैस, श्री रमेश

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

**मांझी, श्री राजेश कुमार

माजी, श्री परसुराम

माहेश्वरी, श्रीमती किरण

मेघवाल, श्री कैलाश

मोहले, श्री पुन्नूलाल

मोहिते, श्री सुबोध

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

रिजीजू, श्री कीरेन

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव

रेड्डी, श्री जी. करूणाकर

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू

*वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

**पर्ची के माध्यम से मतदान में हुई गलती को ठीक किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील

शुक्ला, श्रीमती करूणा

सांगवान, श्री किशन सिंह

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री दुष्यंत

*सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल

*सिंह, श्री सुग्रीव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

*सेठी, श्री अर्जुन

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाई, श्री खारबेल

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वे भाग नहीं ले सकते हैं। एक कानून है...*(व्यवधान)* हम आपको बाहर करेंगे...*(व्यवधान)* हम बाहर नहीं जाएंगे...*(व्यवधान)* देखिए क्या हो रहा है...*(व्यवधान)* यह नियम है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: *[हिन्दी]* मैं इसको सुन रहा हूं। *[अनुवाद]* कृपया इन्हें सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: कुछ सदस्यों ने मतदान में भाग लिया है और मतदान किया है उनके मतदान को मैं चुनौती देता हूं...*(व्यवधान)* उनका इस विधेयक में आर्थिक हित है...*(व्यवधान)* उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए। प्रक्रिया नियम में कानून का यह प्रावधान है। इन्होंने विधेयक के समर्थन में मतदान किया है। अतएव मैं इनके मतदान को चुनौती देता हूं। वे भाग नहीं ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको सुन लिया, अब इनको सुन लूं।

...*(व्यवधान)*

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप इनकी बात को सुन लीजिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, यह भ्रान्तिपूर्ण निर्वचन है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें संसद सदस्यों को मतदान करने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यह संसद है जो उन्हें अपने वेतन और भत्तों के संबंध में कानून पारित करने का अधिकार देती है। सदस्यगण यहां वह कानून पारित करते हैं। यह प्रावधान बिल्कुल भिन्न उद्देश्य के निमित्त है...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: किन्तु इसे चुनौती नहीं दी गयी है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: संसद कोई मामला लेती है जिससे कतिपय सदस्यगण संबंधित हो सकते हैं। अतएव, उस मामले को छोड़कर यह प्रावधान उस प्रकृति का सामान्य कानून नहीं है। अनुच्छेद 102 इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया मेरी बात सुनिए। श्री त्रिपाठी, आपका नोटिस सामान्य प्रकृति का है। आपने किसी व्यक्ति या खास सदस्य के नाम का विशेष उल्लेख नहीं किया है।

[हिन्दी]

पहली बात मैंने यह कहा कि यह जनरल है, यह स्पेसिफिक नहीं है।

[अनुवाद]

दूसरे, यह उस सदस्य विशेष पर है कि शुचिता के आधार पर वह निर्णय ले कि प्रश्न विशेष पर मतदान करने से प्राप्त होने वाले वैयक्तिक आर्थिक लाभ से उनका निर्णय सार्वजनिक नीति की सीधी रेखा से प्रभावित या परावर्तित करता है या नहीं।

अतएव, मतदान करना उनकी इच्छा है। यह उनकी अपनी इच्छा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन * मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में	:	230
विपक्ष में	:	71

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 1 अगस्त, 2006 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 1 अगस्त, 2006/10 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*पक्ष में: 230 + सर्व श्री पी.आर. किन्डिया, कुलदीप बिश्नोई, गुरजीत सिंह राणा, ए.आर. अंतुले, अलीभाऊ चर्चिल, तुकाराम गंगाधर गदाख, देविदास पिंगले, प्रो. एम. रामदास, सर्वश्री सुनिल कुमार महतो, सूरज सिंह, राजेश कुमार मांझी, एम. अप्पादुरई, पन्नियन रवीन्द्रन, दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती प्रिया दत्त, सर्वश्री पी.ए. संगमा और प्रतीक पी. पाटील = 247

*विपक्ष में: सर्वश्री अर्जुन सेठी, बृज किशोर त्रिपाठी, ब्रह्मानंद पंडा, सुग्रीव सिंह, लक्ष्मण सिंह, डा. वल्लभभाई कथीरिया, सर्वश्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख, नारायण चन्द्र वरकटकी, मंजुनाथ कुन्नुर = 80 - विभाग सं. 268 श्री राजेश कुमार मांझी को विपक्ष से पक्ष में सही किया गया = 79

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री के.एस. राव श्री ए.वी. बेल्लारमिन	101
2.	श्री उदय सिंह श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	102
3.	श्री रामदास आठवले	103
4.	श्री एस.के. खारवेनथन	104
5.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई श्री रेवती रमन सिंह	105
6.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	106
7.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	107
8.	श्री अजीत जोगी श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	108
9.	डा. के.एस. मनोज श्री किसनभाई वी. पटेल	109
10.	श्री मोहन रावले	110
11.	श्रीमती अर्चना नायक श्री असादूद्दीन ओवेसी	111
12.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	112
13.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	113
14.	श्री प्रभुनाथ सिंह	114
15.	श्री अशोक कुमार रावत प्रो. महादेवराव शिवनकर	115
16.	श्री मो. ताहिर	116
17.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	117
18.	श्री एन.एन. कृष्णदास	118
19.	श्री ई.जी. सुगावनम	119
20.	श्री रघुनाथ झा	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	760, 814, 869, 885
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	778, 794
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	786, 837, 863, 874, 880
4.	अर्गल, श्री अशोक	769, 846, 867
5.	आठवले, श्री रामदास	823, 855
6.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	788, 839
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	751, 809, 853, 875, 881
8.	बर्मन, श्री रनेन	750
9.	बखला, श्री जोवाकिम	849
10.	भडाना, श्री अवतार सिंह	770
11.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	747, 805
12.	चन्द्र कुमार, प्रो.	798
13.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	771, 822
14.	चटर्जी, श्री सांताश्री	871
15.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	801
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	778, 782, 784, 821
17.	चिन्ता मोहन, डा.	791, 839
18.	चौधरी, श्री अधीर	751
19.	देवरा, श्री मिलिन्द	757, 772, 812

1	2	3
20.	धनराजू, डा. के.	800, 803, 848, 868
21.	धोत्रे, श्री संजय	738
22.	गढ़वी, श्री पी.एस.	752, 821
23.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	774, 785, 797
24.	गांधी, श्रीमती मेनका	772, 773, 780, 830
25.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	767
26.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	764, 840
27.	हुसैन, श्री अनवर	741, 818
28.	जगन्नाथ, डा. एम	825
29.	झा, श्री रघुनाथ	763
30.	जिन्दल, श्री नवीन	754, 782
31.	जोशी, श्री प्रहलाद	742, 842
32.	खैरे, श्री चंद्रकांत	737, 827, 858, 872, 879
33.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	793
34.	खन्ना, श्री अविनाश राय	740
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	810, 851
36.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	773, 828
37.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	836, 862
38.	कुन्नूर, श्री मंजुनाथ	796
39.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	839
40.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	759
41.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	845, 866, 877
42.	महतो, श्री सुनिल कुमार	744

1	2	3
43.	माने, श्रीमती निवेदिता	774, 797
44.	मनोज, डा. के.एस.	817, 865, 876, 882
45.	मसूद, श्री रशीद	769, 855
46.	मेघवाल, श्री कैलाश	749, 808, 850
47.	मेहता, श्री आलोक कुमार	800
48.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	766
49.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	762
50.	मोहन, श्री पी.	768, 785, 820, 854, 873
51.	मो. ताहिर, श्री	816, 835, 861
52.	मोहिते, श्री सुबोध	884
53.	मोल्लाह, श्री हन्नान	785, 834
54.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	828
55.	नायक, श्री अनन्त	743
56.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	772
57.	ओवेसी, श्री असाद्दुद्दीन	815, 857, 871
58.	पलनिसामी, श्री के.सी.	745
59.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	756
60.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	775, 784
61.	पाठक, श्री ब्रजेश	783, 832, 859, 878
62.	पाठक, श्री हरिन	762
63.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	799
64.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	746

1	2	3
65.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	883, 884
66.	राजेन्द्रन, श्री पी.	795
67.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	762
68.	राणा, श्री काशीराम	775, 836
69.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	765
70.	रावले, श्री मोहन	819
71.	रावत, श्री अशोक कुमार	816, 835, 861
72.	रावत, श्री कमला प्रसाद	826
73.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	753, 838, 864, 884
74.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	739, 811, 852
75.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	836, 883
76.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	824
77.	सरोज, श्री तूफानी	779
78.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	790, 841
79.	सेठी, श्री अर्जुन	772, 773
80.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	792
81.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	760, 814, 869, 885
82.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	816, 835, 861
83.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	778, 829
84.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	787
85.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	833, 860
86.	सिंह, श्री चन्द्रभान	777
87.	सिंह, श्री दुष्यंत	802, 847
88.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	843
89.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	774, 785, 797
90.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	826, 856
91.	सिंह, श्री रेवती रमन	785
92.	सिंह, श्री सीताराम	755
93.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	804
94.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	748, 807
95.	सुगावनम, श्री ई.जी.	806, 849, 870
96.	सुमन, श्री रामजीलाल	791
97.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	758, 790, 813, 821
98.	थामस, श्री पी.सी.	761
99.	तुम्मर, श्री वी.के.	782, 884
100.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	746
101.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	758
102.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	760, 814, 844, 869, 885
103.	विनोद कुमार, श्री बी.	772, 789, 884
104.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	794
105.	यादव, श्री गिरिधारी	792
106.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	816, 835, 861
107.	यादव, श्री राम कृपाल	843
108.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	781, 831

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	102, 106, 109, 113, 114
रसायन और उर्वरक	:	104
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	101, 110, 120
पर्यावरण और वन	:	107, 117
सूचना और प्रसारण	:	105, 116, 119
श्रम और रोजगार	:	118
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	115
जल संसाधन	:	103, 108, 111, 112

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	737, 738, 739, 740, 747, 750, 752, 758, 766, 782, 784, 786, 788, 790, 793, 794, 798, 799, 802, 804, 805, 810, 811, 812, 817, 821, 823, 828, 829, 832, 833, 835, 836, 838, 839, 845, 849, 851, 852, 853, 856, 857, 859, 866, 869, 878
रसायन और उर्वरक	:	742, 748, 760, 762, 763, 797, 808, 884
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	754, 756, 767, 776, 777, 778, 785, 800, 801, 803, 807, 809, 815, 819, 820, 831, 848, 850, 854. 860, 862, 865, 868, 870, 874, 880, 883
पर्यावरण और वन	:	744, 746, 751, 761, 768, 769, 772, 773, 780, 795, 813, 825, 830, 837, 840, 841, 846, 855, 863, 877, 885
सूचना और प्रसारण	:	745, 759, 764, 765, 774, 775, 783, 787, 792, 806, 822, 824, 842, 873, 875, 879
श्रम और रोजगार	:	749, 753, 755, 791, 826, 843, 871, 882
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	743, 770, 771, 779, 789, 816, 827, 834, 858, 864, 872
जल संसाधन	:	741, 757, 781, 796, 814, 818, 844, 847, 861, 867, 876, 881

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/21/6/2007 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।